ग्रन्थ परीक्षा : सोमसेन-त्रिवर्णाचार

कुछ वर्ष हुए मैंने 'जैन हितैषी' में 'ग्रन्थ परीक्षा' नाम की एक लेखमाला निकालनी प्रारम्भ की थी, जो कई वर्ष तक जारी रही और जिसमें (१) उमास्वामि श्रावकाचार (२) कुन्दकुन्द श्रावकाचार (३) जिनसेन त्रिवर्णाचार, (४) भद्रबाहु संहिता और (५) धर्म परीक्षा (श्वेताम्बर) नामक ग्रन्थों पर विस्तृत आलोचनात्मक निबंध लिखे गये[१] और उनके द्वारा, गहरी खोज तथा जाँच के बाद, इन ग्रन्थों की असलियत को खोलकर सर्वसाधारण के सामने रखा गया और यह सिद्ध किया गया कि ये सब ग्रन्थ जाली तथा बनावटी हैं और इनका अवतार कुछ क्षुद्र पुरुषों अथवा तस्कर लेखकों द्वारा आधुनिक भट्टारकी युग में हुआ है। इस लेखमाला ने समाज को जो नया संदेश सुनाया, जिस भूल तथा गफलत का अनुभव कराया, अंधश्रद्धा की जिस नींद से उसे जगाया और उसमें जिस विचारस्वातंत्र्य तथा तुलनात्मक पद्धति से ग्रन्थों के अध्ययन को उत्तेजित किया, उसे यहाँ बतलाने की जरूरत नहीं है, उसका अच्छा अनुभव उक्त लेखों के पढ़ने से ही सम्बन्ध रखता हैं। हाँ, इतना जरूर बतलाना होगा कि इस प्रकार की लेखमाला उस वक्त जैन समाज के लिये एक बिल्कुल ही नई चीज थी, इसने उसके विचार वातावरण में अच्छी क्रान्ति उत्पन्न की, सहृदय विद्वानों ने इसे खुशी से अपनाया, इसके अनेक लेख दूसरे पत्रों में उद्धृत किये गये, अनुमोदन किये गये, मराठी में अनुवादित हुए और अलग पुस्तकाकार भी छपाये गये।[२] स्याद्वादवारिधि पं० गोपालदास जी बरैया ने, जिनसेन त्रिवर्णाचार की परीक्षा के बाद से, त्रिवर्णाचारों को अपने विद्यालय के पठन क्रम से निकाल दिया और दूसरे विचारशील विद्वान् भी उस वक्त से बराबर अपने कार्य तथा व्यवहार के द्वारा उन लेखों की उपयोगितादि को स्वीकार करते अथवा उनका अभिनंदन करते आ रहे हैं। उस वक्त जिनसेन त्रिवर्णाचार की परीक्षा लिखते समय मैंने यह प्रकट किया था कि ''सोमसेन त्रिवर्णाचार की परीक्षा भी एक स्वतंत्र लेख द्वारा की जायेगी''। परंतु खेद है कि अनवकाश के कारण इच्छा रहते भी, मुझे आज तक उसकी परीक्षा लिखने का कोई अवसर नहीं मिल सका। मैं उस वक्त से बराबर ही दूसरे जरूरी कामों से घिरा रहा हूँ। आज भी मेरे पास, यद्यपि, इसके लिये काफी समय नहीं है, दूसरे अधिक जरूरी कामों का ढेर का ढेर सामने पड़ा हुआ है और उसकी चिंता हृदय को व्यथित कर रही है, परंतु

१. अकलंक प्रतिष्ठा पाठ, नेमिचन्द्र संहिता (प्रतिष्ठा तिलक) और पूज्यपाद-उपसकाचार नाम के ग्रन्थों पर भी छोटे छोटे लेख लिखे गये, जिनका उद्देश्य प्रायः ग्रन्थ कर्ता और ग्रन्थ के निर्माण समयादि विषयक नासभक्ती को दूर करना था और उनके द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि ये ग्रन्थ क्रमशः तत्त्वार्थ राजवार्तिक के कर्ता भट्टाकलंकदेव, गोम्मटसार के प्रणेता श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती और सर्वार्थसिद्धि के रचयिता श्री पूज्यपादाचार्य के बनाये हुए नहीं है।

२. बम्बई के जैन ग्रन्थरत्नाकर कार्यालय ने 'ग्रन्थ परीक्षा' प्रथम भाग और द्वितीय भाग नाम से, पहले चार ग्रन्थों के लेखों को दो भागों में छापकर प्रकाशित किया है और उनका लागत मूल्य क्रमशः छह आने तथा चार आने रखा है।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

कुछ अर्से से कई मित्रों का यह लगातार आग्रह चल रहा है कि इस त्रिवर्णाचार की शीघ्र परीक्षा की जाये। वे आजकल इसकी परीक्षा को खास तौर से आवश्यक महसूस कर रहे हैं और इसलिये आज उसी का यत्किंचित् प्रयत्न किया जाता है।

इस त्रिवर्णाचार का दूसरा नाम 'धर्मरसिक' ग्रन्थ भी है और यह तेरह अध्यायों में विभाजित है। इसके कर्ता सोमसेन, यद्यपि, अनेक पद्यों में अपने को 'मुनि', 'गणी' और 'मुनीन्द्र' तक लिखते हैं[३] परन्तु वे वास्तव में उन आधुनिक भट्टारकों में से थे जिन्हें शिथिलाचारी और परिग्रहधारी साधु अथवा श्रमणाभास कहते हैं। और इसलिये उनके विषय में बिना किसी संदेह के यह भी नहीं कहा जा सकता कि–वे पूर्ण रूप से श्रावक की ७ वीं प्रतिमा के भी धारक थे। उन्होंने अपने को पुष्कर गच्छ के भट्टारक गुणभद्रसूरि का पट्टशिष्य लिखा है और साथ ही महेन्द्र कीर्ति गुरु का जिस रूप से उल्लेख किया है उससे यह जान पड़ता है कि वे इनके विद्या गुरु थे। भट्टारक सोमसेन जी कब हुए हैं और उन्होंने किस सन् सम्वत् में इस ग्रन्थ की रचना की है, इसका अनुसंधान करने के लिये कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। स्वयं भट्टारकजी ग्रन्थ के अंत में लिखते हैं–

अब्दे तत्त्वरसर्तुचन्द्रकलिते श्रीविक्रमादित्यजे
मासे कार्तिकनामनीह धवले पक्षे शरत्संभवे।
वारे भास्वति सिद्धनामनि तथा योगेसुपूर्णतिथौ।
नक्षत्रेऽश्विनिनाम्नि धर्मरसिको ग्रन्थश्च पूर्णीकृतः॥२१७॥

अर्थात् यह धर्मरसिक ग्रन्थ विक्रम सं० १६६५ में कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को रविवार के दिन सिद्ध योग और अश्विन नक्षत्र में बनाकर पूर्ण किया गया है।

इस ग्रन्थ के पहले अध्याय में एक प्रतिज्ञा वाक्य निम्न प्रकार से दिया हुआ है–

यत्प्रोक्तं जिनसेनयोग्यगणिभिः सामन्तभद्रैस्तथा
सिद्धान्तेगुणभद्रनाममुनिभिर्भट्टाकलंकैः परैः
श्री सूरिद्विजनामधेय विबुधैराशाधरैर्वाग्वरै-
स्तद्दृष्ट्वा रचयामि धर्मरसिकं शास्त्रं त्रिवर्णात्मकम्॥६॥

अर्थात् जिनसेनगणी, समंतभद्राचार्य, गुणभद्रमुनि, भट्टाकलंक, विबुध ब्रह्मसूरि और पं० आशाधर ने अपने-२ ग्रन्थों में जो कुछ कहा है, उसे देखकर मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य नाम के तीन वर्णों का आचार बतलाने वाला यह 'धर्मरसिक' नाम का शास्त्र रचता हूँ।

३. यथा–

...श्री भट्टारक सोमसेन मुनिभिः ...॥२-११५॥
...श्री भट्टारक सोमसेन गर्णिनाः ...॥४-२१७॥
...पुर्णयाश्लिषैः सोमसेनैर्मुनीन्द्रैः ...॥६-११८॥

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

ग्रन्थ के शुरू में इस प्रतिज्ञा वाक्य को देखते ही यह मालूम होने लगता है कि इस ग्रन्थ में जो कुछ भी कथन किया गया है, वह सब उक्त विद्वानों के ही वचनानुसार (उनके ही ग्रन्थों को देखकर) किया गया है। परन्तु ग्रन्थ के कुछ पत्र पलटने पर उसमें एक जगह ज्ञानार्णव ग्रन्थ के अनुसार, जो कि शुभचंद्राचार्य का बनाया हुआ है, ध्यान का कथन करने की और दूसरी जगह भट्टारक एकसंधि कृत संहिता (जिनसंहिता) के अनुसार होमकुण्डों का लक्षण कथन करने की प्रतिज्ञाएँ भी पाई जाती हैं। यथा–

''ध्यानं तावदहं वदामि विदुषां ज्ञानार्णवे यन्मतम्॥१-२७॥
''लक्षणं होमकुण्डानां वक्ष्ये शास्त्रानुसारतः।
भट्टारकैकसंधेश्च दृष्ट्वा निर्मलसंहिताम् ॥४-१०४॥

इसके सिवाय कहीं-२ पर खास तौर से ब्रह्मसूरि, अथवा जिनसेनाचार्य के महापुराण के अनुसार कथन करने की जो पृथक् रूप से प्रतिज्ञा या सूचना की गई है उसे पहली प्रतिज्ञा के ही अंतर्गत अथवा उसी का विशेष रूप समझना चाहिए, ऐसी एक सूचना तथा प्रतिज्ञा नीचे दी जाती है–

श्रीब्रह्मसूरिद्विजवंशरत्नं श्रीजैनमार्गप्रविबुद्धतत्त्वः
वाचंतु तस्यैवविलोक्यशास्त्रं कृतं विशषम्मुनिसोमसेनैः॥३-१५०॥
जिनसेनमुनिं नत्वा वैवाहविधिमुत्सवम्।
वक्ष्ये पुराणमार्गेण लौकिकाचारसिद्धये॥११-२॥

इन सब प्रतिज्ञा वाक्यों और सूचनाओं से ग्रन्थकर्ता ने अपने पाठकों को दो बातों का विश्वास दिलाया है–

(१) एक तो यह कि यह त्रिवर्णाचार कोई संग्रह ग्रन्थ नहीं है, बल्कि अनेक जैन ग्रन्थों को देखकर उनके आधार पर इसकी स्वतंत्र रचना की गई है।[४]

(२) दूसरे यह कि इस ग्रन्थ में जो कुछ लिखा गया है वह उक्त जिनसेनादि छहों विद्वानों के अनुसार तथा जैनागम के अनुकूल लिखा गया है और जहाँ कहीं दूसरे (शुभचन्द्रादि) विद्वानों के ग्रन्थानुसार कुछ कहा गया है, वहाँ पर उन विद्वानों अथवा उनके ग्रन्थों का नाम दे दिया गया है।

परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। ग्रन्थ को परीक्षादृष्टि से अवलोकन करने पर मालूम होता है कि यह ग्रन्थ एक अच्छा खासा संग्रह ग्रन्थ है, इसमें दूसरे विद्वानों के ढेर के ढेर वाक्यों को ज्यों का त्यों उठा कर या उनमें कहीं-कहीं कुछ साधारण-सा अथवा निरर्थक-सा परिवर्तन करके रखा गया है, वे वाक्य ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय को पुष्ट करने के लिये 'उक्तं च' आदि रूप से नहीं दिये गये, बल्कि वैसे ही ग्रन्थ का अंग बनाकर अपनाये गये हैं और उनको देते हुए उनके लेखक विद्वानों का

४. ग्रन्थ के नाम से भी यह कोई संग्रह ग्रन्थ मालूम नहीं होता और न इसकी संधियों में ही इसे संग्रह ग्रन्थ प्रकट किया गया है। एक संधि नमूने के तौर पर इस प्रकार है–

इति श्री धर्मरसिकशास्त्रे त्रिवर्णाचारनिरूपके भट्टारकश्रीसोमसेनविरचिते स्नानवस्त्राचमनसंध्यातर्पणवर्णनो नाम तृतीयोऽध्यायः।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

या उन ग्रन्थों का नाम तक भी नहीं दिया है, जिनसे उठाकर उन्हें रखा है। शायद पाठक यह समझें कि ये दूसरे विद्वान् वे ही होंगे, जिनका उक्त प्रतिज्ञा वाक्यों में उल्लेख किया गया है। परन्तु ऐसा नहीं है, उनके अतिरिक्त और भी बीसियों विद्वानों के शब्दों से ग्रन्थ का कलेवर बढ़ाया गया है और वे विद्वान् जैन ही नहीं किन्तु अजैन भी हैं। अजैनों के बहुत से साहित्य पर हाथ साफ किया गया है और उसे दुर्भाग्य से जैन साहित्य प्रकट किया गया है, यह बड़े ही खेद का विषय है। इस व्यर्थ की उठाधरी के कारण ग्रन्थ की तरतीब भी ठीक नहीं बैठ सकी। वह कितने ही स्थानों पर स्खलित अथवा कुछ बेढंगेपन को लिये हुए हो गई है और साथ में पुनरुक्तियाँ भी हुई हैं। इसके सिवाय, कहीं २ पर उन विद्वानों के विरुद्ध भी कथन किया गया है। जिनके वाक्यानुसार कथन करने की प्रतिज्ञा अथवा सूचना की गई है और बहुत-सा कथन जैन सिद्धांत के विरुद्ध अथवा जैनादर्श से गिरा हुआ भी इसमें पाया जाता है। इस तरह यह ग्रन्थ एक बड़ा ही विचित्र ग्रन्थ जान पड़ता है और 'कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुनबा जोड़ा' वाली कहावत को भी कितने ही अंशों में चरितार्थ करता है। यद्यपि यह ग्रन्थ उक्त जिनसेन त्रिवर्णाचारादि की तरह का जाली ग्रन्थ नहीं है, इसकी रचना प्राचीन बड़े आचार्यों के नाम से नहीं हुई, फिर भी यह अर्धजाली जरूर है और इसे एक मान्य जैन ग्रन्थ के तौर पर स्वीकार करने में बहुत बड़ा संकोच होता है। नीचे इन्हीं सब बातों का दिग्दर्शन कराया जाता है, जिससे पाठकों को इस ग्रन्थ के विषय में अपनी ठीक सम्मति स्थिर करने का अवसर मिल सके।

सबसे पहले मैं अपने पाठकों को यह बतला देना चाहता हूँ कि उक्त प्रतिज्ञा पद्य नं० ९ में जिन विद्वानों के नाम दिये गये हैं उनमें 'भट्टाकलंक' से अभिप्राय राजवार्तिक के कर्ता भट्टाकलंक देव से नहीं है, बल्कि अकलंक प्रतिष्ठापाठ (प्रतिष्ठातिलक) आदि के कर्ता दूसरे भट्टाकलंक से है, जिन्होंने अपने को 'भट्टाकलंकदेव' भी लिखा है और जो विक्रम की प्रायः १६ वीं शताब्दी के विद्वान थे।[५] और 'गुणभद्र' मुनि संभवतः वे ही भट्टारक गुणभद्र जान पड़ते हैं जो ग्रन्थकर्ता के पट्टगुरु थे। गुणभद्र भट्टारक के बनाये हुए 'पूजाकल्प' नामक एक ग्रंथ का उल्लेख भी 'दिगम्बर जैन ग्रन्थकर्ता और उनके ग्रन्थ' नामक सूची में पाया जाता है। हो सकता है कि इस ग्रन्थ के आधार पर भी प्रकृत त्रिवर्णाचार में कुछ कथन किया गया हो और इसके भी वाक्यों को बिना नाम-धाम के उठा कर रखा गया हो। परन्तु मुझे गुणभद्र मुनि के किसी भी ग्रन्थ के साथ इस ग्रन्थ के साहित्य को जाँचने का अवसर नहीं मिल सका और इसलिये मैं उनके ग्रन्थ विषय का यहाँ कोई उल्लेख नहीं कर सकूँगा। बाकी चार विद्वानों में से जिनसेनाचार्य तो 'आदिपुराण' के कर्ता, स्वामी समन्तभद्र 'रत्नकरण्डक' श्रावकाचार

५. इस त्रिवर्णाचार में जिनसेन आदि दूसरे विद्वानों के वाक्यों का जिस प्रकार से उल्लेख पाया जाता है, उस प्रकार से राजवार्तिक के कर्ता भट्टाकलंक देव के बनाये हुए किसी भी ग्रन्थ का प्रायः कोई उल्लेख नहीं मिलता। हाँ, अकलंक प्रतिष्ठापाठ के कितने ही कथनों के साथ त्रिवर्णाचार के कथनों का मेल तथा सादृश्य जरूर है और कुछ पद्यादिक दोनों ग्रन्थों में समान रूप से भी पाये जाते हैं। इससे उक्त पद्य में 'भट्टाकलंकैः' पद का वाच्य क्या है, यह बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

के प्रणेता, पं० आशाधर 'सागार धर्मामृत' आदि के रचयिता और विबुध ब्रह्मसूरि 'ब्रह्मसूरि त्रिवर्णाचार' अथवा 'जिनसंहितासारोद्धार' के विधाता हुए हैं जिसका दूसरा नाम 'प्रतिष्ठातिलक' भी है। आशाधर की तरह ब्रह्मसूरि भी गृहस्थ विद्वान् थे और उनका समय विक्रम की प्रायः १५वीं शताब्दी पाया जाता है। ये जैनधर्मानुयायी ब्राह्मण थे। सोमसेन ने भी 'श्री ब्रह्मसूरिद्विजवंशरत्नं', 'ब्रह्मसूरिसुविप्रेण', 'श्री ब्रह्मासूरिवरविप्रकवीश्वरेण' आदि पदों के द्वारा इन्हें ब्राह्मण वंश का प्रकट किया है। इनके पिता का नाम 'विजयेन्द्र' और माता का 'श्री' था। इनके एक पूर्वज गोविन्दभट्ट, जो वेदान्तानुयायी ब्राह्मण थे, स्वामी समन्तभद्र के 'देवागम' स्तोत्र को सुनकर जैनधर्म में दीक्षित हो गये थे।[६] उसी वक्त से इनके वंश में जैनधर्म की बराबर मान्यता चली आई है, और उसमें कितने ही विद्वान् हुए हैं।

ब्रह्मसूरि-त्रिवर्णाचार को देखने से ऐसा मालूम होता है कि ब्रह्मसूरि के पूर्वज जैनधर्म में दीक्षित होने के समय हिन्दूधर्म के कितने ही संस्कारों को अपने साथ लाये थे, जिनको उन्होंने स्थिर ही नहीं रखा बल्कि उन्हें जैन का लिबास पहिनाने और त्रिवर्णाचार जैसे ग्रन्थों द्वारा उनका जैन समाज में प्रचार करने का भी आयोजन किया है। संभव है देश-काल की परिस्थिति ने भी उन्हें वैसा करने के लिये मजबूर किया हो। उस वक्त ब्राह्मण लोग जैन द्विजों अथवा जैन धर्म में दीक्षितों को 'वर्णान्नःपाती' और संस्कारविहीनों को 'शूद्र' तक कहते थे, आश्चर्य नहीं जो यह बात नव दीक्षितों को, खासकर विद्वानों को असह्य हो उठी हो और उसके प्रतिकार के लिये ही उन्होंने अथवा उनसे पूर्व दीक्षितों ने उपर्युक्त आयोजन किया हो। परन्तु कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं कि उस वक्त दक्षिण भारत में इस प्रकार के साहित्य (संहिता शास्त्रों, प्रतिष्ठा पाठों और त्रिवर्णाचारों) की बहुत कुछ सृष्टि हुई है। एक संधि भ० जिनसंहिता, इन्द्रनन्दिसंहिता, नेमिचंद्र[७] संहिता, भद्रबाहुसंहिता, आशाधर प्रतिष्ठापाठ, अकलंक प्रतिष्ठापाठ और जिनसेन त्रिवर्णाचार आदि बहुत से ग्रन्थ उसी वक्त के बने हुए हैं। इस प्रकार के सभी उपलब्ध ग्रन्थों की सृष्टि विक्रम की प्रायः दूसरी सहस्राब्दी में पाई जाती है। विक्रम की पहली सहस्राब्दी (दसवीं शताब्दी तक) का बना हुआ वैसा एक भी ग्रन्थ अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ और इससे यह जाना जाता है कि ये ग्रन्थ उस जमाने की किसी खास हलचल के परिणाम हैं और इनके कितने ही नूतन विषयों का, जिन्हें खास तौर से लक्ष्य में रखकर ऐसे ग्रन्थों की सृष्टि की गई है, जैनियों के प्राचीन साहित्य के साथ प्रायः कोई सम्बन्ध विशेष नहीं है। अस्तु।

ग्रन्थ का संग्रहत्व

(१) इस त्रिवर्णाचार में सबसे अधिक संग्रह यदि किसी ग्रन्थ का किया गया है तो वह ब्रह्मसूरि का उक्त त्रिवर्णाचार ही है। सोमसेन ने अपने त्रिवर्णाचार की श्लोक संख्या, ग्रन्थ के अंत में, २७०० दी है और यह संख्या ३२ अक्षरों की श्लोक गणना के अनुसार जान पड़ती है। परन्तु वैसे, ग्रन्थ की

६. देखो उक्त 'जिनसंहितासारोद्धार' की प्रशस्ति।

७. नेमिचंद्र संहिता के रचयिता 'नेमिचंद्र' भी एक गृहस्थ विद्वान् थे और वे ब्रह्मसूरि के भानजे थे। देखो नेमिचंद्र संहिता की प्रशस्ति अथवा जैन हितैषी के १२ वें भाग का अंक नं० ४-५.

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

पद्य संख्या २०४६ है और बाकी का उसमें मंत्र भाग है जो ५५० या ६०० श्लोकों के करीब होगा। कुछ अपवादों को छोड़कर, यह सारा मंत्र भाग ब्रह्मसूरि त्रिवर्णाचार से उठाकर ''ज्यों का त्यों अथवा कहीं-कहीं कुछ बदलकर'' रखा गया है। रही पद्यों की बात, उनका जहाँ तक मुकाबला किया गया उससे मालूम हुआ कि इस ग्रन्थ में १६९ पद्य तो ऐसे हैं जो प्रायः ज्यों के त्यों और १७७ पद्य ऐसे हैं जो कुछ परिवर्तन के साथ ब्रह्मसूरि त्रिवर्णाचार से उठाकर रखे गये हैं। इस तरह पर ग्रन्थ का कोई एकतिहाई भाग ब्रह्मसूरि त्रिवर्णाचार से लिया गया है और उसे जाहिर में अपनी रचना प्रकट किया गया है। इस ग्रन्थ संग्रह के कुछ नमूने इस प्रकार हैं–

(क) ज्यों के त्यों उठाकर रखे हुए पद्य–

सुखं वांछन्ति सर्वेऽपि जीवा दुःखं न जातुचित्।
तस्मात्सुखैषिणो जीवाः संस्कारायाभिसम्मताः॥२/७॥
एवं दशाहपर्यन्तमेतत्कर्म विधीयते।
पिंडं तिलोदकं चापि कर्ता दद्यात्तदान्वहम्॥१३/१७६॥

इन पद्यों में से पहला पद्य ब्रह्मसूरि त्रिवर्णाचार का ५वाँ और दूसरा पद्य उसके अन्तिम पर्व का १३९वाँ पद्य है। दूसरे पद्य के आगे-पीछे के और भी पचासों पद्य ब्रह्मसूरि त्रिवर्णाचार से ज्यों के त्यों उठाकर रखे गये हैं। दोनों ग्रन्थों के अन्तिम भाग (अध्याय तथा पर्व) सूतक-पातक अथवा जननाशौच और मृताशौच नाम के प्रायः एक ही विषय को लिये हुए भी हैं।

(ख) परिवर्तन करके रखे हुए पद्य–

कालादिलब्धितः पुंसामन्तःशुद्धिः प्रजायेते।
मुख्यापेक्ष्या तु संस्कारो बाह्यशुद्धिमपेक्षते॥२/८॥
चतुर्थे दिवसे स्नायात्प्रातर्गोसर्गतः पुरा।
पूर्वाह्णे घटिकाषट्कं गोसर्ग इति भाषितः॥१३/२२॥
शुद्धाभर्तुश्चतुर्थेऽह्नि भोजने रन्धनेऽपि वा।
देवपूजा-गुरूपास्तिहोमसेवासु पंचमे॥१३/२३॥

ये पद्य ब्रह्मसूरि त्रिवर्णाचार के जिन पद्यों को परिवर्तित करके बनाये गये हैं, वे क्रमशः इस प्रकार हैं–

अंतः शुद्धिस्तु जीवानां भवेत्कालादिलब्धितः।
एषामुख्यापिसंस्कारे बाह्यशुद्धिरपेक्षते॥७॥
रजस्वला चतुर्थेऽन्हि स्नायाद्गोसर्गतः परं।
पूर्वाह्णे घटिकाषट्कं गोसर्ग इति भाषितः॥८-१३॥
तस्मिन्नहनि योग्या स्यादुदक्या गृहकर्मणि।
देवपूजा गुरूपास्तिहोमसेवासु पंचमे॥८-१४॥

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

इन पद्यों का परिवर्तित पद्यों के साथ मुकाबला करने से यह सहज ही में मालूम हो जाता है कि– पहले पद्य में जो परिवर्तित किया गया है उससे कोई अर्थभेद नहीं होता, बल्कि साहित्य की दृष्टि से वह कुछ घटिया जरूर हो गया है। मालूम नहीं फिर इस पद्य को बदलने का क्यों परिश्रम किया गया, जबकि इससे पहला 'सुखं वांछन्ति' नाम का पद्य ज्यों का त्यों उठाकर रखा गया था। इसे भी उसी तरह पर उठाकर रख सकते थे। शेष दोनों पद्यों के उत्तरार्द्ध ज्यों के त्यों है, सिर्फ पूर्वार्द्ध बदले गये हैं और उनकी यह तबदीली बहुत कुछ भद्दी जान पड़ती है। दूसरे पद्य की तबदीली ने तो कुछ विरोध भी उपस्थित कर दिया है–ब्रह्मसूरि ने चौथे दिन रजस्वला के स्नान का समय पूर्वाह्न की छह घड़ी के बाद कुछ दिन चढ़े रखा था, परन्तु ब्रह्मसूरि के अनुसार कथन की प्रतिज्ञा करने वाले सोमसेन जी ने, अपनी इस तबदीली के द्वारा गोसर्ग की उक्त छह घड़ी से पहले रात्रि में ही उसका विधान कर दिया है! इससे इन पद्यों के परिवर्तन की निरर्थकता स्पष्ट है और साथ ही सोमसेन जी की योग्यता का भी कुछ परिचय मिल जाता है।

(ग) परिवर्तित और अपरिवर्तित मन्त्र।

इस ग्रन्थ के तीसरे अध्याय में, एक स्थान पर, दश दिक्पालों को प्रसन्न करने के मंत्र देते हुए लिखा है–

ततोऽपि मुकुलितकरकुड्मलः सन् ''ॐ नमोर्हते भगवते श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्नप्रणाशनाय सर्वरोगापमृत्युविनाशनाय सर्वपरकृतक्षुद्रोपद्रवविनाशनाय मम सर्वशान्तिर्भवतु'' इत्युच्चार्य–

इसके बाद–'पूर्वस्यां दिशि इन्द्रः प्रसीदतु, आग्नेयां दिशि अग्निः प्रसीदतु, दक्षिणस्यां दिशि यमः प्रसीदतु' इत्यादि रूप से वे प्रसन्नता सम्पादन कराने वाले दसों मंत्र दिये हैं। ये सब मंत्र वे ही हैं जो ब्रह्मसूरि-त्रिवर्णाचार में भी दिये हुए हैं, सिर्फ 'उत्तरस्यां दिशि कुबेरः प्रसीदतु' नामक मंत्र में कुबेरः की जगह यहाँ 'यक्षः' पद का परिवर्तन पाया जाता है। परन्तु इन मंत्रों से पहले 'ततोऽपि मुकुलितकरकुड्मलः सन्' और 'इत्युच्चार्य' के मध्य का जो मंत्र पाठ है वह ब्रह्मसूरि-त्रिवर्णाचार में निम्न प्रकार से दिया हुआ है–

ॐ नमोर्हते श्रीशांतिनाथाय शांतिकराय सर्वशांतिर्भवतु स्वाहा।[८]

इस प्रदर्शन से यह स्पष्ट जाना जाता है कि सोमसेन जी इन क्रिया मंत्रों को ऐसे आर्ष मंत्र नहीं समझते थे जिनके अक्षर जँचे-तुले अथवा गिने-चुने होते हैं और जिनमें अक्षरों की कमी-बेशी आदि के कारण कितनी ही विडम्बना हो जाया करती है अथवा यों कहिये कि यथेष्ट फल संघटित नहीं हो सकता। वे शायद इन मंत्रों को इतना साधारण समझते थे कि अपने जैसों को भी उनके परिवर्तन का

८. इस मंत्र में जिन विशेषण पदों को बढ़ाकर इसे ऊपर का रूप दिया गया है उसे सोमसेनजी के उस विशेष कथन का एक नमूना समझना चाहिए जिसकी सूचना उन्होंने अध्याय के अंत में निम्न पद्य द्वारा की है–

श्रीब्रह्मसूरिद्विजवंशरत्नं श्रीजैनमार्गप्रतिबुद्धतत्त्वः। वाचं तु तस्यैव विलोक्य शास्त्रं कृतं विशेषान्मुनिसोमसेनैः॥

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

अधिकारी मानते थे। यही वजह है जो उन्होंने उक्त दोनों मंत्रों में और इसी तरह और भी बहुत से मंत्रों में अपनी इच्छानुसार तबदीली अथवा न्यूनाधिकता की है, जिस सबको यहाँ बतलाने की आवश्यकता नहीं है। मंत्रों का भी इस ग्रन्थ में कुछ ठिकाना नहीं, अनेक देवताओं के पूजा मंत्रों को छोड़कर, नहाने, धोने, कुल्ला दाँतुन करने, खाने, पीने, वस्त्र पहनने, चलने फिरने, उठने बैठने और मल-मूत्र क्षेपण आदि बात-बात के मंत्र पाये जाते हैं- मंत्रों का एक खेल-सा नजर आता है और उनकी रचना का ढंग भी प्रायः बहुत कुछ सीधा सादा तथा आसान है। ॐ , ह्रीं, अर्हं स्वाहा आदि दो चार अक्षर इधर-उधर जोड़कर और कहीं-कहीं कुछ विशेषण पद भी साथ में लगाकर संस्कृत में वह बात कह दी गई है जिस विषय का कोई मंत्र है। ऐसे कुछ मंत्रों का सारांश यदि हिन्दी में दे दिया जाये तो पाठकों को उन मंत्रों की जाति तथा प्रकृति आदि के समझने में बहुत कुछ सहायता मिलेगी। अतः नीचे ऐसे ही कुछ मंत्रों का हिन्दी में दिग्दर्शन कराया जाता है-

(१) ॐ ह्रीं, हे यहाँ के क्षेत्रपाल! क्षमा करो, मुझे मनुष्य जानो, इस स्थान से चले जाओ, मैं यहाँ मल-मूत्र का त्याग करता हूँ, स्वाहा।

(२) ॐ इन्द्रों के मुकुटों की रत्नप्रभा से प्रक्षालित पादपद्म अर्हन्त भगवान् को नमस्कार, मैं शुद्ध जल से पैर धोता हूँ, स्वाहा।

(३) ॐ ह्रीं ह्रौं..., मैं हाथ धोता हूँ, स्वाहा।

(४) ॐ ह्रीं क्ष्वीं इवीं, मैं मुँह धोता हूँ, स्वाहा।

(५) ॐ परमपवित्राय, मैं दंतधावन (दाँतन कुल्ला) करता हूँ, स्वाहा।

(६) ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं एँ अर्हं असिआउसा, मैं स्नान करता हूँ, स्वाहा।

(७) ॐ ह्रीं, संसार सागर से निकले हुए अर्हन्त भगवान् को नमस्कार, मैं पानी से निकलता हूँ, स्वाहा।

(८) ॐ ह्रीं क्ष्वीं इवीं अर्हं हं सः परम पावनाय, मैं वस्त्र पवित्र करता हूँ, स्वाहा।

(९) ॐ , हे श्वेतवर्ण वाली, सर्व उपद्रवों को हरने वाली, सर्व महाजनों का मनोरंजन करने वाली, धोती दुपट्टा धारण करने वाली हं झं वं मं सं तं मैं धोती-दुपट्टा धारण करता हूँ स्वाहा।

(१०) ॐ भूर्भुवः स्वः असिआउसा, मैं प्राणायाम करता हूँ, स्वाहा।

(११) ॐ ह्रीं..., मैं सिर के ऊपर पानी के छींटे देता हूँ, स्वाहा।

(१२) ॐ ह्रीं..., मैं चुल्लू में पानी लेता हूँ, स्वाहा।

(१३) ॐ ह्रीं..., मैं चुल्लू का अमृत (जल) पीता हूँ, स्वाहा।

(१४) ॐ ह्रीं अर्हं, मैं किवाड़ खोलता हूँ, स्वाहा।

(१५) ॐ ह्रीं अर्हं... मैं द्वारपाल को (भीतर जाने की) सूचना देता हूँ, स्वाहा।

(१६) ॐ ह्रीं, अर्हं... मैं मंदिर में प्रवेश करता हूँ, स्वाहा।

(१७) ॐ ह्रीं, मैं मुख वस्त्र को उघाड़ता हूँ, स्वाहा।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

(१८) ॐ ह्रीं, अर्हं, मैं यागभूमि में प्रवेश करता हूँ, स्वाहा।

(१९) ॐ ह्रीं, मैं बाजा बजाता हूँ, स्वाहा।

(२०) ॐ ह्रीं... मैं पृथ्वी को पानी से धोकर शुद्ध करता हूँ, स्वाहा।

(२१) ॐ ह्रीं अर्हं क्षां ठ ठ, मैं दर्भासन बिछाता हूँ, स्वाहा।

(२२) ॐ ह्रीं अर्हं निस्सही हूँ फट् मैं दर्भासन पर बैठता हूँ, स्वाहा।

(२३) ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः, श्री अर्हन्त भगवान् को नमस्कार, मैं शुद्ध जल से बरतन धोता हूँ, स्वाहा।

(२४) ॐ ह्रीं अर्हं..., मैं पूजा के द्रव्य को धोता हूँ, स्वाहा।

(२५) ॐ ह्रीं अर्हं..., मैं हाथ जोड़ता हूँ, स्वाहा।

(२६) ॐ ह्रीं स्वस्तये, मैं कलश उठाता हूँ, स्वाहा।

(२७) ॐ ऊँ ऊं ऊं रं रं रं रं, मैं दर्भ डालकर आग जलाता हूँ, स्वाहा।

(२८) ॐ ह्रीं, मैं पवित्र जल से द्रव्य शुद्धि करता हूँ, स्वाहा।

(२९) ॐ ह्रीं मैं कुश ग्रहण करता हूँ, स्वाहा।

(३०) ॐ ह्रीं मैं पवित्र गंधोदक को सिर पर लगाता हूँ, स्वाहा।

(३१) ॐ ह्रीं..., मैं बालक को पालने में झुलाता हूँ, स्वाहा।

(३२) ॐ ह्रीं अर्हं असिआउसा, मैं बालक को बिठलाता हूँ, स्वाहा।

(३३) ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं, मैं बालक के कान-नाक बींधता हूँ, अ सि आ उ सा स्वाहा।

(३४) ॐ भुक्ति शक्ति के देने वाले अर्हन्त भगवान् को नमस्कार, मैं बालक को भोजन कराता हूँ...स्वाहा।

(३५) ॐ ..., मैं बालक को पैर धरना सिखलाता हूँ, स्वाहा।

प्रायः ये सभी मंत्र ब्रह्मसूरि-त्रिवर्णाचार में भी पाये जाते हैं और वहीं से उठाकर यहाँ रखे गये मालूम होते हैं। परंतु किसी २ मंत्र में कुछ, अक्षरों की कमीबेशी अथवा तबदीली जरूर पाई जाती है और इससे उस विचार को और भी ज्यादा पुष्टि मिलती है, जो ऊपर जाहिर किया गया है। साथ ही, यह मालूम होता है कि ये मंत्र जैन समाज के लिये कुछ अधिक प्राचीन तथा रूढ़ नहीं हैं और न उसकी व्यापक प्रकृति या प्रवृत्ति के अनुकूल ही जान पड़ते हैं। कितने ही मंत्रों की सृष्टि उनकी नवीन कल्पना, भट्टारकी युग में हुई है और यह बात आगे चलकर स्पष्ट की जायेगी।

(२) पं० आशाधर के ग्रन्थों से भी कितने ही पद्य, इस त्रिवर्णाचार में, बिना नाम धाम के संग्रह किये गये हैं, छठे अध्याय में २२ और दसवें अध्याय में १३ पद्य सागारधर्मामृत से लिये गये हैं। इनमें से छठे अध्याय के दो पद्यों को छोड़कर, जिनमें कुछ परिवर्तन किया गया है, शेष ३२ पद्य ऐसे हैं जो इन अध्यायों में ज्यों के त्यों उठाकर रखे गये हैं। अनगारधर्मामृत से भी कुछ पद्य लिये गये हैं और आशाधर प्रतिष्ठापाठ से भी कितने ही पद्यों का संग्रह किया गया है। छठे अध्याय के ११ पद्यों का

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

आशाधर प्रतिष्ठा पाठ के साथ जो मुकाबला किया गया तो उन्हें ज्यों का त्यों पाया गया। इन पद्यों के कुछ नमूने इस प्रकार हैं–

योग्य कालासनस्थानमुद्राऽऽवर्तशिरोनतिः।
विनयेन यथाजातः कृतिकर्मामलं भजेत्॥१/६३॥
किमिच्छकेन दानेन जगदाशा प्रपूर्य यः।
चक्रिभिः क्रियते सोऽर्हद्यज्ञो कल्पद्रुमो मतः॥६/७९॥
जाती पुष्पसहस्त्राणि जप्त्वा द्वादश सदृशः।
विधिनादत्त होमस्य विद्या सिद्ध्यति वर्णिनः॥६/४॥

इनमें से पहला पद्य अनगारधर्मामृत के ८ वें अध्याय का ७८ वाँ, दूसरा पद्य सागारधर्मामृत के दूसरे अध्याय का २८ वाँ और तीसरा पद्य आशाधर प्रतिष्ठापाठ (प्रतिष्ठासारोद्धार) के प्रथमाध्याय का १३ वाँ पद्य है। प्रतिष्ठापाठ के अगले नं० १४ से २४ तक के पद्य भी यहीं एक स्थान पर ज्यों के त्यों उठाकर रखे गये हैं।

जीविते मरणे लाभेऽलाभे योगे विपर्यये।
बन्ध्वावरौ सुखे दुःखे सर्वदा समता मम॥१/६४॥

यह अनगारधर्मामृत के आठवें अध्याय का २७ वाँ पद्य है। इसका चौथा चरण यहाँ बदला हुआ है–'साम्यमेवाभ्युपैम्यहम्' की जगह 'सर्वदा समता मम' ऐसा बनाया गया है। मालूम नहीं इस परिवर्तन की क्या जरूरत पैदा हुई और इसने कौनसी विशेषता उत्पन्न की! बल्कि नियतकालिक सामायिक के अनुष्ठान में 'सर्वदा' शब्द का प्रयोग कुछ खटकता जरूर है।

मद्यमांसमधून्युज्झेत्पंचक्षीरफलानि च।
अष्टैतान् गृहिणां मूलगुणान् स्थूलवधाद्विदुः॥६/१९४॥

यह पद्य सागार-धर्मामृत के दूसरे अध्याय के पद्य नं० २ और नं० ३ बनाया गया है। इसका पूर्वार्द्ध पद्य नं० २ का उत्तरार्द्ध और उत्तरार्द्ध पद्य नं० ३ का पूर्वार्द्ध है। साथ ही 'स्थूलवधादि वा' की जगह यहाँ 'स्थूलवधाद्विदुः' ऐसा परिवर्तन भी किया गया है। सागारधर्मामृत के उक्त पद्य नं० २ का पूर्वार्द्ध है 'तत्रादौ श्रद्धधज्जैनीमाज्ञां हिंसामपासितुं' और पद्य नं० ३ का उत्तरार्द्ध है 'फलस्थाने स्मरेद् द्यूतं मधुस्थान इहैव वा'। ये दोनों पद्य १० वें अध्याय में ज्यों के त्यों उद्धृत भी किये गये हैं और वहाँ पर अष्टमूलगुणों का विशेष रूप से कथन भी किया गया है, फिर नहीं मालूम यहाँ पर यह अष्टमूलगुणों का कथन दोबारा क्यों किया गया है और इससे क्या लाभ निकाला गया। प्रकरण तो यहाँ त्याज्य अन्न अथवा भोजन का था, कोल्हापुर की छपी हुई प्रति में 'अथ त्याज्यान्नम्' ऐसा उक्त पद्य से पहले लिखा भी है, और उसके लिये इन आठ बातों का कथन उन्हें अष्टमूलगुण की संख्या न देते हुए भी किया जा सकता था और करना चाहिए था– खासकर ऐसी हालत में जबकि इनके त्याग

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

का मूलगुणरूप से आगे कथन करना ही था। इसके सिवाय दूसरे 'रागजीववधापाय'[९] नामक पद्य में जो परिवर्तन किया गया है यह बहुत ही साधारण है! उसमें 'रात्रिभक्तं' की जगह 'रात्रौभुक्तिं' बनाया गया है और यह बिल्कुल ही निरर्थक परिवर्तन जान पड़ता है।

(३) इस ग्रन्थ के दसवें अध्याय में रत्नकरण्डक-श्रावकाचार के 'विषयाशावशातीतो' आदि साठ पद्य तो ज्यों के त्यों और पाँच पद्य कुछ परिवर्तन के साथ संग्रह किये गये हैं। परिवर्तित पद्यों में से पहला पद्य इस प्रकार है–

अष्टांगैः पालितं शुद्धं सम्यक्त्वं शिवदायकम्।
न हि मंत्रोऽक्षरन्यूनो निहन्ति विषवेदनाम्॥२८॥

यह पद्य रत्नकरण्डकश्रावकाचार के २१ वें पद्य रूपान्तर है। इसका उत्तरार्द्ध तो वही है जो उक्त २१ वें पद्य का है, परन्तु पूर्वार्द्ध को बिल्कुल ही बदल डाला है और यह तबदीली साहित्य की दृष्टि से बड़ी ही भद्दी मालूम होती है। रत्नकरण्डकश्रावकाचार के २१ वें पद्य का पूर्वार्द्ध है–

नाङ्गहीनमलं छेत्तुं दर्शनं जन्मसन्ततिम्।

पाठकजन देखें, इस पूर्वार्द्ध का उक्त पद्य के उत्तरार्द्ध से कितना गहरा सम्बन्ध है। यहाँ सम्यग्दर्शन की अंगहीनता जन्मसंतति को नाश करने में असमर्थ है और वहाँ उदाहरण में मंत्र की अक्षरन्यूनता विषवेदना को दूर करने में अशक्त है- दोनों में कितना साम्य, कितना सादृश्य और कितनी एकता है, इसे बतलाने की जरूरत नहीं। परन्तु खेद है कि भट्टारकजी ने इसे नहीं समझा और इसलिये उन्होंने रत्न के एक टुकड़े को अलग करके उसकी जगह काँच जोड़ा है, जो बिल्कुल ही बेमेल तथा बेडौल मालूम होता है। दूसरे चार पद्यों की भी प्रायः ऐसी ही हालत है–उनमें जो परिवर्तन किया गया है वह व्यर्थ जान पड़ता है। एक पद्य में तो 'महाकुलाः' की जगह 'उत्तम-कुलाः' बनाया गया है, दूसरे में 'ज्ञेयं पाखण्डिमोहनं' को 'ज्ञेया पाखण्डिमूढता' का रूप दिया गया है, तीसरे में 'स्मयमाहुर्गतस्मयाः' की जगह 'श्रीयते तन्मदाष्टकम्' यह चौथा चरण कायम किया गया है और चौथे पद्य में 'दिव्यशरीरं च लभ्यन्ते' के स्थान पर 'विद्यन्ते कामदा नित्यम्' यह नवीन पद जोड़ा गया है और इससे मूल का प्रतिपाद्य विषय भी कुछ कम हो गया है।

(४) श्रीजिनसेनाचार्य प्रणीत आदिपुराण से भी कितने ही पद्य उठाकर इस ग्रन्थ में रखे गये हैं, जिनमें से दो पद्य नमूने के तौर पर इस प्रकार हैं।

व्रतचर्यामहं वक्ष्ये क्रियामस्योपबिभ्रतः।
कट्यूरूरः शिरोलिंगमनूचानव्रतोचितम्॥९/६७॥
वस्त्राभरणामाल्यादिग्रहणं गुर्वनुज्ञया।
शास्त्रोपजीविवर्ग्यश्चेद्धारयेच्छस्त्रमप्यदः ॥९/८०॥

९. यह सागार-धर्मामृत के दूसरे अध्याय का १४ वाँ पद्य है और सोमसेन-त्रिवर्णाचार के छठे अध्याय में नं० २०१ पर दर्ज है।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

इनमें से पहला पद्य तो आदिपुराण के ३८वें पर्व का १०९वाँ पद्य है इसके आगे के और भी कई पद्य ऐसे हैं जो ज्यों के त्यों उठाकर रखे गये हैं और दूसरा उसी पर्व के पद्य नं० १२५ के उत्तरार्द्ध और नं० १२६ के पूर्वार्द्ध को मिलाकर बनाया गया है। पद्य नं० १२५ का पूर्वार्द्ध और नं० १२६ का उत्तरार्द्ध क्रमशः इस प्रकार हैं–

कृतद्विजार्चनस्यास्य व्रतावतरणोचितम्॥ पू. १२५॥
स्ववृत्तिपरिरक्षार्थं शोभार्थं चास्य तद्ग्रहः॥ उ. १२६॥

मालूम नहीं दोनों पद्यों के इन अंशों को क्यों छोड़ा गया और उसमें क्या लाभ सोचा गया। इस व्यर्थ की छोड़ छाड़ तथा काट छाँट का ही यह परिणाम है जो यहाँ व्रतावतरण क्रिया के कथन में उस सार्वकालिक व्रत का कथन छूट गया है जो आदिपुराण के 'मद्यमांसपरित्यागः' नामक १२३वें पद्य में दिया हुआ है।[१०] और इसलिये उक्त ८० वें पद्य से पहले आदिपुराण का जो १२४ वाँ पद्य उद्धृत किया गया है वह एक प्रकार से बेढंगा तथा असंगत जान पड़ता है। वह पद्य इस प्रकार है–

व्रतावतरणं चेदं गुरुसाक्षिकृतार्चनम्।
वत्सरात् द्वादशादूर्ध्वमथवा षोडशात्परम्॥९/७९॥

इसमें 'इदं' शब्द का प्रयोग बहुत खटकता है और वह पूर्वकथन को 'व्रतावतरण' क्रिया का कथन बतलाता है, परन्तु ग्रन्थ में वह 'व्रतचर्या' का कथन है और 'व्रतचर्यामहं वक्ष्ये' इस ऊपर उद्धृत किये हुए पद्य से प्रारम्भ होता है। अतः भट्टारकजी की इस काट छाँट और उठाई धरी के कारण दो क्रियाओं के कथन में कितना गोलमाल हो गया है, इसका अनुभव विज्ञ पाठक स्वयं कर सकते हैं और साथ ही यह जान सकते हैं कि भट्टारकजी काट छाँट करने में कितने निपुण थे।

(५) श्री शुभचन्द्राचार्य प्रणीत 'ज्ञानार्णव' ग्रन्थ से भी इस त्रिवर्णाचार में कुछ पद्यों का संग्रह किया गया है। पहले अध्याय के पाँच पद्यों को जाँचने से मालूम हुआ कि उनमें से तीन पद्य तो ज्यों के त्यों और दो कुछ परिवर्तन के साथ उठाकर रखे गये हैं। ऐसे पद्यों में से एक एक पद्य नमूने के तौर पर इस प्रकार है–

चतुर्वर्णमयं मंत्रं चतुर्वर्गफलप्रदम्।
चतूरात्रं जपेद्योगी चतुर्थस्य फलं भवेत्॥७५॥
विद्यां षड्वर्णसंभूतामजय्यां पुण्यशालिनीम्।
जपन्प्रागुक्तमभ्येति फलं ध्यानी शतत्रयम्॥७६॥

ये दोनों पद्य ज्ञानार्णव के ३८ वें प्रकरण के पद्य हैं और वहाँ क्रमशः नं० ५१ तथा ५० पर दर्ज हैं यहाँ इन्हें आगे पीछे उद्धृत किया गया है। इनमें से दूसरा पद्य तो ज्यों का त्यों उठा कर रखा गया

१०. 'व्रतावतरणं चेदं' से पहले आदिपुराण का वह १२३ वाँ पद्य इस प्रकार है–
मद्यमांसपरित्यागः पंचोदुम्बरवर्जनम्। हिंसादिविरतिश्चास्य व्रतं स्यात्सार्वकालिकम्॥

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

है और पहले पद्य के उत्तरार्द्ध में कुछ परिवर्तन किये गये हैं, 'चतुःशतं' की जगह 'चतूरात्रं', 'जपन्' की जगह 'जपेत्' और 'लभेत्' की जगह 'भवेत्' बनाया गया है। इन परिवर्तनों में से पिछले दो परिवर्तन निरर्थक है–उनकी कोई जरूरत ही न थी और पहला परिवर्तन ज्ञानार्णव के मत से विरुद्ध पड़ता है जिसके अनुसार कथन करने की प्रतिज्ञा की गई है।[११] ज्ञानार्णव के अनुसार 'चतुरक्षरी मंत्र का चार सौ संख्या प्रमाण जप करने वाला योगी एक उपवास के फल को पाता है' परन्तु यहाँ, जाप्य की संख्या का कोई नियम न देते हुए, चार रात्रि तक जप करने का विधान किया गया है और तब कहीं एक उपवास[१२] का फल होना लिखा है। इससे दोनों में परस्पर कितना अंतर है और उससे प्रतिज्ञा में कहाँ तक विरोध आता है इसे पाठक स्वयं समझ सकते हैं। इस अध्याय में और भी कितने ही कथन ऐसे हैं जो ज्ञानार्णव के अनुकूल नहीं हैं। उनमें से कुछ का परिचय आगे चलकर यथास्थान दिया जायेगा।

(६) एकसंधि भट्टारक की 'जिन संहिता' से भी कितने ही पद्यादिकों का संग्रह किया गया है और उन्हें प्रायः ज्यों का त्यों अथवा कुछ परिवर्तन के साथ उठाकर अनेक स्थानों पर रखा गया है। चौथे अध्याय में ऐसे जिन पद्यों का संग्रह किया गया है, उनमें से दो पद्य नमूने के तौर पर इस प्रकार हैं–

तीर्थकृद्गणभृच्छेष केवल्यन्तमहोत्सवे।
प्राप्य ये पूजनाङ्गत्वं पवित्रत्वमुपागताः॥११५॥

११. वह प्रतिज्ञा वाक्य इस प्रकार है–

ध्यानं तावदहं वदामि विदुषां ज्ञानार्णवे यन्मतम्।

१२. पं० पन्नालाल जी सोनी ने अपने अनुवाद में, ''चार रात्रि पर्यंत जप करें तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है'' ऐसा लिखा है और इससे यह जाना जाता है कि आपने उक्त ७५वें पद्य में प्रयुक्त हुए 'चतुर्थ' शब्द का अर्थ उपवास न समझकर 'मोक्ष' समझा है! परन्तु यह आपकी बड़ी भूल है, मोक्ष इतना सस्ता है भी नहीं। इस पारिभाषिक शब्द का अर्थ यहाँ मोक्ष (चतुर्थवर्ग) न होकर 'चतुर्थ' नाम का उपवास है, जिसमें भोजन की चतुर्थ बेला तक निराहार रहना होता है। ७६वें पद्य में 'प्रागुक्तं' पद के द्वारा जिस पूर्वकथित फल का उल्लेख किया गया है उसे ज्ञानार्णव के पूर्ववर्ती पद्य नं० ४९ में 'चतुर्थतपसः फलं' लिखा है। इससे 'चतुर्थस्य फलं' और 'चतुर्थतपसः फलं' दोनों एकार्थवाचक पद हैं और वे पूरे एक उपवास फल के द्योतक हैं। पं० पन्नालाल जी बाकलीवाल ने भी ज्ञानार्णव के अपने अनुवाद में, जिसे उन्होंने पं० जयचन्द जी की भाषा टीका का 'अनुकरण मात्र' लिखा है, 'चतुर्थ का अर्थ अनेक स्थानों पर 'उपवास' दिया है। और प्रायश्चित्त ग्रन्थों से तो यह बात और भी स्पष्ट है कि 'चतुर्थ' का अर्थ 'उपवास' है जैसा कि 'प्रायश्चित्तचूलिका' की श्रीनन्दिगुरुकृत टीका के निम्न वाक्यों से प्रकट है–

''त्रिचतुर्थानि त्रीणि चतुर्थानि त्रय उपवासा इत्यर्थः।''

'चतुर्थ उपवासः'। इससे सोनीजी की भूल स्पष्ट है और उसे इसलिये स्पष्ट किया गया है जिससे मेरे उक्त लिखने में किसी को भ्रम न हो सके। अन्यथा, उनकी अनुवाद की भूलें दिखलाना यहाँ इष्ट नहीं है, भूलों से तो सारा अनुवाद भरा पड़ा है, कोई भी ऐसा पृष्ठ नहीं जिसमें अनुवाद की दस पाँच भूलें न हों, उन्हें कहाँ तक दिखलाया जा सकता है। हाँ, मेरे लेख के विषय से जिन भूलों का खास अथवा गहरा सम्बन्ध होगा उन्हें यथावसर स्पष्ट किया जायेगा।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

ते त्रयोपि प्रणेतव्याः कुण्डेष्वेषु महानयम्।
गार्हपत्याहवनीयदक्षिणाग्निप्रसिद्धया॥११६॥

ये दोनों पद्य एकसंधि जिनसंहिता के ७वें परिच्छेद में क्रमशः नं० १६, १७ पर दर्ज हैं और वहीं से उठाकर रखे गये मालूम होते हैं। साथ में आगे-पीछे के और भी कई पद्य लिये गये हैं। इनमें से पहला पद्य वहाँ ज्यों का त्यों और दूसरे में 'महानयम्' की जगह 'महाग्नयः' तथा 'प्रसिद्धया' की जगह 'प्रसिद्धयः' ऐसा पाठभेद पाया जाता है और ये दोनों ही पाठ ठीक जान पड़ते हैं। अन्यथा, इनके स्थान पर जो पाठ यहाँ पाये जाते हैं, उन्हें पद्य के शेष भाग के साथ प्रायः असम्बद्ध कहना होगा। मालूम होता है ये दोनों पद्य संहिता में थोड़े से परिवर्तन के साथ आदिपुराण से लिये गये हैं। आदिपुराण के ४०वें पर्व में ये नं० ८३, ८४ पर दिये हुए हैं, सिर्फ पहले पद्य का चौथा चरण वहाँ 'पूजाङ्गत्वं समासाद्य' है और दूसरे पद्य का पूर्वार्द्ध है-'कुण्डत्रये प्रणेतव्यास्त्रय एते महाग्नयः'। इनका जो परिवर्तन संहिता में किया गया है वह कोई अर्थविशेष नहीं रखता, उसे व्यर्थ का परिवर्तन कहना चाहिए।

यहाँ पर इतना और भी बतला देना उचित मालूम होता है कि यह संहिता विक्रम की प्रायः १३ वीं शताब्दी की बनी हुई है और आदिपुराण विक्रम की ९वीं-१०वीं शताब्दी की रचना है।

(७) वसुनन्दि-प्रतिष्ठापाठ से भी बहुत से पद्य लिये गये हैं। छठे अध्याय के १९ पद्यों की जाँच में ११ पद्य ज्यों के त्यों और ८ पद्य कुछ बदले हुए पाये गये। इनमें से तीन पद्य नमूने के तौर पर इस प्रकार हैं-

लक्षणैरपि संयुक्तं बिम्बं दृष्टिविवर्जितम्।
न शोभते यतस्तस्मात्कुर्याद् दृष्टिप्रकाशनम्॥३३॥
अर्थनाशं विरोधं च तिर्यग्दृष्टेर्भयं तदा।
अधस्तात्पुत्रनाशं च भार्यामरणमूर्ध्वदृक्॥३४॥
शोकमुद्वेगसन्तापं सदा कुर्याद्धनक्षयम्।
शान्ता सौभाग्यपुत्रार्थं शान्तिवृद्धिप्रदानदृक्॥३५॥

ये तीनों पद्य वसुनन्दि-प्रतिष्ठापाठ (प्रतिष्ठासारसंग्रह) के चौथे परिच्छेद के पद्य हैं और उसमें क्रमशः नं० ७२, ७५, ७६ पर दर्ज हैं। इनमें पहला पद्य ज्यों का त्यों और शेष दोनों पद्य कुछ परिवर्तन के साथ उठा कर रखे गये हैं। दूसरे पद्य में 'दृष्टिर्भयं' की जगह 'दृष्टेर्भयं', 'तथा' की जगह 'तदा' और 'ऊर्ध्वगा' की जगह 'ऊर्ध्वदृक्' बनाया गया है। और तीसरे पद्य में 'स्तब्धा' की जगह 'सदा' और 'प्रदा भवेत्' की जगह 'प्रदानदृक्' का परिवर्तन किया गया है। ये सब परिवर्तन निरर्थक जान पड़ते हैं, 'तथा' की जगह 'तदा' का परिवर्तन भद्दा है और 'स्तब्धा' की जगह 'सदा' के परिवर्तन ने तो अर्थ का अनर्थ ही कर दिया है। यही वजह है जो पन्नालाल जी सोनी ने, अपने अनुवाद में, स्तब्धा दृष्टि के फल को भी ऊर्ध्व दृष्टि के फल के साथ जोड़ दिया है अर्थात् शोक, उद्वेग, संतान

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

और धनक्षय को भी ऊर्ध्व दृष्टि का फल बतला दिया है।[१३]

यहाँ इतना और भी जान लेना चाहिए कि पहले पद्य में जिस दृष्टि प्रकाशन की प्रेरणा की गई है, जिनबिम्ब की वह दृष्टि कैसी होनी चाहिए उसे बतलाने के लिये प्रतिष्ठापाठ में उसके अनन्तर ही निम्नलिखित दो पद्य और दिये हुए हैं–

नात्यन्तोन्मीलिता स्तब्धा न विस्फारितमीलिता।
तिर्यगूर्ध्वमधोदृष्टिं वर्जयित्वा प्रयत्नतः॥७३॥
नासाग्रनिहिता शान्ता प्रसन्ना निर्विकारिका।
वीतरागस्य मध्यस्था कर्तव्या चोत्तमा तथा॥७४॥

मालूम नहीं इन दोनों पद्यों को सोमसेन जी ने क्यों छोड़ा और क्यों इन्हें दूसरे पद्यों के साथ उद्धृत नहीं किया, जिनका उद्धृत किया जाना ऐसी हालत में बहुत जरूरी था और जिनके अस्तित्त्व के बिना अगला कथन कुछ अधूरा-सा मालूम होता है। सच है अच्छी तरह से सोचे समझे बिना यों ही पद्यों की उठाईधरी करने का ऐसा ही नतीजा होता है।

(८) ग्रन्थ के दसवें अध्याय में वसुनन्दिश्रावकाचार से छह और गोम्मटसार से आठ गाथाएँ प्रायः ज्यों की त्यों उठाकर रखी गई हैं, जिनमें से एक-एक गाथा नमूने के तौर पर इस प्रकार है–

पुव्वत्त णवविहाणं पि मेहुणं सव्वदा विवज्जंतो।
इत्थिकहादिणिवत्ती सत्तमं बंभचारी सो॥१२७॥
चत्तारि वि खेत्ताइं आउगबंधेण होइ सम्मत्तं।
अणुव्वयमहव्वयाइं ण हवइ देवाउगं मोत्तुं॥४१॥

इनमें से पहली गाथा वसुनन्दिश्रावकाचार की २९७ नंबर की और दूसरी गोम्मटसार की ६५२ नंबर की गाथा है। ये गाथाएँ भी किसी पूर्वकथित अर्थ का समर्थन करने के लिये 'उक्तं च' रूप से नहीं दी गई बल्कि वैसे ही अपनाकर ग्रन्थ का अंग बनाई गई हैं। प्राकृत की और भी कितनी ही गाथाएँ इस ग्रन्थ में पाई जाती हैं, वे सब भी 'मूलाचार' आदि दूसरे ग्रन्थों से उठाकर रखी गई हैं।

(९) भूपाल कवि प्रणीत 'जिनचतुर्विंशतिका' स्तोत्र के भी कई पद्य ग्रन्थ में संगृहीत हैं। पहले अध्याय में सुप्तोत्थितेन' और श्री 'लीलायतनं' चौथे में 'किसलयितमनल्यं' और 'देव त्वदंघ्रि' तथा छठे में 'स्वामिन्नद्य' और 'दृष्टं धाम रसायनस्य' नाम के पद्य ज्यों के त्यों उद्धृत पाये जाते हैं। और ये सब पद्य उक्त स्तोत्र में क्रमशः नं० १९, १, १३, १६, ३ और २५ पर दर्ज हैं।

(१०) सोमदेवसूरि प्रणीत 'यशस्तिलक' के भी कुछ पद्यों का संग्रह पाया जाता है, जिनमें से दो पद्य नमूने के तौर पर इस प्रकार हैं–

१३ यथा– ''(प्रतिमा की) दृष्टि यदि ऊपर को हो तो स्त्री का मरण होता है और वह शोक, उद्वेग, सन्ताप और धन का क्षय करती है।''

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

मूढत्रयं मदाश्चाष्टौ तथानायतनानि षट्।
अष्टौ शंकादयो दोषाः सम्यक्त्वे पंचविंशतिः॥१०/२९॥
श्रद्धा भक्तिस्तुष्टिर्विज्ञानमलुब्धता क्षमा सत्वम्।
यत्रैते सप्तगुणास्तं दातारं प्रशंसन्ति॥१०/११८॥

इनमें से पहला 'यशस्तिलक' के छठे आश्वास का और दूसरा आठवें आश्वास का पद्य है। पहले में 'शंकादयश्चेति दृग्दोषाः' की जगह 'शंकादयो दोषाः सम्यक्त्वे' का परिवर्तन किया गया है और दूसरे में 'शक्तिः' की जगह 'सत्वम्' बनाया गया है। ये दोनों ही परिवर्तन साहित्य की दृष्टि से कुछ भी महत्त्व नहीं रखते और न अर्थ की दृष्टि से कोई खास भेद उत्पन्न करते हैं और इसलिये इन्हें व्यर्थ के परिवर्तन समझना चाहिए।

(११) इसी तरह पर और भी कितने ही जैन ग्रन्थों के पद्य इस त्रिवर्णाचार में फुटकर रूप से इधर उधर संगृहीत पाये जाते हैं, उनमें से दो चार ग्रन्थों के पद्यों का एक-एक नमूना यहाँ और दिये देता हूँ–

त्रिवर्गसंसाधनमन्तरेण पशोरिवायुर्विफलं नरस्य।
तत्रापि धर्मं प्रवरं वदन्ति न तं विना यद्भवतोऽर्थकामौ॥७/४॥

यह सोमप्रभाचार्य की 'सूक्तमुक्तावली' का जिसे 'सिन्दूरप्रकर' भी कहते हैं, तीसरा पद्य है।

सूक्ष्माः स्थूलास्तथा जीवाः सन्त्युदुम्बरमध्यगाः।
तन्निमित्तं जिनोद्दिष्टं पंचोदुम्बरवर्जनम्॥१०/१०४॥

यह 'पूज्यपाद उपासकाचार' का पद्य है और उसमें इसका संख्या नम्बर ११ है।

वधादसत्याच्चोर्याच्च कामाद् ग्रन्थान्निवर्तनम्।
पंचकाणुव्रतं रात्रिभुक्तिः षष्ठमणुव्रतम्॥१०/८५॥

यह चामुण्डराय विरचित 'चारित्रसार' ग्रन्थ के अणुव्रत प्रकरण का अंतिम पद्य है।

अह्नोमुखेऽवसाने च यो द्वे द्वे घटिके त्यजेत्।
निशाभोजनदोषज्ञोऽश्नात्यसौ पुण्यभोजनम्॥१०/८६॥

यह हेमचन्द्राचार्य के 'योगशास्त्र' का पद्य है और उसके तीसरे प्रकाश में नं० ६३ पर पाया जाता है। इसमें 'त्यजन्' की जगह 'त्यजेत्' और 'पुण्यभाजनम्' की जगह यहाँ 'पुण्यभोजनम्' बनाया गया है। पद्य का परिवर्तन कुछ अच्छा मालूम नहीं होता। इससे 'सुबह शाम की दो दो घड़ी छोड़कर दिन में भोजन करने वाला मनुष्य पुण्य का भाजन (पात्र) होता है की जगह यह आशय हो गया कि ''जो सुबह शाम की दो दो घड़ी छोड़ता है वह पुण्यभोजन[१४] करता है'' और यह आशय अथवा कथन का ढंग कुछ समीचीन प्रतीत नहीं होता।

१४ पं० पन्नालाल जी सोनी ने भी अपने अनुवाद में यही लिखा है कि ''वह पुरुष पुण्यभोजन करता है।''

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

आस्तामेतद्यदिह जननीं वल्लभां मन्यमाना
निन्द्यां चेष्टां विदधति जना निस्त्रपाः पीतमद्याः।
तन्नाधिक्यं पथि निपतिता यत्किरत्सारमेयात्
वक्त्रे मूत्रं मधुरमधुरं भाषमाणाः पिबन्ति॥६/१९७॥

यह मद्यपान के दोष को दिखाने वाला पद्य पद्मनन्दि आचार्य विरचित 'पद्मनन्दिपंचविंशति' का २२वाँ पद्य है।

स्वयमेवात्मनाऽऽत्मानं हिनस्त्यात्मा कषायवान्।
पूर्वं प्राणयन्तराणां तु पश्चात्स्याद्वा न वा वधः॥१०/७४॥

यह पद्य 'राजवार्तिक' के ७वें अध्याय में 'उक्तं च' रूप से दिया हुआ है और इसलिये किसी प्राचीन ग्रन्थ का पद्य जान पड़ता है। हाँ, राजवार्तिक में 'कषायवान्' की जगह 'प्रमादवान्' पाठ पाया जाता है, इतना ही दोनों में अंतर है।

यह तो हुई जैन ग्रन्थों से संग्रह की बात और इसमें उन जैन विद्वानों के वाक्यसंग्रह का ही दिग्दर्शन नहीं हुआ जिनके ग्रन्थों को देखकर उनके अनुसार कथन करने की (न कि उनके शब्दों को उठाकर ग्रन्थ का अंग बनाने की) प्रतिज्ञाएँ अथवा सूचनाएँ की गई थीं बल्कि उन जैन विद्वानों के वाक्य संग्रह का भी दिग्दर्शन हो गया जिनके वाक्यानुसार कथन करने की बात तो दूर रही, ग्रन्थ में उनका कहीं नामोल्लेख तक भी नहीं है। नं० ६ के बाद के सभी उल्लेख ऐसे ही विद्वानों के वाक्य संग्रह को लिये हुए हैं।

यहाँ पर इतना और भी बतला देना उचित मालूम होता है कि इस सम्पूर्ण जैन संग्रह में ब्रह्मसूरित्रिवर्णाचार जैसे दो एक समकक्ष ग्रन्थों को छोड़कर शेष ग्रन्थों से जो कुछ संग्रह किया गया है वह उस क्रियाकांड तथा विचारसमूह के साथ प्रायः कोई खास मेल अथवा सम्बन्ध विशेष नहीं रखता, जिसके प्रचार अथवा प्रसार को लक्ष्य में रखकर ही इस त्रिवर्णाचार का अवतार हुआ है और जो बहुत कुछ दूषित, त्रुटिपूर्ण तथा आपत्ति के योग्य है। उसे बहुधा त्रिवर्णाचार के मूल अभिप्रेतों या प्रधानतः प्रतिपाद्य विषयों के प्रचारादि का साधन मात्र समझना चाहिए अथवा यों कहना चाहिए कि वह खोटे, जाली तथा अल्प मूल्य सिक्कों को चलाने के लिये उनमें खरे, गैर, जाली तथा बहुमूल्य सिक्कों का संमिश्रण है और कहीं-कहीं मुलम्में का काम भी देता है और इसलिये एक प्रकार का धोखा है। इस धोखे से सावधान करने के लिये ही यह परीक्षा की जा रही है और यथार्थ वस्तुस्थिति को पाठकों के सामने रखने का यत्न किया जाता है। अस्तु।

अब उस संग्रह की भी बानगी लीजिये जो अजैन विद्वानों के ग्रन्थों से किया गया है और जिसके विषय की न कहीं कोई प्रतिज्ञा और न तत्सम्बन्धी विद्वानों के नामादिक की कहीं कोई सूचना ही ग्रन्थ में पाई जाती है। प्रत्युत इसके, जैन साहित्य के साथ मिलाकर अथवा जैनाचार्यों के वाक्यानुसार बतलाकर, उसे भी जैन साहित्य प्रकट किया गया है।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

अजैन ग्रन्थों से संग्रह

(१२) अजैन विद्वानों के ग्रन्थों से जो विशाल संग्रह भट्टारकजी ने इस ग्रन्थ में किया है (उनके सैकड़ों पद-वाक्यों को ज्यों का त्यों अथवा कुछ परिवर्तन के साथ उठाकर रखा है) उस सबका पूरा परिचय यदि यहाँ दिया जाये तो लेख बहुत बढ़ जाये, और मुझे उनमें से कितने ही पद वाक्यों को आगे चलकर, विरुद्ध कथनों के अवसर पर, दिखलाना है वहाँ पर उनका परिचय पाठकों को मिलेगा ही। अतः यहाँ पर नमूने के तौर पर, कुछ थोड़े से ही पद्यों का परिचय दिया जाता है–

सन्तुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च।
यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम्॥८-४६॥

यह पद्य, जिसमें भार्या से भर्तार के और भर्तार से भार्या के नित्य सन्तुष्ट रहने पर कुल में सुनिश्चित रूप से कल्याण का विधान किया गया है, 'मनु' का वचन है, और 'मनुस्मृति' के तीसरे अध्याय में नं० ६० पर दर्ज है। वहीं से ज्यों का त्यों उठाकर रखा गया मालूम होता है।

मांत्रं भौमं तथाऽग्नेयं वायव्यं दिव्यमेव च।
वारुणं मानसं चैव सप्तस्नानान्यनुक्रमात्॥३-५२॥

इस श्लोक में स्नान के सात भेद बतलाये गये हैं मंत्र स्नान, भूमि (मृत्तिका) स्नान, अग्नि (भस्म) स्नान, वायु स्नान, दिव्य स्नान, जल स्नान तथा मानस स्नान और यह 'योगि याज्ञवल्क्य' का वचन है। बिट्ठलात्मजनारायण कृत 'आन्हिकसूत्रावलि' में तथा श्रीवेङ्कटनाथ रचित 'स्मृतिरत्नाकर' में भी इसे योगियाज्ञवल्क्य का वचन बतलाया है और 'शब्द कल्पद्रुम' कोश में भी 'स्नान' शब्द के नीचे यह उन्हीं के नाम से उद्धृत पाया जाता है।

सिंहकर्कटयोर्मध्ये सर्वा नद्यो रजस्वलाः।
तासां तटे न कुर्वीत वर्जयित्वा समुद्रगाः॥७८॥
उपाकर्मणि चोत्सर्गे प्रातः स्नाने तथैव च।
चन्द्रसूर्यग्रहे चैव रजो दोषो न विद्यते॥७९॥
धनुस्सहस्त्राणयष्टौ तु गतिर्यासां न विद्यते।
न ता नद्यः समाख्याता गर्तास्ताः परिकीर्तिताः॥८०॥ -तृतीय अध्याय

ये तीनों पद्य जरा-२ से परिवर्तन के साथ 'कात्यायन स्मृति' से लिये गये मालूम होते हैं और उक्त स्मृति के दसवें खण्ड में क्रमशः नं० ५, ७ तथा ६ पर दर्ज हैं। 'आन्हिक सूत्रावली' में भी इन्हें 'कात्यायन' ऋषि के वचन लिखा है। पहले पद्य में 'मासद्वयं श्रावणादि' की जगह 'सिंहकर्कटयोर्मध्ये' और 'तासु स्नानं' की जगह 'तासां तटे' बनाया गया है, दूसरे में 'प्रेतस्नाने' की जगह 'प्रातःस्नाने' का परिवर्तन किया गया है और तीसरे में 'नदीशब्दवहाः' की जगह 'नद्यः समाख्याताः' ऐसा पाठ भेद किया गया है। इन चारों परिवर्तनों में पहला और अंत का दोनों परिवर्तन तो प्रायः कोई अर्थभेद नहीं

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

रखते परन्तु शेष दूसरे और तीसरे परिवर्तन ने बड़ा भारी अर्थभेद उपस्थित कर दिया है। कात्यायन स्मृतिकार ने, श्रावण भादों में सब नदियों को रजस्वला बतलाते हुए, यह प्रतिपादन किया था कि 'उनमें (समुद्रगामिनी नदियों को छोड़कर) स्नान न करना चाहिए।' भट्टारकजी ने इसकी जगह, अपने परिवर्तन द्वारा, यह विधान किया है कि 'उनके तट पर न करना चाहिए।' परंतु क्या न करना चाहिए, यह उक्त पद्य से कुछ भी जाहिर नहीं होता। हाँ, इससे पूर्व पद्य नं० ७७ में आपने तीर्थ तट पर प्राणायाम, आचमन, संख्या, श्राद्ध और पिण्डदान करने का विधान किया है और इसलिये उक्त पद्य के साथ संगति मिलाने से यह अर्थ हो जाता है कि ये प्राणायाम आदि की क्रियाएँ रजस्वला नदियों के तट पर नहीं करनी चाहिए, भले ही उनमें स्नान कर लिया जाये। परन्तु ऐसा विधान कुछ समीचीन अथवा सहेतुक मालूम नहीं होता और इसलिये इसे भट्टारकजी के परिवर्तन की ही खूबी समझना चाहिए। तीसरे परिवर्तन की हालत भी ऐसी ही है। स्मृतिकार ने जहाँ 'प्रेतस्नान' के अवसर पर नदी का रजस्वला दोष न मानने की बात कही है वहाँ आपने 'प्रातःस्नान' के लिये रजस्वला दोष न मानने का विधान कर दिया है! स्नान प्रधानतः प्रातःकाल ही किया जाता है, उसी की आपने छुट्टी दे दी है, और इसलिये यह कहना कि आपके इस परिवर्तन ने स्नान के विषय में नदियों के रजस्वला दोष को ही प्रायः उठा दिया है, कुछ भी अनुचित न होगा।

कृत्वा यज्ञोपवीतं च पृष्ठतः कण्ठलम्बितम्।
विण्मूत्रेतु गृही कुर्याद्वामकर्णो व्रतान्वितः॥२/२७॥

यह 'अंगिरा' ऋषि का वचन है। 'आन्हिकसूत्रावलि' में भी इसे अंगिरा का वचन लिखा है। इसमें 'समाहितः' की जगह 'व्रतान्वितः' का परिवर्तन किया गया है और वह निरर्थक जान पड़ता है। यहाँ, 'व्रतान्वितः' पद यद्यपि 'गृही' पद का विशेषण है और इस श्लोक में गृहस्थ के लिये मलमूत्र के त्याग समय यज्ञोपवीत को बाएँ कान पर रखकर पीठ की तरफ लम्बायमान करने का विधान किया गया है परन्तु पं० पन्नालाल जी सोनी ने ऐसा नहीं समझा और इसलिये उन्होंने इस पद्य के विषय को विभिन्न व्यक्तियों (व्रती-अव्रती) में बाँटकर इसका निम्न प्रकार से अनुवाद किया है–

''गृहस्थजन अपने यज्ञोपवीत (जनेऊ) को गर्दन के सहारे से पीठ पीछे लटकाकर टट्टी पेशाब करे और व्रती श्रावक बाएँ कान में लगाकर टट्टी पेशाब करे।''

इससे मालूम होता है कि सोनी जी ने यज्ञोपवीत दीक्षा से दीक्षित व्यक्ति को 'अव्रती' भी समझा है। परन्तु भगवज्जिनसेनाचार्य ने तो 'व्रतचिह्नं दधत्सूत्रं' आदि वाक्यों के द्वारा यज्ञोपवीत को व्रतचिह्न बतलाया है, तब सर्वथा 'अव्रती' के विषय में जनेऊ की कल्पना कैसी? परन्तु इसे भी छोड़िये, सोनीजी इतना भी नहीं समझ सके कि, जब इस पद्य के द्वारा यह विधान किया जा रहा है कि व्रती श्रावक तो जनेऊ को बाएँ कान पर रखकर और अव्रती उसे यों ही पीठ पीछे लटकाकर टट्टी पेशाब करे तो फिर अगले पद्य में यह विधान किसके लिये किया गया है कि–जनेऊ को पेशाब के समय

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

तो दाहिने कान पर और टट्टी के समय बाएँ कान पर टाँगना चाहिए। यही वजह है जो आप इन दोनों पद्यों के पारस्परिक विरोध का कोई स्पष्टीकरण भी अपने अनुवाद में नहीं कर सके। अस्तु, वह अगला पद्य इस प्रकार है–

मूत्रे तु दक्षिणे कर्णे पुरीषे वामकर्णके।
धारयेद्ब्रह्मसूत्रं तु मैथुने मस्तके तथा॥२८॥

इस पद्य का पूर्वार्द्ध, जो पहले पद्य के साथ कुछ विरोध उत्पन्न करता है, वास्तव में एक दूसरे विद्वान का वचन है। आन्हिक सूत्रावली में इसे 'आन्हिक कारिका' का वचन लिखा है और इसका उत्तरार्द्ध 'उपवीतं सदा धार्यं मैथुने तूपवीतिवत्' दिया है। भट्टारकजी ने उस उत्तरार्द्ध को 'धारयेद्ब्रह्मसूत्रं तु मैथुने मस्तके तथा' के रूप में बदल दिया है। परन्तु इस संग्रह और परिवर्तन के अवसर पर उन्हें इस बात का ध्यान नहीं रहा कि जब हम दो विद्वानों के परस्पर मतभेद को लिये हुए वचनों को अपना रहे हैं तो हमें अपने ग्रन्थविरोध को दूर करने के लिये कोई ऐसा शब्द प्रयोग साथ में जरूर करना चाहिए, जिससे ये दोनों विधिविधान विकल्प रूप से समझे जायें और यह सहज ही में 'तथा' की जगह 'अथवा' शब्द रख देने से भी हो सकता था। भट्टारकजी ने ऐसा नहीं किया और इससे उनकी संग्रह तथा परिवर्तन सम्बन्धी योग्यता का और भी अच्छा परिचय मिल जाता है।

अर्थबिल्वफलमात्रा प्रथमा मृत्तिका मता।
द्वितीया तु तृतीया तु तदर्धार्धा प्रकीर्तिता॥२-५०॥
शौचे यत्नः सदा कार्यः शौचमूलो गृही स्मृतः।
शोचाचारविहीनस्य समस्ता निष्फलाः क्रियाः॥२-५४॥
अत्यन्तमलिनः कायो नवच्छिद्रसमन्वितः।
स्रवत्यैव दिवारात्रौ प्राप्तः स्नानं विशोधनम्॥२-९८॥

ये 'दक्षस्मृति' के वाक्य हैं। तीसरा पद्य दक्षस्मृति के दूसरे अध्याय से ज्यों का त्यों उठाकर रखा गया है। शब्दकल्पद्रुम कोश में भी उसे 'दक्ष' ऋषि का वचन लिखा है। दूसरा पद्य उक्त स्मृति के पाँचवें अध्याय का पद्य है और उसमें नं० २ पर दर्ज है (स्मृतिरत्नाकर में भी वह 'दक्ष' के नाम से उद्धृत पाया जाता है) उसमें सिर्फ 'द्विजः' की जगह 'गृही' का परिवर्तन किया गया है। पहला पद्य भी पाँचवे अध्याय का ही पद्य है और उसमें नं० ७ पर दर्ज है। इस पद्य में ''प्रसृतिमात्रा तु'' की जगह 'बिल्वफलमात्रा', 'च' की जगह 'तु' और 'तदर्धा परिकीर्तिता' की जगह 'तदर्धार्धा प्रकीर्तिता' ये परिवर्तन किये गये हैं, जो साधारण हैं और कोई खास महत्त्व नहीं रखते। यह पद्य अपने दक्षस्मृति वाले रूप में ही आचारादर्श और शुद्धि विवेक नाम के ग्रन्थों में 'दक्ष' के नाम से उल्लेखित मिलता है।

अंतर्गृहे देवगृहे वल्मीके मूषकस्थले।
कृतशौचाविशेषे च न ग्राह्याः पंचमृत्तिकाः॥२-४५॥

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

यह श्लोक जिसमें शौच के लिये पाँच जगह की मिट्टी को त्याज्य ठहराया है[१५] 'शातातप' ऋषि के निम्न श्लोक को बदलकर बनाया गया मालूम होता है–

अंतर्जलाद्वेवगृहाद्वल्मीकान्मूषकगृहात् ।
कृतशौचस्थलाश्चैव न ग्राह्याः पंचमृत्तिकाः॥

यह श्लोक 'आह्निक सूत्रावलि' में भी 'शातातप' के नाम से उद्धृत पाया जाता है।

अलाभे दन्तकाष्ठानां निषिद्धायां तिथावपि।
अपां द्वादशगण्डूषैर्मुखशुद्धिः प्रजायते॥२/ ७३॥

यह 'व्यास' ऋषि का वचन है। स्मृतिरत्नाकर और निर्णयसिन्धु में भी इसे 'व्यास' का वचन लिखा है। हाँ, इसके पूर्वार्द्ध में 'प्रतिषिद्धदिनेष्वपि' की जगह 'निषिद्धायां तिथावपि' और उत्तरार्द्ध में 'भविष्यति' की जगह 'प्रजायते' ऐसा पाठ भेद यहाँ पर जरूर पाया जाता है जो बहुत कुछ साधारण है और कोई खास अर्थ भेद नहीं रखता।

ग्रन्थ के दूसरे अध्याय में मल-मूत्र के लिये निषिद्ध स्थानों का वर्णन करते हुए, एक श्लोक निम्न प्रकार से दिया हुआ है–

हलकृष्टे जले चित्यां वल्मीके गिरिमस्तके।
देवालये नदीतीरे दर्भपुष्पेषु शाद्वले॥२२॥

यह 'बौधायन' नाम के एक प्राचीन हिन्दू लेखक का वचन है। स्मृतिरत्नाकर में भी यह 'बौधायन' के नाम से ही उद्धृत मिलता है। इसमें 'फालकृष्टे' की जगह यहाँ 'हलकृष्टे' और 'दर्भपृष्ठे तु' की जगह 'दर्भपुष्पेषु' बनाया गया है, और ये दोनों ही परिवर्तन कोई खास महत्त्व नहीं रखते बल्कि निरर्थक जान पड़ते हैं।

प्रभाते मैथुने चैव प्रस्त्रावे दन्तधावने।
स्नाने च भोजने वान्त्यां सप्तमौनं विधीयते॥२-३१॥

यह पद्य, जिसमें सात अवसरों पर मौन धारण करने की व्यवस्था की गई है यह विधान किया गया है कि १. प्रातःकाल, २. मैथुन, ३. मूत्र, ४. दन्तधावन, ५. स्नान, ६. भोजन, और ७. वमन के अवसर पर मौन धारण करना चाहिए, 'हारीत' ऋषि के उस वचन पर से कुछ परिवर्तन करके बनाया गया है, जिसका पूर्वार्द्ध 'प्रभाते' की जगह 'उच्चारे' पाठभेद के साथ बिल्कुल वही है जो इस पद्य का है और उत्तरार्द्ध है 'श्राद्धे (स्नाने[१६]) भोजनकाले च षट्सु मौनं समाचरेत्।' और जो 'आह्निक सूत्रावलि' में भी 'हारीत' के नाम से उद्धृत पाया जाता है। इस पद्य में 'उच्चारे' की जगह 'प्रभाते' का जो खास परिवर्तन किया गया है वह बड़ा ही विचित्र तथा विलक्षण जान पड़ता है और उससे

१५. इस श्लोक के बाद 'मलमूत्रसमीपे' नाम का एक पद्य और भी पंचमृत्तिका के निषेध का है और उसका अन्तिम चरण भी 'न ग्राह्याः पंचमृत्तिकाः' है। वह किसी दूसरे विद्वान् की रचना जान पड़ता है।

१६. 'श्राद्धे' की जगह 'स्नाने' ऐसा पाठभेद भी पाया जाता है। देखो शब्द 'कल्पद्रुम'।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

मलत्याग के अवसर पर मौन का विधान न रहकर प्रातःकाल के समय मौन का विधान हो जाता है, जिसकी संगति कहीं से भी ठीक नहीं बैठती। मालूम होता है सोनीजी को भी इस पद्य की विलक्षणता कुछ खटकी है और इसलिये उन्होंने, पद्य की असलियत को न पहचानते हुए, यों ही अपने मनगढ़न्त 'प्रभाते' का अर्थ ''सामायिक करते समय'' और 'प्रस्रावे' का अर्थ ''टट्टी पेशाब करते समय'' दे दिया है, और इस तरह से अनुवाद की भर्ती द्वारा भट्टारकजी के पद्य की त्रुटि को दूर करने का कुछ प्रयत्न किया है। परन्तु आपके ये दोनों ही अर्थ ठीक नहीं है–'प्रभात' का अर्थ 'प्रातःकाल' है न कि 'सामायिक' और 'प्रस्रावे' का अर्थ 'मूत्र'[१७] है न कि 'मल-मूत्र' (टट्टी पेशाब) दोनों। और इसलिये अनुवाद की इस लीपापोती द्वारा मूल की त्रुटि दूर नहीं हो सकती और न विद्वानों की नजरों से वह छिप ही सकती है। हाँ, इतना जरूर स्पष्ट हो जाता है कि अनुवादकजी में सत्य अर्थ को प्रकाशित करने की कितनी निष्ठा, तत्परता और क्षमता है।

खदिरश्च करंजश्च कदम्बश्च वटस्तथा।
तित्तिणी वेणुवृक्षश्च निम्ब आम्रस्तथैव च॥२-६३॥
अपामार्गश्च बिल्वश्च ह्यर्क आमलकस्तथा।
एते प्रशस्ताः कथिता दन्तधावनकर्मणि॥२-६४॥

ये दोनों पद्य, जिनमें दाँतुन के लिये उत्तम काष्ठ का विधान किया गया है 'नरसिंहपुराण' के वचन हैं। आचारादर्श नामक ग्रन्थ में भी इन्हें 'नरसिंहपुराण' के ही वाक्य लिखा है। इनमें से पहले पद्य में 'आम्रनिम्बौ' की जगह 'निम्ब आम्रः' का तथा 'वेणुपृष्ठश्च' की जगह 'वेणुवृक्षश्च' का पाठभेद पाया जाता है, और दूसरे पद्य में 'अर्कश्चोदुम्बरः' की जगह 'ह्यर्क आमलकः' ऐसा परिवर्तन किया गया जान पड़ता है। दोनों पाठभेद साधारण हैं, और परिवर्तित पद के द्वारा उदुम्बर काष्ठ की जगह आँवले की दाँतुन का विधान किया गया है।

कुशाः काशा यवा दूर्वा उशीराश्च कुकुन्दराः।
गोधूमा व्रीहयो मुंजा दश दर्भाः प्रकीर्तिताः॥३/८१॥

यह 'गोभिल' ऋषि का वचन है। स्मृतिरत्नाकर में भी इसे 'गोभिल' का वचन लिखा है। इसमें 'गोधूमाश्चाथ कुन्दराः' की जगह 'उशीराश्च कुकुंदराः' और 'उशीराः' की जगह 'गोधूमाः' का परिवर्तन किया गया है, जो व्यर्थ जान पड़ता है, क्योंकि इस परिवर्तन से कोई अर्थभेद उत्पन्न नहीं होता, सिर्फ दो पदों का स्थान बदल जाता है।

एकपंक्त्युपविष्टानां धर्मिणां सहभोजने।
यद्येकोऽपि त्यजेत्पात्रं शेषैरन्नं न भुज्यते॥६/२२०॥

१७. यथा– १ 'मूत्रं प्रस्रावः'– इति अमरकोशः।
२ 'प्रस्रावः मूत्रं' इति शब्दकल्पद्रुमः।
३ 'उच्चारपस्सणोत्यादि' उच्चारः पुरीषः प्रस्रवणं मूत्रं। –इति क्रियाकलापटीकायां प्रभाचन्द्रः।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

यह पद्य, जिसमें सहभोजन के अवसर पर एक पंक्ति में बैठे हुए किसी एक व्यक्ति के भी पात्र छोड़ देने पर शेष व्यक्तियों के लिये भोजनत्याग का विधान किया गया है, जरा से परिवर्तन के साथ 'पराशर' ऋषि का वचन है और वह परिवर्तन 'विप्राणं' की जगह 'धर्मिणां' ओर 'शेषमन्नं न भोजयेत्' की जगह 'शेषैरन्नं न भुज्यते' का किया गया है, जो बहुत कुछ साधारण है। आह्निकसूत्रावलि और स्मृतिरत्नाकर नाम के ग्रन्थों में भी यह पद्य 'पराशर' ऋषि के नाम से ही उद्धृत पाया जाता है।

स्वगृहे प्राक्शिरः कुर्याच्छ्वाशुरे दक्षिणामुखः।
प्रत्यङ्मुखः प्रवासे च न कदाचिदुदङ्मुखः॥८-२४॥

यह पद्य, जिसमें इस बात का विधान किया गया है कि अपने घर पर तो पूर्व की तरफ सिर करके, सास के घर पर दक्षिण की ओर मुँह करके और प्रवास में पश्चिम की ओर मुँह करके सोना चाहिए तथा उत्तर की तरफ मुँह करके कभी भी न सोना चाहिए। थोड़े से परिवर्तनों के साथ 'गर्ग' ऋषि का वचन है। आन्हिकसूत्रावलि में इसे गर्ग ऋषि के नाम से जिस तरह पर उद्धृत किया है उससे मालूम होता है कि यहाँ पर इसमें 'शेते श्वाशुर्ये' की जगह 'कुर्याच्छ्वाशुरे' का, 'प्राक्शिराः' की जगह 'प्राक्शिरः' का, 'तु' की जगह 'च' का और पिछले तीनों चरणों में प्रयुक्त हुए प्रत्येक 'शिराः' पद की जगह 'मुखः' पद का परिवर्तन किया गया है। और यह सब परिवर्तन कुछ भी महत्त्व नहीं रखता। 'शेते' की जगह 'कुर्यात्' का परिवर्तन भद्दा है और 'शिराः' पदों की जगह 'मुखः' पदों के परिवर्तन ने तो अर्थ का अनर्थ ही कर दिया है। किसी दिशा की ओर सिर करके सोना और बात है और उसकी तरफ मुँह करके सोना दूसरी बात है–एक दूसरे के विपरीत है। मालूम होता है भट्टारकजी को इसकी कुछ खबर नहीं पड़ी परन्तु सोनीजी ने खबर जरूर ले ली है। उन्होंने अपने अनुवाद में मुख की जगह सिर बनाकर उनकी त्रुटि को दूर किया है और इस तरह पर सर्वसाधारण को अपनी सत्यार्थप्रकाशकता का परिचय दिया है।

रात्रावेव समुत्पन्ने मृते रजसि सूतके।
पूर्वमेव दिनं ग्राह्यं यावन्नोदेति वै रविः॥१३-९॥

यह पद्य, 'नोदेति वै' की जगह 'नोदयते' पाठ भेद के साथ 'कश्यप' 'ऋषि' का वचन है। याज्ञवल्क्यस्मृति की 'मिताक्षरा' टीका में भी, 'यथाह कश्यपः' वाक्य के साथ, इसे 'कश्यप' ऋषि का वचन सूचित किया है।

पूर्वमायुः परीक्षेत पश्चाल्लक्षणमेव च।
आयुर्हीनजनानां च लक्षणैः किं प्रयोजनम्॥११-८॥

यह 'सामुद्रक' शास्त्र का वचन है। शब्दकल्पद्रुम कोश में इसे किसी ऐसे सामुद्रक शास्त्र से उद्धृत किया है, जिसमें श्रीकृष्ण तथा महेश का संवाद है और उसमें इसका तीसरा चरण 'आयुर्हीनं नराणां चेत्' इस रूप में दिया हुआ है।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

महानद्यन्तरं यत्र गिरिर्वा व्यवधायकः।
वाचो यत्र विभिद्यन्ते तद्देशान्तरमुच्यते॥१३-६९॥

यह 'देशान्तर' का लक्षण प्रतिपादन करने वाला पद्य 'वृद्धमनु' का वचन है, ऐसा शुद्धिविवेक नामक ग्रन्थ से मालूम होता है, जिसमें 'वृद्धमनुरप्याह' इस वाक्य के साथ यह उद्धृत किया गया है। यहाँ पर इसके चरणों में कुछ कम भेद किया गया है। पहले चरण को तीसरे नंबर पर और तीसरे को पहले नंबर पर रखा गया है। बाकी पाठ सब ज्यों का त्यों है।

पितरौ चेन्मृतौ स्यातां दूरस्थोऽपि हि पुत्रकः।
श्रुत्वा तद्दिनमारभ्य पुत्राणां दशरात्रकम्॥१३-७१॥

यह पद्य, जिसमें माता-पिता की मृत्यु के समाचार सुनने पर दूर देशान्तर में रहने वाले पुत्र को समाचार सुनने के दिन से दस दिन का सूतक बतलाया गया है, 'पैठीनसि' ऋषि का वचन है। याज्ञवल्क्यस्मृति की 'मिताक्षरा' टीका में भी, जो एक प्राचीन ग्रन्थ है और अदालतों में मान्य किया जाता है, 'इति पैठीनसि स्मरणात्' वाक्य के द्वारा इसे 'पैठीनसि' ऋषि का वचन सूचित किया है। यहाँ इसका चौथा चरण बदला हुआ है–'दशाहं सूतकी भवेत्' की जगह 'पुत्राणां दशरात्रकम्' बनाया गया है। और यह तबदीली बिल्कुल भद्दी जान पड़ती है–'पुत्रकः' आदि पदों के साथ इन परिवर्तित पदों का अर्थसम्बन्ध भी कुछ ठीक नहीं बैठता, खासकर 'पुत्राणां' पद का प्रयोग तो यहाँ बहुत ही खटकता है–सोनीजी ने उसका अर्थ भी नहीं किया और वह भट्टारकजी की योग्यता को और भी अधिकता के साथ व्यक्त कर रहा है।

ज्वराभिभूता या नारी रजसा चेत्परिप्लुता।
कथं तस्या भवेच्छौचं शुद्धिः स्यात्केन कर्मणा॥८६॥
चतुर्थेऽहनि संप्राप्ते स्पृशेदन्या तु तां स्त्रियम्।
स्नात्वा चैव पुनस्तां वै स्पृशेत् स्नात्वा पुनः पुनः॥८७॥
दशद्वादशकृत्वो वा ह्याचमेच्च पुनः पुनः।
अन्त्ये च वाससां त्यागं स्नात्वा शुद्धा भवेत्तु सा॥८८॥ -१३ वाँ अध्याय।

इन पद्यों में ज्वर से पीड़ित रजस्वला स्त्री की शुद्धि का प्रकार बतलाया गया है और वह यों है कि ''चौथे दिन कोई दूसरी स्त्री स्नान करके उस रजस्वला को छूये, दोबारा स्नान करके फिर छूये और इस तरह दस या बारह बार स्नान करके प्रत्येक स्नान के बाद उसे छूये साथ ही बार-बार आचमन भी करती रहे। अंत में सब कपड़ों का (जिन्हें रजस्वला ओढ़े, पहने अथवा बिछाए हुए हो) त्याग कर दिया जाये तो वह रजस्वला शुद्ध हो जाती है''। ये तीनों पद्य जरा से परिवर्तन के साथ 'उशना' नामक हिन्दू ऋषि के वचन हैं, जिनकी 'स्मृति' भी 'औशनसधर्मशास्त्र' के नाम से प्रसिद्ध है। याज्ञवल्क्यस्मृति की मिताक्षरा टीका, शुद्धिविवेक और स्मृतिरत्नाकर आदि ग्रन्थों में भी इन्हें 'उशना' के वचन लिखा है। मिताक्षरा आदि ग्रन्थों में इन पद्यों का जो रूप दिया है उससे मालूम होता है कि पहले पद्य में सिर्फ

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

'च' की जगह 'चेत्' बनाया गया है, दूसरे का उत्तरार्द्ध ''सा सचेलावगाह्यापः स्नात्वा स्नात्वा पुनः स्पृशेत्'' नामक उत्तरार्द्ध की जगह कायम किया गया है और तीसरे में 'त्यागस्ततः' की जगह 'त्याग स्नाता' का परिवर्तन हुआ है। इन तीनों परिवर्तनों में से पहला परिवर्तन निरर्थक है और उसके द्वारा पद्य का प्रतिपाद्य विषय कुछ कम हो जाता है–जो स्त्री ज्वर से पीड़ित हो वह यदि रजस्वला हो जाये तो उसी की शुद्धि का विधान रहता है[१८] किन्तु जो पहले से रजस्वला हो और पीछे जिसे ज्वर आ जाये उसकी शुद्धि की कोई व्यवस्था नहीं रहती। 'च' शब्द का प्रयोग इस दोष को दूर कर देता है और वह दोनों में से किसी भी अवस्था की रजस्वला के लिये एक ही शुद्धि का विधान बतलाता है। अतः 'च' की जगह 'चेत्' का परिवर्तन यहाँ ठीक नहीं हुआ। दूसरा परिवर्तन एक विशेष परिवर्तन है और उसके द्वारा सचेल अवगाहन की बात को छोड़कर उस दूसरी स्त्री के सादा स्नान की बात को ही अपनाया गया है। रहा तीसरा परिवर्तन, यह बड़ा ही विलक्षण जान पड़ता है, उसके 'स्नाता' पद का सम्बन्ध अंतिम 'सा' पद के साथ ठीक नहीं बैठता और 'त्यागं' पद तो उसका और भी ज्यादा खटकता है। हो सकता है, कि यह परिवर्तन कुछ असावधान लेखकों की ही कर्तूत हो, उनके द्वारा 'त्यागस्ततः' का 'त्यागं स्नाता' लिखा जाना कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि दोनों में अक्षरों की बहुत कुछ समानता है, परंतु सोनीजी ने 'त्यागं स्नाता' पाठ को ही शुद्ध समझा है–शुद्धिपत्र में भी उसका संशोधन नहीं दिया-- और अनुवाद में 'स्नाता' पद का सम्बन्ध उस दूसरी स्त्री के साथ जोड़ दिया है जो स्नान करके रजस्वला को छूये। यह सब देखकर बड़ा ही खेद होता है! आप लिखते हैं– ''अंत में वह स्पर्श करने वाली स्त्री अपने कपड़े भी उतार दे और उस रजस्वला के कपड़े भी उतार दे और स्नान कर ले।'' समझ में नहीं आता, जब उस दूसरी स्त्री को अंत में भी अपने कपड़े उतारने तथा स्नान करने की जरूरत बाकी रह जाती है और इस तरह पर वह उस अंतिम स्नान से पहले अशुद्ध होती है तो उस अशुद्धा के द्वारा रजस्वला की शुद्धि कैसे हो सकती है! सोनीजी ने इसका कुछ भी विचार नहीं किया और वैसे ही खींचतान कर 'स्नाता' पद का सम्बन्ध उस दूसरी स्त्री के साथ जोड़ दिया है, जिसके साथ पद्य में उसका कोई सम्बन्ध ठीक नहीं बैठता। और इसलिये यह परिवर्तन यदि भट्टारकजी का ही किया हुआ है तो इससे उनकी योग्यता की और भी अच्छी कलई खुल जाती है।

यहाँ तक के इस सम्पूर्ण प्रदर्शन से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि यह ग्रन्थ, जैसा कि लेखारम्भ में जाहिर किया गया था, वास्तव में एक बहुत बड़ा 'संग्रह ग्रन्थ' है और इसमें जैन-अजैन दोनों ही प्रकार के विद्वानों के वाक्यों का भारी संग्रह किया गया है–ग्रन्थ की २७०० श्लोक संख्या में से शायद सौ डेढ़ सौ श्लोक ही मुश्किल से ऐसे निकलें जिन्हें ग्रन्थकार की स्वतन्त्र रचना कहा जा सके, बाकी सब श्लोक ऐसे ही हैं जो दूसरे जैन-अजैन ग्रन्थों से ज्यों के त्यों अथवा कुछ परिवर्तन के साथ उठाकर रखे गये हैं–अधिकांश पद्य तो इसमें अजैन ग्रन्थों तथा उन जैन ग्रन्थों पर से ही उठाकर

१८. शायद इसीलिये पं० पन्नालाल जी सोनी इस पद्य के अनुवाद में लिखते हैं– ''कोई ज्वर से पीड़ित स्त्री (यदि) रजस्वला हो जाये तो उसकी शुद्धि कैसे हो? कैसी क्रिया करने से वह शुद्ध हो सकती है?''

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

रखें गये हैं जो प्रायः अजैन ग्रन्थों के आधार पर या उनकी छाया को लेकर बने हुए हैं। साथ ही, यह भी स्पष्ट हो जाता है कि ग्रन्थकार ने अपने प्रतिज्ञा वाक्यों तथा सूचनाओं के द्वारा जो यह विश्वास दिलाया था कि ''उसने इस ग्रन्थ में जो कुछ लिखा है वह उक्त जिनसेनादि छहों विद्वानों के ग्रन्थानुसार लिखा है और जहाँ कहीं दूसरे विद्वानों के ग्रन्थानुसार कुछ कथन किया है, वहाँ पर उन विद्वानों का अथवा उनके ग्रन्थों का नाम दे दिया है'' वह एक प्रकार का धोखा है। ग्रन्थकार महाशय (भट्टारकजी) अपनी प्रतिज्ञाओं तथा सूचनाओं का पूरी तौर से निर्वाह नहीं कर सके और न वैसा करना उन्हें इष्ट था, ऐसा जान पड़ता है–उन्होंने दो चार अपवादों को छोड़कर कहीं भी दूसरे विद्वानों का या उनके ग्रन्थों का नाम नहीं दिया और न ग्रन्थ का सारा कथन ही उन जैन विद्वानों के वाक्यानुसार किया है जिनके ग्रन्थों को देखकर कथन करने की प्रतिज्ञाएँ की गई थी, बल्कि बहुत सा कथन अजैन ग्रन्थों के आधार पर, उनके वाक्यों तक को उद्धृत करके किया है जिनके अनुसार कथन करने की कोई प्रतिज्ञा नहीं की गई थी और इसलिये यह कहना कि ''भट्टारकजी ने जानबूझकर अपनी प्रतिज्ञाओं का विरोध किया है और उसके द्वारा पब्लिक को धोखा दिया है'' कुछ भी अनुचित न होगा। इस प्रकार के विरोध तथा धोखे का कुछ और भी स्पष्टीकरण 'प्रतिज्ञादिविरोध' नाम के एक अलग शीर्षक के नीचे किया जायेगा।

यहाँ पर मैं सिर्फ इतना और बतला देना चाहता हूँ कि भट्टारकजी ने दूसरे विद्वानों के ग्रन्थों से जो यह बिना नाम-धाम का भारी संग्रह करके उसे अपने ग्रन्थों में निबद्ध किया है–'उक्तं च'[१९]आदि रूप से भी नहीं रखा– और इस तरह पर दूसरे विद्वानों की कृतियों को अपनी कृति अथवा रचना प्रकट करने का साहस किया है, वह एक बड़ा ही निन्द्य तथा नीच कर्म है। ऐसा जघन्य आचरण करने वालों को श्रीसोमदेवसूरि ने 'काव्यचोर' और पातकी' लिखा है। यथा–

कृत्वा कृतीः पूर्वकृताः पुरस्तात्प्रत्यादरं ताः पुनरीक्षमाणः।
तथैव जल्पेदथ योऽन्यथा वा स काव्यचोरोऽस्तु स पातकी च॥ –यशस्तिलक।

श्री अजितसेनाचार्य ने तो दूसरे काव्यों के सुन्दर शब्दार्थों की छाया तक हरने वाले कवि को 'चोर' (पश्यतोहर) बतलाया है। यथा–

अन्यकाव्यसुशब्दार्थछायां नो रचयेत्कविः।
स्वकाव्ये सोऽन्यथा लोके पश्यतोहरतामटेत्॥९५॥

–अलंकारचिन्तामणि।

ऐसी हालत में भट्टारक सोमसेन जी इस कलंक से किसी तरह भी मुक्त नहीं हो सकते। वे अपने ग्रन्थ की इस स्थिति में, उक्त आचार्यों के निर्देशानुसार, अवश्य ही 'काव्यचोर' और 'पातकी' कहलाये जाने के योग्य हैं और उनकी गणना तस्कर लेखकों में की जानी चाहिए। उन्हें इस कलंक से बचने

१९ ग्रन्थ में दस पाँच पद्यों को जो 'उक्तं च' आदि रूप से दे रखा है उनका यहाँ पर ग्रहण नहीं है।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

के लिये कम से कम उन पद-वाक्यों के साथ में जो, ज्यों के त्यों उठाकर रखे गये हैं, उन विद्वानों अथवा उनके ग्रन्थों का नाम जरूर दे देना चाहिए था जिनके वे वचन थे, जैसा कि 'आचारादर्श' और 'मिताक्षरा' आदि ग्रन्थों के कर्ताओं ने किया है। ऐसा करने से ग्रन्थ का महत्त्व कम नहीं होता किन्तु उसकी उपयोगिता और प्रामाणिकता बढ़ जाती है। परन्तु भट्टारकजी ने ऐसा नहीं किया और उसके दो खास कारण जान पड़ते हैं- एक तो यह कि वे हिन्दू धर्म की बहुत-सी बातों को प्राचीन जैनाचार्यों अथवा जैन विद्वानों के नाम से जैन समाज में प्रचारित करना चाहते थे और यह बात अजैन विद्वानों के वाक्यों के साथ उनका अथवा उनके ग्रन्थों का नाम दे देने से नहीं बन सकती थी, जैनी जन उसे मान्य न करते। दूसरे यह कि, वे मुफ्त में अल्प परिश्रम से ही काव्यकीर्ति भी कमाना चाहते थे-दूसरे कवियों की कृतियों को अपनी कृति प्रकट करके, सहज ही में एक अच्छे कवि का पद तथा सम्मान प्राप्त करने की उनकी इच्छा थी- और वह इच्छा पूरी नहीं हो सकती थी यदि सभी उद्धृत पद-वाक्यों के साथ में दूसरे विद्वानों के नाम दे दिये जाते। तब तो आपकी निज की कृति प्रायः कुछ भी न रहती अथवा यों कहिये कि महत्त्वशून्य और तेजोहीन-सी दिखलाई पड़ती। अतः मुख्यतया इन दोनों चित्तवृत्तियों से अभिभूत होकर ही आप ऐसा हीनाचरण करने में प्रवृत्त हुए हैं, जो एक सत्कवि के लिये कभी शोभा नहीं देता, बल्कि उल्टा लज्जा तथा शर्म का स्थानक होता है। शायद इस लज्जा तथा शर्म को उतारने या उसका कुछ परिमार्जन करने के लिये ही भट्टारकजी ने ग्रन्थ के अंत में, उसकी समाप्ति के बाद, एक पद्य निम्न प्रकार से दिया है-

श्लोका येऽत्र पुरातना विलिखिता अस्माभिरन्वर्थत-
स्ते दीपा इव सत्सु काव्यरचनामुद्दीपयन्ते परम्।
नानाशास्त्रमतान्तरं यदि नवं प्रायोऽकरिष्यं त्वहम्
क्काशा माऽस्य महस्तदेति सुधियः केचित्प्रयोगंवदाः॥

इस पद्य से जहाँ यह सूचना मिलती है कि ग्रन्थ में कुछ पुरातन पद्य भी लिखे गये हैं वहाँ ग्रन्थकार का उन पुरातन पद्यों के सहारे से अपनी काव्यरचना को उद्योतित करने अथवा काव्यकीर्ति कमाने का वह भाव भी बहुत कुछ व्यक्त हो जाता है जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। भट्टारकजी पद्य के पूर्वार्द्ध में लिखते हैं- ''हमने इस ग्रन्थ में, प्रकरणानुसार, जिन पुरातन श्लोकों को लिखा है वे दीपक की तरह सत्पुरुषों के सामने हमारी काव्यरचना को उद्दीपित (प्रकाशित) करते है''। परन्तु उन्होंने, अपने ग्रन्थ में, जब स्वकीय और परकीय पद्यों का प्रायः कोई भेद नहीं रखा तब ग्रन्थ के कौन से पद्यों को 'दीपक' और कौनसों को उनके द्वारा 'उद्दीपित' समझा जाये, यह कुछ समझ में नहीं आता। साधारण पाठक तो उन दस पाँच पद्यों को छोड़कर जिन्हें 'उक्तं च' 'मतान्तरं' तथा 'अन्यमतम्' आदि नामों से उल्लेखित किया गया है और जिनका उक्त संग्रह में कोई खास जिक्र भी नहीं किया गया अथवा ज्यादा से ज्यादा कुछ परिचित पद्यों को भी उनमें शामिल करके, शेष सब पद्यों को भट्टारकजी की ही रचना समझते हैं और उन्हीं के नाम से उनका उल्लेख भी करते हुए देखे जाते

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

हैं। क्या यही भट्टारकजी की काव्यरचना का सच्चा उद्दीपन है? अथवा पाठकों में ऐसी गलत समझ उत्पन्न करके काव्यकीर्ति का लाभ उठाना ही इसका एक उद्देश्य है? मैं तो समझता हूँ पिछली बात ही ठीक है और इसी से उन पद्यों के साथ में उनके लेखकों अथवा ग्रन्थों का नाम नहीं दिया गया और न दूसरी ही ऐसी कोई सूचना साथ में की गई जिससे वे पढ़ते ही पुरातन पद्य समझ लिये जाते। पद्य के उत्तरार्द्ध में भट्टारकजी, अपनी कुछ चिन्ता-सी व्यक्त करते हुए, लिखते हैं- ''यदि मैं नाना शास्त्रों के मतान्तर की नवीनप्रायः रचना करता तो इस ग्रन्थ का तेज पड़ता- अथवा यह मान्य होता- इसकी मुझे कहाँ आशा थी।'' और फिर इसके अनन्तर ही प्रकट करते हैं- इसीलिये कुछ सुधीजन 'प्रयोगंवद' होते हैं- प्राचीन प्रयोगों का उल्लेख कर देना ही उचित समझते हैं।[२०] और इस तरह पर आपने अपने को प्रयोगबंद (प्रयोगवादी) अथवा प्रयोगंवद की नीति का अनुसरण करने वाला भी सूचित किया है। हो सकता है भट्टारकजी की उक्त चिन्ता कुछ ठीक हो- वे अपनी स्थिति और कमजोरी आदि को आप जानते थे- परन्तु जब उनकी अपनी रचना से तेज अथवा प्रभाव पड़ने की कोई आशा नहीं थी तब तो उन्हें दूसरे विद्वानों के वाक्यों के साथ में उनका नाम दे देने की और भी ज्यादा जरूरत थी। ऐसी हालत में भी उनका नाम न देना उक्त दोनों कारणों के सिवाय और किसी बात को सूचित नहीं करता। रही 'प्रयोगंवद' की नीति का अनुसरण करने की बात, प्रयोगंवद की यह नीति कदापि नहीं होती कि वह दूसरे की रचना को अपनी रचना प्रकट करे। यदि ऐसा हो तो 'काव्यचोर' और 'प्रयोगंवद' में फिर कुछ भी अंतर नहीं रह सकता। वह तो इस बात की बड़ी सावधानी रखता है और इसी में आनन्द मानता है कि दूसरे विद्वान का जो वाक्य प्रयोग उद्धृत किया जाये उसके विषय में किसी तरह पर यह जाहिर कर दिया जाये कि वह अमुक विद्वान का वाक्य है अथवा उसका अपना वाक्य नहीं है। उसकी रचना प्रणाली ही अलग होती है और वह दूसरों के प्रयोगों को बदल कर रखने की जरूरत नहीं समझता और न अपने को उसका अधिकारी ही मानता है। सोमसेन जी की स्थिति ग्रन्थ पर से ऐसी मालूम नहीं होती, वे इस विषय में प्रायः कुछ भी सावधान नजर नहीं आते, उन्होंने सैकड़ों पुरातन पद्यों को बिना जरूरत ही बदल डाला है और जिन पद्यों को ज्यों का त्यों उठाकर रखा है उनके विषय में प्रायः कोई सूचना ऐसी नहीं कि जिससे वे दूसरे विद्वानों के वाक्य समझे जायें। साथ ही, ग्रन्थ

२०. पं० पन्नालाल जी सोनी ने इस पद्य के उत्तरार्द्ध का अनुवाद बड़ा ही विलक्षण किया है और वह इस प्रकार है- ''यद्यपि मैंने अनेक शास्त्र और मतों से सार लेकर इस नवीन शास्त्र की रचना की है, उनके सामने इसका प्रकाश पड़ेगा यह आशा नहीं, तो भी कितने ही बुद्धिमान् नवीन-नवीन प्रयोगों को पसंद करते हैं, अतः उनका चित्त इससे अवश्य अनुरंजित होगा।''

अनुवादकजी और तो क्या लृङ् लकार की 'अकरिष्यं' क्रिया का अर्थ भी ठीक नहीं समझ सके! तब 'इति सुधियः केचित्प्रयोगंवदाः' का अर्थ समझना तो उनके लिये दूर की बात थी। आपने पुरातन पद्योद्धरण के समर्थन में नवीन-नवीन प्रयोगों को पसंद करने की बात तो खूब कही!! और ''उनका चित्त इससे अवश्य अनुरंजित होगा'' इस अंतिम वाक्यावतार ने तो आपके गजब ही ढा दिया!!!

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

की रचना-प्रणाली भी ऐसी मालूम नहीं होती जिसे प्रायः 'प्रयोगंवद' की नीति का अनुसरण करने वाली कही जा सके।[२१] ऐसी हालत में इस पद्य द्वारा जिन बातों की सूचना की गई है वे काव्यचोरी के उक्त कलंक को दूर करने के लिये किसी तरह भी समर्थ नहीं हो सकती। उन्हें प्रायः ढोंग मात्र समझना चाहिए अथवा यों कहना चाहिए कि वे पीछे से कुछ शर्म-सी उतारने अथवा अपने दुष्कर्म पर एक प्रकार का पर्दा डालने के लिये ही लिखी गई हैं। अन्यथा, विद्वानों के समक्ष उनका कुछ भी मूल्य नहीं है।

प्रतिज्ञादि-विरोध

यह त्रिवर्णाचार अनेक प्रकार के विरुद्ध तथा अनिष्ट कथनों से भरा हुआ है। ग्रन्थ के संग्रहत्व आदि का दिग्दर्शन कराने के बाद, अब मैं उन्हीं को लेता हूँ और उनमें भी सबसे पहले उन कथनों का दिग्दर्शन कराना चाहता हूँ जो प्रतिज्ञा आदि के विरोध को लिये हुए है। इस सब दिग्दर्शन से ग्रन्थ की रचना, तरतीब, उपयोगिता और प्रमाणता आदि विषयों की और भी कितनी ही बातें पाठकों के अनुभव में आ जायेगी और उन्हें यह अच्छी तरह से मालूम पड़ जायेगा कि इस ग्रन्थ में कितना धोखा है, कितना जाल है और वह एक मान्य जैन ग्रन्थ के तौर पर स्वीकार किये जाने के लिये कितना अयोग्य है अथवा कितना अधिक आपत्ति के योग्य है–

(१) भट्टारक सोमसेनजी ने, ग्रन्थ के शुरू में, 'यत्प्रोक्तं जिनसेनयोग्यगणिभिः' नामक पद्य के द्वारा जिन विद्वानों के ग्रन्थों को देखकर- उनके वचनानुसार- ग्रन्थ रचना की प्रतिज्ञा की है उनमें 'जिनसेनाचार्य' का नाम सबसे प्रथम है और उन्हें आपने 'योग्यगणी' भी सूचित किया है। इन जिनसेनाचार्य का बनाया हुआ एक 'पुराण' ग्रन्थ सर्वत्र प्रसिद्ध है जिसे 'आदिपुराण' अथवा 'महापुराण' भी कहते हैं और उसकी गणना बहुमान्य आर्ष ग्रन्थों में की जाती है। इस पुराण से पहले का दूसरा कोई भी पुराण ग्रन्थ ऐसा उपलब्ध नहीं है जिसमें गर्भाधानादिक क्रियाओं का संक्षेप अथवा विस्तार के साथ कोई खास वर्णन दिया हो। यह पुराण इन क्रियाओं के लिये खास तौर से प्रसिद्ध है। भट्टारकजी ने ग्रन्थ के आठवें अध्याय में इन क्रियाओं का वर्णन आरम्भ करते हुए, एक प्रतिज्ञा वाक्य निम्न प्रकार से दिया है–

गर्भाधानादयो भव्यस्त्रिंत्रिंशत्सुक्रिया मताः।
वक्ष्येऽधुना पुराणे तु याः प्रोक्ता गणिभिः पुरा॥३॥

इस वाक्य के द्वारा यह प्रतिज्ञा की गई है कि 'प्राचीन आचार्य महोदय (जिनसेन) ने पुराण

२१ ग्रन्थ में एक जगह ''कलौ तु पुनरुद्वाहं वर्जयेदिति गालवः'' ऐसा लिखा है। यह वाक्य बेशक प्रयोगंवद की नीति का अनुसरण करने वाला है–इसमें 'गालव' ऋषि' के वाक्य का उनके नाम के साथ उल्लेख है। यदि सारा ग्रन्थ अथवा ग्रन्थ का अधिकांश भाग इस तरह से भी लिखा जाता तो वह प्रयोगंवद की नीति का एक अच्छा अनुसरण कहलाता। और तब किसी को उपर्युक्त आपत्ति का अवसर ही न रहता। परन्तु ग्रन्थ में, दो चार उदाहरणों को छोड़कर, इस प्रकार की रचना का प्रायः सर्वत्र अभाव है।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

(आदिपुराण) में जिन गर्भाधानादिक ३३ क्रियाओं का कथन किया है उन्हीं का मैं अब कथन करता हूँ।' यहाँ बहुवचनान्त 'गणिभिः' पद का प्रयोग वही है जो पहले प्रतिज्ञा-वाक्य में जिनसेनाचार्य के लिये उनके सम्मानार्थ किया गया है और उसके साथ में 'पुराणे'[२२] पद का एकवचनान्त प्रयोग उनके उक्त पुराण ग्रन्थ को सूचित करता है। और इस तरह पर इस विशेष प्रतिज्ञा-वाक्य के द्वारा यह घोषणा की गई है कि इस ग्रन्थ में गर्भाधानादिक क्रियाओं का कथन जिनसेनाचार्य के आदिपुराणानुसार किया जाता है। साथ ही, कुछ पद्य भी आदिपुराण से इस पद्य के अनन्तर उद्धृत किये गये हैं, 'व्युष्टि' नामक क्रिया को आदिपुराण के ही दोनों पद्यों ('ततोऽस्य हायने' आदि) में दिया है और 'व्रतचर्या' तथा 'व्रतावतरण' नामक क्रियाओं के भी कितने ही पद्य ('व्रतचर्यामहं वक्ष्ये' आदि) आदिपुराण से ज्यों के त्यों उठाकर रखे गये हैं। परंतु यह सब कुछ होते हुए भी इन क्रियाओं का अधिकांश कथन आदिपुराण अथवा भगवज्जिनसेनाचार्य के वचनों के विरुद्ध किया गया है, जिसका कुछ खुलासा इस प्रकार है–

(क) भगवज्जिनसेन ने गर्भाधानादिक क्रियाओं की संख्या ५३ दी है और साथ ही निम्न पद्य द्वारा यह प्रतिपादन किया है कि गर्भाधान से लेकर निर्वाण तक की ये ५३ क्रियाएँ परमागम में 'गर्भान्वय क्रिया' मानी गई हैं–

त्रयपंचाशदेता हि मता गर्भान्वयक्रियाः।
गर्भाधानादिनिर्वाणपर्यन्ताः परमागमे॥

परन्तु जिनसेन के वचनानुसार कथन करने की प्रतिज्ञा से बँधे हुए भट्टारकजी उक्त क्रियाओं की संख्या ३३ बतलाते हैं और उन्होंने उन ३३ के जो नाम दिये हैं वे सब भी वे ही नहीं हैं जो आदिपुराण की ५३ क्रियाओं में पाये जाते हैं। यथा–

आधानं प्रीतिः सुप्रीतिर्धृतिर्मोदः प्रियोद्भवः।
नामकर्म बहिर्यानं निषद्या प्राशनं तथा॥४॥
व्युष्टिश्च केशवापश्च लिपिसंस्थानसंग्रहः।
उपनीतिर्व्रतचर्या व्रतावतरणं तथा॥५॥
विवाहो वर्णलाभश्च कुलचर्या गृहीशिता।
प्रशान्तिश्च गृहत्यागो दीक्षाद्यं जिनरूपता॥६॥
मृतकस्य च संस्कारो निर्वाणं पिण्डदानकम्।
श्राद्धं च सूतकद्वैतं प्रायश्चित्तं तथैव च॥७॥

२२. पं० पन्नालाल जी सोनी ने 'पुराणे' पद का जो बहुचनान्त अर्थ ''शास्त्रों में'' ऐसा किया है वह ठीक नहीं है। इसी तरह 'गणिभिः' पद के बहुवचनान्त प्रयोग का आशय भी आप ठीक नहीं समझ सके और आपने उसका अर्थ 'महर्षियों ने'' दे दिया है।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

तीर्थयात्रेति कथिता द्वात्रिंशत्संख्या क्रियाः।
त्रयस्त्रिंशच्च धर्मस्य देशनाख्या विशेषतः॥८॥

इनमें से पहले तीन पद्य तो आदिपुराण के पद्य हैं और उनमें गर्भाधान को आदि लेकर २४ क्रियाओं के नाम दिये हैं, बाकी के दो पद्य भट्टारकजी की प्रायः अपनी रचना जान पड़ते हैं और उनमें ९ क्रियाओं के नाम देकर तैंतीस क्रियाओं की पूर्ति की गई है। और यहीं से प्रकृत विषय के विरोध अथवा छल का आरम्भ हुआ है। इन ९ क्रियाओं में, 'निर्वाण' क्रिया को छोड़कर, मृतक संस्कार, पिण्डदान, श्राद्ध, दोनों प्रकार के सूतक (जननाशौच, मृताशौच), प्रायश्चित्त, तीर्थयात्रा और धर्मदेशना नाम की ८ क्रियाएँ ऐसी हैं जो आदिपुराण में नहीं हैं। आदिपुराण में उक्त २४ क्रियाओं के बाद 'मौनाध्ययनत्व' आदि २९ क्रियाएँ और दी हैं और उनमें अंतिम क्रिया 'निर्वृति' अर्थात् निर्वाण बतलाई है। और इसी से ये क्रियाएँ 'गर्भाधानादि निर्वाणान्त' कहलाती हैं। भगवज्जिनसेन ने इन गर्भाधान से लेकर निर्वाण तक की ५३ क्रियाओं को 'सम्यक् क्रिया' बतलाया है और उनसे भिन्न इस संग्रह की दूसरी क्रियाओं को अथवा 'गर्भाधानादि श्मशानान्त' नाम से प्रसिद्ध होने वाली दूसरे लोगों[२३] की क्रियाओं को मिथ्या क्रिया ठहराया है। यथा–

क्रिया गर्भादिका यास्ता निर्वाणान्ता पुरोदिता।
आधानादि श्मशानान्ता न ताः सम्यक् क्रिया मताः॥२५॥ ३९ वाँ पर्व

और इसलिये भट्टारकजी की 'पिण्डदान' तथा 'श्राद्ध' आदि नाम की उक्त क्रियाओं को भगवज्जिनसेनाचार्य के केवल विरुद्ध ही न समझना चाहिए बल्कि 'मिथ्या क्रियाएँ' भी मानना चाहिए।

(ख) अपनी उद्दिष्ट क्रियाओं का कथन करते हुए, भट्टारकजी ने गर्भाधान के बाद प्रीति, सुप्रीति, और धृति नाम की क्रियाओं का कोई कथन नहीं किया, जिन्हें आदिपुराण में क्रमशः तीसरे, पाँचवें और सातवें महीने करने का विधान किया है, बल्कि एकदम 'मोद' क्रिया का वर्णन दिया है और उसे तीसरे महीने करना लिखा है। यथा–

गर्भे स्थिरेऽथ संजाते मासे तृतीयके ध्रुवम्।
प्रमोदेनैव संस्कार्यः क्रियामुख्यः प्रमोदकः॥५२॥

२३. हिन्दुओं की क्रियाएँ 'गर्भाधानादिश्मशानांत' नाम से प्रसिद्ध हैं, यह बात 'याज्ञवल्क्यस्मृति' के निम्न वाक्य से स्पष्ट है– ब्रह्मक्षत्रियविटशूद्रा वर्णास्त्वाद्यास्त्रयो द्विजाः। निषेकाद्याः श्मशानान्तास्तेषां वै मंत्रतः क्रियाः॥१०॥
भट्टारकजी ने अपनी ३३ क्रियाएँ जिस क्रम से यहाँ (उक्त पद्यों में) दी हैं, उसी क्रम से उनका आगे कथन नहीं किया, 'मृतक संस्कार नाम की क्रिया को उन्होंने सबके अंत में रखा है और इसलिये उनकी इन क्रियाओं को भी 'गर्भाधानादिश्मशानांत' कहना चाहिए। यह दूसरी बात है कि उन्हें अपनी क्रियाओं की सूची उसी क्रम से देनी नहीं आई, और इसलिये उनके कथन में क्रम-विरोध हो गया, जिसका कि एक दूसरा नमूना 'व्रतावतरणं' क्रिया के बाद 'विवाह' को न देकर 'प्रायश्चित्त' का देना है।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

परन्तु आदिपुराण में ''नवमे मास्यतोऽभ्यर्णे मोदो नाम क्रियाविधिः'' इस वाक्य के द्वारा 'मोद' क्रिया ९वें महीने करनी लिखी है। और इसलिये भट्टारकजी का कथन आदिपुराण के विरुद्ध है।

यहाँ पर इतना और भी बतला देना उचित मालूम होता है कि भट्टारकजी ने 'प्रीति' और 'सुप्रीति' नाम की क्रियाओं को 'प्रियोद्भव' क्रिया के साथ पुत्रजन्म के बाद करना लिखा है।[२४] और साथ ही, सज्जनों में उत्कृष्ट प्रीति करने को 'प्रीति', पुत्र में प्रीति करने को 'सुप्रीति' और देवों में महान् उत्साह फैलाने को 'प्रियोद्भव' क्रिया बतलाया है। यथा–

पुत्रजन्मनि संजाते प्रीतिसुप्रीतिके क्रिये।
प्रियोद्भवश्च सोत्साहः कर्तव्यो जातकर्मणि॥९१॥
सज्जनेषु परा प्रीतिः पुत्रे सुप्रीतिरुच्यते।
प्रियोद्भवश्च देवेषूत्साहस्तु क्रियते महान्॥९२॥

यह सब कथन भी भगवज्जिनसेनाचार्य के विरुद्ध है–क्रमविरोध को भी लिये हुए है और इसमें 'प्रीति' आदि तीनों क्रियाओं का जो स्वरूप दिया है वह बड़ा ही विलक्षण जान पड़ता है। आदिपुराण के साथ उसका कुछ भी मेल नहीं खाता, जैसा कि आदिपुराण के निम्न वाक्यों से प्रकट है–

गर्भाधानात्परं मासे तृतीये संप्रवर्तते।
प्रीतिर्नाम क्रिया प्रीतैर्याऽनुष्ठेया द्विजन्मभिः॥७७॥
आधानात्पंचमे मासि क्रिया सुप्रीतिरिष्यते।
या सुप्रीतैर्प्रयोक्तव्या परमोपासकव्रतैः॥८०॥
प्रियोद्भवः प्रसूतायां जातकर्मविधिः स्मृतः।
जिनजातकमाध्याय प्रवर्त्यो यो यथाविधि ॥८५॥ -३८वाँ पर्व

पिछले श्लोक से यह भी प्रकट है कि आदिपुराण में जातकर्मविधि को ही 'प्रियोद्भव' क्रिया बतलाया है। परन्तु भट्टारकजी ने 'प्रियोद्भव को 'जातकर्म' से भिन्न एक दूसरी क्रिया प्रतिपादन किया है। यही वजह है जो उन्होंने अध्याय के अंत में, प्रतिपादित क्रियाओं की गणना करते हुए, दोनों की गणना अलग-अलग क्रियाओं के रूप में की है और इसलिये आपका यह विधान भी जिनसेनाचार्य के विरुद्ध है।

एक बात और भी बतला देने की है और वह यह कि, भट्टारकजी ने 'जातकर्म विधि' में 'जननाशौच' को भी शामिल किया है और उसका कथन छह पद्यों में दिया है। परन्तु 'जननाशौच' को आपने अलग क्रिया भी बतलाया है, तब दोनों में अंतर क्या रहा, यह सोचने की बात है। परन्तु अंतर कुछ रहो या न रहो, इससे ग्रन्थ की बेतरतीबी और उसके बेढंगेपन का हाल कुछ जरूर मालूम हो जाता है।

२४. 'धृति' क्रिया के कथन को आप यहाँ भी छोड़ गये हैं और उसका वर्णन ग्रन्थ भर में कहीं भी नहीं किया। इसी तरह 'तीर्थयात्रा' आदि और भी कुछ क्रियाओं के कथन को आप बिल्कुल ही छोड़ गये अथवा भुला गये हैं।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

(ग) 'मोद' क्रिया के बाद, त्रिवर्णाचार में 'पुंसवनं' और 'सीमन्त' नाम की दो क्रियाओं का क्रमशः निर्देश किया गया है और उन्हें यथाक्रम गर्भ से पाँचवें तथा सातवें महीने करने का विधान किया है। यथा–

सद्गर्भस्याथ पुष्ट्यर्थं क्रियां पुंसवनाभिधाम्।
कुर्वन्तु पंचमे मासि पुमांसः क्षेमभिच्छवः॥६३॥
अथ सप्तमके मासे सीमन्तविधिरुच्यते।
केशमध्ये तु गर्भिण्याः सीमा सीमन्तमुच्यते॥७२॥

ये दोनों क्रियाएँ आदिपुराण में नहीं हैं और न भट्टारकजी की उक्त ३३ क्रियाओं की सूची में ही इनका कहीं नामोल्लेख है। फिर नहीं मालूम इन्हें यहाँ पर क्यों दिया गया है! क्या भट्टारकजी को अपनी प्रतिज्ञा, ग्रन्थ की तरतीब और उसके पूर्वापर सम्बन्ध आदि का कुछ भी ध्यान नहीं रहा, वैसे ही जहाँ जो जी में आया लिख मारा!! और क्या इसी को ग्रन्थरचना कहते हैं? वास्तव में ये दोनों क्रियाएँ हिन्दूधर्म की खास क्रियाएँ (संस्कार) है। हिन्दूओं के धर्मग्रन्थों में इनका विस्तार के साथ वर्णन पाया जाता है। गर्भिणी स्त्री के केशों में मांग पाड़ने को 'सीमन्त' क्रिया कहते हैं, जिसके द्वारा वे गर्भ का खास तौर से संस्कारित होना मानते हैं और 'पुंसवन' क्रिया का अभिप्राय उनके यहाँ यह माना जाता है कि इसके कारण गर्भिणी के गर्भ में लड़का पैदा होता है, जैसा कि मुहूर्तचिंतामणि की पीयूषधारा टीका के निम्न वाक्य से भी प्रकट है–

''पुमान् सूयतेऽनेन कर्मणेति व्युत्पत्या पुंसवनकर्मणा पुंस्त्वहेतुना।''

परंतु जैन सिद्धांत के अनुसार, इस प्रकार के संस्कार से, गर्भ में आई हुई लड़की का लड़का नहीं बन सकता। इसलिये जैनधर्म से इस संस्कार का कुछ सम्बन्ध नहीं है। भगवज्जिनसेन के वचनानुसार इन दोनों क्रियाओं को भी मिथ्या क्रियाएँ समझना चाहिए। मालूम होता है कुछ विद्वानों ने दूसरों की इन क्रियाओं को किसी तरह पर अपने ग्रन्थों में अपनाया है और भट्टारकजी ने उन्हीं में से किसी का यह अंधाऽनुकरण किया है। अन्यथा, आपकी तैंतीस क्रियाओं से इनका कोई सम्बन्ध नहीं था।

(घ) त्रिवर्णाचार में, निर्धन के लिये, गर्भाधान, प्रमोद, सीमंत और पुंसवन नाम की चार क्रियाओं को एक साथ ९वें महीने करने का भी विधान किया गया है। यथा–

गर्भाधानं प्रमोदश्च सीमन्तः पुंसवं तथा।
नवमे मासि चैकत्र कुर्यात्सर्वं तु निर्धनः॥८०॥

यह कथन भी भगवज्जिनसेनाचार्य के विरुद्ध है– आदिपुराण में गर्भाधान और प्रमोद नाम की क्रियाओं को एक साथ करने का विधान ही नहीं। यहाँ 'गर्भाधान' क्रिया का, जिसमें भट्टारकजी ने स्त्रीसंभोग का खासतौर से तफसीलवार विधान किया है, ९वें महीने किया जाना बड़ा ही विलक्षण जान पड़ता है और एक प्रकार का पाखण्ड मालूम होता है। उस समय भट्टारकजी के उस 'कामयज्ञ'

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

का रचाया जाना जिसका कुछ परिचय आगे चलकर दिया जायेगा, निःसंदेह एक बड़ा ही पाप कार्य है और किसी तरह भी युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता। स्वयं भट्टारकजी ने 'मासात्तु पंचमादूर्ध्व तस्याः संगं विवर्जयेत्' इस वाक्य से भी उसका विरोध आता है, जिसमें लिखा है कि 'पाँचवे महीने के बाद गर्भिणी स्त्री का संग छोड़ देना चाहिए– उससे भोग नहीं करना चाहिए'। और वैसे भी गर्भ रह जाने के आठ नौ महीने बाद 'गर्भाधान' क्रिया का किया जाना महज एक ढोंग रह जाता है, जो सत्पुरुषों द्वारा आदर किये जाने के योग्य नहीं। भट्टारकजी निर्धनों के लिए ऐसे ढोंग का विधान करते हैं, यह आपकी बड़ी ही विचित्र लीला अथवा परोपकार बुद्धि है! आपकी राय में शायद ये गर्भाधान आदि की क्रियाएँ विपुलधन-साध्य हैं और उन्हें धनवान लोग ही कर सकते हैं। परन्तु आदिपुराण से ऐसा कुछ भी मालूम नहीं होता। वहाँ अनेक क्रियाओं का विधान करते हुए 'यथाविभवं' 'यथा विभवमत्रापि' आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है और उससे मालूम होता है कि इन क्रियाओं को सब लोग अपनी-अपनी शक्ति और सम्पत्ति के अनुसार कर सकते हैं– धनवानों का ही उनके लिये कोई ठेका नहीं है।

(ङ) भट्टारकजी ने, निम्न पद्य द्वारा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों जातियों के लिये क्रमशः १२वें, १६वें, २०वें, और ३२वें दिन बालक का नाम रखने की व्यवस्था की है–

[२५]द्वादशे षोडशे विंशे द्वात्रिंशे दिवसेऽपि वा।
नामकर्म स्वजातीनां कर्त्तव्यं पूर्वमार्गतः॥१११॥

आपकी यह व्यवस्था भी भगवज्जिनसेन के विरुद्ध है। आदिपुराण में जन्मदिन से १२ दिन के बाद– १३वें, १४वें, आदि किसी भी अनुकूल दिवस में– नाम कर्म की सबके लिये समान व्यवस्था की गई है और उसमें जाति अथवा वर्णभेद को कोई स्थान नहीं दिया गया। यथा–

द्वादशाहात्परं नामकर्म जन्मदिनान्मतम्।
अनुकूले सुतस्यास्य पित्रोरपि सुखावहे॥३८-८७॥

(च) त्रिवर्णाचार में, 'नाम' क्रिया के अनन्तर, बालक के कान नाक बींधने और उसे पालने में बिठलाने के दो मंत्र दिये हैं और इस तरह पर 'कर्णवेधन' तथा 'आंदोलारोपण' नाम की दो नवीन क्रियाओं का विधान किया है, जिनका उक्त ३३ क्रियाओं में कहीं भी नामोल्लेख नहीं है। आदिपुराण में भी इन क्रियाओं का कोई कथन नहीं है। और इसलिये भट्टारकजी का यह विधान भी भगवज्जिनसेन के विरुद्ध है और उनकी इन क्रियाओं को भी 'मिथ्याक्रियाएँ' समझना चाहिए। ये क्रियाएँ भी हिन्दू

२५. सोनीजी ने इस पद्य के अनुवाद में कुछ गलती खाई है। इस पद्य में प्रयुक्त हुए 'स्वजातीनां' पद और 'अपि' तथा 'वा' शब्दों का अर्थ वे ठीक नहीं समझ सके। 'स्वजातीनां' पद यहाँ चारों जातियों अर्थात् वर्णों का वाचक है और 'अपि' समुच्चयार्थ में तथा 'वा' शब्द अवधारण अर्थ में प्रयुक्त हुआ है– विकल्प अर्थ में नहीं। हिन्दुओं के यहाँ भी, जिनका इस ग्रन्थ में प्रायः अनुसरण किया गया है, वर्णक्रम से ही नाम-कर्म का विधान किया गया है, जैसा कि 'सारसंग्रह' के निम्न वाक्य से प्रकट है जो मुहूर्तचिन्तामणि की 'पीयूषधारा' टीका में दिया हुआ है।

एकादशेऽन्हि विप्राणां क्षत्रियाणां त्रयोदशे। वैश्यानां षोडशे नाम मासान्ते शूद्रजन्मनः॥

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

धर्म की खास क्रियाएँ हैं और उनके यहाँ दो अलग संस्कार माने जाते हैं। मालूम नहीं भट्टारकजी इन दोनों क्रियाओं के सिर्फ मंत्र देकर ही क्यों रह गये और इनका पूरा विधान क्यों नहीं दिया! शायद इसका यह कारण हो कि जिस ग्रन्थ से आप संग्रह कर रहे हों उसमें क्रियाओं का मंत्र भाग अलग दिया हो और उस पर से नाम क्रिया के मंत्र की नकल करते हुए उसके अनन्तर दिये हुए इन दोनों मंत्रों की भी आप नकल कर गये हों और आपको इस बात का ख्याल ही न रहा हो कि हमने इन क्रियाओं का अपनी तैंतीस क्रियाओं में विधान अथवा नामकरण ही नहीं किया है। परन्तु कुछ भी हो, इससे आपके ग्रन्थ की अव्यवस्था और बेतरतीबी जरूर पाई जाती है।

यहाँ पर मैं इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि मेरे पास ब्रह्मसूरि-त्रिवर्णाचार की जो हस्तलिखित प्रति पं० सीताराम शास्त्री की लिखी हुई है उसमें आन्दोलारोपण का मंत्र तो नहीं- शायद छूट गया हो- परन्तु कर्णवेधन का मंत्र जरूर दिया हुआ है और वह नामकर्म के मंत्र के अनन्तर ही दिया हुआ है। लेकिन वह मंत्र इस त्रिवर्णाचार के मंत्र से कुछ भिन्न है, जैसा कि दोनों के निम्न रूपों से प्रकट है–

ॐ ह्रीं ह्रः कर्णनासावेधनं करोमि ॐ स्वाहा। -ब्रह्मसूरि त्रिवर्णाचार।

ॐ ह्रीं श्रीं अर्हं बालकस्य ह्रः कर्णनासावेधनं करोमि असिआउसा स्वाहा।

-सोमसेन त्रिवर्णाचार

इससे ब्रह्मसूरित्रिवर्णाचार के मंत्रों का आंशिक विरोध पाया जाता है और उसे यहाँ बदलकर रखा गया है, ऐसा जान पड़ता है। इसी तरह पर और भी कितने ही मंत्रों का ब्रह्मसूरि-त्रिवर्णाचार के साथ विरोध है और वह ऐसे मंत्रों के महत्त्व अथवा उनकी समीचीनता को और भी कम किये देता है।

(छ) भट्टारकजी ने 'अन्नप्राशन' के बाद और 'व्युष्टि' क्रिया से पहले 'गमन' नाम की भी एक क्रिया का विधान किया है, जिसके द्वारा बालक को पैर रखना सिखलाया जाता है। यथा–

अथास्य नवमे मासे गमनं कारयेत्पिता।
गमनोचितनक्षत्रे सुवारे शुभयोगके॥१४०॥

यह क्रिया भी आदिपुराण में नहीं है–आदिपुराण की दृष्टि से यह मिथ्या क्रिया है–और इसलिये इसका कथन भी भगवज्जिनसेन के विरुद्ध है। साथ ही, पूर्वापर-विरोध को भी लिये हुए है, क्योंकि भट्टारकजी की तैंतीस क्रियाओं में भी इसका नाम नहीं है। नहीं मालूम भट्टारकजी को बारबार अपने कथन के भी विरुद्ध कथन करने की यह क्या धुन समाई थी! जब आप यह बतला चुके कि गर्भाधानादिक क्रियाएँ तैंतीस है और उनके नाम भी दे चुके, तब उसके विरुद्ध बीच-बीच में दूसरी क्रियाओं का भी विधान करते जाना और इस तरह पर संख्या आदि के भी विरोध को उपस्थित करना चलचित्तता, असमीक्ष्यकारिता अथवा पागलपन नहीं तो और क्या है? इस तरह की प्रवृत्ति निःसंदेह आपकी ग्रन्थ रचना सम्बन्धी अयोग्यता को अच्छी तरह से ख्यापित करती है।

यहाँ पर मैं इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि 'लिपि संस्थान संग्रह' (अक्षराभ्यास)

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

नामक क्रिया के बाद भी एक क्रिया और बढ़ाई गई है और उसका नाम है 'पुस्तकग्रहण'। यह क्रिया भी आदिपुराण में नहीं है और न तैंतीस क्रियाओं की सूची में ही इसका नाम है। लिपिसंस्थान क्रिया का विधान करते हुए, ''मौजी बंधनतः पश्चाच्छास्त्रारंभो विधीयते'' इस वाक्य के द्वारा, यद्यपि, यह कहा गया था कि शास्त्राध्ययन का आरम्भ मौजीबंधन (उपनयन क्रिया) के पश्चात् होता है परन्तु यहाँ 'पुस्तकग्रहण' क्रिया को बढ़ाकर उसके द्वारा उपनयन संस्कार से पहले ही शास्त्र के पढ़ने का विधान कर दिया है और इस बात का कुछ भी ध्यान नहीं रखा कि पूर्व कथन के साथ इसका विरोध आता है। यथा–

उपाध्यायेन तं शिष्यं पुस्तकं दीयते मुदा।
शिष्योऽपि च पठेच्छास्त्रं नान्दीपठनपूर्वकम्॥१८१॥

(ज) भट्टारकजी ने 'लिपि-संस्थान-संग्रह' नामक क्रिया को देते हुए उसका मुहूर्त भी दिया है, जबकि दूसरी क्रियाओं में से गर्भाधान, उपनयन (यज्ञोपवीत) और विवाह संस्कार जैसी बड़ी क्रियाओं तक का आपने कोई मुहूर्त नहीं दिया। नहीं मालूम इस क्रिया के साथ में मुहूर्त देने की आपको क्या सूझी और आपका यह कैसा रचना-क्रम है जिसका कोई एक तरीका, नियम अथवा ढंग नहीं!! अस्तु, इस मुहूर्त के दो पद्य इस प्रकार हैं–

[२६]मृगादिपंचस्वपिते (भे) षु मूले, हस्तादिके च क्रियते (त्रितये)ऽश्विनीषु पु (पू) र्वात्रये च श्रवणत्रये च, विद्यासमारम्भमुशन्तिसिद्ध्यै॥१६५॥

उदग्गते भास्वति पंचमेऽब्दे, प्राप्तेऽक्षरस्वीकरणं शिशूनाम्।
सरस्वतीं क्षेत्रसुपालकं च, गुडौदनाद्यैरभिपूज्य कुर्यात्॥१६९॥

इनमें से पहला पद्य 'श्रीपति' का और दूसरा 'वशिष्ठ' ऋषि का वचन है। मुहूर्त चिन्तामणि की पीयूषधारा टीका में भी ये इन्हीं विद्वानों के नाम से उद्धृत पाये जाते हैं। दूसरे पद्य में 'विघ्नविनायकं' की जगह 'क्षेत्रसुपालकं' का परिवर्तन किया गया है और उसके द्वारा 'गणेशजी' के स्थान में 'क्षेत्रपाल' की गुड़ और चावल वगैरह से पूजा की व्यवस्था की गई है।

क्षेत्रपाल की यह पूजन-व्यवस्था आदिपुराण के विरुद्ध है। इसी तरह पर दूसरी क्रियाओं के वर्णन में जो यक्ष, यक्षी, दिक्पाल और जयादिदेवताओं के पूजन का विधान किया गया है, अथवा 'पूर्ववत्पूजयेत्' 'पूर्ववद् होमं पूजां च कृत्वा' आदि वाक्यों के द्वारा इसी प्रकार के दूसरे देवताओं की भी पूजा का- जिसका वर्णन चौथे-पाँचवें अध्यायों में है–जो इशारा किया गया है वह सब भी आदिपुराण के विरुद्ध है। आदिपुराण में भगवज्जिनसेन ने गर्भाधानादिक क्रियाओं के अवसर पर, इस प्रकार के देवी-देवताओं के पूजन की कोई व्यवस्था नहीं की। उन्होंने आमतौर पर सब क्रियाओं में

२६. इस पद्य में जो पाठभेद ब्रैकिटों में दिया गया है वही मूल का शुद्ध पाठ है, सोनीजी की अनुवाद पुस्तक में वह गलत रूप से दिया हुआ है। पद्य का अनुवाद भी कुछ गलत हुआ है। कम से कम 'चित्रा' के बाद 'स्वाती' का और 'पूर्वाषाढ' से पहले 'पूर्वाफाल्गुनी' नक्षत्र का नाम और दिया जाना चाहिए था।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

'सिद्धों' का पूजन रखा है, जो 'पीठिका' मंत्रों द्वारा किया जाता है।[२७] बहुत-सी क्रियाओं में अर्हन्तों का, देवगुरु का और किसी में आचार्यों आदि का पूजन भी बतलाया है, जिसका विशेष हाल आदिपुराण के ३८वें और ४०वें पर्वों को देखने से मालूम हो सकता है।

यहाँ पर मैं त्रिवर्णाचार की एक दूसरी विलक्षण पूजा का भी उल्लेख कर देना उचित समझता हूँ, और वह है 'योनिस्थ देवता' की पूजा। भट्टारकजी ने, गर्भाधान क्रिया का विधान करते हुए, इस अपूर्व अथवा अश्रुतपूर्व देवता की पूजा का जो मंत्र दिया है वह इस प्रकार है–

ॐ ह्रीं क्लीं ब्लूँ योनिस्थदेवते मम सत्पुत्रं जनयस्व असिआउसा स्वाहा।

इस मंत्र में यह प्रार्थना की गई है कि 'हे योनिस्थान में बैठे हुए देवता! मेरे सत्पुत्र पैदा करो।' भट्टारकजी लिखते हैं कि 'यह मंत्र पढ़कर गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी, कुश (दर्भ) और जल से योनि का अच्छी तरह से प्रक्षालन करे और फिर उसके ऊपर चंदन, केसर तथा कस्तूरी आदि का लेप कर देवे। यथा–''इति मंत्रेण गोमयगोमूत्रक्षीरदधिसर्पि:कुशोदकैर्योनिं सम्प्रक्षाल्य श्रीगंधकुंकुमकस्तूरिकाद्यनुलेपनं कुर्यात्।''

यही योनिस्थ देवता का सप्रक्षाल पूजन है। और इससे यह मालूम होता है कि भट्टारकजी ऐसा मानते थे कि स्त्री के योनिस्थान में किसी देवता का निवास है, जो प्रार्थना करने पर प्रार्थी से अपनी पूजा लेकर उसके लिये पुत्र पैदा कर देता है। परन्तु जैनधर्म की ऐसी शिक्षा नहीं है और न जैनमतानुसार ऐसे किसी देवता का अस्तित्त्व या व्यक्तित्व ही माना जाता है। ये सब वाममार्गियों अथवा शाक्तिकों जैसी बातें हैं। भट्टारकजी ने सम्भवतः उन्हीं का अनुकरण किया है, उन्हीं जैसी शिक्षा को समाज में प्रचारित करना चाहा है, और इसलिये 'गर्भाधान' क्रिया में आपका यह पूजन-विधान महज प्रतिज्ञा-विरोध को ही लिये हुए नहीं है बल्कि जैनधर्म और जैननीति के भी विरुद्ध है, और आपके इस क्रिया मंत्र को अधर्म्य मंत्र समझना चाहिए।

(झ) इस आठवें अध्याय में, और आगे भी, आदिपुराण-वर्णित क्रियाओं के जो भी मंत्र दिये हैं वे प्रायः सभी आदिपुराण के विरुद्ध हैं। आदिपुराण में गर्भाधानादिक क्रियाओं में मंत्रों को दो भागों में विभाजित किया है- एक 'सामान्यविषय मंत्र' और दूसरे 'विशेषविषय मंत्र'। 'सामान्यविषय मंत्र' वे हैं जो सब क्रियाओं के लिये सामान्य रूप से निर्दिष्ट हुए हैं और 'विशेषविषय' उन्हें कहते हैं जो खास-खास क्रियाओं में अतिरिक्त रूप से नियुक्त हुए हैं। सामान्यविषय मंत्र १. पीठिका, २. जाति, ३. निस्तारक, ४. ऋषि, ५. सुरेन्द्र, ६. परमराज और ७. परमेष्ठि मंत्र– भेद से सात प्रकार के हैं। इन सबों को एक नाम से 'पीठिका-मंत्र' कहते हैं, क्रिया-मंत्र, साधन-मंत्र तथा आहुति-मंत्र भी इनका नाम है और ये 'उत्सर्गिक-मंत्र' भी कहलाते हैं, जैसा कि आदिपुराण के निम्न वाक्यों से प्रकट है।

एते तु पीठिका मंत्राः सप्त ज्ञेया द्विजोत्तमैः।
एतैः सिद्धार्चनं कुर्यादाधानादिक्रियाविधौ॥७७॥

२७. यथा– एतैः (पीठिकामंत्रैः) सिद्धार्चनं कुर्यादाधानादि क्रियाविधौ।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

क्रियामंत्रास्त एतेस्युराधनादिक्रियाविधौ।
सूत्रे गणधरोद्धार्ये यान्ति साधनमंत्रताम्॥७८॥
संध्यास्वग्निनत्रये देवपूजने नित्यकर्मणि।
भवन्त्याहु तिमंत्राश्च त एते विधिसाधिताः॥७९॥
साधारणास्त्विमे मंत्राः सर्वत्रैव क्रियाविधौ।
यथासंभवमुन्नेष्ये विशेषविषयांश्च तान्॥९१॥
क्रियामंत्रास्त्विह ज्ञेया ये पूर्वमनुवर्णिताः।
सामान्यविषयाः सप्त पीठिकामंत्ररूढयः॥२१५॥
ते हि साधारणाः सर्वक्रियासु विनियोगिनः।
तत उत्सर्गिकानेतान्मंत्रान्मंत्रविदो विदुः॥२१६॥
विशेषविषया मंत्राः क्रियासूक्तासु दार्शिताः।
इतः प्रभृति चाभ्यूह्यास्ते यथाम्नायमग्रजैः॥२१७॥
मंत्रानिमान्यथा योग्यं यः क्रियासु विनियोजयेत्।
स लोके सम्मतिं याति युक्ताचारो द्विजोत्तमः॥२१८॥ -४०वाँ पर्व।

इन वाक्यों से आदिपुराण-वर्णित मंत्रों का खास तौर से महत्त्व पाया जाता है और यह मालूम होता है कि वे जैन आम्नायानुसार ख़सूसियत के साथ इन क्रियाओं के मंत्र हैं। गणधर-रचित सूत्र (उपासकाध्ययन) अथवा परमागम में उन्हें 'साधनमंत्र' कहा है– क्रियाएँ उनके द्वारा सिद्ध होती हैं ऐसा प्रतिपादन किया है– और इसलिये सब क्रियाओं में उनका यथायोग्य विनियोग होना चाहिए। एक दूसरी जगह भी इस विनियोग की प्रेरणा करते हुए लिखा है कि 'जैनमत' में इन मंत्रों का सब क्रियाओं में विनियोग माना गया है, अतः श्रावकों को चाहिए कि वे व्यामोह अथवा भ्रम छोड़कर निःसंदेह रूप से इन मंत्रों का सर्वत्र प्रयोग करें। यथा–

विनियोगस्तु सर्वासु क्रियास्वेषां मतो जिनैः।
अव्यामोहादतस्तज्ज्ञैः प्रयोज्यास्त उपासकैः॥३८-७५॥

परन्तु यह सब कुछ होते हुए भी, भट्टारकजी ने इन दोनों प्रकार के सनातन और यथाम्नाय[२८] मंत्रों में से किसी भी प्रकार के मंत्र का यहाँ[२९] प्रयोग नहीं किया, बल्कि दूसरे ही मंत्रों का व्यवहार किया है जो आदिपुराण से बिल्कुल ही विलक्षण अथवा भिन्न टाइप के मंत्र हैं।[३०] इससे अधिक भगवज्जिनसेन का और उनके वचनानुसार जैनागम का भी विरोध और क्या हो सकता है? मैं तो इसे

२८. आदिपुराण में 'तन्मंत्रास्तु यथाम्नायं' आदि पद्य के द्वारा इन मंत्रों को जैन आम्नाय के मंत्र बतलाया है।

२९. पाँचवें अध्याय में, नित्यपूजन के मंत्रों का विधान करते हुए सिर्फ एक प्रकार के पीठिका मंत्र दिये हैं परन्तु उन्हें भी उनके असली रूप में नहीं दिया, बदलकर रखा है, सब मंत्रों के शुरू में ॐ जोड़ा गया है और कितने ही मंत्रों में 'नमः' आदि शब्दों के द्वित्व प्रयोग की जगह एकत्व का प्रयोग किया गया है। इसी तरह और भी कुछ न्यूनाधिकता की गई है। आदिपुराण के मंत्र जँचे तुले श्लोकों में बद्ध हैं।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

भगवज्जिनसेन की खासी अवहेलना और साथ ही जनसाधारण की अच्छी प्रतारणा (वंचना) समझता हूँ। अस्तु, भगवज्जिनसेन ने 'मंत्रास्त एव धर्म्याः स्युर्ये क्रियासु विनियोजिताः' इस ३९वें पर्व के वाक्य द्वारा उन्हीं मंत्रों को 'धर्म्यमंत्र' प्रतिपादन किया है जो उक्त प्रकार से क्रियाओं में नियोजित हुए हैं, और इसलिये भट्टारक जी के मंत्रों को 'अधर्म्य मंत्र' अथवा 'झूठे मंत्र' कहना चाहिए। जब उनके द्वारा प्रयुक्त हुए मंत्र वास्तव में उन क्रियाओं के मंत्र ही नहीं, तब उन क्रियाओं से लाभ भी क्या हो सकता है? बल्कि झूठे मंत्रों का प्रयोग साथ में होने की वजह से कुछ बिगाड़ हो जाये तो आश्चर्य नहीं।

यहाँ पर मैं इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि त्रिवर्णाचार में जो क्रिया-मंत्र दिये हैं वे आदिपुराण से पहले के बने हुए किसी भी ग्रन्थ में नहीं पाये जाते, और आदिपुराण से यह स्पष्ट मालूम हो रहा है कि उसमें जो क्रिया-मंत्र दिये हैं वे ही इन क्रियाओं के असली, आगमकथित, सनातन और जैनाम्नायी मंत्र हैं। ऐसी हालत में त्रिवर्णाचार वाले मंत्रों की बाबत यही नतीजा निकलता है कि वे आदिपुराण से बहुत पीछे के बने हुए हैं। उनकी अथवा उन जैसे मंत्रों की कल्पना भट्टारकी युग में- संभवतः १२वीं से १५वीं शताब्दी तक के मध्यवर्ती किसी समय में हुई है, ऐसा जान पड़ता है।

(ञ) अध्याय के अंत में, 'पुस्तकग्रहण' क्रिया के बाद, भट्टारकजी ने एक पद्य निम्न प्रकार से दिया है-

[३१]गर्भाधानसुमोदपुंसवनकाः सीमन्तजन्माभिधा
बाह्येसुयानभोजने च गमनं चौलाक्षराभ्यासनम्।
सुप्रीतिः प्रियसूद्भवो गुरुमुखाच्छास्त्रस्यसंग्राहणं
एताः पंचदश क्रियाः समुदिता अस्मिन् जिनेन्द्रागमे॥१८२॥

इसमें अध्याय-वर्णित क्रियाओं की उनके नाम के साथ गणना करते हुए, कहा गया है कि 'ये पंद्रह क्रियाएँ इस जिनेन्द्रागम में भले प्रकार से कथन की गई हैं' परन्तु क्रियाओं के जो नाम यहाँ दिये हैं वे चौदह हैं-१. गर्भाधान, २. मोद, ३. पुंसवन, ४. सीमन्त, ५. जन्म, ६. अभिधा (नाम), ७. बहिर्यान ८. भोजन, ९. गमन, १०. चौल, ११. अक्षराभ्यास, १२. सुप्रीति, १३. प्रियोद्भव तथा १४. शास्त्रग्रहण और अध्याय में जिन क्रियाओं का वर्णन किया गया है उनकी संख्या उन्नीस है। प्रीति,

३०. उदाहरण के तौर पर 'निषद्या' क्रिया के मंत्र को लीजिये। आदिपुराण में 'सत्यजाताय नमः' आदि पीठिका मंत्रों के अतिरिक्त इस क्रिया का जो विशेष मंत्र दिया वह है-''दिव्यसिंहासनभागी भव, विजयसिंहासनभागी भव, परमसिंहासनभागी भव''। और त्रिवर्णाचार में जो मंत्र दिया है वह है-''ॐ ह्रीं अर्हं अ सि आ उ सा बालकमुपवेशयामि स्वाहा''। दोनों में कितना अंतर है इसे पाठक स्वयं समझ सकते हैं। एक उत्तम आशीर्वादात्मक अथवा भावनात्मक है तो दूसरा महज सूचनात्मक है कि मैं बालक को बिठलाता हूँ। प्रायः ऐसी ही हालत दूसरे मंत्रों की समझनी चाहिए।

३१. इस पद्य के अनुवाद में सोनीजी ने जो व्यर्थ की खींचातानी की है वह सहृदय विद्वानों को अनुवाद के देखते ही मालूम पड़ जाती है। उस पर यहाँ कुछ टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

निषद्या (उपवेशन), व्युष्टि, कर्णवेधन और आन्दोलारोपण नाम की क्रियाओं का यहाँ तो वर्णन है, परन्तु यहाँ गणना के अवसर पर उन्हें बिल्कुल ही भुला दिया है। इससे आपका महज वचन विरोध ही नहीं पाया जाता, बल्कि यह भी आपकी ग्रन्थ रचना की विलक्षणता का एक अच्छा नमूना है और इस बात को जाहिर करता है कि आपको अच्छी तरह से ग्रन्थ रचना करना नहीं आता था। इतने पर भी खेद है कि, आप अपने इस ग्रन्थ को 'जिनेन्द्रागम' बतलाते हैं! जो ग्रन्थ प्रतिज्ञाविरोध, आगमविरोध, आम्नायविरोध, ऋषि-वाक्यविरोध, सिद्धान्तविरोध, पूर्वापरविरोध, युक्तिविरोध और क्रमविरोध आदि दोषों को लिये हुए है, साथ ही चोरी के कलंक से कलंकित है, उसे 'जिनेन्द्रागम' बतलाते हुए आपको जरा भी लज्जा तथा शर्म नहीं आई![३२] इससे अधिक धृष्टता और धूर्तता और क्या हो सकती है? यदि ऐसे हीन ग्रन्थ भी 'जिनेन्द्रागम' कहलाने लगें तब तो जिनेन्द्रागम की अच्छी खासी मिट्टी पलीद हो जाये और उसका कुछ भी महत्त्व न रहे। इसीलिए ऐसे छद्मवेषधारी ग्रन्थों के नग्न रूप को दिखलाकर उनसे सावधान करने का यह प्रयत्न किया जा रहा है।

(ट) त्रिवर्णाचार के ९वें अध्याय में, 'यज्ञोपवीतसत्कर्म वक्ष्ये नत्वा गुरुक्रमात्' इस वाक्य के द्वारा गुरु परम्परा के अनुसार यज्ञोपवीत (उपनीति) क्रिया के कथन की विशेष प्रतिज्ञा करते हुए, निम्न पद्य दिये हैं-

गर्भाष्टमेऽब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम्।
गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भात्तु द्वादशे विशः॥३॥
ब्रह्मवर्चसकामस्य कार्यं विप्रस्य पंचमे।
राज्ञो बलार्थिनः षष्ठे वैश्यस्येहार्थिनोऽष्टमे॥४॥
[३३]आषोडशाच्च (दा) द्वाविंशच्चतुर्विंशात्तु (च्च) वत्सरात्।
ब्रह्मक्षत्रविशां कालो ह्युपनयनजः (ल औपनायनिकः) परः॥५॥
अत ऊर्ध्वं पतन्त्येते सर्वधर्मबहिष्कृताः।
प्रतिष्ठादिषु कार्येषु न योज्या ब्राह्मणोत्तमैः॥६॥

इन पद्यों में से पहले पद्य में उपनयन के साधारण काल का, दूसरे में विशेष काल का, तीसरे में काल की उत्कृष्ट मर्यादा का और चौथे में उत्कृष्ट मर्यादा के भीतर भी यज्ञोपवीत संस्कार न होने के फल का उल्लेख किया गया है और इस तरह पर चारों पद्यों में यह बतलाया गया है कि- 'गर्भ से आठवें वर्ष ब्राह्मण का, ग्यारहवें वर्ष क्षत्रिय का और बारहवें वर्ष वैश्य का यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। परंतु जो ब्राह्मण (विद्याध्ययनादि द्वारा) ब्रह्मतेज का इच्छुक हो उसका गर्भ से पाँचवें वर्ष,

३२. हाँ, सोनीजी को अनुवाद के समय कुछ झिझक जरूर पैदा हुई है और इसलिये उन्होंने 'जिनेन्द्रागम' को 'अध्याय' में बदल दिया है।

३३. इस पद्य में ब्रैकिटों के भीतर जो पाठभेद दिया है वह पद्य का मूल पाठ है जो अनेक ग्रन्थों में उल्लेखित मिलता है और जिसे संभवतः यहाँ बदल कर रखा है।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

राज्यबल के अर्थी क्षत्रिय का छठे वर्ष और व्यापारादि द्वारा अपना उत्कर्ष चाहने वाले वैश्य का आठवें वर्ष उक्त संस्कार किया जाना चाहिए। इस संस्कार की उत्कृष्ट मर्यादा ब्राह्मण के लिये १६ वर्ष तक, क्षत्रिय के लिये २२ वर्ष तक और वैश्य के लिये २४ वर्ष तक की है। इस मर्यादा तक भी जिन लोगों का उपनयन संस्कार न हो पावे, वे अपनी अपनी मर्यादा के बाद पतित हो जाते हैं, किसी भी धर्म कर्म के अधिकारी नहीं रहते, उन्हें सर्व धर्मकार्यों से बहिष्कृत समझना चाहिए और इसलिए ब्राह्मणों को चाहिए कि वे प्रतिष्ठादि धर्मकार्यों में उनकी योजना न करें'।

यह सब कथन भी भगवज्जिनसेन के विरुद्ध है। आदिपुराण में वर्णभेद से उपनयन काल में कोई भेद ही नहीं किया, सबके लिये गर्भ से आठवें वर्ष का एक ही उपनयन का साधारण काल रखा गया है। यथा–

क्रियोपनीतिर्नामाऽस्य वर्षे गर्भाष्टमे मता।
यत्रापनीतकेशस्य मौञ्जी सव्रतबन्धना॥३८-१०४॥

और यह बात जैन नीति के भी विरुद्ध है कि जिन लोगों का उक्त मर्यादा के भीतर उपनयन संस्कार न हुआ हो उन्हें सर्व धर्म-कृत्यों से बहिष्कृत और वंचित किया जाये अथवा धर्मसेवन के उनके सभी अधिकारों को छीन लिया जाये। जैनधर्म का ऐसा न्याय नहीं है और न उसमें उपनयन संस्कार को इतना महत्त्व ही दिया गया है कि उसके बिना किसी भी धर्म-कर्म के करने का कोई अधिकारी ही न रहे। उसमें धर्मसेवन के अनेक मार्ग बतलाये गये हैं, जिनमें उपनयन संस्कार भी एक मार्ग है अथवा एक मार्ग में दाखिल है। जैनी बिना यज्ञोपवीत संस्कार के भी पूजन, दान, स्वाध्याय, तप और संयम जैसे धर्म-कृत्यों का आचरण कर सकते हैं, करते हैं और करते आए हैं, श्रावक के बारह व्रतों का भी वे खण्डशः अथवा पूर्णरूप से पालन कर सकते हैं। और अंत में सल्लेखना व्रत का भी अनुष्ठान कर सकते हैं। प्रतिष्ठाकार्यों में भी बड़े-बड़े प्रतिष्ठाचार्यों द्वारा ऐसे लोगों की नियुक्ति देखी जाती है जिनका उक्त मर्यादा के भीतर यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ होता। यदि उक्त मर्यादा से ऊपर का कोई भी अजैन जैनधर्म की शरण में आए तो जैनधर्म उसका यह कहकर कभी त्याग नहीं कर सकता कि ''मर्यादा के भीतर तुम्हारा यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ इसलिये अब तुम इस धर्म को धारण तथा पालन करने के अधिकारी नहीं रहे''। ऐसा कहना और करना उसकी नीति तथा सिद्धान्त के विरुद्ध है। वह खुशी से उसे अपनाएगा, अपनी दीक्षा देगा और जरूरत समझेगा तो उसके लिये यज्ञोपवीत का भी विधान करेगा। इसी तरह पर एक जैनी, 'जो उक्त मर्यादा तक अव्रती अथवा धर्म-कर्म से पराङ्मुख रहा हो, अपनी भूल को मालूम करके श्रावकादि के व्रत लेना चाहे तो जैनधर्म उसके लिये भी यथायोग्य व्यवस्था करेगा। उसका मर्यादा के भीतर यज्ञोपवीत संस्कार से संस्कारित न होना, उसमें कुछ भी बाधक न होगा। और इन सब बातों को पुष्ट करने के लिये जैन शास्त्रों के सैकड़ों कथन, उपकथन और उदाहरण उद्धृत किये जा सकते हैं, जिनकी यहाँ पर कोई जरूरत मालूम नहीं होती। अतः भट्टारकजी का उक्त लिखना जैनधर्म की नीति और प्रकृति के विरुद्ध है। वह हिन्दूधर्म

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

की शिक्षा को लिये हुए है। भट्टारकजी के उक्त पद्य भी हिन्दू धर्म की चीज हैं– पहले दोनों पद्य 'मनु' के वचन हैं और वे 'मनुस्मृति' के दूसरे अध्याय में क्रमशः नं० ३६, ३७ पर ज्यों के त्यों दर्ज हैं, तीसरा पद्य और चौथे पद्य का पूर्वार्द्ध दोनों 'याज्ञवल्क्य' ऋषि के वचन हैं और 'याज्ञवल्क्यस्मृति' के पहले अध्याय में क्रमशः नं० ३७ तथा ३८ पर दर्ज हैं। रहा चौथे पद्य का उत्तरार्द्ध, वह भट्टारकजी की प्रायः अपनी रचना जान पड़ता है और याज्ञवल्क्यस्मृति के 'सावित्रीपतिता व्रात्या व्रात्यस्तोमादृते क्रतोः' इस उत्तरार्द्ध के स्थान में बनाया गया है।

यहाँ पर पाठकों की समझ में यह बात सहज ही आ जायेगी कि जब भट्टारकजी ने गुरुपरम्परा के अनुसार कथन करने की प्रतिज्ञा की तब उसके अनन्तर ही आपका 'मनु' और 'याज्ञवल्क्य' के वाक्यों को उद्धृत करना इस बात को साफ सूचित करता है कि आपकी गुरु परम्परा में मनु और याज्ञवल्क्य जैसे हिन्दू ऋषियों का खास स्थान था। आप बाहर अपने भट्टारकी वेष में भले ही, जैनी तथा जैन-गुरु बने हुए, अजैन गुरुओं की निन्दा करते हों और उनकी कृतियों तथा विधियों को अच्छा न बतलाते हों परन्तु आपका अन्तरंग उनके प्रति झुका हुआ जरूर था, इसमें संदेह नहीं, और यह आपका मानसिक दौर्बल्य था जो आपको उन अजैन गुरुओं या हिन्दू ऋषियों के वाक्यों अथवा विधि-विधानों का प्रकट रूप से अभिनन्दन करने का साहस नहीं होता था और इसीलिये आपको छल करना पड़ा। आपने जैनी होने के कारण, 'गुरुक्रमात्' पद के प्रयोग द्वारा अपने पाठकों को यह विश्वास दिलाया कि आप जैन गुरुओं की (जिनसेनादि की) कथन परम्परा के अनुसार यज्ञोपवीत क्रिया का कथन करते हैं परंतु कथन किया आपने 'मनु' और 'याज्ञवल्क्य' जैसे हिन्दू ऋषियों की परम्परा के अनुसार, उनके वचनों तक को उद्धृत करके। यही आपका छल है, यही धोखा है और इसे आपकी ठगविद्या का एक खासा नमूना समझना चाहिए।

इस क्रिया के वर्णन में नान्दीश्राद्ध और पिप्पलपूजनादिक की और भी कितनी ही विरुद्ध बातें ऐसी हैं जो हिन्दू धर्म से ली गई हैं और जिनमें से कुछ का विचार आगे किया जायेगा।

(ठ) 'व्रतचर्या' क्रिया का कथन यद्यपि, भट्टारकजी ने आदि पुराण के पद्यों में ही दिया है परन्तु इस कथन के 'यावद्विद्यासमाप्तिः' (७७) तथा 'सूत्रमौपासिकं' (७८) नाम के दो पद्यों को आपने 'व्रतावतरण' क्रिया का कथन करते हुए उसके मध्य में दे दिया है, जहाँ वे असंगत जान पड़ते हैं। और इन पद्यों के अनन्तर के निम्न दो पद्यों को बिल्कुल ही छोड़ दिया है–उसका आशय भी नहीं दिया–

शब्दविद्याऽर्थशास्त्रादि चाध्येयं नाऽस्य दूष्यते।
सुसंस्कारप्रबोधाय वैयात्यख्यातयेऽपि च॥३८-११९॥
ज्योतिर्ज्ञानमथ छन्दो ज्ञानं ज्ञानं च शाकुनम्।
संख्याज्ञानमितीदं च तेनाध्येयं विशेषतः॥१२०॥

इन पद्यों को छोड़ देने अथवा इनका आशय भी न देने से प्रकृत क्रिया के अभ्यासी के लिये उपासकसूत्र और अध्यात्मशास्त्र के पढ़ने का ही विधान रह जाता है। परंतु इन पद्यों द्वारा उसके लिये

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

व्याकरण शास्त्र, अर्थशास्त्रादिक, ज्योतिःशास्त्र, छन्दःशास्त्र, शकुनशास्त्र और गणित-शास्त्र के अध्ययन का भी सविशेष रूप से विधान पाया जाता है,[३४] जिसे भट्टारकजी ने शायद अनुपयोगी समझा हो। इसी तरह पर 'व्रतावतरण' क्रिया के कथन में, 'व्रतावतरणं चेदं' से पहले के निम्न दो पद्यों को भी आपने छोड़ दिया है, जिसमें से दूसरा पद्य जो 'सार्वकालिक व्रत' का उल्लेख करने वाला है, खासतौर से जरूरी था–

ततोऽस्याधीतविद्यस्य व्रतवृत्त्यवतारणम्।
विशेषविषयं तच्च स्थितस्यौत्सर्गिके व्रते॥१२२॥
मधुमांसपरित्यागः पंचोदुम्बरवर्जनम्।
हिंसादिविरतिश्चास्य व्रतं स्यात्सार्वकालिकम्॥१२३॥

इन पद्यों के न होने से 'व्रतावतरणं चेदं' नाम का पद्य असम्बद्ध जान पड़ता है–'यावद्विद्या समाप्तिः' आदि पूर्व पद्यों के साथ उसका कोई सम्बन्ध ही ठीक नहीं बैठता। और 'वस्त्राभरण' नाम का उत्तर पद्य भी, आदिपुराण के पद्य नं० १२५ और १२६ के उत्तरार्द्ध तथा पूर्वार्द्ध को मिलाकर बनाए जाने से कुछ बेढंगा हो गया है, जिसका उल्लेख ग्रन्थ के संग्रहत्व का दिग्दर्शन कराते हुए किया जा चुका है। इसके सिवाय, भट्टारकजी ने व्रतावतरण क्रिया का निम्न पद्य भी नहीं दिया और न उसके आशय का ही अपने शब्दों में उल्लेख किया है, जिसके अनुसार 'कामब्रह्मव्रत' का अवतार (त्याग) उस वक्त तक नहीं होता, वह बना रहता है, जब तक कि विवाह नाम की उत्तर क्रिया नहीं हो लेती–

भोगब्रह्मव्रतादेवमवतीर्णो भवेत्तदा।
कामब्रह्मव्रतं चास्य तावद्यावत्क्रियोत्तरा॥१२७॥

यही सब इस ग्रन्थ की दोनों (व्रतचर्या और व्रतावतरण) क्रियाओं का आदिपुराण के साथ विरोध है। मालूम नहीं जब इन क्रियाओं को प्रायः आदिपुराण के शब्दों में ही रखना था तो फिर यह व्यर्थ की गड़बड़ी क्यों की गई और क्यों दोनों क्रियाओं के कथन में यह असामंजस्य उत्पन्न किया गया!! भट्टारकी लीला के सिवाय इसे और क्या कहा जा सकता है? भट्टारकजी ने तो अध्याय के अंत में जाकर इन क्रियाओं के अस्तित्त्व तक को भुला दिया है और 'इत्थं मौंजीबंधनं पालनीयं' आदि पद्य के द्वारा इन क्रियाओं के कथन को भी मौंजीबंधन का, यज्ञोपवीत क्रिया का ही कथन बतला दिया है!! इसके सिवाय, एक बात और भी जान लेने की है और वह यह कि श्रावकाचार अथवा श्रावकीय व्रतों का जो उपदेश 'व्रतचर्या' क्रिया के अवसर पर होना चाहिए था[३५] उसे भट्टारकजी ने 'व्रतावतरण' क्रिया के भी बाद, दसवें अध्याय में दिया है और व्रतचर्या के कथन में वैसा करने की कोई सूचना

३४. पं० पन्नालाल जी सोनी ने भी इस विधान का अपने अनुवाद में उल्लेख किया है परन्तु आपसे यह सख्त गलती हुई जो आपने 'यावद्विद्या समाप्तिः' आदि चारों ही पद्यों को व्रतावतरण क्रिया के पद्य बतला दिया है। आपके ''इसी (व्रतावतरण) क्रिया में यह और भी बतलाया है'' शब्द बहुत खटकते हैं।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

तक भी नहीं दी। ये सब बातें आपके रचना विरोध और उसके बेढंगेपन को सूचित करती हैं। आपको कम से कम 'व्रतावतरण' क्रिया को दसवें अध्याय के अंत में, अथवा ग्यारहवें के शुरू में विवाह से पहले देना चाहिए था। इस प्रकार का रचना सम्बन्धी विरोध अथवा बेढंगापन और भी बहुत से स्थानों पर पाया जाता है, और वह सब मिलकर भट्टारकजी की ग्रन्थरचना-सम्बन्धी योग्यता को चौपट किये देता है।

(ड़) त्रिवर्णाचार के ग्यारहवें अध्याय में, तैंतीस क्रियाओं में से सिर्फ 'विवाह' नाम की क्रिया का वर्णन है और उसका प्रारम्भ करते हुए एक पद्य निम्न प्रकार से दिया है–

जिनसेनमुनिं नत्वा वैवाहविधिमुत्सवम्।
वक्ष्ये पुराणमार्गेण लौकिकाचारसिद्धये॥२॥

इस पद्य में जिनसेन मुनि को नमस्कार करके पुराण के अनुसार विवाह विधि के कथन करने की प्रतिज्ञा की गई है और इस तरह पर पूर्वप्रतिज्ञाओं की मौजूदगी में आवश्यकता न होते हुए भी इस प्रतिज्ञा द्वारा सविशेष रूप से यह घोषणा की गई है अथवा विश्वास दिलाया गया है कि इस क्रिया का सब कथन भगवज्जिनसेन के आदिपुराणानुसार किया जाता है। परन्तु अध्याय के जब पत्र पलटते हैं तो नक्शा बिल्कुल ही बदला हुआ नजर आता है और यह मालूम होने लगता है कि अध्याय में वर्णित अधिकांश बातों का आदिपुराण के साथ प्रायः कोई सम्बन्ध विशेष नहीं है। बहुत सी बातें हिन्दूधर्म के आचार-विचार को लिये हुए हैं हिन्दुओं की रीतियाँ, विधियाँ अथवा क्रियाएँ हैं और कितनी ही लोक में इधर-उधर प्रचलित अनावश्यक रूढ़ियाँ हैं, जिन सबका एक बेढंगा संग्रह यहाँ पर किया गया है। इस संग्रह से भट्टारकजी का अभिप्राय उक्त प्रकार की सभी बातों को जैनियों के लिये शास्त्रसम्मत करार देने अथवा उन्हें जैनों की शास्त्राज्ञा प्राप्त करा देने का जान पड़ता है, और यह बात आपके 'लौकिकाचारसिद्धये' पद से भी ध्वनित होती है। आप 'लौकिकाचार' के बड़े ही अंधभक्त थे ऐसा जान पड़ता है, बूढ़ी स्त्रियाँ जो कुछ बतलाएँ उन सब क्रियाओं तक को बिना चूँ चरा करने की आपने परवानगी दी है और एक दूसरी जगह तो, जिसका विचार आगे किया जायेगा, आप यहाँ तक लिख गये हैं कि 'एवं कृते न मिथ्यात्वं लौकिकाचारवर्तनात्' अर्थात्, ऐसा करने से मिथ्यात्व का दोष नहीं लगता, क्योंकि यह तो लोकाचार का वर्तना है। आपकी इस अद्‌भुत तर्कणा और अंधभक्ति का ही यह परिणाम है जो आप बिना विवेक के कितने ही विरुद्ध आचरणों तथा मिथ्या क्रियाओं को अपने ग्रन्थ में स्थान दे गये हैं, और इसी तरह पर कितनी ही देश, काल, इच्छा तथा शक्ति आदि पर निर्भर रहने वाली वैकल्पिक या स्थानिकादि बातों को सबके लिये अवश्यकरणीयता का रूप प्रदान कर गये हैं। परन्तु इन बातों को छोड़िये, यहाँ पर मैं सिर्फ इतना ही बतलाना चाहता हूँ कि

३५. व्रतचर्या के अवसर पर उपासकाध्ययन के उपदेशों का संक्षेप में संग्रह होता है, यह बात आदिपुराण के निम्न वाक्य से भी प्रकट है–

अथातोऽस्य प्रवक्ष्यामि व्रतचर्यामनुक्रमात्। स्याद्यत्रोपासकाध्यायः समासेनानुसंहृतः॥४०-१६५॥

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

आदिपुराण में विवाह-क्रिया का कथन, यद्यपि सूत्ररूप से बहुत ही संक्षेप में दिया है परन्तु जो कुछ दिया है वह सार कथन है और त्रिवर्णाचार का कथन उससे बहुत कुछ विरोध को लिये हुए है। नीचे इस विरोध का ही कुछ दिग्दर्शन कराया जाता है, जिसमें प्रसंगवश दो चार दूसरी बातें भी पाठकों के सामने आ जायेंगी–

१. भट्टारकजी, सामुद्रकशास्त्रादि के अनुसार विवाहयोग्य कन्या का वर्णन[३६] करते हुए, लिखते हैं–

इत्थं लक्षणसंयुक्तां षडष्टराशिवर्जिताम्।
वर्णविरुद्धसंत्यक्तां सुभगां कन्यकां वरेत्॥३५॥

इस पद्य में, अन्य बातों को छोड़कर, एक बात यह कही गई है कि जो कन्या विवाही जाये वह वर्ण-विरोध से रहित होनी चाहिए–अर्थात्, असवर्णा न हो किन्तु सवर्णा हो। परन्तु यह नियम आदिपुराण के विरुद्ध है। आदिपुराण में त्रैवर्णिक के लिये सवर्णा और असवर्णा दोनों ही प्रकार की कन्याएँ विवाह के योग्य बतलाई हैं। उसमें साफ लिखा है कि वैश्य अपने वर्ण की और शूद्र वर्ण की कन्या से, क्षत्रिय अपने वर्ण की और वैश्य तथा शूद्र वर्ण की कन्याओं से और ब्राह्मण चारों ही वर्ण की कन्याओं से विवाह कर सकता है। सिर्फ शूद्र के लिये ही यह विधान है कि वह शूद्रा अर्थात् सवर्णा से ही विवाह करे असवर्णा से नहीं। यथा–

शूद्रा शूद्रेण वोढव्या नान्या स्वां तां च नैगमः।
वहेत्स्वां ते च राजन्यः स्वां द्विजन्मा क्वचिच्च ताः॥१६-४७॥

इस पूर्वविधान को ध्यान में रखकर ही आदिपुराण में विवाह-क्रिया के अवसर पर यह वाक्य कहा गया है कि 'वैवाहिके कुले कन्यामुचितां परिणेष्यते' अर्थात् विवाह योग्य कुल में से उचित कन्या का परिणयन करे। यहाँ कन्या का 'उचिता' विशेषण बड़ा ही महत्वपूर्ण, गम्भीर तथा व्यापक है और उन सब त्रुटियों को दूर करने वाला है जो त्रिवर्णाचार में प्रयुक्त हुए सुभगा, सुलक्षणा, अन्यगोत्रभवा, अनातङ्का , आयुष्मती, गुणाढ्या, पितृदत्ता और रूपवती आदि विशेषणों में पाई जाती हैं। उदाहरण के लिये 'रूपवती' विशेषण को ही लीजिये। यदि रूपवती कन्याएँ ही विवाह के योग्य हों तब 'कुरूपा' सब ही विवाह के अयोग्य ठहरें। उनका तब क्या बनाया जाये? क्या उनसे जबरन ब्रह्मचर्य का पालन कराया जाये अथवा उन्हें वैसे ही व्यभिचार के लिये छोड़ दिया जाये? दोनों ही बातें अनिष्ट तथा अन्यायमूलक हैं। परन्तु एक कुरूपा का उसके अनुरूप कुरूप वर के साथ विवाह हो जाना अनुचित नहीं कहा जा सकता–उस कुरूप के लिये वह कुरूपा 'उचिता' ही है। अतः विवाहयोग्य कन्या 'रूपवती' ही हो ऐसा व्यापक नियम कदापि आदरणीय तथा व्यवहरणीय नहीं हो सकता, वह

३६. इस वर्णन में 'सामुद्रिक' के अनुसार कन्याओं अथवा स्त्रियों के जो लक्षण फलसहित दिये हैं वे फल दृष्टि से बहुत कुछ आपत्ति के योग्य हैं, कितने ही प्रत्यक्षविरुद्ध हैं और कितने ही दूसरे सामुद्रिक शास्त्रों के साथ विरोध को लिये हुए हैं, उन सब पर विचार करने का यहाँ अवसर नहीं है। इसलिये उनके विचार को छोड़ा जाता है।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

व्यक्तिविशेष के लिये ही उपयोगी पड़ सकता है। इसी तरह पर 'पितृदत्ता' आदि दूसरे विशेषणों की त्रुटियों का भी हाल जानना चाहिए।

भट्टारकजी उक्त पद्य के बाद एक दूसरा पद्य निम्न प्रकार से देते हैं–

रूपवती स्वजातीया स्वतो लघ्वन्यगोत्रजा।
भोक्तुं भोजयितुं योग्या कन्या बहुकुटुम्बिनी॥३६॥

यहाँ विवाह योग्य कन्या का एक विशेषण दिया है 'स्वजातीया', अपनी जाति की और यह विशेषण 'सवर्णा' का ही पर्यायनाम जान पड़ता है, क्योंकि 'जाति' शब्द 'वर्ण' अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। आदिपुराण में भी वह बहुधा 'वर्ण' अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, मूल जातियाँ भी वर्ण ही हैं। परन्तु कुछ विद्वानों का कहना है कि यह विशेषण पद अग्रवाल, खण्डेलवाल आदि उपजातियों के लिये प्रयुक्त हुआ है और इसके द्वारा अपनी-अपनी उपजाति की कन्या से ही विवाह करने को सीमित किया गया है। अपने इस कथन के समर्थन में उन लोगों के पास एक युक्ति भी है और वह यह कि यदि इस पद्य का आशय सवर्णा का ही होता तो उसे यहाँ देने की जरूरत ही न होती, क्योंकि भट्टारकजी पूर्व पद्य में इसी आशय को 'वर्ण विरुद्ध संत्यक्तां' पद के द्वारा व्यक्त कर चुके हैं, वे फिर दोबारा उसी बात को क्यों लिखते? परन्तु इस युक्ति में कुछ भी दम नहीं है। कहा जा सकता है कि एक पद्य में जो बात एक ढंग से कही गई है वही दूसरे पद्य में दूसरे ढंग से बतलाई गई है। इसके सिवाय, भट्टारकजी का सारा ग्रन्थ पुनरुक्तियों से भरा हुआ है, वे इतने सावधान नहीं थे जो ऐसी बारीकियों पर ध्यान देते, उन्होंने इधर-उधर से ग्रन्थ का संग्रह किया है और इसलिये उसमें बहुत-सी पुनरुक्तियाँ हो गई हैं। उदाहरण के लिये इसी अध्याय को लीजिये, इसके तीसरे पद्य में आप विवाह-योग्य कन्या का विशेषण 'अन्यगोत्रभवा' देते हैं और उक्त पद्य नं० ३६ में 'अन्यगोत्रजा' लिखते हैं, दोनों में कौनसा अर्थ-भेद है? फिर यह पुनरुक्ति क्यों की गई? इसी तरह पर १९०वें पद्य में 'ऊर्ध्वं विवाहात्तनयस्य नैव कार्यो विवाहो दुहितुः समार्धम्' इस वाक्य के द्वारा जो 'पुत्र-विवाह से छह महीने बाद तक पुत्री का विवाह न करने की' बात कही गई है वही १९२वें पद्य में 'न पुंविवाहोर्ध्वमृतुत्रयेऽपि विवाहकार्यं दुहितुश्च कुर्यात्' इन शब्दों में दोहराई गई है। ऐसी हालत में उक्त हेतु साध्य की सिद्धि करने में असमर्थ है। फिर भी यदि वैसे ही यह मान लिया जाये कि भट्टारकजी का आशय इस पद्य के प्रयोग से अपनी-अपनी उपजाति की कन्या से ही था तो कहना होगा कि आपका यह कथन भी आदिपुराण के विरुद्ध है, क्योंकि आदिपुराण में विद्याधर जाति की कन्याओं से ही नहीं किन्तु म्लेच्छ जाति जैसी विजातीय कन्याओं से भी विवाह करने का विधान है। स्वयं भरतजी महाराज ने, जो आदिपुराण वर्णित बहुत से विधिविधानों के उपदेष्टा हुए हैं और एक प्रकार से 'कुलकर' माने गये हैं, ऐसी बहुत-सी कन्याओं के साथ विवाह किया है, जैसा कि आदिपुराण के निम्न पद्यों से प्रकट है–

इत्युपायैरुपायज्ञः साधयन्म्लेच्छभूभुजः।
तेभ्यः कन्यादिरत्नानि प्रभोर्भोग्यान्युपाहरत्॥२१-१४१॥

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

कुलजात्यभिसम्पन्ना देव्यस्तावत्प्रमाः स्मृताः।
रूपलावण्यकान्तीनां याः शुद्धाकरभूमयः॥३७-३४॥
म्लेच्छराजादिभिर्दत्तास्तावन्त्यो नृपवल्लभाः।
अप्सरः संकथा क्षोणीं यकाभिरवतारिताः॥३७-३५॥

इन पद्यों से यह भी प्रकट है कि स्वजातीय कन्याएँ ही भोगयोग्य नहीं होतीं बल्कि म्लेच्छ जाति तक की विजातीय कन्याएँ भी भोगयोग्य होती हैं, और इसलिये भट्टारकजी का स्वजातीय कन्याओं को ही 'भोक्तुं भोजयितुं योग्या' लिखना ठीक नहीं है, वह आदिपुराण की नीति के विरुद्ध है।

२. एक स्थान पर भट्टारकजी, कन्या के स्वयंवराऽधिकार का नियंत्रण करते हुए लिखते हैं–

पित्रादिदात्रभावे तु कन्या कुर्यात्स्वयंवरम्।
इत्येवं केचिदाचार्याः प्राहुर्महति संकटे॥८३॥

इस पद्य में कन्या को 'स्वयंवर' का अधिकार सिर्फ उस हालत में दिया गया है जबकि उसका पिता, पितामह, भाई आदि कोई भी बांधव कन्यादान करने वाला मौजूद न हो। और साथ ही यह भी कहा गया है कि स्वयंवर की यह विधि कुछ आचार्यों ने महासंकट के समय बतलाई है। परन्तु कौनसे आचार्यों ने बतलाई है ऐसा कुछ लिखा नहीं, भगवज्जिनसेन ने तो बतलाई नहीं। आदिपुराण में स्वयंवर को सम्पूर्ण विवाह-विधियों में 'श्रेष्ठ' (वरिष्ठ) बतलाया है और उसे 'सनातनमार्ग' लिखा है। उसमें राजा अकम्पन की पुत्री 'सुलोचना' सती के जिस स्वयंवर का उल्लेख है वह सुलोचना के पिता आदि की मौजूदगी में ही बड़ी खुशी के साथ सम्पादित हुआ था। साथ ही, भरत चक्रवर्ती ने उसका बड़ा अभिनंदन किया था और उन लोगों को सत्पुरुषों द्वारा पूज्य ठहराया था जो ऐसे सनातन मार्गों का पुनरुद्धार करते हैं। यथा–

सनातनोऽस्ति मार्गोऽयं श्रुतिस्मृतिषु भाषितः।
विवाहविधिभेदेषु वरिष्ठो हि स्वयंवरः॥४४-३२॥
तथा स्वयंवरस्येमे नाभूवन्यद्यकम्पनाः।
कः प्रवर्तयिताऽन्योऽस्य मार्गस्यैष सनातनः॥४५-४५॥
मार्गांश्चिरंतनान्येऽत्र भोगभूमितिरोहितान्।
कुर्वन्ति नूतनान्संतः सद्भिः पूज्यास्त एव हि॥४५-५५॥

ऐसी हालत में भट्टारकजी की उक्त व्यवस्था आदिपुराण के विरुद्ध है और इस बात को सूचित करती है कि आपने आदिपुराण की रीति, नीति अथवा मर्यादा का प्रायः कोई ख्याल नहीं रखा।

३. एक दूसरे स्थान पर भट्टारकजी, विवाह के ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गान्धर्व, राक्षस और पैशाच, ऐसे आठ भेद करके, उनके स्वरूप का वर्णन निम्न प्रकार से देते हैं–

ब्राह्मो दैवस्तथा चा (थैवा) र्षः प्राजापत्यस्तथाऽऽसुरः।
गान्धर्वो राक्षसश्चैव पैशाचश्चाष्टमोऽधमः॥७०॥

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

आच्छाद्य चार्ह (चं) यित्वा च व्रतशीलवते स्वयम्।
आहूय दानं कन्याया ब्राह्मो धर्मः प्रकीर्तितः॥७१॥
यज्ञे तु वितते सम्यक् जिनार्चा (ऋत्विजे) कर्म कुर्वते।
अलंकृत्य सुतादानं दैवो धर्मः प्रचक्ष्यते॥७२॥
एकं वस्त्रयुगं (गोमिथुनं) द्वे वा वरादादाय धर्मतः।
कन्याप्रदानं विधिवदार्षो धर्मः स उच्यते॥७३॥
सहोभौ चरतां धर्ममिति तं (वा) चानुभाष्य तु (च)।
कन्याप्रदानमभ्यर्च्य प्राजापत्यो विधिः स्मृतः॥७४॥
ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्वा कन्यायै चैव शक्तितः।
कन्याऽऽदानं (प्रदानं) यत्क्रियते च (स्वाच्छन्द्यादा) सुरोधर्म उच्यते॥७५॥
स्वे (इ) च्छयाऽन्योन्यसंयोगः कन्यायाश्च वरस्य च।
गान्धर्वः स तु विज्ञेयो मैथुन्यः कामसंभवः॥७६॥
हत्वा भित्वा च छित्वा च क्रोशन्तीं रुदतीं गृहात्।
प्रसह्य कन्याहरणं राक्षसो विधिरुच्यते॥७७॥
सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति।
स पापिष्ठो विवाहानां पैशाचः कथितोऽष्टमः (चाष्टमोऽधमः)॥७८॥

विवाह भेदों का यह सब वर्णन आदिपुराण सम्मत नहीं है, उससे नहीं लिया गया, किन्तु हिन्दुओं के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'मनुस्मृति' से उठाकर रखा गया है। मनुस्मृति के तीसरे अध्याय में ये सब श्लोक, ब्रैकिटों में दिये हुए पाठभेद के साथ, क्रमशः नं० २१ तथा नं० २७ से ३४ तक दर्ज हैं।[३७] और इसमें 'ऋत्विजे' की जगह 'जिनार्चा' तथा 'गोमिथुनं' की जगह 'वस्त्रयुगं' जैसे पाठभेद भट्टारकजी के किये हुए जान पड़ते हैं।

४. इस विवाह क्रिया में भट्टारकजी ने 'देवपूजन' का जो विधान किया है वह आदिपुराण से बड़ा ही विलक्षण जान पड़ता है। आदिपुराण में इस अवसर के लिये खास तौर पर सिद्धों का पूजन रखा है– जो प्रायः गार्हपत्यादि अग्निकुण्डों में सप्त पीठिका मंत्रों द्वारा किया जाता है और किसी पुण्याश्रम में सिद्ध प्रतिमा के सन्मुख वर और कन्या का पाणिग्रहणोत्सव करने की आज्ञा की है। यथा–

सिद्धार्चनविधिं सम्यग्निवर्त्य द्विजसत्तमः।
कृताग्नित्रयसंपूजाः कुर्युस्तत्साक्षि तां क्रियाम्॥३८-१२९॥

३७. देखो 'मनुस्मृति' निर्णय सागर प्रेस बम्बई द्वारा सन् १९०९ की छपी हुई। अन्यत्र भी इसी एडीशन का हवाला दिया गया है।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

पुण्याश्रमे क्वचित्सिद्धप्रतिमाभिमुखं तयोः।
दम्पत्योः परया भूत्या कार्यः पाणिग्रहोत्सवः॥१३०॥

परंतु भट्टारकजी ने सिद्धपूजनादि की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की। आपने व्यवस्था की है जलदेवताओं की गंध, अक्षत, पुष्प तथा फलों से पूजा करने की, घर में वेदी बनाकर उसमें गृहदेवता[३८] की स्थापना करने तथा दीपक जलाने आदि रूप से उसकी पूजा करने की, पंचमंडल और नवग्रह देवताओं के पूजन की, अघोर मंत्र से होम करने की और नागदेवताओं को बलि देने आदि की, जैसा कि आपके निम्न वाक्यों से प्रकट है–

''फलगन्धाक्षतैः पुष्पैः सम्पूज्य जलदेवताः।'' (६१)
''वेद्यां गृहाधिदेवं संस्थाप्य दीपं प्रज्वालयेत्।'' (६३)
''पुण्याहवाचनां पश्चात्पञ्चमण्डलपूजनम्।
नवानां देवतानां च पूजनं च यथाविधि॥१३३॥
तथैवाऽघोरमंत्रेण होमश्च समिधाहुतिम्।
लाजाहुतिं वधूहस्तद्वयेन च वरेण च'' (१३४)
''शुभे मंडपे दक्षिणीकृत्य तं वै प्रदायाशु नागस्य साक्षाद्बलिं च।'' (१६४)

इससे साफ जाहिर है कि त्रिवर्णाचार का यह पूजन-विधान आदिपुराण-सम्मत नहीं किन्तु भगवज्जिनसेन के विरुद्ध है। रही मंत्रों की बात, उनका प्रायः वही हाल है जो पहले लिखा जा चुका है–आदिपुराण के अनुसार उनकी कोई व्यवस्था नहीं की गई। हाँ, पाठकों को यहाँ पर यह जानने की जरूर इच्छा होगी कि वह अघोरमंत्र कौनसा है, जिससे भट्टारकजी ने विवाह के अवसर पर होम करने का विधान किया है और जिसे 'कुर्याद् होमं सन्मंत्रपूर्वकम्' वाक्य के द्वारा 'सन्मंत्र' तक लिखा है। भट्टारकजी ने इस मंत्र को नहीं दिया परंतु वह जैन का कोई मंत्र न होकर वैदिक धर्म का एक प्रसिद्ध मंत्र जान पड़ता है जो हिन्दुओं की विवाह पुस्तकों में निम्न प्रकार से पाया जाता है और जिसे 'नवरत्न विवाह पद्धति' के छठे संस्करण में अथर्वन् वेद के १४वें काण्ड के ९वें अनु. का १८वाँ मंत्र लिखा है–

ॐ अघोरचक्षुरपतिघ्न्येधि शिवा पशुभ्यः सुमनाः सुवचो
वीरसूर्देवकामास्योना शन्नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे।

इस सब विधिविधान से पाठक सहज ही में समझ सकते हैं कि भट्टारकजी हिन्दू धर्म की तरफ कितने झुके हुए थे अथवा उनके संस्कार कितने अधिक हिन्दू धर्म के आचार-विचारों को लिये हुए

३८. सोनीजी ने 'गृहाधिदेव' को ''कुल देवता'' समझा है परन्तु यह उनकी भूल है, क्योंकि भट्टारकजी ने चौथे अध्याय में कुल देवता से गृहदेवता को अलग बतलाया है और उसके विश्वेश्वरी, धरणेन्द्र, श्री देवी तथा कुबेर ऐसे चार भेद किये हैं। यथा– विश्वेश्वरीधराधीशश्रीदेवीधनदास्तथा। गृहलक्ष्मीकरा ज्ञेयाश्चतुर्धा वेश्मदेवताः॥२०५॥

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

थे और वे किस ढंग से जैन समाज को भी उसी रास्ते पर अथवा एक तीसरे ही विलक्षण मार्ग पर चलाना चाहते थे। उन्होंने इस अध्याय में वर का मधुपर्क[३९] से पूजन, वर का ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर अपने लिये कन्या वरण की प्रार्थना करना, वधू के गले में वर की दी हुई ताली बाँधना, सुवर्णदान और देवोत्थापन आदि की बहुत-सी बातें हिन्दू धर्म से लेकर अथवा इधर-उधर से उठाकर रखी हैं और उनमें से कितनी ही बातें प्रायः हिन्दू ग्रन्थों के शब्दों में उल्लेखित हुई हैं, जिसका एक उदाहरण 'देवोत्थापन विधि' का निम्न पद्य है–

समे च दिवसे कुर्याद्देवतोत्थापनं बुधः।
षष्ठे च विषमे नेष्टं त्यक्त्वा पंचमसप्तमौ॥१८०॥

यह 'नारद' ऋषि का वचन है। मुहूर्त चिन्तामणि की 'पीयूषधारा' टीका में भी इसे 'नारद' का वचन लिखा है। इसी प्रकरण में भट्टारकजी ने 'विवाहात्प्रथमे पौषे' नाम का एक पद्य और भी दिया है जो 'ज्योतिर्निबन्ध' ग्रन्थ का पद्य है। परंतु उसका इस 'देवोत्थापन' प्रकरण से कोई सम्बन्ध नहीं, उसे इससे पहले 'वधू गृह प्रवेश' प्रकरण में देना चाहिए था, जहाँ 'वधूप्रवेशनं कार्यं' नाम का एक दूसरा पद्य भी 'ज्योतिर्निबंध' ग्रन्थ से बिना नाम धाम के उद्धृत किया गया है। मालूम होता है भट्टारकजी को नकल करते हुए इसका कुछ भी ध्यान नहीं रहा! और न सोनी जी को ही अनुवाद के समय इस गड़बड़ी की कुछ खबर पड़ी है!!

५. आदिपुराण में लिखा है कि पाणिग्रहण दीक्षा के अवसर पर वर और वधू दोनों को सात दिन का ब्रह्मचर्य लेना चाहिए और पहले तीर्थ भूमियों आदि में विहार करके, तब अपने घर पर जाना चाहिए। घर पर पहुँचकर कङ्कण खोलना चाहिए और तत्पश्चात् अपने घर पर ही शयन करना चाहिए श्वशुर के घर पर नहीं। यथा–

पाणिग्रहणदीक्षायां नियुक्तं तद्वधूवरम्।
आसप्ताहं धरेद्ब्रह्मव्रतं देवाग्निसाक्षिकम्॥१३२॥
क्रान्त्वा स्वस्योचितां भूमिं तीर्थभूमीर्विहृत्य च।
स्वगृहं प्रविशेद्भूत्या परया तद्वद्वधूवरम्॥१३३॥
विमुक्तकङ्कणं पश्चात्स्वगृहे शयनीयकम्।
अधिशय्य तथाकालं भोगाङ्गैरुपलालितम् ॥१३४॥ ३८ वाँ पर्व

३९. यह मधु (शहद) का एक मिक्सचर (सम्पर्क) होता है, जिसमें दही और घी भी मिला रहता है। हिन्दुओं के यहाँ दान-पूजनादि के अवसरों पर इसकी बड़ी महिमा है। भट्टारकजी ने मधुपर्क के लिये (मधुपर्काथं) एक जगह वर को महज दही चटाई है परन्तु सोनीजी को आपकी यह फीकी दही पसन्द नहीं आई और इसलिये उन्होंने पीछे से उसमें 'शक्कर' और मिला दी है और इस तरह पर मधु के स्थान की पूर्ति की है जिसका खाना जैनियों के लिये वर्जित है। यहाँ मधुपर्क के लिये दही का चटाया जाना हिन्दुओं की एक प्रकार की नकल को साफ जाहिर करता है।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

परंतु भट्टारकजी ने उन दोनों के ब्रह्मचर्य की अवधि तीन रात की रखी है, गृहप्रवेश से पहले तीर्थयात्रा को जाने की कोई व्यवस्था नहीं की, बल्कि सीधा अपने घर को जाने की बात कही है और यहाँ तक बंध लगाया है कि एक वर्ष तक किसी भी अपूर्व तीर्थ अथवा देवता के दर्शन को न जाना चाहिए, कङ्कण को प्रस्थान से पहले श्वशुर गृह पर ही खोल देना लिखा है और वहीं पर चौथे दिन दोनों के शयन करने अथवा एक शय्यासन होने की भी व्यवस्था की है। जैसा कि आपके निम्न वाक्यों से प्रकट है–

''तदनन्तरं कङ्कणामोचनं कृत्वा महाशोभया ग्रामं प्रदक्षिणीकृत्य पयःपाननिधुवनादिकं सुखेन कुर्यात्। स्वग्रामं गच्छेत्।[४०]

''विवाहे दम्पती स्यातां त्रिरात्रं ब्रह्मचारिणौ।
अलंकृता वधूश्चैव सहशय्यासनाशनौ॥१७२॥
वध्वा सहैव कुर्वीत निवासं श्वशुरालये।
चतुर्थदिनमत्रैव केचिदेवं वदन्ति हि॥१७३॥
''विवाहानंतरं गच्छेत्सभार्यः स्वस्य मन्दिरम्।
यदि ग्रामान्तरे तत्स्यात्तत्र यानेन गम्यते॥१७८॥
[४१]स्नानं सतैलं तिलमिश्रकर्म, प्रेतानुयानं करकप्रदानम्।
अपूर्वतीर्थामरदर्शनं च विवर्जयेन्मङ्गलतोऽब्दमेकम्॥१८९॥

इससे स्पष्ट है कि भट्टारकजी का यह सब कथन आदिपुराण के बिल्कुल विरुद्ध है और उनकी पूरी निरंकुशता को सूचित करता है। साथ ही इस सत्य को और भी उजागर देता है कि श्री जिनसेनाचार्य के वचनानुसार कथन करने की आपकी सब प्रतिज्ञाएँ ढोंग मात्र हैं। आपने उनके सहारे अथवा छल से लोगों को ठगना चाहा है और इस तरह पर धोखे से उन हिन्दू संस्कारों–क्रियाकाण्डों तथा आचार

४०. इस वाक्य में ग्राम की प्रदक्षिणा के अनन्तर सुखपूर्वक दुग्धपान तथा स्त्री संभोगादिक (निधुवनादिक) करने का साफ विधान है और उसके बाद स्वग्राम को जाना लिखा है। परन्तु सोनीजी ने अनुवाद में इसके विरुद्ध पहले अपने ग्राम को जाना और फिर वहाँ संभोगादिक करना बतलाया है, जो अगले पद्यों के कथन से भी विरुद्ध पड़ता है। कहीं आदिपुराण के साथ संगति मिलाने के लिये तो ऐसा नहीं किया गया? तब तो कङ्कण भी वहीं स्वग्राम को जाकर खुलवाना था।

४१. इस पद्य में विवाह के बाद अपूर्व तीर्थ तथा देवदर्शन के निषेध के साथ एक साल तक तेल मलकर स्नान करने, तिलों के उपयोग वाला कोई कर्म करने, मृतक के पीछे जाने और करक (कमण्डलु आदि) के दान करने का भी निषेध किया है। मालूम नहीं इन सबका क्या हेतु है? तेल मलकर नहा लेने आदि से कौन–सा पाप चढ़ता है। शरीर में कौन –सी विकृति आ जाती है? तीर्थयात्रा अथवा देवदर्शन से कौन–सी हानि पहुँचती है? आत्मा को उससे क्या अलाभ होता है? और अपने किसी निकट सम्बन्धी की मृत्यु हो जाने पर उसके शव के पीछे न जाना भी कौन सा शिष्टाचार है? जैनधर्म की शिक्षाओं से इन सब बातों का कोई सम्बन्ध मालूम नहीं होता। ये सब प्रायः हिन्दू धर्म की शिक्षाएँ जान पड़ती हैं।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

विचारों को समाज में फैलाना चाहा है जिनसे आप स्वयं संस्कृत थे अथवा जिनको आप पसंद करते थे और जो जैन आचार विचारों आदि के बहुत कुछ विरुद्ध है। इससे अधिक धूर्तता, उत्सूत्रवादिता और ठग विद्या दूसरी और क्या हो सकती है? इतने पर भी जो लोग साम्प्रदायिक मोहवश, भट्टारकजी को ऊँचे चरित्र का व्यक्ति समझते हैं, संयम के कुछ उपदेशों का इधर उधर से संग्रह कर देने मात्र से उन्हे 'अद्वितीय संयमी' प्रतिपादन करते हैं, उनके इस त्रिवर्णाचार की दीवार को आदिपुराण के ऊपर-उसके आधार पर-खड़ी हुई बतलाते हैं और ''इसमें कोई भी बात ऐसी नहीं जो किसी आर्ष ग्रन्थ अथवा जैनागम के विरुद्ध हो'' ऐसा कहने तक का दुःसाहस करते हैं, उन लोगों की स्थिति निःसंदेह बड़ी ही शोचनीय तथा करुणाजनक है। मालूम होता है वे भोले हैं या दुराग्रही हैं, उनका अध्ययन स्वल्प तथा अनुभव अल्प है, पर साहित्य को उन्होंने नहीं देखा और न तुलनात्मक पद्धति से कभी इस ग्रन्थ का अध्ययन ही किया है। अस्तु।

इस ग्रन्थ में आदिपुराण के विरुद्ध और भी कितनी ही बातें हैं, जिन्हें लेख बढ़ जाने के भय से यहीं छोड़ा जाता है।

(२) आदिपुराण के विरुद्ध अथवा आदिपुराण से विरोध रखने वाले कथनों का दिग्दर्शन कराने के बाद, अब मैं एक दूसरे ग्रन्थ को और लेता हूँ जिसके सम्बन्ध में भी भट्टारकजी का प्रतिज्ञाविरोध पाया जाता है और वह ग्रन्थ है 'ज्ञानार्णव', जो श्री शुभचन्द्राचार्य का बनाया हुआ है। इसी ग्रन्थ के अनुसार ध्यान का कथन करने की एक प्रतिज्ञा भट्टारकजी ने, ग्रन्थ से पहले ही 'सामायिक' अध्याय में, निम्न प्रकार से दी है–

ध्यानं तावदहं वदामि विदुषां ज्ञानार्णवे यन्मत-
मार्त्तं रौद्रसधर्म्यशुक्ल चरमं दुःखादिसौख्यप्रदम्।
पिण्डस्थं च पदस्थरूपरहितं रूपस्थनामा परं।
तेषां भिन्न चतुश्चतुर्विषयजा भेदाः परे सन्ति वै॥२८॥

इस प्रतिज्ञावाक्य द्वारा यह विश्वास दिलाया गया है कि इस अध्याय में ध्यान का, उसके आर्त, रौद्र, धर्म, शुक्ल भेदों का, उपभेदों का और पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ तथा रूपातीत नाम के दूसरे भेदों का जो कुछ कथन किया गया है वह सब 'ज्ञानार्णव' के मतानुसार किया गया है, ज्ञानार्णव से भिन्न अथवा विरुद्ध इसमें कुछ भी नहीं है। परन्तु जाँचने से ऐसा मालूम नहीं होता-ग्रन्थ में कितनी ही बातें ऐसी देखने में आती हैं जो ज्ञानार्णव सम्मत नहीं हैं अथवा ज्ञानार्णव से नहीं ली गईं। उदाहरण के तौर पर यहाँ उनके कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं–

(अ) 'अपायविचय' धर्मध्यान का लक्षण बतलाते हुए भट्टारकजी लिखते हैं–

[४२]येन केन प्रकारेण जैनो धर्मो प्रवर्धते।
तदेव क्रियते पुम्भिरपायविचयं मतम्॥३५॥

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

अर्थात्- 'जिस तिस प्रकार से जैनधर्म बढ़े वही करना अपायविचय माना गया है।' परन्तु ज्ञानार्णव में तो ऐसा कहीं कुछ माना नहीं गया। उसमें तो साफ लिखा है कि 'जिस ध्यान में कर्मों के अपाय (नाश) का उपाय सहित चिन्तवन किया जाता है उसे अपायविचय कहते हैं। यथा–

अपायविचयं ध्यानं तद्वदन्ति मनीषिणः।
अपायः कर्मणां यत्र सोपायः स्मर्यते बुधैः॥३४-१॥

इस लक्षण के सामने भट्टारकजी का उक्त लक्षण कितना विलक्षण जान पड़ता है, उसे बतलाने की जरूरत नहीं। सहृदय पाठक सहज ही में उसका अनुभव कर सकते हैं। वास्तव में, वह बहुत कुछ सदोष तथा त्रुटिपूर्ण है और ज्ञानार्णव के साथ उसकी संगति ठीक नहीं बैठती।

(आ) इसी तरह पर पिण्डस्थ और रूपस्थ ध्यान के जो लक्षण भट्टारकजी ने दिये हैं उनकी संगति भी ज्ञानार्णव के साथ ठीक नहीं बैठती। भट्टारकजी लिखते हैं- 'लोक में जो कुछ विद्यमान है उस सबको देह के मध्यगत चिन्तवन करना पिण्डस्थ ध्यान कहलाता है' और 'जिस ध्यान में शरीर तथा जीव का भेद चिन्तवन किया जाता है उसे रूपस्थ ध्यान कहते हैं'। यथा–

''यत्किंचिद्विद्यते लोके तत्सर्वं देहमध्यगम्।
इति चिन्तयते यत्तु पिण्डस्थं ध्यानमुच्यते॥४६॥
''शरीरजीवयोर्भेदो यत्र रूपस्थमस्तु तत्॥४८॥

परन्तु ज्ञानार्णव में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। उसमें पिण्डस्थ ध्यान का जो पंचधारणात्मक स्वरूप दिया है उससे भट्टारकजी का यह लक्षण लाजिमी नहीं आता। इसी तरह पर समवसरण विभूति सहित देवाधिदेव श्री अर्हंतपरमेष्ठी के स्वरूप चिन्तवन को जो उसमें रूपस्थ ध्यान बतलाया है उससे यह 'शरीरजीवयोर्भेदः' नाम का लक्षण कोई मेल नहीं खाता।[४३]

यहाँ पर मैं इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि भट्टारकजी ने रूपस्थ ध्यान के अनन्तर 'रूपातीत' ध्यान का लक्षण एक पद्य में देने के बाद 'प्रातश्चोत्थाय' से लेकर 'षडावश्यकसत्कर्म' तक १७ पद्य दिये हैं, जो ग्रन्थ में 'प्रातःकाल सम्बन्धी क्रियाएँ' और 'सामायिक' शीर्षकों के साथ नं० ५० से ६६ तक पाये जाते हैं। इन पद्यों में प्रातःकाल सम्बन्धी विचारों का कुछ उल्लेख करके सामायिक करने की प्रेरणा की गई है और सामायिक का स्वरूप आदि भी बतलाया गया है। सामायिक के लक्षण का प्रसिद्ध श्लोक 'समता सर्वभूतेषु' इनमें शामिल है, 'योग्य कालासन' तथा 'जीविते मरणे' नाम के दो पद्य अनगारधर्मामृत के भी उद्धृत हैं और 'पापिष्ठेन दुरात्मना' नाम का एक प्रसिद्ध

४२. इस पद्य पर से 'अपायविचय' का जब कुछ ठीक लक्षण निकलता हुआ नहीं देखा तब सोनीजी ने वैसे ही खींचखाँच कर भावार्थ आदि के द्वारा उसे अपनी तरफ से समझाने की कुछ चेष्टा की है, जिसका अनुभव विज्ञ पाठकों को अनुवाद पर से सहज में हो जाता है।

४३. शायद इसीलिये सोनीजी को भावार्थ द्वारा यह लिखना पड़ा हो कि ''विभूतियुक्त अर्हन्तदेव के गुणों का चिन्तवन करना रूपस्थ ध्यान है।'' परन्तु उक्त लक्षण का यह भावार्थ नहीं हो सकता।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

पद्य प्रतिक्रमण पाठ का भी यहाँ शामिल किया गया है और इन सब पद्यों के बाद 'पदस्थ ध्यान' का कुछ विशेष कथन आरम्भ किया गया है। ग्रन्थ की इस स्थिति में उक्त १७ पद्य यहाँ पर बहुत कुछ असम्बद्ध तथा बेढंगे मालूम होते हैं –पूर्वापर पद्यों अथवा कथनों के साथ उनका सम्बन्ध ठीक नहीं बैठता। इनमें से कितने ही पद्यों को इस सामायिक प्रकरण के शुरू में–'ध्यानं तावदहं वदामि' से भी पहले देना चाहिए था। परन्तु भट्टारकजी को इसकी कुछ भी सूझ नहीं पड़ी और इसलिये उनकी रचना क्रमभंगादि दोषों से दूषित हो गई, जो पढ़ते समय बहुत ही खटकती है और भी कितने ही स्थानों पर ऐसे रचनादोष पाये जाते हैं, जिनमें से कुछ का उल्लेख पहले भी किया जा चुका है।

(इ) पदस्थ ध्यान के वर्णन में, एक स्थान पर भट्टारकजी, 'ह्रीं' मंत्र के जप का विधान करते हुए, लिखते हैं–

हवर्णान्तः पार्श्वजिनोऽधोरेफस्तलगतः सधरेन्द्रः
तुर्यस्वरेः सविन्दुः स भवेत्पद्मावतीसंज्ञः॥७२॥
त्रिभुवनजनमोहकरी विधेयं प्रणवपूर्वमनान्ता।
एकाक्षरीति संज्ञा जपतः फलदायिनी नित्यम्॥७३॥

यहाँ 'ह्रीं' पद में हकार को पार्श्वनाथ भगवान् का, नीचे के रकार को तलगत धरणेन्द्र का और बिन्दुसहित ईकार को पद्मावती का वाचक बतलाया है–अर्थात्, यह प्रतिपादन किया है कि यह 'ह्रीं' मंत्र धरणेन्द्र पद्मावती सहित पार्श्वनाथ जिनेन्द्र का द्योतक है। साथ ही, इसके पूर्व में 'ॐ' और अंत में 'नमः' पद लगाकर 'ॐ ह्रीं नमः' ऐसा जाप करने की व्यवस्था की गई है, और उसे त्रिभुवन के लोगों को मोहित करने वाली 'एकाक्षरी विद्या' लिखा है। परन्तु ज्ञानार्णव में इस मंत्र का ऐसा कोई विधान नहीं है–उसमें कहीं भी नहीं लिखा कि 'ह्रीं' पद धरणेन्द्र पद्मावतीसहित पार्श्व जिन का वाचक है अथवा 'ॐ ह्रीं नमः' यह एकाक्षरी विद्या है और इसलिये भट्टारकजी का यह सब कथन ज्ञानार्णव सम्मत न होने से उनकी प्रतिज्ञा के विरुद्ध है।

(ई) इसी तरह पर भट्टारकजी ने एक दूसरे मंत्र का विधान भी निम्न प्रकार से किया है–

ॐ नमः सिद्धमित्येतन्मंत्रं सर्वसुखप्रदम्।
जपतां फलतीहेष्टं स्वयं स्वगुणजृंभितम्॥८२॥

इसमें 'ॐ नमः सिद्धं' मंत्र के जाप की व्यवस्था की गई है और उसे सर्व सुखों का देने वाला तथा इष्ट फल का दाता लिखा है। यह मंत्र भी ज्ञानार्णव में नहीं है। अतः इसके सम्बन्ध में भी भट्टारकजी का प्रतिज्ञा-विरोध पाया जाता है।

इस पद्य के बाद ग्रन्थ में, 'इत्थं मंत्रं स्मरति सुगुणं यो नरः सर्वकालं' (८३) नामक पद्य के द्वारा आमतौर पर मंत्र स्मरण के फल का उल्लेख करके, एक पद्य निम्न प्रकार से दिया है–

अयं मंत्रो महामंत्रः सर्वपापविनाशकः।
अष्टोत्तरशतं जप्तो धर्त्ते कार्याणि सर्वशः॥८४॥

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

इस पद्य में जिस मंत्र को सर्वपापविनाशक महामंत्र बतलाया है और जिसके १०८ बार जपने से सर्व प्रकार के कार्यों की सिद्धि होना लिखा है वह मंत्र कौन सा है उसका इस पद्य से अथवा इसके पूर्ववर्ती पद्य से कुछ भी पता नहीं चलता। 'ॐ नमः सिद्धं' नाम का वह मंत्र तो हो नहीं सकता, जो ८२वें पद्य में वर्णित है, क्योंकि उसके सम्बन्ध का ८३वें पद्य द्वारा विच्छेद हो गया है। यदि उससे अभिप्राय होता तो यह पद्य 'इत्थं मंत्रं' नामक ८३वें पद्य से पहले दिया जाता। अतः यह पद्य यहाँ पर असम्बद्ध है। सोनीजी कहते हैं इसमें 'अपराजित मंत्र' का उल्लेख है। पैंतीस अक्षरों का अपराजित मंत्र ('णमो अरहंताणं आदि) बेशक महामंत्र है और वह उन सब गुणों से विशिष्ट भी है जिनका इसमें उल्लेख किया गया है। परन्तु उससे यदि अभिप्राय था तो यह पद्य 'अपराजित मंत्रोऽयं' नामक ८०वें पद्य के ठीक बाद दिया जाना चाहिए था। उसके बाद 'षोडशाक्षरविद्या' तथा 'ॐ नमः सिद्धं' नामक दो मंत्रों का और विधान बीच में हो चुका है, जिससे इस पद्य में प्रयुक्त हुए 'अयं' (यह) पद का वाच्य अपराजित मंत्र नहीं रहा। और इसलिये अपराजित मंत्र की दृष्टि से यह पद्य यहाँ और भी असम्बद्ध है और वह भट्टारकजी की रचनाचातुरी का भण्डाफोड़ करता है।

इस पद्य के बाद पाँच पद्य और हैं जो इससे भी ज्यादा असम्बद्ध हैं और वे इस प्रकार हैं–

हिंसानृतान्यदारेच्छा चुरा चातिपरिग्रहः।
अमूनि पंच पापानि दुःखदायीनि संसृतौ॥८५॥
अष्टोत्तरशतं भेदास्तेषां पृथगुदाहृताः।
हिंसा तत्र कृता पूर्वं करोति च करिष्यति॥८६॥
मनोवचनकायैश्च ते तु त्रिगुणिता नव।
पुनः स्वयं कृतकारितानुमोदैर्गुणाहतिः॥८७॥
सप्तविंशतिस्ते भेदाः कषायैर्गुणयेच्च तान्।
अष्टोत्तरशतं ज्ञेयमसत्यादिषु तादृशम्॥८८॥
पृथ्वीपानीयतेजः पवनसुतरवः स्थावराः पंचकायाः।
नित्यानित्यौ निगोदौ युगलशिखिचतुः संज्ञ्यसंज्ञित्रसाः स्युः।
एते प्रोक्ता जिनैर्द्वादश परिगुणिता वाङ्मनः कायभेदै-
स्ते चान्यैः कारिताद्यैस्त्रिभिरपि गुणिताश्चाष्टशून्यैकसंख्याः॥८९॥

इन पद्यों में से पहले पद्य में हिंसादिक पंच पापों के नाम देकर लिखा है कि 'ये पाँचों पाप संसार में दुःखदायी हैं' और इसके बाद तीन पद्यों में यह बतलाया है कि इनमें से प्रत्येक पाप के १०८ भेद हैं। जैसे हिंसा पहले की, अब करता है, आगे करेगा ऐसे तीन भेद हुए, इनको मन, वचन, काय से गुणने पर ९ भेद, कृत, कारित, अनुमोदना से गुणने पर २७ भेद और फिर चार कषायों से गुणने पर १०८ भेद हिंसा के हो जाते हैं। इसी तरह पर असत्यादिक के भेद जानने। और पाँचवें पद्य में हिंसादिक का कोई विकल्प उठाए बिना ही दूसरे प्रकार से १०८ भेदों को सूचित किया है–लिखा है 'पृथ्वी, अप,

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

तेज, वायु, वृक्ष (वनस्पति) ऐसे पाँच स्थावर काय, नित्य निगोद, अनित्य निगोद, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, संज्ञि पंचेन्द्रिय, और असंज्ञि पंचेन्द्रिय ऐसे बारह भेद[४४] जिनेन्द्र भगवान् ने कहे हैं। इनको मन, वचन, काय तथा कृत, कारित, अनुमोदना से गुणने पर १०८ भेद हो जाते हैं।

यही उक्त पद्यों का परिचय है। इस परिचय पर से सहृदय पाठक सहज ही में इस बात का अनुभव कर सकते हैं कि ये सब पद्य यहाँ पर पदस्थ ध्यान के वर्णन में, पूर्वापर सम्बन्ध अथवा कथनक्रम को देखते हुए, कितने असम्बद्ध तथा बेढंगे मालूम होते हैं और इनके यहाँ दिये जाने का उद्देश्य तथा आशय कितना अस्पष्ट है। एक सौ आठ भेदों की यह गणना भी कुछ विलक्षण जान पड़ती है। भूत, भविष्यत् और वर्तमान काल के भेद से भी हिंसादिक में कोई प्रकार-भेद होता है यह बात इस ग्रन्थ से ही पहले पहल जानने को मिली। परन्तु यह बात चाहे ठीक हो या न हो किन्तु ज्ञानार्णव के विरुद्ध जरूर है, क्योंकि ज्ञानार्णव में हिंसा के भूत, भविष्यत् और वर्तमान, ऐसे कोई भेद न करके उनकी जगह पर संरम्भ, समारंभ, और आरंभ, नाम के उन भेदों का ही उल्लेख किया है जो दूसरे तत्त्वार्थ ग्रन्थों में पाये जाते हैं, जैसा कि उसके निम्न वाक्य से प्रकट है–

संरम्भादित्रिकं योगैः कषायैर्व्याहतं क्रमात्।
शतमष्टाधिकं ज्ञेयं हिंसा भेदैस्तु पिण्डितम्॥८-१०॥

यहाँ पर मैं अपने पाठकों को इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि सोनी जी ने अपनी अनुवाद पुस्तक में पद्य नं० ८८ और ८९ के मध्य में 'उक्तं च तत्त्वार्थे' वाक्य के साथ 'संरम्भ-समारंभारंभयोग' नाम के तत्त्वार्थ सूत्र का भी अनुवादसहित इस ढंग से उल्लेख किया है जिससे वह भट्टारकजी के द्वारा ही उद्धृत जान पड़ता है। परन्तु मराठी अनुवाद वाली प्रति में वैसा नहीं है। हो सकता है कि यह सोनी जी की ही अपनी कर्तूत हो। परन्तु यदि ऐसा नहीं है किन्तु भट्टारकजी ने ही इस सूत्र को अपने पूर्व कथन के समर्थन में उद्धृत किया है और वह ग्रन्थ की कुछ प्राचीन प्रतियों में इसी प्रकार से उद्धृत पाया जाता है तो कहना होगा कि भट्टारकजी ने इसे देकर अपनी रचना को और भी बेढंगा किया है–क्योंकि इससे पूर्व कथन का पूरी तरह पर समर्थन नहीं होता- अथवा यों कहिये कि सर्व साधारण पर यह प्रकट किया है कि उन्होंने संरंभ, समारंभ तथा आरंभ का अभिप्राय क्रमशः भूत, वर्तमान तथा भविष्यत् काल समझा है। परन्तु ऐसा समझना भूल है क्योंकि पूज्यपाद जैसे आचार्यों ने सर्वार्थसिद्धि आदि ग्रन्थों में प्रयत्नावेश को 'संरंभ' साधनसमभ्यासीकरण को 'समारंभ' और प्रक्रम या प्रथमप्रवृत्ति को 'आरंभ' बतलाया है।

(उ) उक्त पाँचों पद्यों के अनन्तर ग्रन्थ में वशीकरण, आकर्षण, स्तंभन, मारण, विद्वेषण, उच्चाटन, शांतिकरण और पौष्टिक कर्म नाम के आठ कर्मों के सम्बन्ध में जप की विधि बतलाई गई

४४. ये बारह भेद भगवान् ने किसके कहे हैं–जीवों के जीवहिंसा के या असत्वादिक के, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा। और न यही बतलाया कि ये पिछले भेद यदि जिनेन्द्र भगवान् के कहे हुए हैं तो पहले भेद किसके कहे हुए हैं अथवा दोनों का ही कथन विकल्प रूप से भगवान् का किया हुआ है।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

है–अर्थात् यह प्रकट किया गया है कि किस कर्मविषयक मंत्र को किस समय, किस आसन तथा मुद्रा से, कौनसी दिशा की ओर मुख करके, कैसी माला लेकर और मंत्र में कौन सा पल्लव लगाकर जपना चाहिए। साथ ही, कुछ कर्मों के सम्बन्ध में जप के समय माला का दाना पकड़ने के लिये जो जो अंगुली अँगूठे के साथ काम में लाई जावे उसका भी विधान किया है। यह सब प्रकार का विधि-विधान भी ज्ञानार्णव से बाहर की चीज है–उससे नहीं लिया गया है। साथ ही, इस विधान में मालाओं का कथन दो बार किया गया है, जो दो जगहों से उठाकर रखा गया मालूम होता है और उससे कथन में कितना ही पूर्वापर विरोध आ गया है। यथा–

[४५]स्तंभकर्मणि... माला स्वर्णमणिश्रिता॥९४॥
निषेधकर्मणि... पुत्रजीवकृतामाला॥९६॥
स्तंभने दुष्टसन्नाशे जपेत् प्रस्तर कर्कराम्॥१०८॥
× × ×
विद्वेषकर्मणि... पुत्रजीवकृता माला॥९८॥
विद्वेषेऽरिष्टबीजजा ॥१०८॥
× × ×
शांतिकर्मणि... मौक्तिकानां माला॥१०१॥
शान्तये... जपेदुत्पलमालिकाम्॥११०॥

मालूम होता है भट्टारकजी को इस विरोध की कुछ भी खबर नहीं पड़ी और वे वैसे ही बिना सोचे समझे इधर उधर से पद्यों का संग्रह कर गये हैं। ११०वें पद्य के उत्तरार्द्ध में आप लिखते हैं– 'षट्कर्माणि तु प्रोक्तानि पल्लवा अत उच्यते'-- अर्थात् छह कर्म तो कहे गये अब पल्लवों का कथन किया जाता है। परन्तु कथन तो आपने इससे पहले वशीकरण आदि आठ कर्मों का किया है फिर यह छह की संख्या कैसी? और पल्लवों का विधान भी आप प्रत्येक कर्म के साथ में कर चुके हैं फिर उनके कथन की यह नई प्रतिज्ञा कैसी? और उस प्रतिज्ञा का पालन भी क्या किया गया? पल्लवों की कोई खास व्यवस्था नहीं बतलाई, महज कुछ मंत्र दिये हैं जिनके साथ में पल्लव भी लगे हुए हैं और वे पल्लव भी कई स्थानों पर पूर्व कथन के विरुद्ध हैं। मालूम नहीं यह सब कुछ लिखते हुए भट्टारकजी क्या किसी नशे की हालत में थे, उन्मत्त थे अथवा उन्हें इतनी भी सूझ बूझ नहीं थी जो अपने सामने स्थित एक ही पत्र पर के पूर्वापर विरोधों को भी समझ सकें! और क्या इसी बिरते अथवा बूते पर

४५. अर्थात् एक जगह स्तंभ कर्म में स्वर्णमणि की माला का और निषेध (मारण) कर्म में जीयापूते की माला का (जिसे सोनीजी ने पुत्र जीव नामक किसी मणि की, रत्न की माला समझा है!) विधान किया है तब दूसरी जगह स्तंभन तथा दुष्टों के सन्नाशन दोनों कर्मों के लिये पत्थर के टुकडों की माला बतलाई गई है। विद्वेष कर्म में एक जगह जीयापूते की और दूसरी जगह रीठे के बीज की माला लिखी है और शांतिकर्म में एक जगह मोतियों की तो दूसरी जगह कमलगट्टों की माला की व्यवस्था की गई है। इस तरह पर यह कथन परस्पर विरोध को लिये हुए है।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

आप ग्रन्थ रचना करने बैठ गये! संभव है भट्टारकजी को घर की ऐसी कुछ ज्यादा अकल न हो और उन्होंने किराये के साधारण आदमियों से रचना का काम लिया भी हो और उसी की वजह से यह सब गड़बड़ी फैली हो। परन्तु कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं कि इस ग्रन्थ का निर्माण किसी अच्छे हाथ से नहीं हुआ और इसीलिये वह पद पद पर अनेक प्रकार के विरोधों से भरा हुआ है तथा बहुत ही बेढंगेपन को लिये हुए है।

यहाँ पर पाठकों को यह जानकर बड़ा ही आश्चर्य तथा कौतूहल होगा कि भट्टारकजी ने 'सामायिक' के इस अध्याय में विद्वेषण तथा मारण मंत्रों तक के जप का विधान किया है[४६] और ऐसे दुष्ट कार्यार्थी मंत्रों के जप का स्थान श्मशान भूमि[४७] बतलाया है!! खेद है जिस सामायिक की बाबत आपने स्वयं यह प्रतिपादन किया है कि 'उसमें सब जीवों पर समता भाव रखा जाता है, संयम में शुभ भावना रहती है तथा आर्त्त रौद्र नाम के अशुभ ध्यानों का त्याग होता है' और जिसके विषय में आप यहाँ तक शिक्षा दे आए हैं कि 'उसके अभ्यासी को जीवन-मरण, लाभ-अलाभ, योग-वियोग, बन्धु-शत्रु तथा सुख-दुःख में सदा समता भाव रखना चाहिए- रागद्वेष नहीं करना चाहिए' उसी सामायिक के प्रकरण में आप विद्वेष फैलाने तथा किसी को मारने तक के मंत्रों का विधान करते हैं!! यह कितना भारी विरोध तथा अन्याय है। क्या ऐसे पाप मंत्रों का जपना भी 'सामायिक' हो सकता है? कदापि नहीं। ऐसे मारणादि विषयक मंत्रों का आराधन प्रायः हिंसानन्दी रौद्र ध्यान का विषय है और वह कभी 'सामायिक' नहीं कहला सकता। भगवज्जिनसेन ने भी ऐसे मंत्रों को 'दुर्मंत्र' बतलाया है जो प्राणियों के मारण में प्रयुक्त होते हैं[४८] भले ही उनके साथ में अर्हन्तादिक का नाम भी क्यों न लगा हो। और इसलिये यहाँ पर ऐसे मंत्रों का विधान करके सामायिक के प्रकरण का बहुत ही बड़ा दुरुपयोग किया गया है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। और इससे भट्टारकजी के विवेक का और भी अच्छा खासा पता चल जाता है अथवा यह मालूम हो जाता है कि उनमें हेयादेय के विचार अथवा समझ बूझ का माद्दा बहुत ही कम था। फिर वे बेचारे अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन भी कहाँ तक कर सकते थे, कहाँ तक वैदिक तथा लौकिक व्यामोह को छोड़ सकते थे। और उनमें चारित्रबल भी कितना हो सकता था, जिससे वे अपनी अशुभ प्रवृत्तियों पर विजय पाते और मायाचार अथवा छलकपट न करते! अस्तु।

यह तो हुआ प्रतिज्ञादि के विरोधों का दिग्दर्शन। अब मैं दूसरे प्रकार के विरुद्ध कथनों की ओर अपने पाठकों का ध्यान आकृष्ट करता हूँ, जो इस विषय में और भी ज्यादा महत्त्व को लिये हुए हैं और ग्रन्थ को सविशेष रूप से अमान्य, अश्रद्धेय तथा त्याज्य ठहराने के लिये समर्थ हैं।

४६. यथा- ॐ ह्रां, अर्हद्भ्यो ह्रूं फट्, ॐ ह्रीं सिद्धेभ्यो ह्रूं फट्, इत्यादि-विद्वेषमंत्रः। ॐ ह्रां अर्हद्भ्यो घेघे इति (इत्यादि?) मारणमंत्रः।

४७. यथा- श्मशाने दुष्टकार्यार्थं शान्त्याद्यर्थीजिनालये॥१११॥

४८. यथा- दुर्मंत्रास्तेऽत्र विज्ञेया ये युक्ताः प्राणिमारणे॥३९-२६॥ -आदिपुराण।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

दूसरे विरुद्ध कथन

लेख के इस विभाग में प्रायः उन कथनों का दिग्दर्शन कराया जाएगा जो जैन धर्म, जैन सिद्धान्त, जैन नीति, जैन आदर्श, जैन आचार-विचार अथवा जैन शिष्टाचार आदि के विरुद्ध हैं और जैन शासन के साथ जिनका प्रायः कोई मेल नहीं। इससे पाठकों पर ग्रन्थ की असलियत और भी अच्छी तरह से खुल जायेगी और उन्हें ग्रन्थकर्ता की मनोदशा का भी कितना ही विशेष अनुभव हो जायेगा अथवा यों कहिये कि भट्टारकजी की श्रद्धा आदि का उन्हें बहुत सा पता चल जायेगा–

देव, पितर और ऋषियों का घेरा

(१) 'शौच' नाम के दूसरे अध्याय में, कुल्ला करने का विधान करते हुए, भट्टारकजी ने लिखा है–

[४९]पुरतः सर्वदेवाश्च दक्षिणे व्यन्तराः (पितरः) स्थिताः (तथा)।
ऋषयः पृष्ठतः सर्वे वामे गण्डूषमुत्सृजेत् (माचरेत्)॥६०॥

अर्थात्- सामने सर्व देव, दाहिनी ओर व्यंतर (पितर) और पीठ पिछाड़ी सर्व ऋषि खड़े हैं अतः बाँई तरफ कुरला करना चाहिए। और इस तरह पर यह सूचित किया है कि मनुष्य को तीन तरफ देव, पितर तथा ऋषिगण घेरे रहते हैं, कुल्ला कहीं उनके ऊपर न पड़ जाये उसी के लिये यह अहतियात की गई है। परन्तु उन लोगों का वह घेरा कुल्ले के वक्त ही होता है या स्वाभाविक रूप से हर वक्त रहता है, ऐसा कुछ सूचित नहीं किया। यदि कुल्ले के वक्त ही होता है तो उसका कोई कारण विशेष होना चाहिए। क्या कुल्ले का तमाशा देखने के लिये ही ये सब लोग उसके इरादे की खबर पाकर जमा हो जाते हैं? यदि ऐसा है तब तो वे लोग आकाश में कुल्ला करने वाले के सिर पर खड़े होकर भी तमाशा देख सकते हैं और छींटों से बच सकते हैं। उनके लिये ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत ही नहीं, वह निरर्थक जान पड़ती है। और यदि उनका घेरा बराबर में हर वक्त बना रहता है तब तो बड़ी मुश्किल का सामना है, इधर तो उन बेचारों को बड़ी ही कवाइद सी करनी पड़ती होगी, क्योंकि मनुष्य

४९. इस पद्य के अनुवाद में सोनीजी ने बड़ा तमाशा किया है। आपने 'पुरतः' का अर्थ 'पूर्व की तरफ', 'पृष्ठतः' का अर्थ 'पश्चिम की ओर' और 'वामे' पद के साथ में मौजूद होते हुए भी 'दक्षिणं' का अर्थ दाहिनी ओर न करके 'दक्षिण दिशा की तरफ' गलत किया है और इस सख्त गलती के कारण ही पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम दिशाओं में क्रमशः सर्व देवों, व्यन्तरों तथा सर्व ऋषियों का निवास बतला दिया है! परन्तु 'वामे' का अर्थ आप 'उत्तर दिशा' न कर सके और इसलिये आपको ''इन तीन दिशाओं में कुरला न फेंके'' के साथ साथ यह भी लिखना पड़ा- ''किन्तु अपनी बाँई ओर फेंके''। परन्तु बाँई और यदि पूर्व दिशा हो, दक्षिण दिशा हो, अथवा पश्चिम दिशा हो तब क्या बने और कैसे बाँई ओर कुरला करने का नियम कायम रहे? इसकी आपको कुछ भी खबर नहीं पड़ी! और न यही ख्याल आया कि जैनागम में कहाँ पर ये दिशाएँ इन देवादिकों के लिए मखसूस अथवा निर्धारित की गई हैं!! वैसे ही बिना सोचे समझे जो जी में आया लिख मारा!! यह भी नहीं सोचा कि यदि पूर्व की ओर सारे देव रहते हैं तो फिर इस ग्रन्थ में ही पूर्व की ओर मुँह करके मलत्याग करने को क्यों कहा गया है? क्या कुरला मूत्र की धार से भी गया बीता है?

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

जल्दी-जल्दी अपने मुख तथा आसन को इधर से उधर बदलता रहता है, उसके साथ में उन्हें भी जल्दी से पैंतरा बदलकर बिना इच्छा भी घूमना पड़ता होगा!! और उधर मनुष्यों का थूकना तथा नाक साफ करना भी तब इधर उधर नहीं बन सकेगा, जिसके लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई! यह मल भी तो कुल्ले के जल से कुछ कम अपवित्र नहीं है। खैर, इसकी व्यवस्था भी हो सकेगी और यह मल भी बाँई और फेंका जा सकेगा, पर मूत्रोत्सर्ग के समय-जो उत्सर्ग के सामने की और ही होता है-देवताओं की क्या व्यवस्था बनेगी, यह कुछ समझ में नहीं आता!! परन्तु समझ में कुछ आओ या न आओ, कोई व्यवस्था बनो या न बनो, बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़े या छोटी मुश्किल का और कुल्ले के वक्त पर उन देवादिकों के उपस्थित होने का भी कोई कारण हो या न हो, किन्तु इसमें संदेह नहीं कि जैनधर्म के साथ इस सब कथन का कुछ भी सम्बन्ध नहीं है-उसकी कोई संगति ठीक नहीं बैठती। जैनधर्म में देवों, पितरों तथा ऋषियों का जो स्वरूप दिया है अथवा जीवों की गति स्थिति आदि का जो निरूपण किया है उसे देखते हुए भट्टारकजी का उक्त कथन उसके बिल्कुल विरुद्ध जान पड़ता है और उस अतत्त्व श्रद्धान को पुष्ट करता है जिसका नाम मिथ्यात्व है। मालूम नहीं उन्होंने एक जैनी के रूप में उसे किस तरह अपनाया है। वास्तव में यह सब कथन हिन्दू धर्म का कथन है। उक्त श्लोक भी हिन्दुओं के 'प्रयोगपारिजात' ग्रन्थ का श्लोक है, और वह 'आन्हिकसूत्रावली' में भी, ब्रैकिटों में दिये हुए पाठभेद के साथ, प्रयोगपारिजात से उद्धृत पाया जाता है। पाठभेद में 'पितरः' की जगह 'व्यन्तराः' पद का जो विशेष परिवर्तन नजर आता है वह अधिकांश में लेखकों की लीला का ही एक नमूना जान पड़ता है। अन्यथा, उसका कुछ भी महत्त्व नहीं है, और सर्व देवों में व्यन्तर भी शामिल हैं।

दन्तधावन करने वाला पापी

(२) त्रिवर्णाचार के दूसरे अध्याय में, दन्तधावन का वर्णन करते हुए, एक पद्य निम्न प्रकार से दिया है-

सहस्त्रांशावनुदिते यः कुर्याद्दन्तधावनम्।
स पापी मरणं याति सर्वजीवदयातिगः॥७१॥

इसमें लिखा है कि 'सूर्योदय से पहले जो मनुष्य दन्तधावन करता है वह पापी है, सर्व जीवों के प्रति निर्दयी है और (जल्दी) मर जाता है। परन्तु उसने पाप का कौन सा विशेष कार्य किया? कैसे सर्व जीवों के प्रति उसका निर्दयत्व प्रमाणित हुआ? और शरीर में कौन सा विकार उपस्थित हो जाने से वह जल्दी मर जायेगा! इन सब बातों का उक्त पद्य से कुछ भी बोध नहीं होता। आगे पीछे के पद्य भी इस विषय में मौन हैं और कुछ उत्तर नहीं देते। लोकव्यवहार भी ऐसा नहीं पाया जाता और न प्रत्यक्ष में ही किसी को उस तरह से जल्दी मरता हुआ देखा जाता है। मालूम नहीं भट्टारकजी ने कहाँ से ये निर्मूल आज्ञाएँ जारी की हैं, जिनका जैन नीति अथवा जैनागम से कोई समर्थन नहीं होता। प्राचीन जैन शास्त्रों में ऐसी कोई भी बात नहीं देखी जाती, जिससे बेचारे प्रातःकाल उठकर दन्तधावन करने

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

वाले एक साधारण गृहस्थ को पापी ही नहीं किन्तु सर्व जीवों के प्रति निर्दयी तक ठहराया जाये और न शरीर शास्त्र का ही ऐसा कोई विधान जान पड़ता है जिससे उस वक्त का दन्तधावन करना मरण का साधन हो सके। वाग्भट जैसे शरीरशास्त्र के आचार्यों ने ब्रह्ममुहूर्त में उठकर शौच के अनंतर प्रातःकाल ही दन्तधावन का साफ तौर से विधान किया है। वह स्वास्थ्य के लिये कोई हानिकर नहीं हो सकता। और इसलिये यह सब कथन भट्टारकजी की प्रायः अपनी कल्पना जान पड़ता है। जैनधर्म की शिक्षा से इसका कोई खास सम्बन्ध नहीं है। खेद है कि भट्टारकजी को इतनी भी खबर नहीं पड़ी कि क्या प्रातःसंध्या बिना दन्तधावन के ही हो जाती है[५०] जिसको आप स्वयं ही 'सूर्योदयाच्च प्रागेव प्रातःसंध्यां समापयेत् (३-१३५)' वाक्य के द्वारा सूर्योदय से पहले ही समाप्त कर देने को लिखते हैं!! यदि खबर पड़ती तो आप व्यर्थ ही ऐसे निःसार वाक्य द्वारा अपने कथन में विरोध उपस्थित न करते। अस्तुः इसी प्रकरण में भट्टारकजी ने दो पद्य निम्न प्रकार से भी दिये हैं–

गुवा (डा) कतालहिन्तातकेतक्य (का) श्च महा (वृहद्) वटः।
खर्जूरी नालिकेरश्च सप्तैते तृणाराजकाः॥६६॥
तृणराजसमोपेतो (तं) यः कुर्याद्वन्तधावनम्।
निर्दयः पापभागी स्यादनन्तकायिकं त्यजेत्॥६७॥

इनमें से पहले पद्य में सात वृक्षों के नाम दिये हैं, जिनकी 'तृणराज' संज्ञा है और जिनमें बड़ तथा खजूर भी शमिल हैं और दूसरे पद्य में यह बतलाते हुए कि 'तृणराज की जो दाँतुन करता है वह निर्दयी तथा पाप का भागी होता है,' परिणाम रूप से यह उपदेश भी दिया है कि '(अतः) अनन्तकायिक को छोड़ देना चाहिए'। इस तरह पर भट्टारकजी ने इन वृक्षों की दाँतुन को अनन्तकायिक बतलाया है और शायद इसीलिए ऐसी दाँतुन करने वाले को निर्दयी तथा पाप का भागी ठहराया हो! सोनी जी ने भी अनुवाद में लिख दिया है–''क्योंकि इनकी दतौन के भीतर अनन्त जीव रहते हैं।'' परन्तु जैन सिद्धान्त में 'अनंतकायिक' अथवा 'साधारण' वनस्पति का जो स्वरूप दिया है–जो पहचान बतलाई है–उससे उक्त बड़ तथा खजूर आदि की दाँतुन का अनन्तकायिक होना लाजिमी नहीं आता और न किसी माननीय जैनाचार्य ने इन सब वृक्षों की दाँतुन में अनन्त जीवों का होना ही बतलाया है। प्राचीन जैन शास्त्रों में तो 'सप्त तृणराज' का नाम भी सुनाई नहीं पड़ता। भट्टारकजी ने उनका यह कथन हिन्दू धर्म के ग्रन्थों से उठाकर रखा है। उक्त पद्यों में से पहला पद्य और दूसरे पद्य का पूर्वार्द्ध दोनों 'गोभिल' ऋषि के वचन हैं और वे ब्रैकिटों में दिये हुए पाठभेद के साथ 'स्मृतिरत्नाकर' में भी 'गोभिल' के नाम से उल्लेखित मिलते हैं। गोभिल ने दूसरे पद्य का उत्तरार्द्ध ''नरश्चाण्डालयोनिः स्याद्यावद् गंगां न पश्यति'' दिया था जिसको भट्टारकजी ने 'निर्दयः पापभागी स्यादनंतकायिकं त्यजेत्' के रूप में बदल दिया है! और इस तरह पर ऐसी दाँतुन करने वाले को पापी आदि सिद्ध करने

५०. नहीं होती। भट्टारकजी ने खुद संध्या समय के स्नान को जरूरी बतलाते हुए उसे दन्तधावनपूर्वक करना लिखा है। यथा– सन्ध्याकाले... कुर्यात्स्नानत्रयं जिह्वादंतधावनपूर्वकम्॥१०७-१११॥

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

के लिये उन दाँतुनों में ही अनंत जीवों की कल्पना कर डाली है!! जो मान्य किये जाने के योग्य नहीं। और न उसके आधार पर ऐसी दाँतुन करने वाले को पापी तथा निर्दयी ही ठहराया जा सकता है। खेद है कि भट्टारकजी ने स्वयं ही दो पद्य पहले-६३वें पद्य में-'वटस्तथा' पद के द्वारा, वाग्भट आदि की तरह, बड़ की दाँतुन का विधान किया और ६४वें पद्य में 'एताः प्रशस्ताः कथिता दन्तधावनकर्मणि' वाक्य के द्वारा उसे दन्तधावन कर्म में श्रेष्ठ भी बतलाया परन्तु बाद को गोभिल के वचन सामने आते ही आप, उनके कथन की दृष्टि और अपनी स्थिति का विचार भूलकर, एकदम बदल गये और आपको इस बात का मान भी न रहा कि जिस बड़ की दाँतुन का हम अभी विधान कर आए हैं उसी का अब निषेध करने जा रहे हैं!! इससे कथन की विरुद्धता ही नहीं किंतु भट्टारकजी की खासी असमीक्ष्यकारिता भी पाई जाती है।

तेल मलने की विलक्षण फलघोषणा

(३) दूसरे अध्याय में, तेलमर्दन का विधान करते हुए, भट्टारकजी ने उसके फल का जो बखान किया है वह बड़ा ही विलक्षण है। आप लिखते हैं-

सोमे कीर्तिः प्रसरति वरा रोहिणेये हिरण्यं
देवाचार्ये तरणितनये वर्धते नित्यमायुः।
तैलाभ्यङ्गात्तनुजमरणं दृश्यते सूर्यवारे
भौमे मृत्युर्भवति च नितरां भार्गवे वित्तनाशः॥८४॥

अर्थात्-सोमवार के दिन तेल मलने से उत्तम कीर्ति फैलती है, बुध के दिन तेल मलने से सुवर्ण की वृद्धि होती है, लक्ष्मी बढ़ती है, गुरुवार तथा शनिवार के दिन मलने से सदा आयु बढ़ती है, रविवार के दिन मलने से पुत्र का मरण होता है, मंगल के दिन की मालिश से अपना ही मरण हो जाता है और शुक्रवार के दिन की मालिश सदा धन का क्षय किया करती है।

तेल की मालिश का यह फल कितना प्रत्यक्ष विरुद्ध है इसे बतलाने की जरूरत नहीं। सहृदय पाठक अपने नित्य के अनुभव तथा व्यवहार से उसकी सहज ही में जाँच कर सकते हैं। इस विषय की और भी गहरी जाँच के लिये जैन सिद्धान्तों को बहुत कुछ टटोला गया और कर्म फिलॉसोफी का भी बहुतेरा मथन किया गया परन्तु कहीं से भी ऐसा कोई नियम उपलब्ध नहीं हुआ जिससे प्रत्येक दिन के तेल मर्दन का उसके उक्त फल के साथ अविनाभावी सम्बन्ध (व्याप्ति) स्थापित हो सके। वैद्यक शास्त्र के प्रधान ग्रन्थ भी इस विषय में मौन मालूम होते हैं। वाग्भट आचार्य अपने 'अष्टांगहृदय' में नित्य तेल मर्दन का विधान करते हैं और उसका फल बतलाते हैं-''जरा, श्रम तथा वात विकार की हानि, दृष्टि की प्रसन्नता, शरीर की पुष्टि, आयु की स्थिरता, सुनिद्रा की प्राप्ति और त्वचा की दृढ़ता।'' और यह फल बहुत कुछ समीचीन जान पड़ता है। यथा-

अभ्यंगमाचरेन्नित्यं स जराश्रमवातहा।
दृष्टिप्रसादपुष्ट्यायुः स्वप्नसुत्वक्त्वदार्ढ्यकृत्॥८॥

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

हाँ, इस ढूँढ खोज में, शब्दकल्पद्रुम कोश से, हिन्दू शास्त्रों के दो पद्य जरूर मिले हैं जिनका विषय भट्टारकजी के पद्य के साथ बहुत कुछ मिलता-जुलता है और वे इस प्रकार हैं–

१. **अर्के नूनं दहति हृदयं कीर्तिलाभश्च सोमे**
भौमे मृत्युर्भवति नियतं चन्द्रजे पुत्रलाभः।
अर्थग्लानिर्भवति च गुरौ भार्गवे शोकयुक्त-
स्तैलाभ्यंगात्तनयमरणं सूर्यजे दीर्घमायुः॥

२. **सन्तापः कीर्तिरल्पायुर्धनं निधनमेव च।**
आरोग्यं सर्वकामाप्तिरभ्यंगाद्भास्करादिषु॥

इनमें से पहला पद्य 'ज्योतिः सार संग्रह' का और दूसरा 'गारुड' के ११४वें अध्याय का पद्य है। दोनों में परस्पर कुछ अंतर भी है-पहले पद्य में बुध के दिन तेल मलने से पुत्र लाभ का होना बतलाया है तो दूसरे में धन का होना लिखा है और यह धन का होना भट्टारकजी के पद्य के साथ साम्य रखता है, दूसरे में शनिवार के दिन सर्वकामाप्ति (इच्छाओं की पूर्ति) का विधान किया है तो पहले में दीर्घायु होना लिखा है और यह दीर्घायु होना भी भट्टारकजी के पद्य के साथ साम्य रखता है। इसी तरह शुक्रवार के दिन तेलमर्दन का फल एक में 'आरोग्य' तो दूसरे में 'शोकयुक्त' बतलाया है और भट्टारकजी उसे 'वित्तनाश' लिखते हैं जो शोक का कारण हो सकता है, रविवार और गुरुवार का फल दोनों में समान है परन्तु भट्टारकजी के पद्य में वह कुछ भिन्न है और सोमवार तथा मंगल को तेल लगाने का फल तीनों में ही समान है। अस्तु, इन पद्यों के सामने आने से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि इस तेलमर्दन के फल का कोई एक नियम नहीं पाया जाता, वैसे ही जिसकी जो जी में आया उसने वह फल, अपनी रचना में कुछ विशेषता अथवा रंग लाने के लिये, एक दूसरे की देखा देखी घड़ डाला है। बहुत संभव है भट्टारकजी ने हिन्दू ग्रन्थों के किसी ऐसे ही पद्य का यह अनुसरण किया हो अथवा जरूरत बिना उसे कुछ बदलकर या ज्यों का त्यों ही उठाकर रख दिया हो। परन्तु कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं कि उनका उक्त पद्य सैद्धांतिक दृष्टि से जैनधर्म के विरुद्ध है और जैनाचार विचार के साथ कुछ सम्बन्ध नहीं रखता।

रविवार के दिन स्नानादिक का निषेध

(४) भट्टारकजी दूसरे अध्याय में यह भी लिखते हैं कि रविवार (इतवार) के दिन दन्तधावन नहीं करना चाहिए, तेल नहीं मलना चाहिए और न स्नान ही करना चाहिए। यथा–

अर्कवारे व्यतीपाते संक्रान्तौ जन्मवासरे।
वर्जयेद्दन्तकाष्ठं तु व्रतादीनां दिनेषु च॥६९॥
अष्टभ्यां च चतुर्दश्यां पंचम्यामर्कवासरे।
व्रतादीनां दिनेष्वेव न कुर्यात्तैलमर्दनम्॥८१॥
तस्मात्स्नानं प्रकर्तव्यं रविवारे तु वर्जयेत्॥९७॥

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

तेलमर्दन की बाबत तो खैर आपने लिख दिया कि उससे पुत्र का मरण हो जाता है, परन्तु दन्तधावन और स्नान की बाबत कुछ भी नहीं लिखा कि उन्हें क्यों नहीं करना चाहिए? क्या उनके करने से रवि महाराज (सूर्यदेवता) नाराज हो जाते हैं? यदि ऐसा है तब तो लोगों को बहुत कुछ विपत्ति में पड़ना पड़ेगा, क्योंकि अधिकांश जनता रविवार के दिन सविशेष रूप से स्नान करती है। छुट्टी का दिन होने से उस दिन बहुतों को अच्छी तरह से तेलादिक मलकर स्नान करने का अवसर मिलता है। इसके सिवाय, उस दिन भगवान् का पूजनादिक भी न हो सकेगा, जो भट्टारकजी के कथनानुसार दंतधावनपूर्वक स्नान की अपेक्षा रखता है, उन देवपितरों को भी उस दिन प्यासे रहना होगा जिनके लिये स्नान के अवसर पर भट्टारकजी ने तर्पण के जल की व्यवस्था की है और जिसका विचार आगे किया जायेगा, और भी लोक में कितनी ही अशुचिता छा जायेगी और बहुत से धर्मकार्यों को हानि पहुँचेगी, बल्कि त्रिवर्णाचार की स्नान विषयक आवश्यकताओं को देखते हुए तो यह कहना भी कुछ अत्युक्ति में दाखिल न होगा कि धर्मकार्यों में एक प्रकार का प्रलय-सा उपस्थित हो जायेगा। मालूम नहीं भट्टारकजी ने फिर क्या सोचकर रविवार के दिन स्नान का निषेध किया है!! जैनसिद्धान्तों से तो इसका कुछ सम्बन्ध है नहीं और न जैनियों के आचार विचार के ही यह अनुकूल पाया जाता है, प्रत्युत उसके विरुद्ध है। शायद भट्टारकजी को हिन्दू धर्म के किसी ग्रन्थ से रविवार के दिन स्नान के निषेध का भी कोई वाक्य मिल गया हो और उसी के भरोसे पर आप ने वैसी आज्ञा जारी कर दी हो। परन्तु मुझे तो मुहूर्तचिन्तामणि आदि ग्रन्थों से यह मालूम हुआ है कि 'रोगनिर्मुक्त स्नान' तक के लिये रविवार का दिन प्रशस्त माना गया है। इसी से श्रीपतिजी लिखते हैं– ''लग्ने चरे सूर्यकुजेज्यवारे... स्नानं हितं रोगविमुक्तकानाम्''। हाँ, दंतधावन का निषेध तो उनके यहाँ व्यासजी के निम्न वाक्य से पाया जाता है जिसमें कुछ तिथियों तथा रविवार के दिन दाँतों से काष्ठ के संयोग करने की बाबत लिखा है कि वह सातवें कुल तक को दहन करता है और जो आह्निकसूत्रावलि में इस प्रकार से उद्धृत है–

प्रतिपद्दर्शषष्ठीषु नवम्यां रविवासरे।
दंतानां काष्ठसंयोगो दहत्यासप्तमं कुलम्॥

परन्तु जैनशासन की ऐसी शिक्षाएँ नहीं हैं, और इसलिये भट्टारकजी का उक्त कथन भी जैन मत के विरुद्ध है।

घर पर ठंडे जल से स्नान न करने की आज्ञा

(५) भट्टारकजी ने एक खास आज्ञा और भी जारी की है और वह यह है कि ''घर पर कभी ठंडे जल से स्नान न करना चाहिए।'' आप लिखते हैं–

अभ्यङ्गे चैव मांगल्ये गृहे चैव तु सर्वदा।
शीतोदकेन न स्नायान्न धार्यं तिलकं तथा॥३-५५॥

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

अर्थात्–तेल मला हो या कोई मांगलिक कार्य करना हो उस वक्त, और घर पर हमेशा ही ठंडे जल से स्नान न करना चाहिए और न वैसे स्नान किये बिना तिलक ही धारण करना चाहिए।

यहाँ तेल की मालिश के अवसर पर गर्म जल से स्नान की बात तो किसी तरह पर समझ में आ सकती है, परन्तु घर पर सदा ही गर्म जल से स्नान करने की अथवा ठंडे जल से कभी भी स्नान न करने की बात कुछ समझ में नहीं आती। मालूम नहीं उसका क्या कारण है और वह किस आधार पर अवलम्बित है। क्या ठंडे जल से स्नान नदी सरोवरादिक तीर्थों पर ही होता है अन्यत्र नहीं? और घर पर उसके कर लेने से जलदेवता रुष्ट हो जाते हैं? यदि ऐसा कुछ नहीं तो फिर घर पर ठंडे जल से स्नान करने में कौन बाधक है? ठंडा जल स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है और गर्म जल प्रायः रोगी तथा अशक्त गृहस्थों के लिये बतलाया गया है। ऐसी हालत में भट्टारकजी की उक्त आज्ञा समीचीन मालूम नहीं होती, वह जैनशासन के विरुद्ध जँचती है। लोक व्यवहार भी प्रायः उसके विरुद्ध है। लौकिक जन, ऋतु आदि के अनुकूल, घर पर स्नान के लिये ठंडे तथा गर्म दोनों प्रकार के जल का व्यवहार करते हैं।

हाँ, हिन्दुओं के धर्म शास्त्रों से एक बात का पता चलता है और वह यह कि उनके यहाँ नदी आदि तीर्थों पर ही स्नान करने का विशेष माहात्म्य है, उसी से स्नान का फल माना गया है, अन्यत्र के स्नान से महज शरीर की शुद्धि होती है, स्नान का जो पुण्यफल है वह नहीं मिलता और इसलिये उनके यहाँ तीर्थाभाव में अथवा तीर्थ से बाहर (घर पर) उष्ण जल से स्नान कर लेने की भी व्यवस्था की गई है। सम्भव है उसका एकान्त लेकर ही भट्टारकजी को यह आज्ञा जारी करने की सूझी हो, जो मान्य किये जाने के योग्य नहीं। अन्यथा, हिन्दुओं के यहाँ भी दोनों प्रकार के स्नान का विधान पाया जाता है। यथा–

नित्यं नैमित्तिकं स्नानं क्रियाङ्गं मलकर्षणम्।
तीर्थाभावे तु कर्तव्यमुष्णोदकपरोदकैः॥ यमः॥
कुर्यान्नैमित्तिकं स्नानं शीताद्भिः काम्यमेव च।
नित्यं यादृच्छिकं चैव यथारुचि समाचरेत्॥ चंद्रिका॥ –इति स्मृतिरत्नाकरे।

भट्टारकजी ने अपने उक्त पद्य से पहले 'आपः स्वभावतः शुद्धाः' नाम का जो पद्य गर्म जल से स्नान की प्रशंसा में दिया है वह भी हिन्दू ग्रन्थों से उठाकर रखा है। स्मृतिरत्नाकर में, वह साधारण से पाठ भेद[५१] के साथ, प्रायः ज्यों का त्यों पाया जाता है और उसे आतुरविषयक– रोगी तथा अशक्तों के स्नान सम्बन्धी–– सूचित किया है, जिसे भट्टारकजी ने शायद नहीं समझा और वैसे ही अगले पद्य में समूचे गृहस्नान के लिये सदा को ठंडे जल का निषेध कर दिया!!

शूद्रत्व का अद्भुत योग

५१. वह पाठ भेद 'शुद्धाः' की जगह 'मेध्याः' 'वन्हिता पिताः' की जगह 'वन्हिसंयुताः' और 'अतः' की जगह 'तेन' इतना ही है जो कुछ अर्थ भेद नहीं रखता।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

(६) दूसरे अध्याय में, स्नान का विधान करते हुए, भट्टारकजी लिखते हैं कि 'जो गृहस्थ सात दिन तक जल से स्नान नहीं करता वह शूद्रत्व को प्राप्त हो जाता है–शूद्र बन जाता है'। यथा–

सप्ताहान्यम्भसाऽस्नायी गृही शूद्रत्वमाप्नुयात्॥९७॥

शूद्रत्व के इस अद्‌भुत योग अथवा नूतन विधान को देखकर बड़ा आश्चर्य होता है और समझ में नहीं आता कि एक ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य महज सात दिन के स्नान न करने से कैसे शूद्र बन जाता है। कहाँ से शूद्रत्व उसके भीतर घुस जाता है? क्या शूद्र का कर्म स्नान न करना है? अथवा शूद्र स्नान नहीं किया करते? शूद्रों को बराबर स्नान करते हुए देखा जाता है, और उनका कर्म स्नान न करना कहीं भी नहीं लिखा। स्वयं भट्टारकजी ने सातवें अध्याय में शूद्रों का कर्म त्रिवर्णों की सेवा तथा शिल्प कर्म बतलाया है और यहाँ तक लिखा है, कि ये चारों वर्ण अपने अपने नियत कर्म के विशेष से कहे गये हैं, जैनधर्म को पालन करने में इन चारों वर्णों के मनुष्य परम समर्थ हैं और उसे पालन करते हुए वे सब परस्पर में भाई-भाई के समान हैं। यथा–

विप्रक्षत्रियवैश्यानां शूद्रास्तु सेवका मता॥१४०॥
तेषु नानाविधं शिल्पं कर्म प्रोक्तं विशेषतः॥१४१॥
विप्रक्षत्रियविट्‌शूद्राः प्रोक्ताः क्रियाविशेषतः।
जैनधर्मे पराः शक्तास्ते सर्वे बान्धवोपमाः॥१४२॥

फिर आपका यह लिखना कि सात दिन तक स्नान न करने से कोई शूद्र हो जाता है, कितना असंगत है और शूद्रों के प्रति कितना तिरस्कार का द्योतक तथा अन्यायमय है, इसे पाठक स्वयं समझ सकते हैं। हाँ, यदि कोई द्विज अर्से तक शिल्पादि कर्म करता रहे तो उसे भट्टारकजी अपने लक्षण के अनुसार शूद्र कह सकते थे परन्तु स्नान न करना कोई शूद्र कर्म नहीं है। उसके लिये रोगादिक के अनेक कारण सभी के लिये हो सकते हैं और इसलिये महज उसकी वजह से किसी में शूद्रत्व का योग नहीं किया जा सकता। मालूम नहीं सात दिन के बाद यदि वह गृहस्थ फिर नहाना शुरू कर देवे तो भट्टारकजी की दृष्टि में उसका वह शूद्रत्व दूर होता है या कि नहीं? ग्रन्थ में इसके बाबत कुछ लिखा नहीं!!

(७) तीसरे अध्याय में भट्टारकजी उस मनुष्य को जीवन भर के लिए शूद्र ठहराते हैं और मरने पर कुत्ते की योनि में जाना बतलाते हैं, जो संध्याकाल प्राप्त होने पर भी संध्या नहीं करता है!! यथा–

संध्याकाले तु सम्प्राप्ते सन्ध्यां नैवमुपासते।
जीवमानो भवेच्छूद्रः मृतः श्वा चैव जायेते॥१४१॥

यहाँ भी पूर्ववत् शूद्रत्व का अद्‌भुत योग किया गया है और इससे यह भी ध्वनित होता है कि शूद्र को संध्योपासन का अधिकारी नहीं समझा गया। परन्तु यह हिन्दूधर्म की शिक्षा है, जैनधर्म की शिक्षा नहीं। जैनधर्म के अनुसार शूद्र संध्योपासन के अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता। जैनधर्म में उसे नित्य पूजन का अधिकार दिया गया है।[५२] वह त्रिसंध्या सेवा का अधिकारी है और ऊँचे दर्जे

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

का श्रावक हो सकता है। इसी से सोमदेव सूरि तथा पं० आशाधरजी ने भी आचारादि की शुद्धि को प्राप्त हुए शूद्र को ब्राह्मणादिक की तरह से धर्मक्रियाओं के करने का अधिकारी बतलाया है, जैसा कि उनके निम्न वाक्यों से प्रकट है–

''**आचाराऽनवद्यत्वं शुचिरुपस्कारः शरीरशुद्धिश्च करोति शूद्रानपि देवद्विजातिपरिकर्मसु योग्यान्।**'' –नीतिवाक्यामृत।

''अथ शूद्रस्याप्याहारादिशुद्धिमतो ब्राह्मणादिवद्धर्मक्रियाकारित्वं यथोचितमनुमन्यमानः प्राह–

शूद्रोऽप्युपस्कराचारवपुःशुध्यास्तु तादृशः।
जात्या हीनोऽपि कालादिलब्धौ ह्यात्मास्ति धर्मभाक्॥''

–सागारधर्मामृत सटीक।

इसके सिवाय, भट्टारकजी ऊपर उद्धृत किये हुए पद्य नं० १४२ में जब स्वयं यह बतला चुके हैं कि शूद्र भी जैनधर्म का पालन करने में 'परम समर्थ' हैं तो फिर वे संध्योपासन कैसे नहीं कर सकते और कैसे यह कहा जा सकता है कि जो संध्यासमय संध्योपासन नहीं करता वह जीवित शूद्र होता है? मालूम होता है यह सब कुछ लिखते हुए भट्टारकजी जैनत्व को अथवा जैनधर्म के स्वरूप को बिल्कुल ही भूल गये हैं और उन्होंने बहुधा आँख मींचकर हिन्दूधर्म का अनुसरण किया है। हिन्दुओं के यहाँ शूद्रों को संध्योपासन का अधिकार नहीं वे बेचारे वेदमंत्रों का उच्चारण तक नहीं कर सकते– इसलिये उनके यहाँ ऐसे वाक्य बन सकते हैं। यह वाक्य भी उन्हीं के वाक्यों पर से बनाया गया अथवा उन्हीं के ग्रन्थों पर से उठाकर रखा गया है। इस वाक्य से मिलता जुलता 'मरीचि' ऋषि का एक वाक्य इस प्रकार है–

संध्या येन न विज्ञाता संध्या येनानुपासिता।
जीवमाना भवेच्छूद्रः मृतः श्वा चाभिजायेते॥ –आह्निकसूत्रावलि।

इस पद्य का उत्तरार्द्ध और भट्टारकजी के पद्य का उत्तरार्द्ध दोनों एक हैं और यही उत्तरार्द्ध जैनदृष्टि से आपत्ति के योग्य है। इसमें मरकर कुत्ता होने का जो विधान है वह भी जैनसिद्धान्तों के विरुद्ध है। संध्या के इस प्रकरण में और भी कितने ही पद्य ऐसे हैं जो हिन्दूधर्म के ग्रन्थों से ज्यों के त्यों उठाकर अथवा कुछ बदल कर रखे गये हैं, जैसे 'उत्तमा तारकोपेता', 'अन्होरात्रेश्च यः सन्धिः' और 'राष्ट्रभंगे नृपक्षोभे' आदि पद्य। और इस तरह पर बहुधा हिन्दू धर्म की ओंधी सीधी नकल की गई है।

(८) ग्याहरवें अध्याय में शूद्रत्व का एक और विचित्र योग किया गया है और वह यह कि 'जो कन्या विवाह संस्कार से पहले पिता के घर पर ही रजस्वला हो जाये' उसे 'शूद्रा (वृषली)' बतलाया गया है और जो विवाह करे उसे शूद्रापति (वृषलीपति) संज्ञा दी गई है। यथा–

५२. शूद्रों के इस सब अधिकार को अच्छी तरह से जानने के लिये लेखक की लिखी हुई 'जिनपूजाऽधिकार मीमांसा' नामक पुस्तक को देखना चाहिए।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

पितुर्गृहे तु या कन्या रजः पश्येदसंस्कृता।
सा कन्या वृषली ज्ञेया तत्पतिर्वृषलीपतिः॥१९६॥

मालूम नहीं इसमें कन्या का क्या अपराध समझा गया और उसके स्त्रीधर्म की स्वाभाविक प्रवृति में शूद्र की वृत्ति का कौन-सा संयोग हो गया जिसकी वजह से वह बेचारी 'शूद्रा' करार दी गई!! इस प्रकार की व्यवस्था से जैनधर्म का कोई सम्बन्ध नहीं। यह भी उसके विरुद्ध हिन्दूधर्म की ही शिक्षा है और उक्त श्लोक भी हिन्दू धर्म की चीज है–हिन्दुओं की विष्णुसंहिता[५३] के २४वें अध्याय में वह नं० ४१ पर दर्ज है, सिर्फ उसका चौथा चरण यहाँ बदला हुआ है और 'पितृवेश्मनि' की जगह 'पितुर्गृहे तु' बनाया गया अथवा पाठान्तर जान पड़ता है। प्रायः इसी आशय के दो पद्य 'उद्वाहतत्त्व' में भी पाये जाते हैं, जिन्हें शब्दकल्पद्रुमकोश में निम्नप्रकार से उद्धृत किया है–

''पितुर्गेहे च या कन्या रजः पश्यत्यसंस्कृता।
भ्रूणहत्या पितुस्तस्याः सा कन्या वृषली स्मृता॥''
''यस्तु तां वरयेत्कन्यां ब्राह्मणो ज्ञानदुर्बलः।
अश्वाद्धेयमपांक्तेयं तं विद्याद् वृषलीपतिम्॥''

इसके सिवाय, ब्रह्मवैवर्तपुराण में भी 'यदि शूद्रां व्रजेद्विप्रो वृषलीपतिरेव सः' वाक्य के द्वारा शूद्रगामी ब्राह्मण को वृषलीपति ठहराया है। इस तरह पर यह सब हिन्दूधर्म की शिक्षा है जिसको भट्टारकजी ने जैनधर्म के विरुद्ध अपनाया है। जैनधर्म के अनुसार किसी व्यक्ति में इस तरह पर शूद्रत्व का योग नहीं किया जा सकता। यदि ऐसे भी शूद्रत्व का योग होने लगे तब तो शूद्र स्त्रियों की नहीं किन्तु पुरुषों की भी संख्या बहुत बढ़ जाये और लाखों कुटुम्बों को शूद्र सन्तति में परिगणित करना पड़े!!

नरकालय में वास

(९) शायद पाठक यह सोचते हों कि कन्या यदि विवाह से पहले रजस्वला हो जाती है तो उसमें कन्या का कोई अपराध नहीं। वह अपराध तो उस समय से पहले उसका विवाह न करने वालों का है जिन्हें कोई सजा नहीं दी गई और बेचारी कन्या को नाहक शूद्रा (वृषली) करार दे दिया गया! परन्तु इस चिंता की जरूरत नहीं। भट्टारकजी ने पहले ही उनके लिये कड़े दण्ड की व्यवस्था की है और पीछे कन्या को शूद्रा ठहराया है। आप उक्त पद्य से पूर्ववर्ती पद्य में ही लिखते हैं कि यदि कोई अविवाहिता कन्या रजस्वला हो जाये तो समझ लीजिये कि उसके माता-पिता और भाई सब नरकालय में पड़े- अर्थात्, उसके रजस्वला होते ही उन सब के नरकवास की रजिस्ट्री हो जाती है शायद नरकायु बँध जाती है और उन्हें नरक में जाना पड़ता है।[५४] यथा–

५३. देखो बंगवासी प्रेस कलकत्ता का सं० १९६४ का छपा हुआ संस्करण।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

असंस्कृता तु या कन्या रजसा चेत्परिप्लुता।
भ्रातरः पितरस्तस्याः पतिता नरकालये॥१९५॥

पाठकगण! देखा, कितना विलक्षण, भयंकर और कठोर ऑर्डर है। क्या कोई शास्त्री पंडित जैनसिद्धान्तों से-जैनियों की कर्म फिलॉसाफी से इस आर्डर अथवा विधान की संगति ठीक बिठा सकता है? अथवा यह सिद्ध कर सकता है कि ऐसी कन्याओं के माता-पिता और भाई अवश्य नरक जाते हैं? कदापि नहीं। इसके विरुद्ध में असंख्य प्रमाण जैन शास्त्रों से ही उपस्थित किये जा सकते हैं। उदाहरण के लिये, यदि भट्टारकजी की इस व्यवस्था को ठीक माना जाये तो कहना होगा कि ब्राह्मी और सुन्दरी कन्याओं के पिता भगवान् ऋषभदेव, माताएँ यशस्वती (नंदा) तथा सुनंदा और भाई बाहुबलि तथा भरत चक्रवर्ती आदिक सब नरक गये, क्योंकि ये दोनों कन्याएँ युवावस्था में घर पर अविवाहिता रहीं और तब वे रजस्वला भी हुई, यह स्वाभाविक है। परन्तु ऐसा कोई भी जैनी नहीं कह सकता। सब जानते हैं कि भगवान् ऋषभदेव और उनके सब पुत्र निर्वाण को प्राप्त हुए और उक्त दोनों माताएँ भी ऊँची देवगति को प्राप्त हुईं। इसी तरह सुलोचना आदि हजारों ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी सामने रखे जा सकते हैं जिनके विवाह युवावस्था में हुए जबकि वे रजोधर्म से युक्त हो चुकी थीं और उनके कारण उनके माता-पिता तथा भाइयों को कहीं भी नरक जाना नहीं पड़ा। अतः भट्टारकजी का यह सब कथन जैनधर्म के अत्यंत विरुद्ध है और हिन्दूधर्म की उसी शिक्षा से सम्बन्ध रखता है जो एक अविवाहिता कन्या को पिता के घर पर रजस्वला हो जाने पर शूद्रा ठहराता है। इस प्रकार के विधिवाक्यों तथा उपदेशों ने ही समाज में बाल विवाह का प्रचार किया है और उसके द्वारा समाज तथा धर्म को भारी, निःसीम, अनिवर्चनीय तथा कल्पनातीत हानि पहुँचाई है। ऐसे जहरीले उपदेश जब तक समाज में कायम रहेंगे और उन पर अमल होता रहेगा तब तक समाज का कभी उत्थान नहीं हो सकता, वह पनप नहीं सकता और न उसमें धार्मिक जीवन ही आ सकता है। ऐसी छोटी उम्र में कन्या का विवाह महज उसी के लिये घातक नहीं है बल्कि देश, धर्म और समाज तीनों के लिये घातक है। वास्तव में माता पिता का यह कोई खास फर्ज अथवा कर्तव्य नहीं है कि वे अपनी संतान का विवाह करें ही करें और वह भी छोटी उम्र में। उनका मुख्य कर्तव्य तथा धर्म है संतान को सुशिक्षित करना, अनेक प्रकार की उत्तम विद्याएँ तथा कलाएँ सिखलाना, खोटे संस्कारों से उसे अलग रखना, उसकी शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों को विकसित करके उनमें दृढ़ता लाना, उसे जीवन युद्ध में स्थिर रहने तथा विजयी होने के योग्य बनाना अथवा अपनी संसार यात्रा का सुखपूर्वक निर्वाह करने की क्षमता पैदा कराना और साथ ही उसमें सत्य, प्रेम, धैर्य, उदारता, सहनशीलता तथा परोपकारता आदि मनुष्योचित गुणों का संचार कराके उसे देश, धर्म तथा समाज के लिये उपयोगी बनाना। और यह सब तभी हो सकता है जबकि ब्रह्मचर्याश्रम के काल को गृहस्थाश्रम का काल न बनाया जावे

५४. यदि उनमें से पहले कोई स्वर्ग चले गये हों तो क्या उन्हें भी खींचकर पीछे से नरक में आना होगा? कुछ समझ में नहीं आता!

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

अथवा विवाह जैसे महत्त्व तथा जिम्मेदारी के कार्य को एक खेल या तमाशे का रूप न दिया जाये, जिसका दिया जाना नाबालिगों का विवाह रचाने की हालत में जरूर समझा जायेगा। खेद है कि भट्टारकजी ने इन सब बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और वैसे ही दूसरों की देखादेखी ऊटपटाँग लिख मारा जो किसी तरह भी मान्य किये जाने के योग्य नहीं है।

नग्न की विचित्र परिभाषा

(१०) तीसरे अध्याय में, बिना किसी पूर्वापर सम्बन्ध अथवा जरूरत के, 'नग्न की परिभाषा बतलाने को ढाई श्लोक निम्न प्रकार से दिये हैं–

अपवित्रपटो नग्नो नग्नश्चार्धपटः स्मृतः।
नग्नश्च मलिनोद्वासी नग्नः कौपीनवानपि॥२१॥
कषायवाससा नग्नो नग्नश्चानुत्तरीयमान्।
अंतःकच्छो बहिःकच्छो मुक्तकच्छस्तथैव च॥२२॥
साक्षान्नग्नः स विज्ञेयो दश नग्नाः प्रकीर्तिताः।

इन श्लोकों में भट्टारकजी ने दस प्रकार के मनुष्यों को 'नग्न' बतलाया है–अर्थात्, जो लोग अपवित्र वस्त्र पहने हुए हों, आधा वस्त्र पहने हों, मैले कुचैले वस्त्र पहने हुए हों, लँगोटी लगाए हुए हों, भगवे वस्त्र पहने हुए हों, महज धोती पहने हुए हों, भीतर कच्छ लगाए हुए हों, बाहर कच्छ लगाए हुए हों, कच्छ बिल्कुल न लगाए हुए हों, और वस्त्र से बिल्कुल रहित हों, उन सब को 'नग्न' ठहराया है। मालूम नहीं भट्टारकजी ने नग्न की यह परिभाषा कहाँ से की है। प्राचीन जैनशास्त्रों में तो खोजने पर भी इसका कहीं कुछ पता चलता नहीं!! आम तौर पर जैनियों में 'जातरूपधरो नग्नः' की प्रसिद्धि है। भट्टाकलंकदेव ने भी राजवार्तिक में 'जातरूपधारणं नाग्न्यं' ऐसा लिखा है। और यह अवस्था सर्व प्रकार के वस्त्रों से रहित होती है। इसी से अमरकोश में भी 'नग्नोऽवासा दिगम्बरे' वाक्य के द्वारा वस्त्ररहित, दिगम्बर और नग्न तीनों को एकार्थवाचक बतलाया है। इससे भट्टारकजी की उक्त दशभेदात्मक परिभाषा बड़ी ही विचित्र जान पड़ती है। उनके दस भेदों में से अर्धवस्त्रधारी और कौपीनवान् आदि को तो किसी तरह पर 'एकदेशनग्न' कहा भी जा सकता है, परन्तु जो लोग बहुत से मैले कुचैले या अपवित्र वस्त्र पहने हुए हों अथवा इससे भी बढ़कर सर से पैर तक पवित्र भगवे वस्त्र धारण किये हुए हों उन्हें किस तरह पर 'नग्न' कहा जाये, यह कुछ समझ में नहीं आता!! जरूर, इसमें कुछ रहस्य है। भट्टारक लोग वस्त्र पहनते हैं, बहुधा भगवे (कषाय) वस्त्र धारण करते हैं और अपने को 'दिगम्बर मुनि' कहते हैं। संभव है, उन्हें नग्न दिगम्बर मुनियों की कोटि में लाने के लिये ही यह नग्न की परिभाषा गढ़ी गई हो। अन्यथा, भगवे वस्त्र वालों को तो हिन्दू ग्रन्थों में भी नग्न लिखा हुआ नहीं मिलता। हिन्दुओं के यहाँ पंच प्रकार के नग्न बतलाये गये हैं और वह पंच प्रकार की संख्या भी विभिन्न रूप से पाई जाती है। यथा–

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

''द्विकच्छः कच्छशेषश्च मुक्तकच्छस्तथैव च।
एकवासा अवासाश्च नग्नः पंचविधः स्मृतः॥–आह्निक तत्त्व।
''नग्नो मलिनवस्त्रः स्यान्नग्नो नीलपटस्तथा।
विकक्ष्योऽनुत्तरीयश्च नग्नश्चावस्त्र एव च॥
''अकच्छः पुच्छकच्छो वाऽद्विकच्छः कटिवेष्टितः।
कौपीनकधरश्चेव नग्नः पंचविधः स्मृतः॥ -स्मृतिरत्नाकर।

जान पड़ता है हिन्दूग्रन्थों के कुछ ऐसे श्लोकों पर से ही भट्टारकजी ने अपने श्लोकों की रचना की है और उनमें 'कषायवाससा नग्नः' जैसी कुछ बातें अपने मतलब के लिये शामिल कर ली हैं।

अधौत का अद्भुत लक्षण

(११) तीसरे अध्याय में ही भट्टारकजी, 'अधौत' का लक्षण बतलाते हुए, लिखते हैं–

ईषद्धौतं स्त्रिया धौतं शूद्रधौतं च चेटकैः।
बालकैर्धौतमज्ञानैरधौतमिति भाष्यते॥३२॥

अर्थात्–जो (वस्त्र) कम धुला हुआ हो, किसी स्त्री का धोया हुआ हो, शूद्रों का धोया हुआ हो, नौकरों का धोया हुआ हो या अज्ञानी बालकों का धोया हुआ हो उसे 'अधौत'–बिना धुला हुआ कहते हैं।

इस लक्षण में कम धुले हुए और अज्ञानी बालकों के धोये हुए वस्त्रों को अधौत कहना तो कुछ समझ में आता है परन्तु स्त्रियों, शूद्रों और नौकरों के धोये हुए वस्त्रों को भी जो अधौत बतलाया गया है वह किस आधार पर अवलम्बित है, यह कुछ समझ में नहीं आता। क्या ये लोग वस्त्र धोना नहीं जानते अथवा नहीं जान सकते? जरूर जानते हैं और थोड़े से ही अभ्यास से बहुत अच्छा कपड़ा धो सकते हैं। शूद्रों में धोबी (रजक) तो अपनी स्त्री सहित वस्त्र धोने का ही काम करता है और उसके धोये हुए वस्त्रों को सभी लोग पहनते हैं। इसके सिवाय, लाखों स्त्रियाँ तथा नौकर वस्त्र धोते हैं और उनके धोए हुए वस्त्र लोक में अधौत नहीं समझे जाते। फिर नहीं मालूम भट्टारकजी किस न्याय अथवा सिद्धान्त से ऐसे लोगों के द्वारा धुले हुए अच्छे से अच्छे वस्त्र को भी अधौत कहने का साहस करते हैं!! क्या आप त्रैवर्णिक स्त्रियों तथा नौकरों को मलिनता का पुंज समझते हैं जो उनके स्पर्श से धौत वस्त्र भी अधौत हो जाते हैं। यदि ऐसा है तब तो बड़ी गड़बड़ी मचेगी और घर का कोई भी सामान पवित्र नहीं रह सकेगा। सभी को उनके स्पर्श से अपवित्र होना पड़ेगा। और यदि वैसा नहीं है तो फिर दूसरी कोई भी ऐसी वजह नहीं हो सकती जिससे उनके द्वारा अच्छी तरह से धौत वस्त्र को भी अधौत करार दिया जाये। वास्तव में इस प्रकार का विधान स्त्री जाति आदि का स्पष्ट अपमान है, और वह जैननीति अथवा जैनशासन के भी विरुद्ध है। जैनशासन का स्त्रियों तथा शूद्रों के प्रति ऐसा घृणात्मक व्यवहार नहीं है, वह इस विषय में बहुत कुछ उदार है। हाँ, हिन्दूधर्म की ऐसी शिक्षा जरूर पाई जाती है। उसके 'दक्ष' ऋषि स्त्रियों तथा शूद्रों के धोए वस्त्र को सब कामों में गर्हित बतलाते हैं। यथा–

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

ईषद्धौतं स्त्रिया धौतं शूद्रधौतं तथैव च।
प्रतारितं यमदिशि गर्हितं सर्वकर्मसु॥ आन्हिक सूत्रावलि

इस श्लोक का पूर्वार्द्ध और भट्टारकजी के श्लोक का पूर्वार्द्ध दोनों प्रायः एक हैं, सिर्फ 'तथैव' को भट्टारकजी ने 'चेटकैः' में बदला है और इस परिवर्तन के द्वारा उन नौकरों के धोए हुए वस्त्रों को भी तिरस्कृत किया है जो शूद्रों से भिन्न 'त्रैवर्णिक' ही हो सकते हैं।

इसी तरह हिन्दूओं के 'कर्मलोचन' ग्रन्थ में स्त्री तथा धोबी के धोए हुए वस्त्र को 'अधौत' करार दिया गया है, जैसा कि 'शब्दकल्पद्रुम में उद्धृत उसके निम्न वाक्य से प्रकट है–

ईषद्धौतं स्त्रिया धौतं यद्धौतं रजकेन च।
अधौतं तद्विजानीयाद्दृशा दक्षिणपश्चिमे॥

ऐसे ही हिन्दू वाक्यों पर से भट्टारकजी के उक्त वाक्य की सृष्टि हुई जान पड़ती है। परन्तु इस घृणा तथा वहम के व्यापार में भट्टारकजी हिन्दुओं से एक कदम और भी आगे बढ़े हुए मालूम होते हैं- उन्होंने त्रैवर्णिक सेवकों के धोए वस्त्रों को ही तिरस्कृत नहीं किया, बल्कि पहले दिन के खुद के धोए हुए वस्त्रों को भी तिरस्कृत किया है। आप लिखते हैं 'अधौत (बिना धोया हुआ), कारु धौत (शिल्पि शूद्रों का धोया हुआ) और पूर्वेद्युर्धौत (पहले दिन का धोया हुआ) ये तीनों प्रकार के वस्त्र सर्व कार्यों के अयोग्य हैं- किसी भी काम को करते हुए इनका व्यवहार नहीं करना चाहिए।' यथा–

अधौतं कारुधौतं वा पूर्वेद्युर्धौतमेव च।
त्रयमेतदसम्बन्धं सर्वकर्मसु वर्जयेत्॥३१॥

पाठकगण! देखा, इस वहम का भी कहीं कुछ ठिकाना है!! मालूम नहीं पहले दिन धोकर अहतियात से रखे हुए कपड़े भी अगले दिन कैसे बिगड़ जाते हैं। क्या हवा लगकर खराब हो जाते हैं या धरे-धरे बुस जाते हैं? और जब वह पहले दिन का धोया हुआ वस्त्र अगले दिन काम नहीं आ सकता तो फिर प्रातः संध्या भी कैसे हो सकेगी, जिसे भट्टारकजी ने इसी अध्याय में सूर्योदय से पहले समाप्त कर देना लिखा है। क्या प्रातःकाल उठकर धोये हुए वस्त्र उसी वक्त सूख सकेंगे, या गीले वस्त्रों में ही संध्या करनी होगी? खेद है भट्टारकजी ने इन सब बातों को कुछ भी नहीं सोचा और न यही ख्याल किया कि ऐसे नियम से समय का कितना दुरुपयोग होगा। सच है वहम की गति बड़ी ही विचित्र है उसमें मनुष्य का विवेक बेकार-सा हो जाता है। उसी वहम का यह भी एक परिणाम है, जो भट्टारकजी ने अधौत के लक्षण में शूद्रधौत आदि को शामिल करते हुए भी यहाँ 'कारुधौत' का एक तीसरा भेद अलग वर्णन किया है। अन्यथा, शूद्रधौत और चेटकधौत से भिन्न 'कारुधौत' कुछ भी नहीं रहता। अधौत के लक्षण की मौजूदगी में उसका प्रयोग बिल्कुल व्यर्थ और खालिस वहम जान पड़ता है। इस प्रकार के वहमों से यह ग्रन्थ बहुत कुछ भरा पड़ा है।

पति के विलक्षण धर्म

(१२) आठवें अध्याय में, गर्भिणी स्त्री के पति-धर्मों का वर्णन करते हुए, भट्टारकजी लिखते

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

हैं–

पुंसो भार्या गर्भिणी यस्य चासौ सूनोश्चौलं क्षौरकर्मात्मनश्च।
गेहारंभं स्तंभसंस्थापनं च वृद्धिस्थानं दूरयात्रां न कुर्यात्॥८६॥
शवस्य वाहनं तस्य दहनं सिन्धुदर्शनम्।
पर्वतारोहणं चैव न कुर्याद्गर्भिणीपतिः॥८७॥

अर्थात्–जिस पुरुष की स्त्री गर्भवती हो उसे (उस स्त्री से उत्पन्न) पुत्र का चौलकर्म नहीं करना चाहिए, स्वयं हजामत नहीं बनवानी चाहिए, नये मकान की तामीर न करनी चाहिए, कोई खंभा खड़ा न करना चाहिए, न वृद्धिस्थान बनाना चाहिए और न कहीं दूर यात्रा को ही जाना चाहिए। इसके सिवाय, वह मुर्दे को न उठाए, न उसे जलाए, न समुद्र को देखे और न पर्वत पर चढ़े।

पाठकगण! देखा, कैसे विलक्षण धर्म हैं!! इनमें से दूर यात्रा को न जाने जैसी बात तो कुछ समझ में आ भी सकती है परन्तु गर्भावस्था पर्यन्त पति का हजामत न बनवाना, कहीं पर भी किसी नये मकान की रचना अथवा वृद्धिस्थान की स्थापना न करना, समुद्र को न देखना और पर्वत पर न चढ़ना जैसे धर्मों का गर्भ से क्या सम्बन्ध है और उनका पालन न करने से गर्भ, गर्भिणी अथवा गर्भिणी के पति को क्या हानि पहुँचती है, यह सब कुछ भी समझ में नहीं आता। इन धर्मों के अनुसार गर्भिणी के पति को आठ नौ महीने तक नख केश बढ़ाकर रहना होगा, किसी कुटुम्बी अथवा निकट सम्बन्धी के मर जाने पर आवश्यकता होते हुए भी उसकी अर्थी को कंधा तक न लगाना होगा, वह यदि बम्बई जैसे शहर में समुद्र के किनारे तट पर रहता है तो उसे वहाँ का अपना वासस्थान छोड़कर अन्यत्र जाना होगा अथवा आँखों पर पट्टी बाँधकर रहना होगा जिससे समुद्र दिखाई न पड़े, वह निकट की ऐसी तीर्थयात्रा भी नहीं कर सकेगा जिसका पर्वत कूटों से सम्बन्ध हो, और अगर वह मंसूरी–शिमला जैसे पार्वतीय प्रदेशों का रहने वाला है तो उसे उस वक्त उन पर्वतों से नीचे उतर आना होगा, क्योंकि वहाँ रहते तथा कारोबार करते वह पर्वतारोहण के दोष से बच नहीं सकता। परन्तु ऐसा करना कराना, अथवा इस रूप से प्रवर्तना कुछ भी इष्ट तथा युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता। जैन सिद्धान्तों तथा जैनों के आचार–विचार से इन धर्मों की कोई संगति ठीक नहीं बैठती और न ये सब धर्म, जैन दृष्टि से, गर्भिणीपति के कर्तव्य का कोई आवश्यक अंग जान पड़ते हैं। इन्हें भी भट्टारकजी ने प्रायः हिन्दूधर्म से लिया है। हिन्दूओं के यहाँ इस प्रकार के कितने ही श्लोक पाये जाते हैं, जिनमें से दो श्लोक शब्दकल्पद्रुम कोश से नीचे उद्धृत किये जाते हैं–

''क्षौरं शवानुगमनं नखकृन्तनं च युद्धादिवास्तुकरणं त्वतिदूरयानं।
उद्वाहमौपनयनं जलधेश्च गाहमायुःक्षयार्थमिति गर्भिणिकापतीनाम्॥''
–मुहूर्त्तदीपिका।

''दहनं वपनं चैव चौलं वै गिरिरोहणम्।
नाव आरोहणं चैव वर्जयेद्गर्भिणीपतिः॥''–रत्नसंग्रहे, गालवः।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

इनमें से पहले श्लोक में क्षौर (हजामत) आदि कर्मों को जो गर्भिणी के पति की आयु के क्षय का कारण बतलाया है वह जैनसिद्धांत के विरुद्ध है। और इसलिये हिन्दू धर्म के ऐसे कृत्यों का अनुकरण करना जैनियों के लिये श्रेयस्कर नहीं हो सकता। जिनका उद्देश्य तथा शिक्षा जैन तत्त्वज्ञान के विरुद्ध है। उसी उद्देश्य तथा शिक्षा को लेकर उनका अनुष्ठान करना, निःसंदेह, मिथ्यात्व का वर्धक है। खेद है भट्टारकजी ने इन सब बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और वैसे ही बिना सोचे समझे अथवा हानि लाभ का विचार किये दूसरों की नकल कर बैठे!!

आसन की अनोखी फलकल्पना

(१३) तीसरे अध्याय में, संध्योपासन के समय चारों ही आश्रम वालों के लिये पंचपरमेष्ठी के जप का विधान करते हुए, भट्टारकजी ने कुछ आसनों का जो फल वर्णन किया है उसका एक श्लोक इस प्रकार है–

वंशासने दरिद्रः स्यात्पाषाणे व्याधिपीडितः।
धरण्यां दुःखसंभूतिर्दौर्भाग्यं दारुकासने॥१०७॥

इस श्लोक में यह बतलाया गया है कि ''(जप के समय) बाँस के आसन पर बैठने से मनुष्य दरिद्री, पाषाण के आसन पर बैठने से व्याधि से पीड़ित, पृथ्वी पर ही आसन लगाने से दुःखों का उत्पन्न-कर्ता और काष्ठ के आसन पर बैठने से दुर्भाग्य से युक्त होता है।''

आसन की यह फल कल्पना बड़ी ही अनोखी जान पड़ती है! मालूम नहीं, भट्टारकजी ने इसका कहाँ से अवतार किया है!! प्राचीन ऋषिप्रणीत किसी भी जैनागम में तो ऐसी फल व्यवस्था देखने में आती नहीं!! प्रत्युत इसके, 'ज्ञानार्णव' में योगिराज श्री शुभचंद्राचार्य ने यह स्पष्ट विधान किया है कि ''समाधि (उत्तम ध्यान) की सिद्धि के लिये काष्ठ के पट्ट पर, शिलापट्ट पर, भूमि पर अथवा रेत के स्थल पर सुदृढ़ आसन लगाना चाहिए।'' यथा–

दारुपट्टे शिलापट्टे भूमौ वा सिकतास्थले॥
समाधिसिद्धये धीरो विदध्यात्सुस्थिरासनम्॥२८-९॥

पाठकगण! देखा, जिन काष्ठ, पाषाण तथा भूमि के आसनों को योगीश्वर महोदय ने समाधि जैसे महान् कार्य के लिये अत्यंत उपयोगी-उसकी सिद्धि में खास तौर से सहायक बतलाया है-उन्हें ही भट्टारकजी क्रमशः दौर्भाग्य, व्याधि और दुःख के कारण ठहराते हैं! यह कितना विपर्यास अथवा आगम के विरुद्ध कथन है। उन्हें ऐसा प्रतिपादन करते हुए इतना भी स्मरण न हुआ कि इन आसनों पर बैठकर असंख्य योगीजन सद्गति अथवा कल्याण-परम्परा को प्राप्त हुए हैं। अस्तु, हिन्दूधर्म में भी इन आसनों को बुरा अथवा इस प्रकार के दुष्परिणामों का कारण नहीं बतलाया है बल्कि 'उत्तम' तथा 'प्रशस्त' आसन लिखा है। और इसलिये आसन की उक्त फलकल्पना अधिकांश में भट्टारकजी की प्रायः अपनी ही कल्पना जान पड़ती है, जो निराधार तथा निःसार होने से कदापि मान्य किये जाने

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

के योग्य नहीं। और भी कुछ आसनों का फल भट्टारकजी की निजी कल्पना द्वारा प्रसूत हुआ जान पड़ता है, जिसके विचार को यहाँ छोड़ा जाता है।

जूठन न छोड़ने का भयंकर परिणाम

(१४) बहुत से लोग, जिनमें त्यागी और ब्रह्मचारी भी शामिल हैं, यह समझे हुए हैं कि जूठन नहीं छोड़ना चाहिए-कुत्ते को भी अपना जूठा भोजन नहीं देना चाहिए, और इसलिये वे कभी जूठन नहीं छोड़ते। उन्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि भट्टारकजी ने ऐसे लोगों के लिये जो खा-पीकर बर्तन खाली छोड़ देते हैं- उनमें कुछ जूठा भोजन तथा पानी रहने नहीं देते-यह व्यवस्था दी है कि 'वे जन्म जन्म में भूख प्यास से पीड़ित होंगे, जैसा कि उनके निम्न व्यवस्था-पद्य से प्रकट है-

भुक्त्वा पीत्वा तु तत्पात्रं रिक्तं त्यजति यो नरः।
स नरः क्षुत्पिपासार्तो भवेज्जन्मनि जन्मनि॥६-२२५॥

मालूम नहीं भट्टारकजी ने जूठन न छोड़ने का यह भयंकर परिणाम कहाँ से निकाला है! अथवा किस आधार पर उसके लिये ऐसी दण्ड व्यवस्था की घोषणा की है!! जैन सिद्धान्तों से उनकी इस व्यवस्था का कोई समर्थन नहीं होता-कोई भी ऐसा व्यापक नियम नहीं पाया जाता जो ऐसे निरपराधियों को जन्म जन्म में भूख प्यास की वेदना से पीड़ित रखने के लिये समर्थ हो सके। हाँ, हिन्दूधर्म की ऐसी कुछ कल्पना जरूर है और उक्त पद्य भी प्रायः हिन्दूधर्म की ही सम्पत्ति जान पड़ता है। वह साधारण से पाठ भेद के साथ उनके स्मृतिरत्नाकर में उद्धृत मिलता है। वहाँ इस पद्य का पूर्वार्द्ध 'भुक्त्वा पीत्वा च यो मर्त्यः शून्यं पात्रं परित्यजेत्' ऐसा दिया है और उत्तरार्द्ध ज्यों का त्यों पाया जाता है-सिर्फ 'नर' के स्थान पर 'भूयः' पद का उसमें भेद है। और इस सब पाठभेद से कोई वास्तविक अर्थभेद उत्पन्न नहीं होता। मालूम होता है भट्टारकजी ने हिन्दूओं के प्रायः उक्त पद्य पर से ही अपना यह पद्य बनाया है अथवा किसी दूसरे ही हिंदू ग्रन्थ पर से उसे ज्यों का त्यों उठाकर रखा है। और इस तरह पर दूसरों द्वारा कल्पित हुई एक व्यवस्था का अंधाऽनुसरण किया है। भोजन प्रकरण का और भी बहुत-सा कथन अथवा क्रियाकांड इस अध्याय में हिन्दू ग्रन्थों से उठाकर रखा गया है और उसमें कितनी ही बातें निरर्थक तथा खाली वहम को लिये हुए हैं।

देवताओं की रोकथाम

(१५) हिन्दुओं का विश्वास है कि इधर उधर विचरते हुए राक्षसादिक देवता भोजन के सत्व अथवा अन्नबल को हर लेते हैं-खा जाते हैं-और इसलिये उनके इस उपद्रव की रोकथाम के वास्ते उन्होंने मंडल बनाकर भोजन करने की व्यवस्था की है।[५५] वे समझते हैं कि इस तरह गोल, त्रिकोण अथवा चतुष्कोणादि मंडलों के भीतर भोजन रखकर खाने से उन देवताओं की ग्रहण-शक्ति रुक जाती है और उससे भोजन की पूर्णशक्ति बनी रहती है। भट्टारकजी ने उनकी इस व्यवस्था को भी उन्हीं के

५५. गोमयं मंडलं कृत्वा भोक्तव्यमिति निश्चितम्। पिशाचा यातुधानाद्या अन्नादाः स्युरमंडले॥ -स्मृतिरत्नाकर।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

विश्वास अथवा उद्देश्य के साथ अपनाया है। इसी से आप छठे अध्याय में लिखते हैं–

चतुरस्त्रं त्रिकोणं च वर्तुलं चार्धचन्द्रकम्।
कर्तव्यानुपूर्व्येण मंडलं ब्राह्मणादिषु॥१६४॥
यातुधानाः पिशाचाश्च त्वसुरा राक्षसास्तथा।
घ्नन्ति ते (वै) बलमन्नस्य मण्डलेन विवर्जितम्॥१६५॥

अर्थात्–ब्राह्मणादिक को क्रमशः चतुष्कोण, त्रिकोण, गोल और अर्धचन्द्राकार मंडल बनाने चाहिए। मंडल के बिना भोजन की शक्ति को यातुधान, पिशाच, असुर और राक्षस देवता नष्ट कर डालते हैं।

ये दोनों श्लोक भी हिन्दूधर्म से लिये गये हैं। पहले श्लोक को आन्हिकसूत्रावलि में 'ब्रह्मपुराण' का वाक्य लिखा है और दूसरे को 'स्मृतिरत्नाकर' में 'आत्रेय' ऋषि का वचन सूचित किया है और उसका दूसरा चरण 'ह्यसुराश्चाथ राक्षसाः' दिया है, जो बहुत ही साधारण पाठभेद को लिये हुए है।[५६]

इस तरह भट्टारकजी ने हिन्दूधर्म की एक व्यवस्था को उन्हीं के शब्दों में अपनाया है और उसे जैन व्यवस्था प्रकट किया है, यह बड़े ही खेद का विषय है! जैन सिद्धान्तों से उनकी इस व्यवस्था का भी कोई समर्थन नहीं होता। प्रत्युत इसके, जैनदृष्टि से, इस प्रकार के कथन देवताओं का अवर्णवाद करने वाले हैं–उन पर झूठा दोषारोपण करते हैं। जैन मतानुसार व्यन्तरादिक देवों का भोजन भी मानसिक है, वे इस तरह पर दूसरों के भोजन को चुराकर खाते नहीं फिरते और न उनकी शक्ति ही ऐसे निःसत्व काल्पनिक मंडलों के द्वारा रोकी जा सकती है। अतः ऐसे मिथ्यात्ववर्धक कथन दूर से ही त्याग किये जाने के योग्य हैं।

एक वस्त्र में भोजन भजनादिक पर आपत्ति

(१६) एक स्थान पर भट्टारकजी लिखते हैं कि ''एक वस्त्र पहनकर भोजन, देवपूजन, पितृकर्म, दान, होम, और जप आदिक (स्नान, स्वाध्यायादिक[५७]) कार्य नहीं करने चाहिए। खण्ड वस्त्र पहनकर तथा वस्त्रार्ध पहनकर भी ये सब काम न करने चाहिए।'' यथा–

एकवस्त्रो न भुंजीत न कुर्याद्देवपूज (तार्च) नम्॥३-३६॥
न कुर्यात्पितृकर्मा (कार्या) णि दानं होमं जपादिकम् (पं तथा)
खण्डवस्त्रावृतश्चैव वस्त्रार्धप्रावृतस्तथा॥३७॥

परन्तु क्यों नहीं करने चाहिए? करने से क्या हानि होती है? अथवा कौन सा अनिष्ट संघटित होता है? ऐसा कुछ भी नहीं लिखा! क्या एक वस्त्र में भोजन करने से वह भोजन पचता नहीं? पूजन

५६. दूसरे श्लोक का एक रूपान्तर भी 'मार्कण्डेयपुराण' में पाया जाता है और वह इस प्रकार है–यातुधानाः पिशाचाश्च कुराश्चैव तु राक्षसाः। हरन्ति रसमत्रं च मंडलने विवर्जितम्॥ –आन्हिकसूत्रावलि।

५७. आदिक शब्द का यह आशय ग्रन्थ के अगले 'स्नानं दानं जपं होमं' नाम के पद्य पर से ग्रहण किया गया है जो 'उक्तं च' रूप से दिया है और संभवतः किसी हिन्दू ग्रन्थ का ही पद्य मालूम होता है।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

या भजन करने से वीतराग भगवान् भी रुष्ट हो जाते हैं अथवा भक्तिरस उत्पन्न नहीं हो सकता? आहारादिक का दान करने से पात्र की तृप्ति नहीं होती या उसकी क्षुधा आदि को शांति नहीं मिल सकती? स्वाध्याय करने से ज्ञान की संप्राप्ति नहीं होती? और परमात्मा का ध्यान करने से कुशल परिणामों का उद्भव तथा आत्मानुभवन का लाभ नहीं हो सकता। यदि ऐसा कुछ नहीं है तो फिर एक वस्त्र में इन भोजनभजनादिक पर आपत्ति कैसी? यह कुछ समझ में नहीं आता!! जैन मत में उत्कृष्ट श्रावक का रूप एक वस्त्रधारी माना गया है–इसी से 'चेलखण्डधरः' 'वस्त्रैकधरः', 'एकशाटकधरः', 'कौपीनमात्रतंत्रः' आदि नामों या पदों से उसका उल्लेख किया जाता है–और वह अपने उस एक वस्त्र में ही भोजन के अतिरिक्त देवपूजन, स्वाध्याय, दान और जप ध्यानादिक सम्पूर्ण धार्मिक कृत्यों का अनुष्ठान करता है। यदि एक वस्त्र में इन सब कृत्यों का किया जाना निषिद्ध हो तो श्रावक का उत्कृष्ट लिंग ही नहीं बन सकता, अथवा यों कहना होगा कि उसका जीवन धार्मिक नहीं हो सकता। इससे जैनशासन के साथ इस सब कथन का कोई सम्बन्ध ठीक नहीं बैठता–वह जैनियों की सैद्धान्तिक दृष्टि से निरा सारहीन प्रतीत होता है। वास्तव में यह कथन भी हिन्दूधर्म से लिया गया है। इसके प्रतिपादक वे दोनों वाक्य भी जो ३६वें पद्य का उत्तरार्द्ध और ३७ वें पद्य का पूर्वार्द्ध बनाते हैं हिन्दूधर्म की चीज हैं–हिन्दुओं के 'चंद्रिका' ग्रन्थ का एक श्लोक हैं और स्मृतिरत्नाकर में भी, ब्रैकिटों में दिये हुए साधारण से पाठभेद के साथ, उद्धृत पाये जाते हैं।

सुपारी खाने की सजा

(१७) भोजनाध्याय[५८] में, ताम्बूलविधि का वर्णन करते हुए भट्टारकजी लिखते हैं–

अनिधाय मुखे पर्णं पूगं खादति यो नरः।
सप्तजन्मदरिद्रः स्यादंते नैव स्मरेज्जिनम्॥२३३॥

अर्थात्–जो मनुष्य मुख में पान न रखकर–बिना पान के ही–सुपारी खाता है वह सात जन्म तक दरिद्री होता है और अंत में–मरते समय–उसे जिनेन्द्र भगवान् का स्मरण नहीं होता।

पाठकगण! देखा, कैसी विचित्र व्यवस्था और कैसा अद्भुत न्याय है! कहाँ तो अपराध और कहाँ इतनी सख्त सजा!! इस धार्मिक दण्डविधान ने तो बड़े बड़े अन्यायी राजाओं के भी कान काट लिये!!! क्या जैनियों की कर्म फिलॉसॉफी और जैनधर्म से इसका कुछ सम्बन्ध हो सकता है? कदापि नहीं। सुपारी के साथ दरिद्र की इस विलक्षण व्याप्ति को मालूम करने के लिये जैनधर्म के बहुत से सिद्धांत ग्रन्थों को टटोला गया परन्तु कहीं से भी ऐसा कोई नियम उपलब्ध नहीं हुआ जिससे यह लाजिमी आता हो कि सुपारी पान की संगति में रहकर तो दरिद्र नहीं करेगी परन्तु अलग सेवन किये

५८. छठे अध्याय का नाम 'भोजन' अध्याय है परन्तु इसके शुरू के १४६ श्लोकों में जिनमंदिर के निर्माण तथा पूजनादि सम्बन्धी कितना ही कथन ऐसा दिया हुआ है जो अध्याय के नाम के साथ संगत मालूम नहीं होता। और भी कुछ अध्यायों में ऐसी गड़बड़ी पाई जाती है और इससे यह स्पष्ट है कि अध्यायों के विषय विभाग में भी विचार से ठीक काम नहीं लिया गया।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

जाने पर वह सात जन्म तक दरिद्र को खींच लाने अथवा उत्पन्न करने में अनिवार्य रूप से प्रवृत्त होगी, और अंत को भगवान् का स्मरण नहीं होने देगी सो जुदा रहा। कितने ही जैनी, जिन्हें पान में साधारण वनस्पति का दोष मालूम होता है, पान नहीं खाते किन्तु सुपारी खाते हैं, अनेक पण्डितों और पण्डितों के गुरु माननीय पं० गोपालदास जी बरैया को भी पान से अलग सुपारी खाते हुए देखा परन्तु उनकी बाबत यह नहीं सुना गया कि उन्हें मरते समय भगवान् का स्मरण नहीं हुआ। इससे इस कथन का वह अंश जो प्रत्यक्ष से सम्बन्ध रखता है प्रत्यक्ष के विरुद्ध भी है। और यदि उसी जन्म में भी दरिद्र का विधान इस पद्य के द्वारा इष्ट है तो वह भी प्रत्यक्ष के विरुद्ध है, क्योंकि बहुत से सेठ साहूकार भी बिना पान के सुपारी खाते हैं और उनके पास दरिद्र नहीं फटकता।

मालूम होता है यह कथन भी हिन्दूधर्म के किसी ग्रन्थ से लिया गया है। हिन्दुओं के 'स्मृतिरत्नाकर' ग्रन्थ में यह श्लोक बिल्कुल ज्यों का त्यों पाया जाता है, सिर्फ अन्तिम चरण का भेद है। अंतिमचरण वहाँ 'नरकेषु निमज्जति' (नरकों में पड़ता है) दिया है। बहुत संभव है भट्टारकजी ने इसी अंतिम चरण को बदलकर उसके स्थान में 'अंते नैव स्मरेज्जिनम्' बनाया हो। यदि ऐसा है तब तो इस परिवर्तन से इतना जरूर हुआ है कि कुछ सजा कम हो गई है। नहीं तो बेचारे को, सात जन्म तक दरिद्री रहने के सिवाय, नरकों में और जाना पड़ता!! परन्तु इस पद्य का एक दूसरा रूप भी है जो मुहूर्त चिंतामणि की 'पीयूषधारा' टीका में पाया जाता है। उसमें और सब बातें तो ज्यों की त्यों हैं, सिर्फ 'अनिधाय मुखे' की जगह 'अशास्त्रविधिना' (शास्त्रविधि का उल्लंघन करके) पद का प्रयोग किया गया है और अंतिम चरण का रूप 'अंते विष्णुं न संस्मरेत्' (अंत में उसे विष्णु भगवान् का स्मरण नहीं होता) ऐसा दिया है। इस अंतिम चरण पर से भट्टाकरजी के उक्त चरण का रचा जाना और भी ज्यादा स्वाभाविक तथा संभावित है। हो सकता है भट्टारकजी के सामने हिन्दू ग्रन्थों के ये दोनों ही पद्य रहे हों और उन्होंने उन्हीं पर से अपने पद्य का रूप गढ़ा हो। परन्तु कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं कि जैन सिद्धान्तों के विरुद्ध होने से उनका यह सब कथन जैनियों के द्वारा मान्य किये जाने के योग्य नहीं है।

जनेऊ की अजीब करामात

(१८) 'यज्ञोपवीत' नामक अध्याय में, भट्टारकजी ने जनेऊ की करामात का जो वर्णन दिया है उससे मालूम होता है कि ''यदि किसी को अपनी आयु बढ़ाने की-अधिक जीने की-इच्छा हो तो उसे दो या तीन जनेऊ अपने गले में डाल लेने चाहिए-आयु बढ़ जायेगी (अकाल मृत्यु तो शायद पास भी न फटकेगी।) पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो तो पाँच जनेऊ डाल लेने चाहिए-पुत्र की प्राप्ति हो जायेगी-और धर्मलाभ की इच्छा हो तो भी पाँच ही जनेऊ कण्ठ में धारण करने चाहिए, तभी धर्म का लाभ हो सकेगा अथवा उसका होना अनिवार्य होगा। एक जनेऊ पहनकर यदि कोई धर्मकार्य-जप, तप, होम, दान, पूजा, स्वाध्याय, स्तुति पाठादिक-किया जायेगा तो वह सब निष्फल होगा, एक जनेऊ में किसी भी धर्मकार्य की सिद्धि नहीं हो सकती।'' यथा–

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

आयुःकामः सदा कुर्यात् द्वित्रियज्ञोपवीतकम्।
पंचभिः पुत्रकामः स्याद् धर्मकामस्तथैव च॥५७॥
यज्ञोपवीतेनैकेन जपहोमादिकं कृतम्।
तत्सर्वं विलयं याति धर्मकार्यं न सिद्धयति॥५८॥

पाठकजन! देखा, जनेऊ की कैसी अजीब करामात का उल्लेख किया गया है और उसकी संख्यावृद्धि के द्वारा आयु में वृद्धि आदि का कैसा सुगम तथा सस्ता उपाय बतलाया गया है!![५९] मुझे इस उपाय की विलक्षणता अथवा निःसारता आदि के विषय में कुछ विशेष कहने की जरूरत नहीं है, सहृदय पाठक सहज ही में अपने अनुभव से उसे जान सकते हैं अथवा उसकी जाँच कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ इतना ही बतला देना चाहता हूँ कि भट्टारकजी ने जो यह प्रतिपादन किया है कि 'एक जनेऊ पहनकर कोई भी धर्मकार्य सिद्ध नहीं हो सकता–उसका करना ही निष्फल होता है' वह जैनसिद्धान्त तथा जैननीति के बिल्कुल विरुद्ध है और किसी भी माननीय प्राचीन जैनाचार्य के वाक्य से उसका समर्थन नहीं होता। एक जनेऊ पहनकर तो क्या, यदि कोई बिना जनेऊ पहने भी सच्चे हृदय से भगवान् की पूजा भक्ति में लीन हो जाये, मन लगाकर स्वाध्याय करे, किसी के प्राण बचाकर उसे अभयदान देवे, सदुपदेश देकर दूसरों को सन्मार्ग में लगाए अथवा सत्संयम का अभ्यास करे तो यह नहीं हो सकता कि उसे सत्फल की प्राप्ति न हो, ऐसा न मानना जैनियों की कर्म फिलॉसॉफ़ी अथवा जैनधर्म से ही इंकार करना है। जैनधर्मानुसार मन, वचन, काय की शुभ प्रवृत्ति पुण्य का और अशुभ प्रवृत्ति पाप का कारण होती है–वह अपने उस फल के लिये यज्ञोपवीत के धागों की साथ में कुछ अपेक्षा नहीं रखती। किन्तु परिणामों से खास सम्बन्ध रखती है। सैकड़ों यज्ञोपवीत (जनेऊ) धारी

५९. और भी कुछ स्थानों पर ऐसे ही विलक्षण उपायों का–करामाती नुस्खों का–विधान किया गया है, जैसे (१) पूर्व की ओर मुँह करके भोजन करने से आयु के बढ़ने का, पश्चिम की तरफ मुँह करके खाने से धन की प्राप्ति होने का और (२) कांसे के बर्तन में भोजन करने से आयुर्बलादिक की वृद्धि का विधान! इसी तरह (३) दीपक का मुख पूर्व की ओर कर देने से आयु के बढ़ने का, उत्तर की ओर कर देने से धन की बढ़वारी का, पश्चिम की ओर कर देने से दुःखों की उत्पत्ति का तथा दक्षिण की ओर कर देने से हानि के पहुँचने का और सूर्यास्त से सूर्योदय पर्यन्त घर में दीपक के जलते रहने से दरिद्र के भाग जाने अथवा पास न फटकने का विधान! यथा– (१) आयुष्यं प्राङ्मुखो भुंक्ते... श्री कामः पश्चिमे (श्रियं प्रत्यङ्मुखो) भुंक्ते॥६–१६३॥ (२) एक एव त यो भुंक्ते विमले (गृहस्थः) कांस्यभाजने। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः प्रज्ञा यशोबलम्॥६–१६७॥ (३) आयुष्ये (र्दः) प्राङ्मुखो दीपो धनायोदङ्मुखोमतः (धनदः स्यादुदङ्मुखः)। प्रत्यङ्मुखोऽपि दुःखाय (दुःखदोऽसौ) हानये (निदो) दक्षिणामुखः॥ रवेरस्तं समारभ्य यावत्सूर्योदयो भवेत्। यस्य तिष्ठेद्गृहे दीपस्तस्य नास्ति दरिद्रता॥ और ये सब कथन हिन्दूधर्म के ग्रन्थों से लिये गये हैं– हिन्दूओं के (१) मनु (२) व्यास तथा (३) मरीचि नामक ऋषियों के क्रमशः वचन हैं, जो प्रायः ज्यों के त्यों अथवा कहीं कहीं साधारण से परिवर्तन के साथ उठाकर रखे गये हैं। आन्हिकसूत्रावली में भी ये वाक्य, ब्रैकिटों में दिये हुए पाठभेद के साथ इन्हीं ऋषियों के नाम से उल्लेखित मिलते हैं। जैनधर्म की शिक्षा अथवा उसके तत्त्वज्ञान से इन कथनों का कोई खास सम्बन्ध नहीं है।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

महापातकी देखे जाते हैं और बिना यज्ञोपवीत के भी हजारों व्यक्ति उत्तर भारतादिक में धर्मकृत्यों का अच्छा अनुष्ठान करते हुए पाये जाते हैं–स्त्रियाँ तो बिना यज्ञोपवीत के ही बहुत कुछ धर्मसाधन करती हैं। अतः धर्म का यज्ञोपवीत के साथ अथवा उसकी पंच संख्या के साथ कोई अविनाभावी सम्बन्ध नहीं है। और इसलिये भट्टारकजी का उक्त कथन मान्य किये जाने के योग्य नहीं।

तिलक और दर्भ के बँधुए

(१९) चौथे अध्याय में, 'तिलक' का विस्तृत विधान और उसकी अपूर्व महिमा का गान करते हुए, भट्टारकजी लिखते हैं–

जपो होमस्तथा दानं स्वाध्यायः पितृतर्पणम्।
जिनपूजा श्रुताख्यानं न कुर्यात्तिलकं विना॥८५॥

अर्थात्–तिलक के बिना जप, होम, दान, स्वाध्याय, पितृतर्पण, जिनपूजा और शास्त्र का व्याख्यान नहीं करना चाहिए।

परन्तु क्यों नहीं करना चाहिए? करने से क्या खराबी पैदा हो जाती है अथवा कौन सा उपद्रव खड़ा हो जाता है? ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। क्या तिलक छाप लगाए बिना इनको करने से ये कार्य अधूरे रह जाते हैं? इनका उद्देश्य सिद्ध नहीं होता? अथवा इनका करना ही निष्फल होता है? कुछ समझ में नहीं आता!! हाँ, इतना स्पष्ट है कि भट्टारकजी ने जप, तप, दान, स्वाध्याय, पूजा-भक्ति और शास्त्रोपदेश तक को तिलक के साथ बंधे हुए समझा है, तिलक के अनुचर माना है और उनकी दृष्टि में इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं, इनका स्वतंत्रतापूर्वक अनुष्ठान नहीं हो सकता अथवा वैसा करना हितकर नहीं हो सकता। और यह सब जैनशासन के विरुद्ध है। एक वस्त्र में तथा एक जनेऊ पहनकर इन कार्यों के किए जाने का विरोध जैसे युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता उसी तरह पर तिलक के बिना भी इन कार्यों का किया जाना, जैनसिद्धांतों की दृष्टि से कोई खास आपत्ति के योग्य नहीं जँचता। इस विषय में ऊपर (नं० १६ तथा १८ में) जो तर्कणा की गई है उसे यथायोग्य यहाँ भी समझ लेना चाहिए।

इसी तरह पर तीसरे अध्याय में दर्भ[६०] का माहात्म्य गाया गया है और उसके बिना भी पूजन, होम तथा जप आदिक के करने का निषेध किया है और लिखा है कि पूजन, जप तथा होम के अवसर पर दर्भ में ब्रह्मगाँठ लगानी होती है। साथ ही, यह भी बतलाया है कि नित्य कर्म करते हुए हमेशा दो दर्भों को दक्षिण हाथ में धारण करना चाहिए और स्नान, दान, जप, यज्ञ तथा स्वाध्याय करते हुए दोनों हाथों में या तो दर्भ के नाल रखने चाहिए और या पवित्रक (दर्भ के बने छल्ले) पहनने चाहिए। यथा–

द्वौ दर्भौ दक्षिणे हस्ते सर्वदा नित्यकर्मणि॥९२॥
स्नाने दाने जपे यज्ञे स्वाध्याये नित्यकर्मणि।

६०. कुश, काँस, दूब और मूँज वगैरह घास, जिसमें गेहूँ, जौ तथा धान्य की नालियाँ भी शामिल हैं और जिसके इन भेदों का प्रतिपादक श्लोक, ''अजैन ग्रन्थों से संग्रह'' नामक प्रकरण में उद्धृत किया जा चुका है।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

सपवित्रौ सदर्भौ वा करौ कुर्वीत नान्यथा॥९५॥
दर्भं विना न कुर्वीत चा चमं जिनपूजनम्।
जिनयज्ञं जपे होमे ब्रह्मग्रन्थिर्विधीयते॥९७॥

इससे जाहिर है कि भट्टारकजी ने जिनपूजनादिक को तिलक के ही नहीं किन्तु दर्भ के भी बँधुए माना है! आपकी यह मान्यता भी, तिलक-सम्बन्धी उक्त मान्यता की तरह, जैनशासन के विरुद्ध है। जैनों का आचार विचार भी आम तौर पर इसके अनुकूल नहीं पाया जाता अथवा यों कहिये कि ''दर्भ हाथ से लेकर ही पूजनादिक धर्मकृत्य किये जायें अन्यथा न किये जायें'' ऐसी जैनाम्नाय नहीं है। लाखों जैनी बिना दर्भ के ही पूजनादिक धर्मकृत्य करते आए हैं और करते हैं। नित्य की 'देवपूजा' तथा यशोनन्दि आचार्य कृत 'पंचपरमेष्ठि पूजापाठ' आदिक ग्रन्थों में भी दर्भ की इस आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है। हाँ, हिन्दुओं के यहाँ दर्भादिक के माहात्म्य का ऐसा वर्णन जरूर है–वे तिलक और दर्भ के बिना स्नान, पूजन तथा संध्योपासनादि धर्मकृत्यों का करना ही निष्फल समझते हैं, जैसा कि उनके पद्मपुराण (उत्तरखण्ड) के निम्न वाक्य से प्रकट है–

स्नानं संध्यां पंच यज्ञान् पैत्रं होमादिकर्म यः।
विना तिलकदर्भाभ्यां कुर्यात्तन्निष्फलं भवेत्॥ शब्दकल्पद्रुम।

इसी तरह उनके ब्रह्माण्डपुराण में तिलक को वैष्णव का रूप बतलाया है और उसके बिना दान, जप, होम तथा स्वाध्यायादिक का करना निरर्थक ठहराया है। यथा–

कर्मादौ तिलकं कुर्याद्रूपं तद्वैष्णवं परं॥
गो प्रदानं जपो होमः स्वाध्यायः पितृतर्पणम्।
भस्मीभवति तत्सर्वं मूर्ध्वपुण्ड्रं विना कृतम्॥ शब्दकल्पद्रुम।

हिन्दू ग्रन्थों के ऐसे वाक्यों पर से ही भट्टारकजी ने अपने कथन की सृष्टि की है जो जैनियों के लिये उपादेय नहीं है।

यहाँ पर मैं अपने पाठकों को इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि भट्टारकजी ने तिलक करने का जो विधान किया है वह उसी[६१] चंदन से किया है जो भगवान् के चरणों को लगाया जावे अर्थात्, भगवान् के चरणों पर लेप किये हुए चंदन को उतारकर उससे तिलक करने की व्यवस्था की है। साथ ही, यह भी लिखा है कि ''अँगूठे से किया हुआ तिलक पुष्टि को देता है, मध्यमा अँगुली से किया हुआ यश को फैलाता है, अनामिका (कनिष्ठा के पास की अँगुली) से किया गया तिलक धन का देने वाला है और वहीं प्रदेशिनी (अँगूठे के पास की अँगुली) से किये जाने पर मुक्ति का दाता

६१. यथा– जिनांघ्रिचन्दनैः स्वस्य शरीरं लेपमाचरेत्।...॥६१॥
ललाटे तिलकं कार्यं तेनैव चन्दनेन च॥६३॥

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

है!!''[६२] यह सब व्यवस्था भी कैसी विलक्षण है, इसे पाठक स्वयं समझ सकते हैं। इसमें और सब बातें तो हैं ही परन्तु 'मुक्ति' इसके द्वारा अच्छी सस्ती बना दी गई है! मुक्ति के इच्छुकों को चाहिए कि वे इसे अच्छी तरह से नोट कर लेवें!!

सूतक की विडम्बना

(२०) जन्म-मरण के समय अशुचिता का कुछ सम्बन्ध होने से लोक में जननाशौच तथा मरणाशौच (सूतक पातक) की कल्पना की गई है और इन दोनों को शास्त्रीय भाषा में एक नाम से 'सूतक' कहते हैं। स्त्रियों का रजस्वलाशौच भी इसी के अन्तर्गत है। इस सूतक के मूल में लोक व्यवहार की शुद्धि का जो तत्त्व अथवा जो उद्देश्य जिस हद तक सन्निहित था, भट्टारकजी के इस ग्रन्थ में उसकी बहुत कुछ मिट्टी पलीद पाई जाती है। वह कितने ही अंशों में लक्ष्यभ्रष्ट होकर अपनी सीमा से निकल गया है-कहीं ऊपर चढ़ा दिया गया तो कहीं नीचे गिरा दिया गया-उसकी कोई एक स्थिर तथा निर्दोष नीति नहीं और इससे सूतक को एक अच्छी खासी विडम्बना का रूप प्राप्त हो गया है। इसी विडम्बना का कुछ दिग्दर्शन कराने के लिये पाठकों के सामने उसके दो चार नमूने रखे जाते हैं-

(क) वर्णक्रम से सूतक (जननाशौच) की मर्यादा का विधान करते हुए, आठवें अध्याय में, ब्राह्मणों के लिये १०, क्षत्रियों के लिये १२, और वैश्यों के लिये १४ दिन की मर्यादा बतलाई गई है। परन्तु तेरहवें अध्याय में क्षत्रियों तथा शूद्रों को छोड़कर, जिनके लिये क्रमशः १२ तथा १५ दिन की मर्यादा दी है, औरों के लिए १० दिन की मर्यादा का उल्लेख किया है और इस तरह पर ब्राह्मण वैश्य दोनों ही के लिये १० दिन की मर्यादा बतलाई गई है। इसके सिवाय एक श्लोक में वर्णों की मर्यादा-विषयक पारस्परिक अपेक्षा (निस्बत) का नियम भी दिया है और उसमें बतलाया है कि जहाँ ब्राह्मणों के लिये तीन दिन का सूतक, वहाँ वैश्यों के लिये चार दिन का, क्षत्रियों के लिये पाँच दिन का और शूद्रों के लिये आठ दिन का समझना चाहिए। यथा-

प्रसूतेर्दशमे चान्हि द्वादशे वा चतुर्दशे।
सूतकाशौचशुद्धिः स्याद्विप्रादीनां यथाक्रमम् ॥८-१०५॥

प्रसूतौ चैव निर्दोषं दशाहं सूतकं भवेत्।
क्षत्रस्य द्वादशाहं सच्छूद्रस्य पक्षमात्रकम् ॥१३-४६॥

६२. यथा- अंगुष्ठः पुष्टिदः प्रोक्तो यशसे मध्यमा (मध्यमायुष्करी) भवेत्। अनामिका श्रियं (ऽर्थदा) दद्याात् (नित्यं) मुक्तिं दद्यात् (मुक्तिदा च) प्रदेशिनी॥८२॥ यह पद्य, ब्रैकिटों में दिये हुए पाठभेद के साथ, हिन्दुओं के ब्रह्मपुराण में पाया जाता है (श. क.) और सम्भवतः वहीं से लिया गया जान पड़ता है।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

[६३]त्रिदिनं यत्र विप्राणां वैश्यानां स्याच्चतुर्दिनम्।
क्षत्रियाणां पंचदिनं शूद्राणां च दिनाष्टकम्॥४७॥

इन तीनों श्लोकों का कथन, एक विषय से सम्बन्ध रखते हुए भी, परस्पर में कितना विरुद्ध है इसे बतलाने की जरूरत नहीं, और यह तो स्पष्ट ही है कि तीसरे श्लोक में दिये हुए अपेक्षा नियम का पहले दो श्लोकों में कोई पालन नहीं किया गया। उसके अनुसार ब्राह्मणों के लिये यदि दस दिन का सूतक था तो वैश्यों के लिये प्रायः १३ दिन का, क्षत्रियों के लिये १६ दिन का और शूद्रों के लिये २६ दिन का सूतक विधान होना चाहिए था। परन्तु वैसा नहीं किया गया। इससे सूतक विषयक मर्यादा की अच्छी खासी विडम्बना पाई जाती है, और वह पूर्वाचार्यों के कथन के भी विरुद्ध है, क्योंकि प्रायश्चित्त समुच्चय और छेदशास्त्रादि ग्रन्थों में क्षत्रिय के लिए ५ दिन की, ब्राह्मणों के लिये १० दिन की, वैश्यों के लिये १२ दिन की और शूद्रों के लिये १५ दिन की सूतक व्यवस्था की गई है और उसमें जन्म तथा मरण के सूतक का कोई अलग भेद न होने से वह, आम तौर पर, दोनों के ही लिये समान जान पड़ती है। यथा–

क्षत्रब्राह्मणविट्शूद्रा दिनैः शुद्ध्यन्ति पंचभिः।
दशद्वादशभिः पक्षाद्यथासंख्यप्रयोगतः॥१५३॥ प्रायश्चित्तस.,चूलिका।
पण दस वारस णियमा पण्णरसेहिं तत्थ दिवसेहिं।
खत्तियवंभणवइसा सुद्दाइ कमेण सुज्झंति॥८७॥ छेदशास्त्र।

(ख) आठवें अध्याय में भट्टारकजी लिखते हैं कि ''पुत्र पैदा होने पर पिता को चाहिए कि वह पूजा की सामग्री तथा मंगल कलश को लेकर गाजे बाजे के साथ श्री जिनमंदिर में जावे और वहाँ बच्चे की नाल कटने तक प्रतिदिन पूजा के लिये ब्राह्मणों की योजना करे तथा दान से सम्पूर्ण भट्ट-भिक्षुकादिकों को तृप्त करे''। और फिर तेरहवें अध्याय में यह व्यवस्था करते हैं कि ''नाल कटने तक और सबको तो सूतक लगता है परन्तु पिता और भाई को नहीं लगता। इसी से दान देते हैं और उस दान को लेने वाले अपवित्र नहीं होते हैं। यदि उन्हें भी उसी वक्त से सूतकी मान लिया जाये तो दान ही नहीं बन सकता''। यथा–

''पुत्रे जाते पिता तस्य कुर्यादाचमनं मुदा।
प्राणायामं विधायोश्चैराचमं पुनराचरेत्॥९३॥

६३. इस श्लोक का अर्थ देने के बाद सोनीजी ने जो भावार्थ दिया है वह उनका निजी कल्पित जान पड़ता है, मूल से उसका कुछ सम्बन्ध नहीं है। मूल के अनुसार इस श्लोक का सम्बन्ध आगे पीछे दोनों ओर के कथनों से है। आगे भी ६२वें श्लोक में जननाशौच की मर्यादा का उल्लेख किया गया है। उस पर भी इस श्लोक की व्यवस्था लगाने से वही विडम्बना खड़ी हो जाती है। इसी तरह ४६वें श्लोक के अनुवाद में जो उन्होंने लिखा है कि 'राजा के लिये सूतक नहीं' वह भी मूल से बाहर की चीज है!

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

पूजावस्तुनि चादाय मंगलं कलशं तथा।
महावाद्यस्य निर्घोषं व्रजेद्धर्मजिनालये॥९४॥
ततः प्रारभ्य सद्विप्रान् जिनालये नियोजयेत्।
प्रतिदिनं स पूजार्थं यावन्नालं प्रच्छेदयेत्॥९५॥
दानेन तर्पयेत् सर्वान् भट्टान् भिक्षुजनान् पिता।''
''जननेऽप्येवमेवाऽघं मात्रादीनां तु सूतकम्॥
तदानाऽघं पितुर्भ्रातुर्नाभिकर्तनतः पुरा॥६२॥
पिता दद्यात्तदा स्वर्णताम्बूलवसनादिकम्।
अशुचिनस्तु नैव स्युर्जनास्तत्र परिग्रहे॥६३॥
तदात्व एव दानस्यानुत्पत्तिर्भवेद्यदि।''

पाठकजन! देखा, सूतक की यह कैसी विडम्बना है!! घर में मल, दुर्गन्धि तथा रुधिर का प्रवाह बह जाये और उसके प्रभाव से कई कई पीढ़ी तक के कुटुम्बी जन भी अपवित्र हो जाये–उन्हें सूतक का पाप लग जाये परन्तु पिता और भाई जैसे निकट सम्बन्धी दोनों उस पाप से अछूते ही रहें!!! वे खुशी से पूजन की सामग्री लेकर मंदिर जा सकें और पूजनादिक धर्मकृत्यों का अनुष्ठान कर सकें परन्तु दूसरे कुटुम्बी जन नहीं!! और दो एक दिन के बाद जब यथारुचि नाल काट दी जाये तो वह पाप फिर उन्हें भी आ पिलवे- वे भी अपवित्र हो जायें- और तब से पूजनदानादि जैसे किसी भी अच्छे काम को करने के वे योग्य न रहें!!! इससे अधिक और क्या विडम्बना हो सकती है!!! मालूम नहीं भट्टारकजी ने जैनधर्म के कौनसे गूढ़ तत्त्व के आधार पर यह सब व्यवस्था की है!! जैनसिद्धान्तों से तो ऐसी हास्यास्पद बातों का कोई समर्थन नहीं होता! इस व्यवस्था के अनुसार पिता भाई के लिये सूतक की वह कोई मर्यादा भी कायम नहीं रहती जो ऊपर बतलाई गई है। युक्ति-वाद भी भट्टारकजी का बड़ा ही विलक्षण जान पड़ता है! समझ में नहीं आता एक सूतकी मनुष्य दान क्यों नहीं कर सकता? उसमें क्या दोष है? और उसके द्वारा दान किये हुए द्रव्य तथा सूखे अन्नादिक से भी उनका लेने वाला कोई कैसे अपवित्र हो जाता है? यदि अपवित्र हो ही जाता है तो फिर इस कल्पनामात्र से उसका उद्धार अथवा रक्षा कैसे हो सकती है कि दातार दो दिन के लिये सूतकी नहीं रहा? तब तो सूतक के बाद ही दानादिक किया जाना चाहिए। और यदि जरूरत के वक्त ऐसी कल्पनाएँ कर लेना भी जायेज (विधेय) है तो फिर एक श्रावक के लिये, जिसे नित्य पूजन, दान तथा स्वाध्यायादिक का नियम है, यही कल्पना क्यों न कर ली जाये कि उसे अपनी उन नित्यावश्यक क्रियाओं के करने में कोई सूतक नहीं लगता? इस कल्पना का उस कल्पना के साथ मेल भी है जो व्रतियों, दीक्षितों तथा ब्रह्मचारियों आदि को पिता के मरण के सिवाय और किसी का सूतक न लगने की बाबत की गई है।[६४] अतः

६४. यथा– व्रतिनां दीक्षितानां च याज्ञिकत्रब्रह्मचारिणाम्। नैवाशौचं भवेत्तेषां पितुश्च मरणं बिना॥१२२॥

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

भट्टारकजी का उक्त हेतुवाद कुछ भी युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता। वास्तव में उनका यह सब कथन प्रायः ब्राह्मणिक मन्तव्यों को लिये हुए है और कहीं कहीं हिन्दूधर्म से भी एक कदम आगे बढ़ा हुआ जान पड़ता है।[६५] जैनधर्म से उसका कोई खास सम्बन्ध नहीं है और न जैनियों में, आमतौर पर, नाल का काटना दो एक दिन के लिये रोका ही जाता है, बल्कि वह उसी दिन, जितना शीघ्र होता है काट दी जाती है और उसको काट देने के बाद ही दानादिक पुण्य कर्म किया जाता है।

(ग) तेरहवें अध्याय में भट्टारकजी एक व्यवस्था यह भी करते हैं कि यदि कोई पुत्र दूर देशान्तर में स्थित हो और उसे अपने पिता या माता के मरण का समाचार मिले तो उस समाचार को सुनने के दिन से ही उसे दस दिन का सूतक (पातक) लगेगा- चाहे वह समाचार उसने कई वर्ष बाद ही क्यों न सुना हो।[६६] यथा–

पितरौ चेत्मृतौ स्यातां दूरस्थोऽपि हि पुत्रकः।
श्रुत्वा तद्दिवमारभ्य पुत्राणां दशरात्रकं (दशाहं सूतकी भवेत्)॥७१॥

यह भी सूतक की कुछ कम विडम्बना नहीं है। उस पुत्र ने पिता का दाह कर्म किया नहीं, शव को स्पर्श नहीं, शव के पीछे श्मशान भूमि को वह गया नहीं और न पिता के मृत शरीर की दूषित वायु ही उस तक पहुँच सकी है परन्तु फिर भी इतने अर्से के बाद तथा हजारों मील की दूरी पर बैठा हुआ भी वह अपवित्र हो जाता है और दान पूजनादिक धर्मकृत्यों के योग्य नहीं रहता।!! यह कितनी हास्यास्पद व्यवस्था है इसे पाठक स्वयं सोच सकते हैं!!! क्या यह भी जैनधर्म की व्यवस्था है? छेदपिण्डादि शास्त्रों में तो जलाऽनल-प्रवेशादि द्वारा मरे हुओं की तरह परदेश में मरे हुओं का भी सूतक नहीं माना है। यथा–

वालत्तणसूरत्तणजलणदिपवेसदिक्खेहिं।
अणसणपरदेसेसु य मुदाण खलु सूतगं णत्थि॥३५३॥

छेदपिण्ड

लोइयसूरत्तविही जलाइपरदेसवालसण्णासे।
मरिदे खणो ण सोही वदसहिदे चेव सागारे॥८६॥

छेद शास्त्र

६५. हिन्दू धर्म में नाल कटने के बाद जन्म से पाँचवे छठे दिन भी पिता को दान देने तथा पूजन करने का अधिकारी बतलाया है और साथ ही यह प्रतिपादन किया है कि ब्राह्मणों को उस दान के लेने में कोई दोष नहीं। यथा– ''जातकर्मणि दाने च नालच्छेदनात्पूर्वे पितुरधिकारः एवं पंचम षष्ठदशमदिने जन्म दादिपूजनेषु दाने चाधिकारः तत्र विप्राणां प्रति ग्रहेषि दोषो न।'' आशौच निर्णय

६६. इसी तरह पर आपने पति पत्नी को भी एक दूसरे का मृत्यु समाचार सुनने पर दस दिन का सूतक बतलाया है। यथा– मातापित्रोर्यथाशौचं दशाहं क्रियते सुतैः। अनेकेऽब्देपि दम्पत्योस्तथैव स्यात्परस्परम्॥७४॥

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

इससे उक्त व्यवस्था को जैनधर्म की व्यवस्था बतलाना और भी आपत्ति के योग्य हो जाता है। भट्टारकजी ने इस व्यवस्था को हिन्दूधर्म से लिया है, और वह उसके 'मरीचि' ऋषि की व्यवस्था है।[६७] उक्त श्लोक भी मरीचि ऋषि का वाक्य है और उसका अन्तिम चरण है 'दशाहं सूतकी भवेत्'। भट्टारकजी ने इस चरण को बदलकर उसकी जगह 'पुत्राणां दशरात्रकं' बनाया है और उनका यह परिवर्तन बहुत कुछ बेढंगा जान पड़ता है, जैसा कि पहिले ('अजैन ग्रन्थों से संग्रह' प्रकरण में) बतलाया जा चुका है।

(घ) इसी तेरहवें अध्याय में भट्टारकजी एक और भी अनोखी व्यवस्था करते हैं। अर्थात् लिखते हैं कि ''यदि कोई अपना कुटुम्बीजन दूर देशान्तर को गया हो, और उसका कोई समाचार पूर्वादि अवस्था क्रम से २८, १५ या १२ वर्ष तक सुनाई न पड़े तो इसके बाद उसका विधिपूर्वक प्रेतकर्म (मृतक संस्कार) करना चाहिए-सूतक (पातक) मनाना चाहिए और श्राद्ध करके छह वर्ष तक का प्रायश्चित्त लेना चाहिए। यदि प्रेतकार्य हो चुकने के बाद वह आ जाये तो उसे घी के घड़े तथा सर्व औषधियों के रस से नहलाना चाहिए, उसके सब संस्कार फिर से करके उसे यज्ञोपवीत देना चाहिए और यदि उसकी पूर्वपत्नी मौजूद हो तो उसके साथ उसका फिर से विवाह करना चाहिए।'' यथा–

दूरदेशं गते वार्ता दूरतः श्रूयते न चेत्।
यदि पूर्ववयस्कस्य यावत्स्यादष्टविंशतिः॥८०॥
तथा मध्यवयस्कस्य ह्यब्दा पंचदशैव तत्।
तथाऽपूर्ववयस्कस्य स्याद् द्वादशवत्सरम्॥८१॥
अत ऊर्ध्वं प्रेतकर्म कार्यं तस्य विधानतः।
श्राद्धं कृत्वा षडब्दं तु प्रायश्चित्तं स्वशक्तितः॥८२॥
प्रेतकार्ये कृते तस्य यदि चेत्पुनरागतः।
घृतकुम्भेन संस्नाप्य सर्वौषधिभिरप्यथ॥८३॥
संस्कारान्सकलान् कृत्वा मौञ्जीबन्धनमाचरेत्।
पूर्वपत्न्या सहैवास्य विवाहः कार्य एवहि॥८४॥

पाठकगण! देखिये, इस विडम्बना का भी कुछ ठिकाना है! बिना मरे ही मरना मना लिया गया!! और उसके मनाने की भी जरूरत समझी गई!!! यह विडम्बना पूर्व की विडम्बनाओं से भी बढ़ गई। इस पर अधिक लिखने की जरूरत नहीं। जैनधर्म से ऐसी बिना सिर पैर की विडम्बनात्मक व्यवस्थाओं का कोई सम्बन्ध नहीं है।

(ङ) सूतक मनाने के इतने धुनी भट्टारकजी आगे चलकर लिखते हैं–

६७. मनु आदि ऋषियों की व्यवस्था इससे भिन्न है और उसको जानने के लिये 'मनुस्मृति' आदि को देखना चाहिए। यहाँ पर एक वाक्य पराशरस्मृति का उद्धृत किया जाता है, जिसमें ऐसे अवसर पर सद्यःशौच की-तुरंत शुद्धि कर लेने की व्यवस्था की गई है। यथा– देशान्तरमृतः कश्चित्सगोत्रः श्रूयते यदि। न त्रिरात्रमहोरात्रं सद्यः स्नात्वा शुचिर्भवेत्॥३-१२॥

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

व्याधितस्य कदर्थस्य ऋणग्रस्तस्य सर्वदा।
क्रियाहीनस्य मूर्खस्य स्त्रीजितस्य विशेषतः॥११९॥
व्यसनासक्तचित्तस्य पराधीनस्य नित्यशः।
श्राद्धत्यागविहीनस्य षण्ढपाषण्डपापिनाम्॥१२०॥
पतितस्य च दुष्टस्य भस्मांतं सूतकं भवेत्।
यदि दग्धं शरीरं चेत्सूतकं तु दिनत्रयम्॥१२१॥

अर्थात्–जो लोग व्याधि से पीड़ित हों, कृपण हों, हमेशा कर्जदार रहते हों, क्रियाहीन हों, मूर्ख हों, सविशेष रूप से स्त्री के वशवर्ती हों, व्यसनासक्तचित्त हों, सदा पराधीन रहने वाले हों, श्राद्ध न करते हों, दान न देते हों, नपुंसक हों, पाषण्डी हों, पापी हों, पतित हों अथवा दुष्ट हों, उन सब का सूतक भस्मान्त होता है–अर्थात्, शरीर के भस्म हो जाने पर फिर सूतक नहीं रहता। सिर्फ उस मनुष्य को तीन दिन का सूतक लगता है, जिसने दग्धक्रिया की हो।

इस कथन से सूतक का मामला कितना उलट पलट हो जाता है। उसे बतलाने की जरूरत नहीं, सहृदय पाठक सहज ही में उसका अनुभव कर सकते हैं। मालूम नहीं भट्टारकजी का इसमें क्या रहस्य था! उनके अनुयायी सोनीजी भी उसे खोल नहीं सके और वैसे ही दूसरों पर अश्रद्धा का आक्षेप करने बैठ गये!! हमारी राय में तो इस कथन से सूतक की विडम्बना और भी बढ़ जाती है और उसकी कोई एक निर्दिष्ट अथवा स्पष्ट नीति नहीं रहती। लोक व्यवहार भी इस व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। वस्तुतः यह कथन भी प्रायः हिन्दूधर्म का कथन है। इसके पहले दो पद्य 'अत्रि' ऋषि के वचन हैं और वे 'अत्रिस्मृति' में क्रमशः नं० १०० तथा १०१ पद दर्ज हैं, सिर्फ इतना भेद है कि वहाँ दूसरे पद्य का अन्तिम चरण 'भस्मान्तं सूतकं भवेत्' दिया है, जिसे भट्टारकजी ने अपने तीसरे पद्य का दूसरा चरण बनाया है और उसकी जगह पर 'षण्ढपाषण्ढपापिनाम्' नाम का चरण रख दिया है!!

इसी तरह पर और भी कितने ही कथन अथवा विधि-विधान ऐसे पाये जाते हैं, जो सूतक मर्यादा की निःसार विषमतादि विषयक विडम्बनाओं को लिये हुए हैं और जिनसे सूतक की नीति निरापद नहीं रहती, जैसे विवाहिता पुत्री के पिता के घर पर मर जाने अथवा उसके वहाँ बच्चा पैदा होने पर सिर्फ तीन दिन के सूतक की व्यवस्था का दिया जाना! इत्यादि। और ये सब कथन भी अधिकांश में हिन्दूधर्म से लिए गए अथवा उसकी नीति का अनुसरण करके लिखे गये हैं।

यहाँ पर मैं अपने पाठकों को सिर्फ इतना और बतला देना चाहता हूँ कि भट्टारकजी ने उस हालत में भी सूतक अथवा किसी प्रकार के अशौच को न मानने की व्यवस्था की है जबकि यज्ञ (पूजन हवनादिक) तथा महान्यासादि कार्यों का प्रारम्भ कर दिया गया हो और बीच में कोई सूतक आ पड़े अथवा सूतक मानने से अपने बहुत से द्रव्य की हानि का प्रसंग उपस्थित हो। ऐसे सब अवसरों पर फौरन शुद्धि कर ली जाती है अथवा मान ली जाती है, ऐसा भट्टारकजी का कहना है। यथा–

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

समारब्धेषु वा यज्ञमहान्यासादिकर्मसु।
बहुद्रव्यविनाशे तु सद्यः शौचं विधीयते॥१२४॥

परन्तु विवाह प्रकरण के अवसर पर आप अपने इस व्यवस्था नियम को भुला गये हैं। वहाँ विवाह यज्ञ का होम प्रारम्भ हो जाने पर जब यह मालूम होता है कि कन्या रजस्वला है तो आप तीन दिन के लिये विवाह को ही मुलतवी (स्थगित) कर देते हैं और चौथे दिन उसी अग्नि में फिर से होम करके कन्यादानादि शेष कार्यों को पूरा करने की व्यवस्था देते हैं![६८] आपको यह भी ख्याल नहीं रहा कि तीन दिन तक बारात के वहाँ और पड़े रहने पर बेटी वाले का कितना खर्च बढ़ जायेगा और साथ ही बारातियों को भी अपनी आर्थिक हानि के साथ साथ कितना कष्ट उठाना पड़ेगा!! यह भी तो बहु द्रव्यविनाश का ही प्रसंग था और साथ ही यज्ञ भी प्रारम्भ हो गया था जिसका कोई ख्याल नहीं रखा गया और न आप को यही ध्यान आया कि जिस ब्रह्मसूरि त्रिवर्णाचार से हम यह पद्य उठाकर रख रहे हैं उसमें इसके ठीक पूर्व ही ऐसे अवसरों के लिये भी सद्यःशौच की व्यवस्था की है–अर्थात् लिखा है कि उस वर तथा कन्या के लिये जिसका विवाहकार्य प्रारम्भ हो गया हो, उन लोगों के लिये जो होम श्राद्ध, महादान तथा तीर्थ यात्रा के कार्यों में प्रवर्त रहे हों और उन ब्रह्मचारियों के लिए जो प्रायश्चित्तादि नियमों का पालन कर रहे हों, अपने-अपने कार्यों को करते हुए किसी सूतक के उपस्थित हो जाने पर सद्यःशौच की व्यवस्था है।[६९] अस्तु, भट्टारकजी को इस विषय का ध्यान अथवा ख्याल रहा हो या न रहा हो वे भूल गये हों या भुला गये हों परन्तु इसमें संदेह नहीं कि ग्रंथ में उनके इस विधान से सूतक की नीति और भी ज्यादा अस्थिर हो जाती है और उससे सूतक की विडम्बना बढ़ जाती है अथवा यों कहिये कि उसकी मिट्टी खराब हो जाती है और कुछ मूल्य नहीं रहता। साथ ही, यह मालूम होने लगता है कि "वह अपनी वर्तमान स्थिति में महज काल्पनिक है, उसका मानना न मानना समय की जरूरत, लोकस्थिति अथवा अपनी परिस्थिति पर अवलम्बित है–लोक का वातावरण बदल जाने अथवा अपनी किसी खास जरूरत के खड़े हो जाने पर उसमें यथेच्छ परिवर्तन ही नहीं किया जा सकता बल्कि उसे साफ धता भी बतलाया जा सकता है, वास्तविक धर्म अथवा धार्मिक तत्त्वों के साथ उसका कोई खास सम्बन्ध नहीं है–उसको उस रूप में न मानते हुए भी पूजा, दान, तथा स्वाध्यायादिक धर्मकृत्यों का अनुष्ठान किया जा सकता है और उससे किसी अनिष्ठ फल की सम्भावना नहीं हो सकती"। चुनाँचे भरत चक्रवर्ती ने, पुत्रोत्पत्ति के कारण घर में सूतक होते हुए भी, भगवान् ऋषभदेव को केवलज्ञान उत्पन्न होने का शुभ समाचार पाकर उनके समवसरण में जाकर उनका साक्षात् पूजन किया था और वह पूजन भी अकेले अथवा चुपचाप नहीं किन्तु बड़ी धूम-धाम

६८. यथा– विवाहहोमे प्रक्रान्ते कन्या यदि रजस्वला। त्रिरात्रं दम्पती स्यातां पृथक्शय्यासनाशनौ ॥१०६॥
चतुर्थेऽहनि संस्नाता तस्मिन्नग्नौ यथाविधि। विवाहहोमं कुर्यात्तु कन्यादानादिकं तथा ॥१०७॥

६९. यथा– उपक्रान्तविवाहस्य वरस्यापि स्त्रियस्तथा। होमश्राद्धमहादानतीर्थयात्राप्रवर्तिनाम् ॥८-७९॥
प्रायश्चित्तादिनियमवर्तिनां ब्रह्मचारिणाम्। इत्येषां स्वस्वकृत्येषु सद्यः शौचं निरूपितम् ॥ ८०॥

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

के साथ अपने भाइयों, स्त्रियों तथा पुरजनों को साथ लेकर किया था। उन्हें ऐसा करने से कोई पाप नहीं लगा और न उसके कारण कोई अनिष्ट ही संघटित हुआ। प्रत्युत इसके, शास्त्र में–भगविज्जनसेन प्रणीत आदिपुराण में उनके इस सद्विचार तथा पुण्योपार्जन के कार्य की प्रशंसा ही की गई है जो उन्होंने पुत्रोत्पत्ति के उत्सव को भी गौण करके पहले भगवान् का पूजन किया। भरतजी के मस्तक में उस वक्त इस प्रकार की किसी कल्पना का उदय तक भी नहीं हुआ कि ''पुत्रजन्म के योगमात्र से हम सब कुटुम्बीजन, सूतक गृह में प्रवेश न करते हुए भी, अपवित्र हो गये हैं, कुछ दिन तक बलात् अपवित्र ही रहेंगे और इसलिये हमें भगवान् का पूजन न करना चाहिए,'' बल्कि वे कुछ देर तक सिर्फ इतना ही सोचते रहे कि एक साथ उपस्थित हुए इन कार्यों में से पहले कौन-सा कार्य करना चाहिए और अंत को उन्होंने यही निश्चय किया कि यह सब पुत्रोत्पत्ति आदि शुभ फल धर्म का ही फल है, इसलिये सबसे पहिले देवपूजा रूप धर्मकार्य ही करना चाहिए जो श्रेयानुबंधी (कल्याणकारी) तथा महाफल का दाता है। और तदनुसार ही उन्होंने, सूतकावस्था में, पहले भगवान् का पूजन किया।[७०] भरतजी यह भी जानते थे कि उनके भगवान् वीतराग हैं, परम पवित्र और पतितपावन हैं, यदि कोई शरीर से अपवित्र मनुष्य उनकी उपासना करता है तो वे उससे नाखुश (अप्रसन्न) नहीं होते और न उसके शरीर की छाया पड़ जाने अथवा वायु लग जाने से अपवित्र ही हो जाते हैं, बल्कि वह मनुष्य ही उनके पवित्र गुणों की स्मृति के योग से स्वयं पवित्र हो जाता है।[७१] इससे भरतजी को अपनी सूतकावस्था की कुछ चिंता भी नहीं थी।

मालूम होता है ऐसे ही कुछ कारणों से जैनधर्म में सूतकाचरण को कोई विशेष महत्त्व नहीं दिया गया। उसका श्रावकों की उन ५३ क्रियाओं में नाम तक भी नहीं है जिनका आदिपुराण में विस्तार के साथ वर्णन किया गया है और जिन्हें 'सम्यक् क्रियाएँ' लिखा है, बल्कि भगवज्जिनसेन ने 'आधानादिश्मशानान्त' नाम से प्रसिद्ध होने वाली दूसरे लोगों की उन विभिन्न क्रियाओं को जिनमें 'सूतक' भी शामिल है 'मिथ्या क्रियाएँ' बतलाया है।[७२] इससे जैनियों के लिये सूतक का कितना महत्त्व है यह और भी स्पष्ट हो जाता है। इसके सिवाय, प्राचीन साहित्य का जहाँ तक भी अनुशीलन किया जाता है उससे यही पता चलता है कि बहुत प्राचीन समय अथवा जैनियों के अभ्युदय काल में सूतक को कभी इतनी महत्ता प्राप्त नहीं थी और न वह ऐसी विडम्बना को ही लिये हुए था जैसी कि भट्टारकजी के इस ग्रन्थ में पाई जाती है। भट्टारकजी ने किसी देश, काल अथवा सम्प्रदाय में प्रचलित सूतक के नियमों का जो यह बेढंगा संग्रह करके उसे शास्त्र का रूप दिया है और सब जैनियों

७०. देखो उक्त आदिपुराण का २४वाँ पर्व।

७१. नित्य की 'देवपूजा' में भी ऐसा ही भाव व्यक्त किया गया है और उस अपवित्र मनुष्य को तब बाह्याभ्यन्तर दोनों प्रकार से पवित्र माना है। यथा–

अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। यः स्मरेत्परमात्मानं स बाह्याभ्यन्तरे शुचिः॥

७२. देखो इसी परीक्षा लेख का 'प्रतिज्ञादिविरोध' नाम का प्रकरण।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

पर उसके अनुकूल आचरण की जिम्मेदारी का भार लादा है वह किसी तरह पर भी समुचित प्रतीत नहीं होता। जैनियों को इस विषय में अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए और केवल प्रवाह में नहीं बहना चाहिए, उन्हें जैनदृष्टि से सूतक के तत्त्व को समझते हुए उसके किसी नियम उपनियम का पालन उस हद तक ही करना चाहिए जहाँ तक कि लोक-व्यवहार में ग्लानि मेटने अथवा शुचिता[७३] सम्पादन करने के साथ उसका सम्बन्ध है और अपने सिद्धान्तों तथा व्रताचरण में कोई बाधा नहीं आती। बहुधा परस्पर के खान-पान तथा बिरादरी के लेन देन तक ही उसे सीमित रखना चाहिए। धर्म पर उसका आतंक न जमना चाहिए, किंतु ऐसे अवसरों पर भरतजी की तरह अपने योग्य धर्माचरण को बराबर करते रहना चाहिए। और यदि कहीं का वातावरण, अज्ञान अथवा संसर्गदोष से या ऐसे ग्रन्थों के उपदेश से दूषित हो रहा हो, सूतक पातक की पद्धति बिगड़ी हुई हो, तो उसे युक्ति पूर्वक सुधारने का यत्न करना चाहिए।

तेरहवें अध्याय में मृतकसंस्कारादि विषयक और भी कितना ही कथन ऐसा है जो दूसरों से उधार लेकर रखा गया है और जैनदृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता। वह सब भी मान्य किये जाने के योग्य नहीं है। यहाँ पर विस्तारभय से उसके विचार को छोड़ा जाता है।

मैं समझता हूँ ग्रन्थ पर से सूतक की विडम्बना का दिग्दर्शन कराने के लिये उसका इतना ही परिचय तथा विवेचन काफी है। सहृदय पाठक इस पर से बहुत कुछ अनुभव कर सकते हैं।

पिप्पलादि-पूजन

(२१) नवमें अध्याय में, यज्ञोपवीत संस्कार का वर्णन करते हुए भट्टारकजी ने पीपल वृक्ष के पूजने का भी विधान किया है। आपके इस विधानानुसार ''संस्कार से चौथे दिन पीपल पूजने के लिये जाना चाहिए। पीपल का वह वृक्ष पवित्र स्थान में खड़ा हो, ऊँचा हो, छेददाहादि से रहित हो तथा मनोज्ञ हो, और उसकी पूजा इस तरह की जाये कि उसके स्कन्ध देश को दर्भ तथा पुष्पादिक की मालाओं और हल्दी में रंगे हुए सूत के धागों से अलंकृत किया जाये-लपेटा अथवा सजाया जाये, मूल को जल से सींचा जाये और वृक्ष के पूर्व की ओर एक चबूतरे पर अग्निकुंड बनाकर उसमें नौ नौ समिधाओं तथा घृतादिक से होम किया जाये, इसके बाद उस वृक्ष से, जिसे सर्व मंगलों का हेतु बतलाया है यह प्रार्थना की जाये कि हे पिप्पल वृक्ष! मुझे आपकी तरह पवित्रता, यज्ञयोग्यता और बोधित्वादिगुणों की प्राप्ति होवे और आप मेरे जैसे चिन्हों के (मनुष्याकार के) धारक होवें, प्रार्थना के अनंतर उस वृक्ष तथा अग्नि की तीन प्रदक्षिणाएँ देकर खुशी-खुशी अपने घर को जाना चाहिए और वहीं भोजन के पश्चात् सबको संतुष्ट करके रहना चाहिए। साथ ही उस संस्कारित व्यक्ति को पीपल पूजने की यह क्रिया हर महीने इसी तरह होमादिक के साथ करते रहना चाहिए और खासकर श्रावण

७३. यह शुचिता प्रायः भोजनपान की शुचिता है अथवा भोजनपान की शुद्धि को सिद्ध करना ही सूतक पातक सम्बन्धी वर्जन का मुख्य उद्देश्य है, ऐसा लाटीसंहिता के निम्न वाक्य से ध्वनित होता है- सूतकं पातकं चापि यथोक्तं जैनशासने। एषणाशुद्धिसिद्ध्यर्थं वर्जयेच्छ्रावकाग्रणीः॥५-२५६॥

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

के महीने में तो उसका किया जाना बहुत ही आवश्यक है''। यथा–

चतुर्थवासरे चापि संस्नातः पितृसंनिधौ।
संक्षिप्तहोमपूजादि कर्म कुर्याद्यथोचितम्॥४५॥
शुचिस्थानस्थितं तुङ्गं छेददाहादिवर्जितम्।
मनोज्ञं पूजितुं गच्छेत्सुयुक्त्याऽश्वत्थभूरुहम्॥४६॥
दर्भपुष्पादिमालाभिर्हरिद्राक्तसुतन्तुभिः ।
स्कन्धदेशमलंकृत्य मूलं जलैश्च सिंचयेत्॥४७॥
वृक्षस्य पूर्वदिग्भागे स्थण्डिलस्थाग्निमंडले।
नव नव समिद्भिश्च होमं कुर्याद् घृतादिकैः॥४८॥
पूतत्वयज्ञयोग्यत्वबोधित्वाद्या भवन्तु मे।
त्वद्भद्बोधिदुमत्वं च मद्वच्छिन्हधरो भव॥४९॥
तं वृक्षमिति संप्रार्थ्य सर्वमंगलहेतुकम्।
वृक्षं वन्हिं त्रिःपरीत्य ततो गच्छेद् गृहं मुदा॥५०॥
एवं कृते न मिथ्यात्वं लौकिकाचारवर्तनात्।
भोजनानन्तरं सर्वान्संतोष्य निवसेद गृहे॥५१॥
प्रतिमासं क्रियां कुर्याद्धोमपूजापुरस्सरम्।
श्रावणे तु विशेषेण सा क्रियाऽऽवश्यकी मता॥५२॥

पीपल की यह पूजा जैनमत–सम्मत नहीं है। जैनदृष्टि से पीपल न कोई देवता है, न कोई दूसरी पूज्य वस्तु, और न उसके पूजन से किसी पुण्य फल अथवा शुभफल की प्राप्ति ही होती है। उसमें पवित्रता, पूजन–पात्रता (यज्ञयोग्यता) और विज्ञता (बोधित्व) आदि के वे विशिष्ट गुण भी नहीं है जिनकी उससे प्रार्थना की गई है। इसके सिवाय जगह–जगह जैन शास्त्रों में पिप्पलादि वृक्षों के पूजन का निषेध किया गया है और उसे देवमूढ़ता अथवा लोकमूढ़ता बतलाया है, जैसा कि नीचे के कुछ अवतरणों से प्रकट है–

मुसलं देहली चुल्ली पिप्पलश्चम्पकोजलम्।
देवायैरभिधीयन्ते वर्ज्यन्ते तैः परेऽत्र के॥४–९८॥ अमितगति उपासकाचार।
पृथ्वी ज्वलनं तोयं देहलीं पिप्पलादिकान्।
देवतात्वेन मन्यन्ते ये ते चिन्त्या विपश्चितः॥१–४४॥ सिद्धान्तसार।
क्षेत्रपालः शिवो नागो वृक्षाश्च पिप्पलादयः।...
यत्रार्च्यन्ते शठैरेते देवमूढः स उच्यते ॥ सारचतुर्विंशतिका।
...तरुस्तूपाग्र भक्तानां वन्दनं भृगुसंश्रयः।...
...एवमादिविमूढानां ज्ञेयं मूढमनेकधा ॥ यशस्तिलक।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

...वृक्षपूजादीनि पुण्यकारणानि भवन्तीति यद्वदन्ति
तल्लोकमूढत्वं विज्ञेयं।
-द्रव्यसंग्रहटीका ब्रह्मदेवकृता।
...वटवृक्षादिपूजनम्।...लोकमूढं प्रचक्ष्यते॥

-धर्मोपदेश पीयूषवर्ष श्रावकाचार।

इससे भट्टारकजी की उक्त पिप्पलपूजा देवमूढ़ता या लोकमूढ़ता में परिगणित होती है। उन्होंने हिन्दुओं के विश्वासानुसार पीपल को यदि देवता समझकर उसकी पूजा की यह व्यवस्था की है तो वह देवमूढ़ता है और यदि लोगों की देखा देखी पुण्यफल समझकर या उससे किसी दूसरे अनोखे फल की आशा रखकर ऐसा किया है तो वह लोकमूढ़ता है अथवा इसे दोनों ही समझना चाहिए। परन्तु कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं कि उनकी यह पूजन व्यवस्था मिथ्यात्व को लिये हुए है और अच्छी खासी मिथ्यात्व की पोषक है। भट्टारकजी को भी अपनी इस पूजा पर प्रकट मिथ्यात्व के आक्षेप का ख्याल आया है। परन्तु चूँकि उन्हें अपने ग्रन्थ में इसका विधान करना था इसलिये उन्होंने लिख दिया– ''एवं कृते न मिथ्यात्वं''- ऐसा करने से कोई मिथ्यात्व नहीं होता। क्यों नहीं होता? ''लौकिकाचार-वर्तनात्''–इसलिये कि यह तो लोकाचार की वर्तना है अर्थात् लोगों की देखा देखी जो काम किया जाये उसमें मिथ्यात्व का दोष नहीं लगता। भट्टारकजी का यह हेतु भी बड़ा ही विलक्षण तथा उनके अद्भुत पाण्डित्य का द्योतक है!! उनके इस हेतु के अनुसार लोगों की देखा देखी यदि कुदेवों का पूजन किया जाये, उन्हें पशुओं की बलि चढ़ाई जाये, सांझी होई तथा पीरों की कब्रें पूजी जायें, नदी समुद्रादिक की वंदना भक्ति के साथ उनमें स्नान से धर्म माना जाये, ग्रहण के समय स्नान का विशेष माहात्म्य समझा जाये और हिंसा के आचरण तथा मद्यमांसादि के सेवन में कोई दोष न माना जाये अथवा यों कहिये कि अतत्त्व को तत्त्व समझकर प्रवर्ता जाये तो इसमें भी कोई मिथ्यात्व नहीं होगा!! तब मिथ्यात्व अथवा मिथ्याचार रहेगा क्या, यह कुछ समझ में नहीं आता!!! सोमदेवसूरि तो, 'यशस्तिलक' में मूढ़ताओं का वर्णन करते हुए, साफ लिखते हैं कि ''इन वृक्षादिकों का पूजन चाहे वर के लिये किया जाये, चाहे लोकाचार की दृष्टि से किया जाये और चाहे किसी के अनुरोध से किया जाये, वह सब सम्यग्दर्शन की हानि करने वाला है-- अथवा यों कहिये कि मिथ्यात्व को बढ़ाने वाला है''। यथा–

वरार्थं लोकवार्तार्थमुपरोधार्थमेव वा।
उपासनममीषां स्यात्सम्यग्दर्शनहानये॥

पंचाध्यायी में भी लौकिक सुख संपत्ति के लिये कुदेवाराधन को 'लोकमूढ़ता' बतलाते हुए, उसे 'मिथ्या लोकाचार' बतलाया है और इसीलिये त्याज्य ठहराया है–यह नहीं कहा कि लौकिकाचार होने की वजह से वह मिथ्यात्व ही नहीं रहा। यथा–

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

कुदेवाराधनं कुर्यादैहिकश्रेयसे कुधीः।
मृषालोकोपचारत्वादश्रेया लोकमूढ़ता॥

इससे यह स्पष्ट है कि कोई मिथ्याक्रिया महज लोक में प्रचलित अथवा लोकाचार होने की वजह से मिथ्यात्व की कोटि से नहीं निकल जाती और न सम्यक्क्रिया ही कहला सकती है। जैनियों के द्वारा, वास्तव में, लौकिक विधि अथवा लोकाचार वहीं तक मान्य किये जाने के योग्य हो सकता है जहाँ तक कि उससे उनके सम्यक्त्व में बाधा न आती हो और न व्रतों में ही कोई दूषण लगता हो, जैसा कि सोमदेवसूरि के निम्न वाक्य से भी प्रकट है–

सर्व एवं हि जैनानां प्रमाणं लौकिको विधिः।
यत्र सम्यक्त्वहानिर्न यत्र न व्रतदूषणम् ॥ यशस्तिलक

ऐसी हालत में भट्टारकजी का उक्त हेतुवाद किसी तरह भी युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता, न सम्पूर्ण लोकाचार ही, बिना किसी विशेषता के, महज लोकाचार होने की वजह से मान्य किये जाने के योग्य ठहरता है। श्री पद्मनन्दि आचार्य ने भी अपने श्रावकाचार में उन सब कर्मों से दूर रहने का अथवा उनके त्याग का उपदेश दिया है जिनसे सम्यग्दर्शन मैला तथा व्रत खंडित होता हो। यथा–

तं देशं तं नरं तत्स्वं तत्कर्माणि च नाश्रयेत्।
मलिनं दर्शनं येन येन च व्रतखण्डनम्॥२६॥

लोक में हिन्दूधर्म के अनुसार पीपल को विष्णु भगवान् का रूप माना जाता है। विष्णु भगवान् ने किसी तरह पर पीपल की मूर्ति धारण की है, वे पीपल के रूप में भूतल पर अवतरित हुए हैं, और उनके आश्रय में सब देव आकर रहे हैं, इसलिये जो पीपल की पूजा करता है वह विष्णु भगवान् की पूजा करता है, इतना ही नहीं, किंतु सर्व देवों की पूजा करता है ऐसा हिन्दूओं के पाद्मोत्तरखण्डादि कितने ही ग्रन्थों में विस्तार के साथ विधान पाया जाता है। इसी से उनके यहाँ पीपल के पूजने का बड़ा माहात्म्य है और सर्व पापों का नाश करने आदि रूप से बहुत कुछ फल वर्णन किया गया है।[७४] और यही वजह है जो वे पीपल में पवित्रता, यज्ञयोग्यता और बोधित्वादि गुणों की कल्पना किये हुए हैं। पीपल में पूतत्त्व गुण अथवा पवित्रता के हेतु का उल्लेख करने वाला उनका एक वाक्य नमूने के तौर पर इस प्रकार है–

७४. इस विषय के कुछ थोड़े से वाक्य नमूने के तौर पर इस प्रकार हैं–

''अश्वत्थरूपो भगवान् विष्णुरेव न संशयः।''

''अश्वत्थपूजको यस्तु स एव हरिपूजकः। अश्वत्थमूर्तिर्भगवान्स्वयमेव यतो द्विज॥''

''वदाम्यश्वत्थमाहात्म्यं सर्वपापप्रणाशनम्। साक्षादेव स्वयं विष्णुरश्वत्थोऽखिलविश्वराट्॥''

''अश्वत्थपूजितो येन पूजिताः सर्वदेवताः। अश्वत्थच्छेदितो येन छेदिताः सर्व देवताः॥''

''अश्वत्थं सेचयेद्विद्वान्संप्रदक्षिणमादिशेत्। पापोपहतमर्त्यानां पापनाशो भवेद् ध्रुवम।'' –शब्दकल्पद्रुम।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

अश्वत्थ! यस्मात्त्वयि वृक्षराज! नारायणस्तिष्ठति सर्वकारणम्।
अतः शुचिस्त्वं सततं तरूणाम् विशेषतोऽरिष्टविनाशनोऽसि॥

इस वाक्य में पीपल को संबोधन करके कहा गया है कि ''हे वृक्षराज! चूँकि सब का कारण नारायण (विष्णु भगवान्) तुम्हारे में तिष्ठता है, इसलिये तुम सविशेष रूप से पवित्र हो और अरिष्ट का नाश करने वाले हो''।

ऐसी हालत में, अपने सिद्धान्तों के विरुद्ध, दूसरे लोगों की देखादेखी पीपल पूजने अथवा इस रूप में लोकानुवर्तन करने से सम्यग्दर्शन मैला होता है सम्यक्त्व में बाधा आती है–यह बहुत कुछ स्पष्ट है। खेद है भट्टारकजी, जैनदृष्टि से यह नहीं बतला सके कि पीपल में किस सम्बन्ध से पूज्यपना है अथवा किस आधार पर उसमें बोधित्व तथा पूतत्त्वादि गुणों की कल्पना बन सकती है![७५] प्रत्यक्ष

७५. भट्टारकजी के कथन को ब्रह्मवाक्य समझने वाले सोनीजी भी, अपने अनुवाद में डेढ़ पेज का लम्बा भावार्थ लगाने पर भी, इस विषय को स्पष्ट नहीं कर सके और न भट्टारकजी के हेतु को ही निर्दोष सिद्ध कर सके हैं! उन्होंने यह तो स्वीकार किया है कि आगम में वृक्षपूजा को बुरा तथा लोकमूढ़ता बतलाया है और उसके अनुसार इस पीपलपूजा का लोकमूढ़ता में अन्तर्भाव होना चाहिए। परन्तु ग्रन्थकार भट्टारकजी ने चूँकि यह लिख दिया है कि ''ऐसा करने में मिथ्यात्व को दोष नहीं लगता'' इससे आपकी बुद्धि चकरा गई है और आप उसमें किसी रहस्य की कल्पना करने में प्रवृत्त हुए हैं–यह कहने लगे हैं कि ''इसमें कुछ थोड़ा-सा रहस्य है''। लेकिन वह रहस्य क्या है, उसे बहुत कुछ प्रयत्न करने अथवा इधर-उधर की बहुत-सी निरर्थक बातें बनाने पर भी आप खोल नहीं सके और अंत में आपको अनिश्चित रूप से यही लिखना पड़ा– ''संभव है कि जिस तरह क्षेत्र को निमित्त लेकर ज्ञान का क्षयोपशम हो जाता है वैसे ही ऐसा करने से भी ज्ञान का क्षयोपशम हो जाये''–– ''संभव है कि उस वृक्ष के निमित्त से भी आत्मा पर ऐसा असर पड़ जाये जिससे उसकी आत्मा में विलक्षणता आ जाये।'' इससे सोनीजी की जैनधर्म विषयक श्रद्धा का भी कितना ही पता चल जाता है। अस्तु, आपकी सबसे बड़ी युक्ति इस विषय में यह मालूम होती है कि जिस तरह वर की इच्छा से गंगादिक नदियों में स्नान करना लोकमूढ़ता होते हुए भी वैसे ही बिना उस इच्छा के महज शरीर की मलशुद्धि के लिये उनमें स्नान करना लोकमूढ़ता नहीं है, उसी तरह यज्ञोपवीत की विशेष विधि में बोधि (ज्ञान) की इच्छा से बोधि (पीपल) वृक्ष की पूजा करने में भी लोकमूढ़ता अथवा मिथ्यात्व का दोष न होना चाहिए। यद्यपि आपके इस युक्ति विधान में वर की इच्छा दोनों जगह समान है और इसलिये उस बोधि वर की इच्छा से पीपल का पूजना लोकमूढ़ता की कोटि से नहीं निकल सकता, फिर मैं यहाँ इतना और बतला देना चाहता हूँ कि गंगादिक नदियों के जिस स्नान की यहाँ तुलना की गई है वह संगत मालूम नहीं होता, क्योंकि महज शारीरिक मल शुद्धि के लिये जो गंगादिक में स्नान करना है वह उन नदियों का पूजन करना नहीं है और यहाँ स्पष्ट रूप से 'पूजितुं गच्छेत्' आदि पदों के द्वारा पीपल की पूजा का विधान किया गया है और उसकी तीन प्रदक्षिणा देना तथा उससे प्रार्थना करना तक लिखा है। यह नहीं लिखा कि पीपल की छाया में बैठना अच्छा है, अथवा उसके नीचे बैठकर अमुक कार्य करना चाहिए इत्यादि। और इसलिये नदियों की पूजा वन्दनादि करना जिस तरह मिथ्यात्व है उसी तरह पूज्य बुद्धि को लेकर पीपल की यह उपासना करना भी मिथ्यात्व है। हाँ, एक दूसरी जगह (१०वें अध्याय में), लोकमूढ़ता का वर्णन करते हुए सोनीजी लिखते हैं– ''सर्वसाधारण अग्नि, वृक्ष, पर्वत आदि पूज्य क्यों नहीं और विशेष विशेष कोई कोई पूज्य क्यों हैं? इसका उत्तर यह है कि जिनसे जिन भगवान् का सम्बन्ध है वे पूज्य हैं, अन्य नहीं।'' परन्तु पीपल की बाबत आपने यह भी नहीं बतलाया कि उससे जिन भगवान् का क्या खास सम्बन्ध है, जिससे हिन्दुओं की तरह

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

में वह जड भाव को लिये हुए है और उसके फलों तथा लाख में असंख्याते त्रस जीवों के मृत कलेवर शामिल रहने से अच्छी खासी अपवित्रता से भी घिरा हुआ है। साथ ही, जैनागम में उसे वैसी कोई प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है। अतः उसमें पूतत्त्व आदि गुणों की कल्पना करना, उससे उन गुणों की प्रार्थना करना और हिन्दुओं की तरह से उसकी पूजा करना यह सब हिन्दूधर्म का अनुकरण है, जिसे भट्टारकजी ने लोकानुवर्तन के निःसत्व पर्दे के नीचे छिपाना चाहा है। महज लोकानुवर्तन के आधार पर ऐसे प्रकट मिथ्यात्व को अमिथ्यात्व कह देना, निःसंदेह, बड़े ही दुःसाहस का कार्य है!! और वह इन भट्टारक जैसे व्यक्तियों से ही बन सकता है जिन्हें धर्म के मर्म की कुछ भी खबर नहीं अथवा धर्म की आड़ में जो कुछ दूसरा ही प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं।

इसी तरह पर भट्टारकजी ने, एक दूसरे स्थान पर, 'आक' वृक्ष के पूजने का भी विधान किया है, जिसके विधि वाक्य का उल्लेख अभी आगे 'अर्क विवाह' की आलोचना करते हुए किया जायेगा।

वैधव्य-योग और अर्क-विवाह

(२२) ग्याहरवें अध्याय में, पुरुषों के तीसरे विवाह का विधान करते हुए, भट्टारकजी लिखते हैं कि ''अर्क (आक) वृक्ष के साथ विवाह न करके यदि तीसरा विवाह किया जाता है तो वह तृतीय विवाहिता स्त्री विधवा हो जाती है। अतः विचक्षण पुरुषों को चाहिए कि वे तीसरे विवाह से पहले अर्क-विवाह किया करें। उसके लिये उन्हें अर्क वृक्ष के पास जाना चाहिए, वहाँ जाकर स्वस्ति-वाचनादि कृत्य करना चाहिए, अर्क वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, उससे[७६] प्रार्थना करनी चाहिए, और फिर उसके साथ विवाह करना चाहिए''। यथा–

[७७]**अकृत्वाऽर्कविवाहं तु तृतीयां यदि चोद्वहेत्।**
विधवा सा भवेत्कन्या तस्मात्कार्यं विचक्षणा (णैः)॥२०४॥
अर्कसन्निधिमागत्य कुर्यात्स्वस्त्यादिवाचनाम्।
अर्कस्याराधनां कृत्वा सूर्यं सम्प्रार्थ्य चोद्वहेत्॥२०५॥

उसकी कुछ पूजा बन सकती, बल्कि वहाँ 'बोधि' का अर्थ 'बड़' करके आपने अपने पूर्व कथन के विरुद्ध यज्ञोपवीत संस्कार के समय पीपल की जगह बड़ वृक्ष की पूजा का विधान कर दिया है! और यह आपके अनुवाद की और भी विलक्षणता है!!

७६. 'सूर्यं सम्प्रार्थ्य' वाक्य में 'सूर्य' शब्द अर्क वृक्ष का वाचक और उसका पर्याय नाम है, उसी वृक्ष से पूजा के अनन्तर प्रार्थना का उल्लेख है। सोनीजी ने अपने अनुवाद में सूर्य से प्रार्थना करने की जो बात लिखी है वह उनकी कथन शैली से सूर्य देवता से प्रार्थना को सूचित करती है और इसलिये ठीक नहीं है।

७७. इस पद्य के अनुवाद में सोनीजी ने पहली स्त्री को 'धर्म पत्नी' और दूसरी को 'भोगपत्नी' बतलाकर जो यह लिखा है कि ''इन दो स्त्रियों के होते हुए तीसरा विवाह न करे'' वह सब उनकी निजी कल्पना जान पड़ता है। मूल पद्य के आशय के साथ उसका कुछ सम्बन्ध नहीं है। मूल से यह लाजिमी नहीं आता कि वह दो स्त्रियों के मौजूद होते हुए ही तीसरे विवाह की व्यवस्था बतलाता है। बल्कि अधिकांश में, अपने पूर्वपद्य-सम्बन्ध से, दो स्त्रियों के मर जाने पर तीसरी स्त्री को विवाहने की व्यवस्था करता हुआ मालूम होता है।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

भट्टारकजी का यह सब कथन भी जैनशासन के विरुद्ध है। और उनका उक्त वैधव्ययोग जैन तत्त्वज्ञान के विरुद्ध ही नहीं किन्तु प्रत्यक्ष के भी विरुद्ध है, प्रत्यक्ष में सैकड़ों उदाहरण ऐसे उपस्थित किये जा सकते हैं जिनमें तीसरे विवाह से पहले अर्कविवाह नहीं किया गया, और फिर भी वैधव्य-योग संघटित नहीं हुआ। साथ ही, ऐसे उदाहरणों की भी कमी नहीं है जिनमें अर्कविवाह किये जाने पर भी स्त्री विधवा हो गई है और वह अर्कविवाह उसके वैधव्ययोग को टाल नहीं सका। ऐसी हालत में यह कोई लाजिमी नियम नहीं ठहरता कि अर्कविवाह न किये जाने पर कोई स्त्री ख्वाहमख्वाह भी विधवा हो जाती है और किये जाने पर उसका वैधव्ययोग भी टल जाता है। तब भट्टारकजी का उक्त विधान कोरा वहम, भ्रम और लोकमूढ़ता की शिक्षा के सिवाय और कुछ भी मालूम नहीं होता।[७८]

हिन्दुओं के यहाँ अर्कविवाह का विस्तार के साथ विधान पाया जाता है, उनके कितने ही ऋषियों की यह धारणा है कि मनुष्य की तीसरी स्त्री मानुषी न होनी चाहिए, यदि मानुषी होगी तो वह विधवा हो जायेगी, इससे तीसरे विवाह से पहले उन्होंने अर्कविवाह की योजना की है–अर्क वृक्ष के पास जाकर स्वस्तिवाचनादि कृत्य करने, अर्क की पूजा करने, अर्क से प्रार्थना करने और फिर अर्क-कन्या के साथ विवाह करने आदि की सम्पूर्ण व्यवस्था बतलाई है। इस विषय का कथन हिन्दुओं के कितने ही ग्रन्थों में पाया जाता है। 'नवरत्न विवाहपद्धति' में भी आठ पृष्ठों में उसका कुछ संग्रह किया गया है। उसी पर से यहाँ कुछ वाक्य नमूने के तौर पर उद्धृत किये जाते हैं-

''उद्वहेद्रतिसिद्ध्यर्थं तृतीयां न कदाचन।
मोहादज्ञानतो वापि यदि गच्छेत्तु मानुषीम्॥
नश्यत्येव न संदेहो गर्गस्य वचनं यथा।
''तृतीयां यदि चोद्वाहेत्तर्हि सा विधवा भवेत्॥
चतुर्थ्यादि विवाहार्थं तृतीयेऽर्कं समुद्वहेत्।''
''तृतीये स्त्रीविवाहे तु संप्राप्ते पुरुषस्य तु॥
आर्कं विवाहं वक्ष्यामि शौनकोऽहं विधानतः।
अर्कसन्निधिमागत्य तत्र स्वस्त्यादि वाचयेत्॥
नान्दीश्राद्धं प्रकुर्वीत स्थण्डिलं च प्रकल्पयेत्।
अर्कमभ्यर्च्य सौर्या च गंधपुष्पाक्षतादिभिः॥''

७८. इसी तरह का हाल भट्टारकजी के उस दूसरे वैधव्य-योग का भी है जिसका विधान उन्होंने इसी अध्याय के निम्न पद्य में किया है–

कृते वाग्भिश्च सम्बन्धे पश्चान्मृत्युश्च गोत्रिणाम्। तदा न मंगलं कार्यं नारीवैधव्यदं ध्रुवम्॥१८५॥

इस पद्य में यह बतलाया गया है कि वाक्सम्बन्ध (सगाई) के पश्चात् यदि अपना कोई सगोत्री (कुटम्बी) मर जाये तो फिर वह विवाह सम्बन्ध नहीं करना चाहिए। यदि किया जायेगा तो वह स्त्री निश्चय से विधवा हो जायेगी!!

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

(प्रार्थना) ''नमस्ते मंगले देवि नमः सवितुरात्मजे।
त्राहि मां कृपया देवि पत्नी त्वं मे इहागता॥
अर्क त्वं ब्रह्मणा सृष्टः सर्वप्राणिहिताय च।
वृक्षाणां आदिभूतस्त्वं देवानां प्रीतिवर्धनः॥
तृतीयोद्वाहजं पापं मृत्युं चाशु विनाशयेत्।
ततश्च कन्यावरणं त्रिपुरुषं कुलमुद्धरेत्॥''

हिन्दू ग्रन्थों के ऐसे वाक्यों पर से ही भट्टारकजी ने वैधव्य-योग और अर्कविवाह की उक्त व्यवस्था अपने ग्रन्थों में की है। परन्तु खेद है कि आपने उसे भी श्रावक धर्म की व्यवस्था लिखा है और इस तरह पर अपने पाठकों को धोखा दिया है!!

संकीर्ण हृदयोद्गार

(२३) यह त्रिवर्णाचार, यद्यपि, हृदय के संकीर्ण उद्गारों से बहुत कुछ भरा हुआ है और मेरी इच्छा भी थी कि मैं इस शीर्षक के नीचे उनका कुछ विशेष दिग्दर्शन कराता परन्तु लेख बहुत बढ़ गया है, इससे सिर्फ दो नमूनों पर ही यहाँ संतोष किया जाता है। इन्हीं पर से पाठकों को यह मालूम हो सकेगा कि भट्टारकजी की हृदयसंकीर्णता किस हद तक बढ़ी हुई थी और वे जैन समाज को जैन धर्म की उदार नीति के विरुद्ध किस ओर ले जाना चाहते थे–

(क) अन्त्यजैः खनिताः कूपा वापी पुष्करिणी सरः।
तेषां जलं न तु ग्राह्यं स्नानपानाय च क्वचित्॥३-५९॥

इस पद्य में कहा गया है कि 'जो कुएँ, बावड़ी, पुष्करिणी और तालाब अन्त्यजों के- शूद्रों अथवा चमारों आदि के खोदे हुए हों उनका जल न तो कभी पीना चाहिए और न स्नान के लिये ही ग्रहण करना चाहिए।'

भट्टारकजी का यह उद्गार बड़ा ही विलक्षण तथा हद दर्जे का संकीर्ण है और इससे शूद्रों के प्रति असीम घृणा तथा द्वेष का भाव व्यक्त होता है। इसमें यह नहीं कहा गया कि जिन कूप बावड़ी आदि के जल को अन्त्यजों ने किसी तरह पर छुआ हो उन्हीं का जल स्नान-पान के अयोग्य हो जाता है बल्कि यह स्पष्ट घोषणा की गई है कि जिन कूप बावड़ी आदि को अन्त्यजों ने खोदा हो-भले ही उनके वर्तमान जल को उन्होंने कभी स्पर्श भी न किया हो-इन सब का जल हमेशा के लिये स्नान-पान के अयोग्य होता है! और इसलिये यदि यह कहा जाये तो वह नाकाफी होगा कि ''भट्टारकजी ने अपने इस वाक्य के द्वारा अन्त्यज मनुष्यों को जलचर जीवों तथा जल को छूने पीने वाले दूसरे तिर्यंचो से ही नहीं किन्तु उस मल, गंदगी तथा कूड़े कर्कट से भी बुरा और गया बीता समझा है जो कुओं, बावड़ियों तथा तालाबों में बहकर या उड़कर चला जाता है अथवा अनेक त्रस जीवों के मरने, जीने, गलने, सड़ने आदि के कारण भीतर ही भीतर पैदा होता रहता है और जिसकी वजह से उनका जल स्नान पान के अयोग्य नहीं माना जाता''। भट्टारकजी की घृणा का मान इससे भी कहीं बढ़ा चढ़ा

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

था, और इसीलिये मैं उसे हद दर्जे की या असीम घृणा कहता हूँ। मालूम होता है भट्टारकजी अन्त्यजों के संसर्ग को ही नहीं किन्तु उनकी छायामात्र को अपवित्र, अपशकुन और अनिष्टकारक समझते थे। इसीलिए उन्होंने, एक दूसरे स्थान पर, अन्त्यज का दर्शन हो जाने अथवा उसका शब्द सुनाई पड़ने पर जप को ही छोड़ देने का या यों कहिये कि सामायिक जैसे सदनुष्ठान का त्याग कर उठ जाने का विधान किया है[७९] यह कितने खेद का विषय है!!

यदि भट्टारकजी की समझ के अनुसार अन्त्यजों का संसर्ग दोष यहाँ तक बढ़ा हुआ है–इतना अधिक प्रभावशाली और बलवान है कि उनका किसी कूप बावड़ी आदि की भूमि को प्रारम्भ में स्पर्श करना भी उस भूमि के संसर्ग में आने वाले जल को हमेशा के लिये दूषित तथा अपवित्र कर देता है तब तो यह कहना होगा कि जिस जिस भूमि को अन्त्यज लोगों ने कभी किसी तरह पर स्पर्श किया है अथवा वे स्पर्श करते हैं वह सब भूमि और उसके संसर्ग में आने वाले सम्पूर्ण अन्नादिक पदार्थ हमेशा के लिये दूषित तथा अपवित्र हो जाते हैं और इसलिये त्रैवर्णिकों को चाहिए कि वे उस भूमि पर कभी न चलें और न जल की तरह उन संसर्गी पदार्थों का कभी व्यवहार ही करें। इसके सिवाय, जिन कूप बावड़ी आदि की बाबत सुनिश्चित रूप से यह मालूम न हो सके कि वे किन लोगों के खोदे हुए हैं उनका जल भी संदिग्धावस्था के कारण कभी काम में नहीं लाना चाहिए। ऐसी हालत में कैसी विकट स्थिति उत्पन्न होगी और लोकव्यवहार कितना बंद तथा संकटापन्न हो जायेगा उसकी कल्पना तक भी भट्टारकजी के दिमाग में आई मालूम नहीं होती। मालूम नहीं भट्टारकजी उन खेतों की पैदावार अन्न, फल तथा शाकादिक को भी ग्राह्य समझते थे या कि नहीं जिनमें मलमूत्रादिक महादुर्गन्धमय अपवित्र पदार्थों से भरे हुए खाद का संयोग होता है! अथवा अन्त्यजों का वह भूमि स्पर्श ही, उनकी दृष्टि में खाद के उस संयोग से गया बीता था!! परन्तु कुछ भी हो भट्टारकजी ऐसा वैसा कुछ समझते हों या न समझते हों और उन्होंने वैसी कोई कल्पना की हो या न की हो, इसमें संदेह नहीं कि उनका उक्त कथन जैनशासन के अत्यन्त विरुद्ध है।

जो जैनशासन सार्वजनिक प्रेम तथा वात्सल्य भाव की शिक्षा देता है, घृणा तथा द्वेष के भाव को हटाकर मैत्रीभाव सिखलाता है और अन्त्यजों को भी धर्म का अधिकारी बतलाकर उन्हें श्रावकों की कोटि में रखता है उसका अथवा उन तीर्थंकरों का कदापि ऐसा अनुदार शासन नहीं हो सकता जिनकी 'समवसरण' नाम की समुदार सभा में ऊँच-नीच के भेदभाव को भुलाकर मनुष्य ही नहीं किन्तु पशु पक्षी तक भी शामिल होते थे और वहाँ पहुँचते ही आपस में ऐसे हिलमिल जाते थे कि अपने अपने जाति-विरोध तक को भुला देते थे। सर्प निर्भय होकर नकुल के पास खेलता था और बिल्ली प्रेम से चूहे का आलिंगन करती थी। कितना ऊँचा आदर्श और कितना विश्वप्रेममय भाव है! कहाँ यह आदर्श? और कहाँ भट्टारकजी का उक्त प्रकार का घृणात्मक विधान? इससे स्पष्ट है कि

७९. यथा– व्रतच्युतान्त्यजादीनां दर्शने भाषणे श्रुतौ। क्षुतेऽधोवातगमने जृम्भने जपमुत्सृजेत्॥३-१२५॥

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

भट्टारकजी का यह सब कथन जैनधर्म की शिक्षा न होकर उससे बाहर की चीज है। और वह हिन्दू धर्म से उधार लेकर रखा गया मालूम होता है। हिन्दुओं के यहाँ उक्त वाक्य से मिलता जुलता 'यम' ऋषि का एक वाक्य[८०] निम्न प्रकार से पाया जाता है–

अन्त्यजैः खानिताः कूपास्तडागानि तथैव च।
एषु स्नात्वा च पीत्वा च पंचगव्येन शुद्ध्यति॥

इसमें यह बतलाया गया है कि 'अन्त्यजों के खोदे हुए कुओं तथा तालाबों में स्नान करने वाला तथा उनका पानी पीने वाला मनुष्य अपवित्र हो जाता है और उसकी शुद्धि पंचगव्य से होती है–जिसमें गोबर और गोमूत्र भी शामिल होते हैं। सम्भवतः इसी वाक्य पर से भट्टारकजी ने अपने वाक्य की रचना की है। परन्तु यह मालूम नहीं होता कि पंचगव्य से शुद्धि की बात को हटाकर उन्होंने अपने पद्य के उत्तरार्द्ध को एक दूसरा ही रूप क्यों दिया है? पंचगव्य से शुद्धि की इस हिन्दू व्यवस्था को तो आपने कई जगह पर अपने ग्रन्थ में अपनाया है।[८१] शायद आपको इस प्रसंग पर वह इष्ट न रही हो और यह भी हो सकता है कि हिन्दूधर्म के किसी दूसरे वाक्य पर से ही आपने अपने वाक्य की रचना की हो अथवा उसे ही ज्यों का त्यों उठाकर रख दिया हो। परन्तु कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं कि यह व्यवस्था हिन्दुओं से ली गई है–जैनियों के किसी भी माननीय प्राचीन ग्रन्थ में वह नहीं पाई जाती–हिन्दुओं की ऐसी व्यवस्थाओं के कारण ही दक्षिण भारत में, जहाँ ऐसी व्यवस्थाओं का खास प्रचार हुआ है, अन्त्यज लोगों पर घोर अत्याचार होता है, वे कितनी ही सड़कों पर चल नहीं सकते अथवा मंदिरों के पास से गुजर नहीं सकते, उनकी छाया पड़ जाने पर सचेल स्नान की जरूरत होती है और इसलिये अब उस अत्याचार के विरुद्ध सहृदय तथा विवेकशील उदार पब्लिक की आवाज उठी हुई है।

(ख) अजाघ्नगोघ्नमत्स्यघ्नाः कल्लालाश्चर्मकारकाः।
पापर्धिकः सुरापायी एतैर्वक्तुं न युज्यते॥१३०॥
एतान्किमपि नो देयं स्पर्शनीयं कदापि न।
न तेषां वस्तुकं ग्राह्यं जनापवाददायकम्॥१३१॥ ७ वाँ अध्याय।

इन पद्यों में कहा गया है कि ''जो लोग बकरा-बकरी का घात करने वाले (कसाई आदिक) हों, गोकुशी करने वाले (मुसलमान आदि म्लेच्छ) हों, मच्छी मारने वाले (ईसाई या धीवरादिक) हों, शराब का व्यापार करने वाले (कलाल) हों, चमड़े का काम करने वाले (चमार) हों, कोई विशेष पाप का काम करने वाले पातिकी (पापर्धिक) हों, अथवा शराब पीने वाले हों, उनमें से किसी के भी साथ बोलना नहीं चाहिए। और इन लोगों को न तो कभी कुछ देना चाहिए, न इनकी कोई चीज लेनी चाहिए और न इनको कभी छूना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा करना लोकापवाद का–बदनामी का कारण है''।

८०. देखो नारायण विट्ठल-संगृहीत 'आन्हिक सूत्रावलि'

८१. जैसे रजस्वला स्त्री की चौथे दिन पंचगव्य से–गोबर गोमूत्रादिक से स्नान करने पर शुद्धि मानी है। यथा–
चतुर्थे वासरे पंचगव्यैः संस्नापयेच्च ताम्॥८-१०॥

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

पाठकजन! देखा, कैसे संकीर्ण, क्षुद्र और मनुष्यत्व से गिरे हुए उद्‌गार हैं! व्यक्तिगत घृणा तथा द्वेष के भावों से कितने लबालब भरे हुए हैं!! और जगत् का उद्धार अथवा उसका शासन, रक्षण तथा पालन करने के लिये कितने अनुपयोगी, प्रतिकूल और विरोधी हैं!! क्या ऐसे उद्‌गार भी धार्मिक उपदेश कहे जा सकते हैं? अथवा यह कहा जा सकता है कि वे जैनधर्म की उस उदारनीति से कुछ सम्बन्ध रखते हैं जिसका चित्र, जैन ग्रन्थों में, जैन तीर्थंकरों की 'समवसरण' सभा का नक्शा खींचकर दिखलाया जाता है? कदापि नहीं। ऐसे उपदेश विश्वप्रेम के विघातक और संसारी जीवों की उन्नति तथा प्रगति के बाधक हैं। जैनधर्म की शिक्षा से इनका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। जरा गहरा उतरने पर ही यह मालूम हो जाता है कि वे कितने थोथे और निःसार हैं। भला जब उन मनुष्यों के साथ जिन्हें हम समझते हों कि वे बुरे हैं-बुरा आचरण करते हैं-संभाषण भी न किया जाये, उन्हें सदुपदेश न दिया जाये अथवा उनकी भूल न बतलाई जाये तो उनका सुधार कैसे हो सकता है? और कैसे वे सन्मार्ग पर लगाए जा सकते हैं? क्या ऐसे लोगों की ओर से सर्वथा उपेक्षा धारण करना, उनके हित तथा उत्थान की चिन्ता न रखना, और उन्हें सदुपदेश देकर सन्मार्ग पर न लगाना जैनधर्म की कोई नीति अथवा जैन समाज के लिये कुछ इष्ट कहा जा सकता है? और क्या सच्चे जैनियों की दया-परिणति के साथ उसका कुछ सम्बन्ध हो सकता है? कदापि नहीं। जैनधर्म के तो बड़े-बड़े नेता आचार्यों तथा महान् पुरुषों ने अगणित पापियों, भीलों, चाण्डालों तथा म्लेच्छों तक को धर्म का उपदेश दिया है, उनके दुःख-सुख को सुना है, उनका हर तरह से समाधान किया है और उन्हें जैनधर्म में दीक्षित करके सन्मार्ग पर लगाया है। अतः 'ऐसे लोगों से बोलना योग्य नहीं' यह सिद्धान्त बिल्कुल जैनधर्म की शिक्षा के विरुद्ध है।

इसी तरह पर ''उन लोगों को कभी कुछ देना नहीं और न कभी उनकी कोई चीज लेना'' यह सिद्धान्त भी दूषित तथा बाधित है और जैनधर्म की शिक्षा से बहिर्भूत है। क्या ऐसे लोगों के भूख प्यास की वेदना से व्याकुल होते हुए भी उन्हें अन्न, जल न देना और रोग से पीड़ित होने पर औषध न देना जैनधर्म की दया का कोई अंग हो सकता है? कदापि नहीं। जैनधर्म तो कुपात्र और अपात्र कहे जाने वालों को भी दया का पात्र मानता है और उन सब के लिये करुणा बुद्धि से यथोचित दान की व्यवस्था करता है। जैसा कि पंचाध्यायी के निम्न वाक्यों से भी प्रकट है–

कुपात्रायाऽप्यपात्राय दानं देयं यथोचितम्।
पात्रबुद्ध्या निषिद्धं स्यान्निषिद्धं न कृपाधिया॥
शेषेभ्यः क्षुत्पिपासादिपीडितेभ्योऽशुभोदयात्।
दीनेभ्योऽभय[८२] दानादि दातव्यं करुणार्णवैः॥

वह असमर्थ भूखे प्यासों के लिये आहार दान की, व्याधि-पीड़ितों के लिये औषधि-वितरण की, अज्ञानियों के लिये विद्या तथा ज्ञानोपकरण-प्रदान की और भयग्रस्तों के लिये अभयदान की

८२. पंचाध्यायी की छपी हुई प्रतियों में 'ऽभय' की जगह 'ऽदया' तथा 'दया' पाठ गलत दिये हैं।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

व्यवस्था करता है। उसकी दृष्टि में पात्र, कुपात्र और अपात्र अपनी योग्यतानुसार इन चारों प्रकार के दान के अधिकारी हैं। इससे भट्टारकजी का उन लोगों को कुछ भी न देने का उद्‌गार निकलना कोरी अपनी हृदय-संकीर्णता व्यक्त करना है और पाखण्ड का उपदेश देना है। ऐसी ही हालत उन लोगों से कभी कोई चीज न लेने के उद्‌गार की है। उनसे अच्छी, उपयोगी तथा उत्तम चीजों का न्यायमार्ग से लेना कभी दूषित नहीं कहा जा सकता। ऐसे लोगों में से कितने ही व्यक्ति जंगलों, पहाड़ों, समुद्रों तथा भूगर्भ में से अच्छी उत्तम उत्तम चीजें निकालते हैं, क्या उनसे वे चीजें लेकर लाभ न उठाना चाहिए? क्या ऐसे लोगों द्वारा वन-पर्वतों से लाई हुई उत्तम औषधियों का भी व्यवहार न करना चाहिए। और क्या चमारों से उनके बनाये हुए मृत चर्म के जूते भी लेने चाहिए? इसके सिवाय एक मुसलमान, ईसाई अथवा वैसा (उपर्युक्त प्रकार का) कोई हीनाचरण करने वाला हिन्दू भाई यदि किसी औषधालय, विद्यालय अथवा दूसरी लोकोपकारिणी सेवा संस्था को द्रव्यादि की कोई अच्छी सहायता प्रदान करे तो क्या उसकी वह सहायता संस्था के अनुरूप होते हुए भी स्वीकार न करनी चाहिए? और क्या इस प्रकार का सब व्यवहार कोई बुद्धिमानी कहला सकता है? कदापि नहीं। ऐसा करना अनुभवशून्यता का द्योतक और अपना ही नाशक है। संसार का सब काम परस्पर के लेन देन और एक दूसरे की सहायता से चलता है। एक मच्छीमार सीप में से मोती निकाल कर देता है और बदले में कुछ द्रव्य पाता है अथवा एक चमार से जूता या चमड़ा लिया जाता है तो मूल्यादि के तौर पर उसे कुछ दिया जाता है। इसी तरह पर लोक व्यवहार प्रवर्तता है। क्या वह मोती जो मांस में ही पैदा होता तथा वृद्धि पाता है उस मच्छीमार का हाथ लगने से अपवित्र या विकृत हो जाता है? अथवा वह चमड़ा चमार के कर स्पर्श से विगुणित और दूषित बन जाता है? यदि ऐसा कुछ नहीं है तो फिर उन लोगों से कोई भी चीज न लेने के लिये कहना क्या अर्थ रखता है? वह निरी संकीर्णता और हिमाकत नहीं तो और क्या है? भरत चक्रवर्ती जैसे धार्मिक नेता पुरुषों ने तो ऐसे लोगों से भेंट में चमरी और कस्तूरी (मुश्क नाफे) जैसी चीजें ही नहीं किन्तु कन्याएँ तक भी ली थीं, जिनका उल्लेख आदिपुराण आदि ग्रन्थों में पाया जाता है। राजा लोग ऐसे व्यक्तियों से कर और जमींदार लोग अपनी जमीन का महसूल तथा मकान का किराया भी लेते हैं। उनके खेतों की पैदावार भी ली जाती है। अतः भट्टारकजी का उक्त उद्‌गार किसी तरह भी युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता।

अब रही उन लोगों को कभी न छूने की बात, यह उद्गार भी युक्तिसंगत मालूम नहीं होता। जब हम लोग उन लोगों के उपकार तथा उद्धार में प्रवृत्त होंगे, जो जैन मत का खास उद्देश्य है, तब उन्हें कभी अथवा सर्वथा छुएँ नहीं यह बात तो बन ही नहीं सकती। फिर भट्टारकजी अपने इस उद्‌गार के द्वारा हमें क्या सिखलाना चाहते हैं वह कुछ समझ में नहीं आता! क्या एक शराबी को शराब के नशे में कूपादिक में गिरता हुआ देख कर हमें चुप बैठे रहना चाहिए और छू जाने के भय से उसका हाथ पकड़कर निवारण न करना चाहिए? अथवा एक चमार को डूबता हुआ देखकर छू जाने के डर से उसका उद्धार न करना चाहिए? क्या एक गोघाती मुसलमान, मच्छीमार, ईसाई या शराब बेचने वाले

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

हिन्दू के घर में आग लग जाने पर, स्पर्शभय से, हमें उसको तथा उसके बालबच्चों को पकड़ पकड़कर बाहर न निकालना चाहिए? और क्या हमारा कोई पातिकी भाई यदि अचानक चोट खाकर लहूलुहान हुआ बेहोश पड़ा हो तो हमें उसको उठाकर और उसके घावों को धो पोंछकर उसकी मर्हम पट्टी न करना चाहिए इसीलिए कि वह पातिकी है और हमें उनको छूना नहीं चाहिए अथवा एक वैद्य या डाक्टर को अपने कर्तव्य से च्युत होकर ऐसे लोगों की चिकित्सा ही नहीं करनी चाहिए? यदि ऐसी ही शिक्षा है तब तो कहना होगा कि भट्टारकजी हमें मनुष्यत्व से गिरा कर पशुओं से भी गया बीता बनाना चाहते थे और उन्होंने हमारे उदार दयाधर्म को कलंकित तथा विडम्बित करने में कोई कसर नहीं रखी। और यदि ऐसा नहीं है तो उनके उक्त उद्‌गार का फिर कुछ भी मूल्य नहीं रहता–वह निरर्थक और निःसार जान पड़ता है। मालूम होता है भट्टारकजी ने स्पृश्याऽस्पृश्य की समीचीन नीति को ही नहीं समझा और इसीलिये उन्होंने बिना सोचे समझे ऐसा ऊटपटाँग लिख मारा कि 'इन लोगों को कभी भी न छूना चाहिए'! मानों ये मनुष्य स्थायी अछूत हों और उस मल से भी गये बीते हों जिसे हम प्रतिदिन छूते हैं!!! मनुष्यों से और इतनी घृणा!!! धन्य है ऐसी समझ तथा धार्मिक बुद्धि को!!!

अन्त में, भट्टारकजी ने जिस लोकापवाद का भय प्रदर्शित किया है वह इस सम्पूर्ण विवेचन पर से मूर्खों की मूर्खता के सिवाय और कुछ भी नहीं रह जाता, इसी से उस पर कुछ लिखना व्यर्थ है। निःसंदेह जब से इन भट्टारकजी जैसे महात्माओं की कृपा से जैनधर्म के साहित्य में इस प्रकार के अनुदार विचारों का प्रवेश होकर विकार प्रारम्भ हुआ है तब से जैनधर्म को बहुत बड़ा धक्का पहुँचा है और उसकी सारी प्रगति रुक गई। वास्तव में ऐसे संकीर्ण तथा अनुदार विचारों के अनुकूल चलने वाले संसार में कभी कोई उन्नति नहीं कर सकते और न उच्च तथा महान् बन सकते हैं।

ऋतुकाल में भोग न करने वालों की गति

(२४) आठवें अध्याय में भट्टारकजी ने यह तो लिखा ही है कि ''ऋतुकाल में भोग करने वाला मनुष्य परमगति (मोक्ष) को प्राप्त होता है और उसके ऐसा सत्कुलीन पुत्र पैदा होता है जो पितरों को स्वर्ग प्राप्त करा देता है''![८३] परन्तु ऋतुकाल में भोग न करने वाले स्त्री पुरुषों की जिस गति का उल्लेख किया है वह और भी विचित्र है। आप लिखते हैं–

[८४]ऋतुस्नातां तु यो भार्यां सन्निधौ नोपय (ग) च्छति।
घोरायां भ्रूणहत्यायां पितृभिः सह मज्जति॥४९॥

८३. ऋतुकालोप (लाभि) गामी तु प्राप्नोति परमां गतिम्। सत्कुलः प्रभवेत्पुत्रः पितृणां स्वर्गदो मतः॥४८॥
इस पद्य का पूर्वार्द्ध 'संवर्तस्मृति' के पद्य नं० १०० का उत्तरार्द्ध है।

८४. इस पद्य का अर्थ देने के बाद सोनीजी ने एक बड़ा ही विलक्षण 'भावार्थ' दिया है जो इस प्रकार है–
भावार्थ–''कितने ही लोग ऐसी बातों में आपत्ति करते हैं। इसका कारण यही है कि वे आजकल स्वराज्य के नशे में चूर हो रहे हैं। अतः हर एक को समानता देने के आवेश में आकर उस क्रिया के चाहने वाले लोगों को भड़काकर अपनी ख्याति, पूजा आदि चाहते हैं। उन्होंने धार्मिक विषयों पर आघात करना ही अपना मुख्य कर्त्तव्य समझ लिया है।''

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

ऋतुस्नाता तु या नारी पतिं नैवोपविन्दति।
शुनी वृकी शृगाली स्याच्छूकरी गर्दभी च सा॥५०॥

अर्थात्–जो पुरुष अपनी ऋतुस्नाता- ऋतुकाल में स्नान की हुई स्त्री के पास नहीं जाता है, उससे भोग नहीं करता है, वह अपने पितरों सहित भ्रूणहत्या के घोर पाप में डूबता है। स्वयं दुर्गति को प्राप्त होता है और साथ में अपने पितरों (माता पितादिक) को भी ले मरता है। और जो ऋतुस्नाता स्त्री अपने पति के साथ भोग नहीं करती है वह मरकर कुत्ती, भेड़िनी, गीदड़ी, सूअरी और गधी होती है।

पाठकजन! देखा, कैसी विचित्र व्यवस्था है!! भले ही वे दिन पर्व के दिन हों, स्त्री पुरुषों में से कोई एक अथवा दोनों ही व्रती हों, बीमार हों, अनिच्छुक हों, तीर्थयात्रादि धर्म कार्यों में लगे हों या परदेश में स्थित हों परन्तु उन्हें उस वक्त भोग करना ही चाहिए!! यदि नहीं करते हैं तो वे उक्त प्रकार से घोर पाप के भागी अथवा दुर्गति के पात्र होते हैं!!! इस अन्यायमूलक व्यवस्था का भी कहीं कुछ ठिकाना है!! स्वरुचि की प्रतिष्ठा, सत्संयम के अनुष्ठान, ब्रह्मचर्य के पालन और योगाभ्यासादि के द्वारा अपने अभ्युदय के यत्न का तो इसके आगे कुछ मूल्य ही नहीं रहता!!! समझ में नहीं आता भ्रूण (गर्भस्थ बालक) के विद्यमान न होते हुए भी उसकी हत्या का पाप कैसे लग जाता है? यदि भोग किया जाता तो गर्भ का रहना संभव था, इस संभावना के आधार पर ही यदि भोग न करने से भ्रूणहत्या का पाप लग जाता है तब तो कोई भी त्यागी, जो अपनी स्त्री को छोड़कर ब्रह्मचारी या मुनि हुआ हो, इस पाप से नहीं बच सकता। और जैन समाज के बहुत से पूज्य पुरुषों अथवा महान् आत्माओं को घोर पातिकी तथा दुर्गति का पात्र करार देना होगा। परन्तु ऐसा नहीं है। जैनधर्म में ब्रह्मचर्य की बड़ी प्रतिष्ठा है और उसके प्रताप से असंख्य व्यक्ति ऋतुकाल में भोग न करते हुए भी पाप से अलिप्त रहे हैं, और सद्गति को प्राप्त हुए हैं। जैनदृष्टि से यह कोई लाजिमी नहीं कि ऋतुकाल में भोग किया ही जाये। हाँ, भोग जो किया जाये तो वह संतान के लिये किया जाये और इस उद्देश्य से ऋतुकाल में ही किया जाना चाहिए, ऐसी उसकी व्यवस्था है। और उसके साथ शक्ति तथा कालादिक की विशेषापेक्षा भी लगी हुई है अर्थात् वे स्त्री पुरुष यदि उस समय रोगादिक के कारण या और तौर पर वैसा करने के लिये असमर्थ न हों, और वह समय भी कोई पर्वादि वर्ज्य काल न हो तो वे परस्पर काम सेवन कर सकते हैं। दूसरी अवस्था के लिये ऐसा नियम अथवा क्रम नहीं है। और यह बात भगवज्जिनसेन-प्रणीत आदिपुराण के निम्न वाक्य से भी ध्वनित होती है–

संतानार्थमृतावेव कामसेवां मिथ्यो भजेत्।
शक्तिकालव्यपेक्षोऽयं क्रमोऽशक्तेष्वतोऽन्यथा॥३८-१३५॥

इस भावार्थ का मूल पद्य अथवा उसके अर्थ से जरा भी सम्बन्ध नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि इसे लिखते हुए सोनीजी खुद ही किसी गहरे नशे में चूर थे। अन्यथा, ऐसा बिना सिर पैर का महाहास्यजनक 'भावार्थ' कभी भी नहीं लिखा जा सकता था।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

इससे भट्टारकजी का उक्त सब कथन जैनधर्म के बिल्कुल विरुद्ध है और उसने जैनियों की सारी कर्म फिलॉसॉफी को ही उठाकर ताक में रख दिया है। भला यह कहाँ का न्याय और सिद्धान्त है जो पुत्र के भोग न करने पर बेचारे मरे जीते पितर भी भ्रूण हत्या के पाप में घसीटे जाते हैं! मालूम होता है यह भट्टारकजी के अपने ही मस्तिष्क की उपज है, क्योंकि उन्होंने पहले पद्य में, जो 'पराशर' ऋषि का वचन है और 'पराशरस्मृति' के चौथे अध्याय में नं० १५ पर दर्ज है तथा 'मिताक्षरा' में भी उद्धृत मिलता है, इतना ही फेरफार किया है–अर्थात्, उसके अन्तिम चरण 'युज्यते नात्र संशयः' को 'पितृभिः सह मज्जति' में बदला है!! दूसरे शब्दों में यों कहिये कि पराशरजी ने पितरों को उस हत्या के पाप में नहीं डुबोया था, परन्तु भट्टारकजी ने उन्हें भी डुबोना उचित समझा है[८५]!!! ऐसा निराधार कथन कदापि किसी माननीय जैनाचार्य का वचन नहीं हो सकता दूसरा पद्य भी, जिसमें ऋतुकाल में भोग न करने वाली स्त्री की गति का उल्लेख है, हिन्दूधर्म के किसी ग्रन्थ से लिया गया अथवा कुछ परिवर्तन करके रखा गया मालूम होता है, क्योंकि हिन्दू ग्रन्थों में ही इस प्रकार की आज्ञाएँ प्रचुरता के साथ पाई जाती हैं। पराशरजी ने तो ऐसी स्त्री को सीधा नरक में भेजा है और फिर मनुष्ययोनि में लाकर उसे बार-बार विधवा होने का भी फतवा (धर्मादेश) दिया है। यथा–

ऋतुस्नाता तु या नारी भर्तारं नोपसर्पति।
सा मृता नरकं याति विधवा च पुनः पुनः॥४-१४॥ पराशर स्मृति

इस पद्य का पूर्वार्द्ध और भट्टारकजी के दूसरे पद्य का पूर्वार्द्ध दोनों एकार्थवाचक हैं। संभव है इस पद्य पर से ही भट्टारकजी ने अपने पद्य की रचना की हो। उन्हें उस स्त्री को क्रमशः नरक तथा मनुष्य गति में न भेजकर खालिस तिर्यञ्च गति में ही घुमाना उचित जँचा हो और इसलिये उन्होंने इस पद्य के उत्तरार्द्ध को अपनी इच्छानुसार बदला हो। परन्तु कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं कि भट्टारकजी ने कुछ दूसरों की नकल करके और कुछ अपनी अकल को बीच में दखल देकर जो ये बेढंगी व्यवस्थाएँ प्रस्तुत की हैं उनका जैनशासन से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। ऐसी नामाकूल व्यवस्थाएँ कदापि जैनियों के द्वारा मान्य किये जाने के योग्य नहीं।

अश्लीलता और अशिष्टाचार

(२५) व्रत, नियम, पर्व, स्वास्थ्य, अनिच्छा और असमर्थता आदि की कुछ परवाह न करते हुए, ऋतुकाल में अवश्य भोग करने की व्यवस्था देने वाले अथवा भोग न करने पर दुर्गति का फर्मान

८५. एक बात और भी नोट किये जाने के योग्य है और वह यह कि हिन्दू ग्रन्थों में इस विषय से सम्बन्ध रखने वाले 'देवल' आदि ऋषियों के कितने ही वचन ऐसे पाये जाते हैं जिनमें 'स्वस्था सन्नोपगच्छति' आदि पदों के द्वारा उस पुरुष को ही भ्रूण हत्या के पाप का भागी ठहराया है जो स्वस्थ होते हुए भी ऋतुकाल में भोग नहीं करता है। और 'पर्ववर्ज्य' तथा 'पर्वाणि वर्जयेत्'' आदि पदों के द्वारा ऋतुकाल में भी भोग के लिये पर्व दिनों की छुट्टी की गई है। परन्तु भट्टारकजी ने उन पद्यों को यहाँ संग्रह नहीं किया और न उनका आशय ही अपने शब्दों में प्रकट किया। इससे यह और भी साफ हो जाता है कि उन्होंने ऋतुकाल में भोग न करने वालों को हर हालत में भ्रूण हत्या का अपराधी ठहराया है!!

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

जारी करने वाले भट्टारकजी ने, उसी अध्याय में, भोग की कुछ विधि भी बतलाई है। उसमें, अन्य बातों को छोड़कर, आप लिखते हैं 'प्रदीपे मैथुनं चरेत्'– दीपप्रकाश में मैथुन करना चाहिए और उसकी बाबत यहाँ तक जोर देते हैं कि–

दीपे नष्टे तु यः सङ्गं करोति मनुजो यदि।
यावज्जन्मदरिद्रत्वं लभते नात्र संशयः॥३७॥

अर्थात्–दीप प्रकाश के न होते हुए, अंधेरे में, यदि कोई मनुष्य स्त्रीप्रसंग करता है तो वह जन्म भर के लिये दरिद्री हो जाता है इसमें संदेह नहीं है।[८६] इसके सिवाय, आप भोग के समय परस्पर क्रोध, रोष, भर्त्सना और ताडना करने तथा एक दूसरे की उच्छिष्ट (जूठन) खाने में कोई दोष नहीं बतलाते।[८७] साथ ही, पान चबाने को भोग का आवश्यक अंग ठहराते हैं, भोग के समय दोनों का मुख ताम्बूल से पूर्ण होना चाहिए ऐसी व्यवस्था देते हैं। और यहाँ तक लिखते हैं कि वह स्त्री भोग के लिये त्याज्य है जिसके मुख में पान नहीं।[८८] और इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भट्टारकजी ने उन स्त्री पुरुषों अथवा श्रावक श्राविकाओं को परस्पर काम सेवन का अधिकारी ही नहीं समझा जो रात्रि को भोजन पान न करते हों अथवा जिन्होंने संयमादिक की किसी दृष्टि से पान का खाना ही छोड़ रखा हो!! परन्तु इन सब बातों को भी छोड़िये, इस विधि में चार श्लोक खासतौर से उल्लेखनीय हैं–भट्टारकजी ने उन्हें देने की खास जरूरत समझी हैं और वे इस प्रकार हैं–

भुक्तवानुपविष्टस्तु शय्यायामभिसन्मुखः।
संस्मृत्य परमात्मानं पत्न्या जंघे प्रसारयेत्॥४१॥
अलोमशां च सद्वुचामनार्द्रां सुमनोहराम्।
योनिं स्पृष्ट्वा जपेन्मंत्रं पवित्रं पुत्रदायकम्॥४२॥
ओष्टावाकर्षयेदोष्टैरन्योन्यमविलोकयेत् ।
स्तनौ धृत्वा तु पाणिभ्यामन्योन्यं चुम्बयेन्मुखम्॥४४॥
बलं देहीति मंत्रेण योन्यां शिश्नं प्रवेशयेत्।
योनेस्तु किंचिदधिकं भवेलिङ्गं बलान्वितम्॥४५॥

इन श्लोकों के बिना भट्टारकजी की भोग-विधि शायद अधूरी ही रह जाती! और लोग समझ ही न पाते कि भोग कैसे किया करते हैं!! अस्तु; इन सब श्लोकों में क्या लिखा है उसे बतलाने की हिन्दी और मराठी के दोनों अनुवादकर्ताओं में से किसी ने भी कृपा नहीं की– सिर्फ पहले दो पद्यों में

८६. संदेह की बात तो दूर रही, यह तो प्रत्यक्ष के भी विरुद्ध मालूम होता है, क्योंकि कितने ही व्यक्ति लज्जा के वश होकर या वैसे ही सोते से जागकर अंधेरे में काम सेवन करते हैं परन्तु वे दरिद्री नहीं देखे जाते। कितनों ही की धन सम्पन्नता तो उसके बाद प्रारम्भ होती है।

८७. पादलग्नं तनुश्चैव ह्युच्छिष्टं ताडनं तथा। कोपो रोषश्च निर्भर्त्सः संयोगे न च दोष भाक्॥३८॥

८८. ताम्बूलेन मुखं पूर्णं... कृत्वा योगं समाचरेत्॥३९॥ बिना ताम्बूलवदनां... संयोगे च परित्यजेत्॥४०॥

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

प्रयुक्त हुए 'भुक्तवान्', 'उपविष्टस्तु शय्यायां', 'संस्मृत्य परमात्मानं', 'जपेन्मंत्रं पुत्रदायकं' पदों में से सबका अथवा कुछ का अर्थ दे दिया है और बाकी सब छोड़कर लिख दिया है कि इन श्लोकों में बतलाई हुई विधि अथवा क्रिया का अनुष्ठान किया जाना चाहिए। पं० पन्नालाल जी सोनी की अनुवाद पुस्तक में एक नोट भी लगा हुआ है, जिसमें लिखा है कि–

''अश्लीलता और अशिष्टाचार का दोष आने के सबब ४२वें[८९] श्लोक में कही गई क्रियाओं का भाषानुवाद नहीं किया गया है। इसी प्रकार ४४वें और ४५वें श्लोक का अर्थ भी नहीं लिखा गया है।''

मराठी अनुवादकर्ता पं० कल्लाप्पा भरमाप्पा निटवे ने भी ऐसा ही आशय व्यक्त किया है। आप इन श्लोकों का अर्थ देना मराठी शिष्टाचार की दृष्टि से अयोग्य बतलाते हैं और किसी संस्कृतज्ञ विद्वान् से उनका अर्थ मालूम कर लेने की जिज्ञासुओं को प्रेरणा करते हैं। इस तरह पर दोनों ही अनुवादकों ने अपने अपने पाठकों को उस धार्मिक (!) विधि के ज्ञान से कोरा रखा है जिसकी भट्टारकजी ने शायद बड़ी ही कृपा करके अपने ग्रन्थ में योजना की थी! और अपने इस व्यवहार से यह स्पष्ट घोषणा की है कि भट्टारकजी को ये श्लोक अपने इस ग्रन्थ में नहीं देने चाहिए थे।

यद्यपि अनुवादकों ने ऐसा लिखकर अपना पिण्ड छुड़ा लिया है परन्तु एक समालोचक का पिंड वैसा लिखकर नहीं छूट सकता-- उसका कर्तव्य भिन्न है–इच्छा न होते हुए भी कर्त्तव्यानुरोध से उसे अपने पाठकों को थोड़ा बहुत कुछ परिचय देना ही होगा, जिससे उन्हें यह मालूम हो सके कि इन श्लोकों का कथन क्या कुछ अश्लीलता और अशिष्टता को लिये हुए है। साथ ही, उस पर भट्टारकजी की रुचि तथा परिणति आदि का भी वे कुछ बोध प्राप्त कर सकें। अतः नीचे उसी का यत्न किया जाता है।

पहले श्लोक में भट्टारकजी ने यह बतलाया है कि ''भोग करने वाला मनुष्य भोजन किये हुए हो, वह शय्या पर स्त्री के सामने बैठे और परमात्मा का स्मरण करके स्त्री की दोनों जाँघें पसारे''। फिर दूसरे श्लोक में यह व्यवस्था दी है कि ''वह मनुष्य उस स्त्री की योनि को छूए और वह योनि बालों से रहित हो, अच्छी देदीप्यमान हो, गीली न हो तथा भले प्रकार से मन को हरने वाली हो और उसे छूकर पुत्र के देने वाले पवित्र मंत्र का जाप करे।'' इसके आगे ग्रन्थ में योनिस्थ देवता की अभिषेक-पुरस्सर पूजा वाला वह मंत्र दिया है जो 'प्रतिज्ञादि विरोध' नामक प्रकरण के (ज) भाग में उद्धृत किया जा चुका है, और लिखा है कि ''इस मंत्र को पढ़कर गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी, कुश और जल से योनि का अच्छी तरह प्रक्षालन करना चाहिए और फिर उसके ऊपर चंदन, केसर तथा कस्तूरी आदि का लेप कर देना चाहिए''।[९०] इसके बाद 'योनिं पश्यन् जपेन्मंत्रान्' नाम का ४३वाँ पद्य

८९. ४१ वें श्लोक में कही गई 'पत्न्या जंघे प्रसारयेत्' जैसी क्रिया का भी तो भाषानुवाद नहीं किया गया?

९०. यथा– ''इति मंत्रेण गोमय गोमूत्र क्षीर दधि सर्पिः-कुशौदकैर्योनिं सम्प्रक्षाल्य श्रीगन्धकुंकुमकस्तुरिकाद्यनुलेपनं कुर्यात्''।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

दिया है, जिसमें उस चंदनादि से चर्चित योनि को देखते हुए[९१] पंच परमेष्ठिवाचक कुछ मंत्रों के जपने का विधान किया है और फिर उन मंत्रों तथा एक आलिंगन मंत्र को देकर उक्त दोनों श्लोक नं० ४४, ४५ दिये हैं। इन श्लोकों द्वारा भट्टारकजी ने यह आज्ञा की है कि ''स्त्री पुरुष दोनों परस्पर मुँह मिलाकर एक दूसरे के होठों को अपने होठों से खींचे, एक दूसरे को देखें और हाथों से छातियाँ पकड़कर एक दूसरे का मुखचुम्बन करें। फिर 'बलं देहि' इत्यादि मंत्र को पढ़कर योनि में लिंग को दाखिल किया जाये और वह लिंग योनि से कुछ बड़ा तथा बलवान् होना चाहिए।''[९२]

पाठकजन! देखा, कितनी सभ्यता और शिष्टता को लिये हुए कथन हैं! एक 'धर्मरसिक' नाम धराने वाले ग्रन्थ के लिये कितना उपयुक्त है!! और अपने को 'मुनि' 'गणी' तथा 'मुनीन्द्र' तक लिखने वाले भट्टारकजी को कहाँ तक शोभा देता है!!! खेद है भट्टारकजी को विषय सेवन का इस तरह खुला उपदेश देते और स्त्रीसंभोग की स्पष्ट विधि बतलाते हुए जरा भी लज्जा तथा शरम नहीं आई!! जिन बातों की चर्चा करने अथवा कहने-सुनने में गृहस्थों तक को संकोच होता है उन्हें वैराग्य तथा ब्रह्मचर्य की मूर्ति बने हुए मुनि महाराजजी बड़े चाव से लिखते हैं, यह सब शायद कलियुग का ही माहात्म्य है!!! मुझे तो भट्टारकजी की इस रचनामय लीला को देखकर कविवर भूधरदास जी का यह वाक्य याद आ जाता है–

राग उदै जग अंध भयो, सहजैं सब लोगन लाज गँवाई।
सीख बिना नर सीखत हैं, विषयादिक सेवन की सुघराई॥
ता पर और रचै रसकाव्य, कहा कहिये तिनकी निठुराई।
अंध असूझन की अँखियान में, झांकत हैं रज रामदुहाई!!

सचमुच ही ऐसे कुकवियों, धर्माचार्यों अथवा गोमुखव्याघ्रों से राम बचावे!! वे स्वयं तो पतित होते ही हैं किंतु दूसरों को भी पतन की ओर ले जाते हैं!!! उनकी निष्ठुरता, निःसंदेह अनिर्वचनीय है। भट्टारकजी के इन उद्‌गारों से उनके हृदय का भाव झलकता है–कुरुचि तथा लम्पटता पाई जाती है और उनके ब्रह्मचर्य की थाह का कितना ही पता चल जाता है। जो लोग विवाह विषय पर सम्मति दे देने से ही ब्रह्मचर्य में दोष या अतिचार का लगना बतलाते हैं, वे मालूम नहीं ऐसी भोग प्रेरणा को लिये हुए अश्लील उद्‌गार निकालने वाले इन भट्टारकजी के ब्रह्मचर्य-विषय में क्या कहेंगे? और उन्हें

९१. 'योनिं पश्यन्' पदों का यह अर्थ भी अनुवादकों ने नहीं दिया।

९२. इसके बाद दोनों की संतुष्टि तथा इच्छापूर्ति पर योनि में वीर्य के सींचने की बात कही गई है, और यह कथन दो पद्यों में है, जिनमें पहला 'संतुष्टो भार्यया भर्ता' नाम का पद्य मनुस्मृति का वाक्य है और दूसरा पद्य निम्न प्रकार है–
इच्छापूर्णं भवेद्यावदुभयोः कामयुक्तयोः। रतः सिंचेत्ततो योन्यां तेन गर्भं बिभर्ति सा॥४७॥
४१वें पद्य का उत्तरार्द्ध और इस पद्य का उत्तरार्द्ध दोनों मिलकर हिन्दुओं के 'आचारार्क' ग्रन्थ का एक पद्य होता है, जिसे संभवतः यहाँ विभक्त करके रखा गया है।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

श्रावकों की दूसरी प्रतिमा में भी स्थान प्रदान करेंगे या कि नहीं? अस्तु; वे लोग कुछ ही कहें अथवा करें, किंतु इसमें संदेह नहीं कि भट्टारकजी का यह सब विधि विधान, जिसे वे 'कामयज्ञ' बतलाते हैं और जिसके अनुष्ठान से 'संसार समुद्र से पार तारने वाला पुत्र पैदा होगा' ऐसा लालच दिखलाते हैं[९३], जैन शिष्टाचार के बिल्कुल विरुद्ध है और जैन साहित्य को कलंकित करने वाला है। जान पड़ता है, भट्टारकजी ने उसे देने में प्रायः वाममार्गियों अथवा शक्तिकों का अनुकरण किया है और उनकी 'योनिपूजा' जैसी घृणित शिक्षाओं को जैनसमाज में फैलाना चाहा है। अतः आपका वह सब प्रयत्न किसी तरह भी प्रशसंनीय नहीं कहा जा सकता।

यहाँ पर एक बात और भी बतला देने की है और वह यह कि ४५वें पद्य में जो ''बलं देहीति मंत्रेण'' पाठ दिया है उससे यह स्पष्ट ध्वनित होता है कि उसमें जिस मंत्र का उल्लेख किया गया है वह ''बलं देहि'' शब्दों से प्रारम्भ होता है। परन्तु भट्टारकजी ने उक्त पद्य के अनन्तर जो मंत्र दिया है वह ''बलं देहि'' अथवा ''ॐ बलं देहि'' जैसे शब्दों से प्रारम्भ नहीं होता, किन्तु ''ॐ ह्रीं शरीरस्थायिनो देवता मां बलं ददतु स्वाहा'' इस रूप को लिये हुए है और इससे यह स्पष्ट जाना जाता है कि भट्टारकजी ने उस मंत्र को बदल कर रखा है जिसकी बाबत यह बहुत कुछ संभव है कि वह वाममार्गियों अथवा शाक्तिकों का मंत्र हो और खोज करने पर उनके किसी ग्रन्थ में मिल जाये। ऐसी हालत में–उक्त पद्य भी अकेला अथवा दूसरे पद्य के साथ में उसी ग्रन्थ से लिया गया होना चाहिए। मालूम होता है, उसे देते हुए, भट्टारकजी को यह ख्याल नहीं रहा कि जब हम पद्य में उल्लेखित मंत्र को नहीं दे रहे हैं तब हमें इसके ''बलं देहीति'' शब्दों को भी बदल देना चाहिए। परन्तु भट्टारकजी को इतनी सूझ बूझ कहाँ थी? और इसलिये उन्होंने पद्य के उस पाठ को न बदल कर मंत्र को ही बदल दिया है!!!

त्याग या तलाक

(२६) ग्यारहवें अध्याय में, विवाहविधि को समाप्त करते हुए, भट्टारकजी लिखते हैं–

[९४]अप्रजां दशमे वर्षे स्त्रीप्रजां द्वादशे त्यजेत्।
मृतप्रजां पंचदशे सद्यस्त्वप्रियवादिनीम्॥१९७॥

अर्थात्–जिस स्त्री के लगातार कोई संतान न हुई हो उसे दसवें वर्ष, जिसके कन्याएँ उत्पन्न होती रही हों उसे बारहवें वर्ष, जिसके बच्चे मर जाते हों उसे पंद्रहवें वर्ष और जो अप्रियवादिनी (कटु भाषण

९३. यथा–काम यज्ञमिति प्राहुर्गृहिणां सर्वदैव च। अनेन लभते पुत्रं संसारार्णवतारकम्॥५१॥

९४. यह पद्य किसी हिन्दू ग्रन्थ का जान पड़ता है। हिन्दुओं की 'नवरत्न विवाह पद्धति' में भी वह संगृहीत मिलता है। अस्तु, इस पद्य के अनुवाद में सोनीजी ने 'त्यजेत्' पद का अर्थ दिया है–'दूसरा विवाह करे' और 'अप्रियवादिनी' के पहले एक विशेषण अपनी तरफ से जोड़ा है 'अपुत्रवती!' साथ ही अप्रियवादिनी का अर्थ 'व्यभिचारिणी' बतलाया है!! और ये सब बातें आपके अनुवाद की विलक्षणता को सूचित करती हैं। इसके सिवाय अपने त्यागावधि के वर्षों की गणना प्रथम रजोदर्शन के समय से की है! यह भी कुछ कम विलक्षणता नहीं है।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

करने वाली) हो उसे फौरन (तत्काल ही) त्याग देना चाहिए।

भट्टारकजी के इस 'त्याग' के दो अर्थ किये जा सकते हैं, एक 'संभोग त्याग' और दूसरा 'वैवाहिक सम्बन्ध त्याग'। संभोगत्याग अर्थ भट्टारकजी के पूर्व कथन की दृष्टि से कुछ संगल मालूम नहीं होता, क्योंकि ऐसी स्त्रियाँ ऋतुमती तथा ऋतुस्नाता तो होती ही हैं और ऋतुकाल में ऋतुस्नाताओं से भोग न करने पर भट्टारकजी ने पुरुषों को भ्रूण हत्या के घोर पाप का अपराधी ठहराया है और साथ में उनके पितरों को भी घसीटा है, ऐसी हालत में उनके इस वाक्य से 'संभोगत्याग' का आशय नहीं लिया जा सकता, वह आपत्ति के योग्य ठहरता है, तब दूसरा 'वैवाहिक सम्बन्ध त्याग' का अर्थ ही यहाँ ठीक बैठता है, जिसे 'तलाक' कहते हैं और जो उक्त पाप से मुक्ति दिला सकता अथवा सुरक्षित रख सकता है। इस दूसरे अर्थ की पुष्टि इसमें भी होती है कि भट्टारकजी ने संभोग त्याग की बात को मतान्तर[९५] रूप से दूसरों के मत के तौर पर (अपने मत के तौर पर नहीं) अगले पद्य में दिया है। और वह पद्य इस प्रकार है–

व्याधिना स्त्रीप्रजा वन्ध्या उन्मत्ता विगतार्तवा।
अदुष्टा लभते त्यागं तीर्थतो न तु धर्मतः॥१९८॥

इस पद्य में बतलाया है कि ''जो स्त्री (चिरकाल से) रोग पीड़ित हो, जिसके केवल कन्याएँ ही पैदा होती रही हों, जो बन्ध्या हो, उन्मत्त हो अथवा रजोधर्म से रहित हो (रजस्वला न होती हो) ऐसी स्त्री यदि दुष्ट स्वभाव वाली न हो तो उसका महज कामतीर्थ से त्याग होता है, वह संभोग के लिये त्याज्य ठहरती है, परन्तु धर्म से नहीं धर्म से उसका पत्नी सम्बन्ध बना रहता है।''

इस पद्य से यह स्पष्ट ध्वनि निकलती है कि इसमें ऐसी स्त्री को धर्म से न त्यागने की अथवा उसके साथ इतनी रिआयत करने की जो बात कही गई है उसका मूल कारण उस स्त्री का दुष्टा न होना है और इसलिये यदि वह दुष्टा हो, अप्रियवादिनी हो अथवा भट्टारकजी के एक दूसरे[९६] पद्यानुसार अति

९५. मराठी अनुवाद पुस्तक में पद्य के ऊपर 'मतान्तरं' का अनुवाद ''दूसरे मत'' दिया है परन्तु सोनीजी अपनी अनुवाद पुस्तक में उसे बिल्कुल ही उड़ा गये हैं!

९६. वह पद्य इस प्रकार है–

अतिप्रचण्डां प्रबलां कपालिनीं, विवादकर्त्रीं स्वयमर्थचोरिणीम्।
आक्रन्दिनीं सप्तगृहप्रवेशिनीं, त्यजेच्च भार्यां दशपुत्रपुत्रिणीम्॥३३॥

इस पद्य में यह कहा गया है कि ''जो विवाहिता स्त्री अति प्रचण्ड हो, अधिक बलवती हो, कपालिनी (दुर्गा) हो, विवाद करने वाली हो, धनादिक वस्तुएँ चुराने वाली हो, जोर-जोर से चिल्लाने अथवा रोने वाली हो, और सात घरों में अर्थात् घर-घर में डोलने वाली हो वह यदि दस पुत्रों की माता भी हो तो भी उसे त्याग देना चाहिए।''

इस पद्य के अनुवाद में सोनीजी ने 'भार्या' का अर्थ 'कन्या' गलत किया है और इसलिये फिर आपको 'दशपुत्रपुत्रिणीम्' का अर्थ 'आगे चलकर दस पुत्र-पुत्री वाली भी क्यों न हो ऐसा करना पड़ा जो ठीक नहीं है। 'भार्या' विवाहिता स्त्री को कहते हैं। वास्तव में यह पद्य ही वहाँ असंगत जान पड़ता है। इसे त्याग विषयक उक्त दोनों पद्यों के साथ में देना चाहिए था। परन्तु ''कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानमती ने कुनबा जोड़ा'' वाली कहावत को चरितार्थ करने वाले

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

प्रचण्डा, प्रबला, कपालिनी, विवादकर्त्री, अर्थचोरिणी, आक्रन्दिनी और सप्तगृहप्रवेशिनी जैसी कोई हो, जिसे भी आपने त्याग देने को लिखा है, तो वह धर्म से भी त्याग किये जाने की अथवा यों कहिये कि तलाक की अधिकारिणी है, इतनी बात इस पद्य से भी साफ सूचित होती है। चाहे वह किसी का भी मत क्यों न हो।

इस तरह पर भट्टारकजी ने स्त्रियों को त्याग या तलाक देने की यह व्यवस्था की है। दक्षिण देश की कितनी ही हिन्दू जातियों में तलाक की प्रथा प्रचलित है और कुछ पुनर्विवाह वाली जैन जातियों में भी उसका रिवाज है, जैसा कि १ फरवरी सन् १९२८ के 'जैन जगत्' अंक नं० ११ से प्रकट है। मालूम होता है कि भट्टारकजी ने उसी को यहाँ अपनाया है और अपनी इस योजना द्वारा सम्पूर्ण जैन समाज में उसे प्रचारित करना चाहा है। भट्टारकजी का यह प्रयत्न कितना निन्दित है और उनकी उक्त व्यवस्था कितनी दोषपूर्ण, एकांगी तथा न्याय नियमों के विरुद्ध है उसे बतलाने की जरूरत नहीं। सहृदय पाठक सहज ही में उसका अनुभव कर सकते हैं। हाँ, इतना जरूर बतलाना होगा कि जिस स्त्री को त्याग या तलाक दिया जाता है, वह वैवाहिक सम्बन्ध के विच्छेद होने से अपना पुनर्विवाह करने के लिये स्वतंत्र होती है। और इसलिये यह भी कहना चाहिए कि भट्टारकजी ने अपनी इस व्यवस्था के द्वारा ऐसी 'त्यक्ता' स्त्रियों को अपने पति की जीवितावस्था में पुनर्विवाह करने की भी स्वतंत्रता या परवानगी दी है!! अस्तु; पुनर्विवाह के सम्बन्ध में भट्टारकजी ने और भी कुछ आज्ञाएँ जारी की हैं जिनका प्रदर्शन अभी आगे 'स्त्री पुनर्विवाह' नाम के एक स्वतंत्र शीर्षक के नीचे किया जायेगा।

स्त्री-पुनर्विवाह

(२७) 'तलाक' की व्यवस्था देकर उसके फलस्वरूप परित्यक्ता स्त्रियों को पुनर्विवाह की स्वतंत्रता देने वाले भट्टारकजी ने कुछ हालतों में अपरित्यक्ता स्त्रियों के लिये भी पुनर्विवाह की व्यवस्था की है, जिसका खुलासा[९७] इस प्रकार है–

ग्यारहवें अध्याय में भट्टारकजी ने, वाग्दान, प्रदान, वरण, पाणिग्रहण और सप्तपदी को विवाह के पाँच अंग बतलाकर, उनकी क्रमशः सामान्यविधि बतलाई है और फिर 'विशेषविधि' दी है, जो अंकुरारोपण से प्रारम्भ होकर 'मनोरथाः सन्तु' नामक उस आशीर्वाद पर समाप्त होती है जो सप्तपदी के बाद पूर्णाहुति आदि के भी अनन्तर दिया हुआ है। इसके पश्चात् उन्होंने हिन्दुओं के 'चतुर्थी कर्म'

भट्टारकजी इधर उधर से उठाकर रखे हुए पद्यों की तरतीब देने में इतने कुशल, सावधान अथवा विवेकी नहीं थे। इसी से उनके ग्रन्थ में जगह-जगह ऐसी त्रुटियाँ पाई जाती हैं और यह बात पहिले भी जाहिर की जा चुकी है।

९७. यद्यपि इस विषय में भट्टारकजी के व्यवस्था वाक्य बहुत कुछ स्पष्ट है फिर भी चूँकि इस त्रिवर्णाचार के भक्त कुछ पंडितों ने, उन्हें अपनी मनोवृत्ति के अनुकूल न पाकर अथवा ग्रन्थ के प्रचार में विशेष बाधक समझकर उन पर पर्दा डालने की जघन्य चेष्टा की है–अतः यहाँ पर उनका कुछ विशेष खुलासा अथवा स्पष्टीकरण कर देना ही उचित तथा जरूरी मालूम हुआ है। इसी से यह उसका प्रयत्न किया जाता है।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

को अपनाने का उपक्रम किया है और उसे कुछ जैन का रूप दिया है। चतुर्थी-कर्म विवाह की चतुर्थ रात्रि के कृत्य को कहते हैं।[९८] हिन्दुओं के यहाँ वह विवाह का एक देश अथवा अंग माना जाता है। चतुर्थी कर्म से पहले वे स्त्री को 'भार्या' संज्ञा ही नहीं देते। उनके मतानुसार दान के समय तक 'कन्या', दान के अनन्तर 'वधू', पाणिग्रहण हो जाने पर 'पत्नी और चतुर्थी-कर्म के पश्चात् 'भार्या' संज्ञा की प्रवृत्ति होती है। इसी से वे भार्या को 'चातुर्थकर्मणी' कहते हैं जैसा कि मिश्र निबाहूराम विरचित उनके विवाहपद्धति के निम्न वाक्यों से प्रकट है–

चतुर्थीकर्मणः प्राक् तस्या भार्यत्वमेव न संप्रवृत्तम्। विवाहैकदेशत्वाच्चतुर्थीकर्मणः। इतिसूत्रार्थः। तस्माद्भार्या चातुर्थकर्मणीति मुनिवचनात्। ''आप्रदानात् भवेत्कन्या प्रदानानन्तरं वधूः॥ पाणिग्रहे तु पत्नी स्याद्भार्या-चातुर्थकर्मणीति॥''

और इसलिये उनकी विवाहपुस्तकों में 'चतुर्थीकर्म' का पाठ लगा रहता है जो 'ततश्चतुर्थ्यामपररात्रे चतुर्थीकर्म' इस प्रकार के वाक्य के साथ प्रारम्भ होता है। भट्टारकजी ने विवाह रात्रि के बाद से-उस रात्रि के बाद से जिस रात्रि को पंचाङ्गविवाह की सम्पूर्ण विधि समाप्त हो जाती है, चतुर्थीकर्म का उपक्रम करते हुए, प्रतिदिन सुबह के वक्त पौष्टिक कर्म और रात्रि के समय शांतिहोम करने की व्यवस्था की है, और फिर चौथे दिन के प्रभातादि समयों का कृत्य बतलाया है, जिसमें विवाहमंडप के भीतर पूजनादि सामग्री से युक्त तथा अनेक चित्रादिकों से चित्रित एक महामंडल की नवीन रचना, वधू का नूतन कलश स्थापन, संध्या के समय वधू वर का वहाँ गीत वादित्र के साथ स्नान और उन्हें गंधाक्षत-प्रदान भी शामिल है।[९९] इसके बाद संक्षेप में चतुर्थरात्रि का कृत्य दिया है और उसमें मुख्यतया नीचे लिखी क्रियाओं का उल्लेख किया है–

(१) ध्रुवतारा निरीक्षण के अनन्तर सभा की पूजा (२) भगवान् का अभिषेक-पुरस्सर पूजन तथा होम (३) होम के बाद पत्नी के गले में वर की दी हुई सोने की ताली का मंत्रपूर्वक बाँधा जाना (४) मंत्र पढ़कर दोनों के गले में सम्बन्धमाला का डाला जाना (५) नागों का तर्पण अथवा उन्हें बलि का

९८. वामन शिवराम ऐप्टे के कोश में भी ऐसा ही लिखा है। यथा– "The Ceremonies to be performed on the fourth night of the marriage" और इससे चतुर्थी का अर्थ होता है The fourth night of the marriage विवाह की चतुर्थ रात्रि।

९९. इस कथन के कुछ वाक्य नीचे दिये जाते हैं–

''ततः प्रभृति नित्यं च प्रभाते पौष्टिकं मतम्। निशीथे शान्ति होमेऽह्नि चतुर्थे नागतर्पणाम्''॥१४८॥

तदग्रे (हि) च प्रभाते च गृहमण्डपयोः पृथक्। सम्मार्जनं०..॥१४९॥

''नवीनं घटं... संस्थापयेच्चारु पत्नी''॥१५३॥ ''सदित्येवमेतन्महामण्डलं वंशपूजार्चनायोग्य सद्रव्यपूर्णम्''॥१५८॥

''सरागेऽपि संध्याभिधाने हशीह वरस्यापि वध्वाः शुभस्नानकं वा...।

दृढं चासनं युज्यते चादरेण सुमांगल्य वादित्रगीतादिपूर्वम्''॥१६०॥

''ॐ साद्विव्यगात्रस्य गंधधारादिक्चक्रं सुगधं वो भवीति... संधारिता अक्षता अप्येवं भवन्तु''।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

दिया जाना (६) अग्नि पूजनादि के अनंतर वर का पान बीड़ा लेकर वधूसहित नगर को देखने जाना (७) तत्पश्चात् होम के शेष कार्य को पूरा करके पूर्णाहुति का दिया जाना (८) होम की भस्म का वर वधू को वितरण (९) सुवर्णदान (१०) तदनन्तर कंकण खोलकर ग्राम की प्रदक्षिणा करना (११) प्रदक्षिणा से निवृत्त होकर सुखपूर्वक दुग्धपान तथा संभोगादिक करना और फिर अपने ग्राम को चले जाना।

चतुर्थ रात्रि की इन क्रियाओं से सम्बन्ध रखने वाले कुछ पदवाक्य इस प्रकार हैं–

''रात्रौ ध्रुवतारादर्शनानन्तरे विद्वद्विशिष्ट बन्धुजनैश्च सभापूजा। चतुर्थ (र्थी) दिनेवधूवरयोरपि महास्नानानि च स्नपनार्चा होमादिकं कृत्वा तालीबंधनं कुर्यात्। तद्यथा- 'वरेण दत्ता सौवर्णी... ताली...-॥१६१॥

''ॐ एतस्याः पाणिगृहीत्यास्तालीं बध्नामि इयंनित्यमवतंसलक्ष्मीं विदध्यात्।

''ॐ भार्यापत्योरेतयोः परिणीतिं प्राप्तयोस्तुरीये घस्त्रे नक्तं वेलायां त्रैतासपर्यायाश्च तौ संबध्येते सम्बन्धमाला अतोलब्धिर्बह्वपत्यानां द्राधीयं आयुश्चापि भूयात्।

''सुहोमावलोकः पुन्मंगलीयं ससूत्रं क्रमाद् बंधयेत्कण्ठदेशे।
स्वसम्बन्धमालापरिवेष्टनं च, सुकर्पूरगोशार्षयोर्लेपनं च॥१६३॥
वधूभिर्ह्युपात्तार्धपात्राभिराभिः, प्रवेशो वरस्यैव तद्वच्च वध्वाः।
शुभे मण्डपे दक्षिणीकृत्य तं वै, प्रदायाशु नागस्य साक्षाद्वलिं च॥१६४॥
''समित्समारोपणं पूर्वकं तथा, हुताशपूजावसरार्चनं मुदा।
गृहीतवीटी च वरोवधू युतो, विलोकनार्थं स्व (च) पुरं व्रजेत्प्रभोः॥१६७॥
ततः शेषहोमं कृत्वा पूर्णाहुतिं कुर्यात्।

''ॐ रत्नत्रयार्चनमयोत्तम होम भूतिः...॥१६८॥ इति भस्मप्रदानमंत्रः।

''हिरण्यगर्भस्य...॥१६९-१७१॥ इति स्वर्णदानमंत्रः॥

''तदनन्तरं कं कणमोचनं कृत्वा महाशोभया ग्रामं प्रदक्षिणीकृत्य पयः पावन निधुवनादिकं सुखेन कुर्यात्। स्वग्रामं गच्छेत्।

'तदनंतरं' नाम के अंतिम वाक्य के साथ ही चतुर्थी (चतुर्थरात्रि) का विवक्षित सामान्य वृत्य समाप्त हो जाता है। इसके बाद भट्टारकजी के हृदय में इस चतुर्थीकृत्य के सम्बन्ध में कुछ विशेष सूचनाएँ कर देने की भी इच्छा पैदा हुई और इसलिये उन्होंने 'स्वग्रामं गच्छेत्' के अंनतर ही 'अथ विशेषः' लिखकर उसे पाँच[१००] पद्यों में व्यक्त किया है, जो इस प्रकार है–

१००. एक छठा पद्य और भी है जिसका चतुर्थीक्रिया के साथ कुछ सम्बन्ध नहीं है और जो प्रायः असंगत-सा जान पड़ता है। उसके बाद ''विवाहानन्तरं गच्छेत्सभार्यः स्वस्य मंदिरम्'' नामक पद्य से और फिर घर में वधू प्रवेश के कथन से 'स्वग्रामं गच्छेत्' कथन का सिलसिला ठीक बैठ जाता है और यह मालूम होने लगता है कि ये मध्य के पद्य ही विशेष कथन के पद्य हैं और वे अपने पूर्वकथन चतुर्थीकृत्य वर्णन के साथ सम्बन्ध रखते हैं।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

विवाहे दम्पतीस्यातां त्रिरात्रं ब्रह्मचारिणौ।
अलंकृता वधूश्चैव सहशय्यासनाशिनौ॥१७२॥
वध्वासहैव कुर्वीत निवासं श्वसुरालये॥
चतुर्थ दिनमत्रैव केचिदेवं वदन्ति हि॥१७३॥
चतुर्थीमध्ये ज्ञायन्ते दोषा यदि वरस्य चेत्।
दत्तामपि पुनर्दद्यात्पिताऽन्यस्मै विदुर्बुधाः॥१७४॥
प्रवरैक्यादिदोषाः स्युः पतिसंगादधो यदि।
दत्तामपि हरेद्वद्यादन्यस्मा इति केचन॥१७५॥
कलौ तु पुनरुद्वाहं वर्जयेदिति गालवः।
कस्मिंश्चिद्वेश इच्छन्ति न तु सर्वत्र केचन॥१७६॥

इन पद्यों द्वारा भट्टारकजी ने यह प्रतिपादन किया है कि- ''विवाह हो जाने पर दम्पती को वर-वधू दोनों को-तीन रात तक (विवाह रात्रि को शामिल करके) ब्रह्मचारी रहना चाहिए, परस्पर संभोग अथवा काम क्रीड़ादिक न करना चाहिए, इसके बाद वधू को अलंकृत किया जाये और फिर दोनों का शयन, आसन तथा भोजन एक साथ होवे॥१७२॥ वर को वधू के साथ ससुराल में ही निवास करना चाहिए[१०१] परन्तु कुछ विद्वानों का यह कहना है (जिस पर भट्टारकजी को कोई आपत्ति नहीं) कि ससुराल में चौथे दिन तक ही रहना चाहिए॥१७३॥ चौथी रात को चतुर्थीकर्मादिक के समय यदि वर के दोष (पतितत्त्व नपुसंकत्वादिक) मालूम हो जायें तो पिता को चाहिए कि वर को दी हुई, विवाही हुई, अपनी पुत्री को फिर से किसी दूसरे निर्दोष वर को देवे, उसका पुनर्विवाह कर देवे ऐसा बुद्धिमानों ने कहा है॥१७४॥ कुछ विद्वानों का ऐसा भी मत है (जिस पर भी भट्टाकरजी को कोई आपत्ति नहीं) कि पुत्री का पति के साथ संगम-संभोग हो जाने के पश्चात् यदि यह मालूम पड़े कि इस सम्बन्ध द्वारा प्रवरों की-गोत्र शाखाओं अथवा मुनि वंशादिकों की-एकतादि जैसे दोष संघटित हुए हैं तो (आगे को उन दोषों की जान बूझकर पुनरावृत्ति न होने देने आदि के लिये) पिता को चाहिए कि वह अपनी उस दान की हुई (विवाहिता और पुनः क्षतयोनि) पुत्री का हरण करे और उसे किसी दूसरे के साथ विवाह देवे॥१७५॥ ''कलियुग में स्त्रियों का पुनर्विवाह न किया जाये'' यह गालव ऋषि का मत है (जिससे

१०१. कुछ स्थानों पर अथवा जातियों में ऐसा रिवाज पाया जाता है कि वधू के पतिगृह पर आने की जगह पति ही वधू के घर पर जाकर रहता है और प्रायः वहीं का हो जाता है। संभव है उसी रिवाज को इस उल्लेख द्वारा इष्ट किया गया हो और यह भी संभव है कि चार दिन से अधिक का निवास ही पद्य के पूर्वार्द्ध का अभीष्ट हो। परन्तु कुछ भी हो इसमें संदेह नहीं कि सोनीजी ने इस पद्य का, जो निम्न अनुवाद दिया है वह यथोचित नहीं है। उसे देते हुए उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि पद्य के पूर्वार्द्ध में एक बात कही गई है तब उत्तरार्द्ध में दूसरी बात का उल्लेख किया गया है-

''कोई कोई आचार्य ऐसा कहते हैं कि वर, वधू के साथ चौथे दिन भी ससुराल में ही निवास करे।''

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

भट्टारकजी प्रायः सहमत मालूम नहीं होते) परन्तु दूसरे कुछ आचार्यों का मत इससे भिन्न है। उनकी दृष्टि में वैसा निषेध सर्व स्थानों के लिये इष्ट नहीं है, वे किसी-किसी देश के लिये ही उसे अच्छा समझते हैं, बाकी देशों के लिये पुनर्विवाह की उनकी अनुमति है।

इससे साफ जाहिर है और पूर्व कथन सम्बन्ध से वह और भी स्पष्ट हो जाता है कि भट्टारकजी ने यह विवाहिता स्त्रियों के लिये पुनः विवाह की व्यवस्था की है। तीसरे और चौथे पद्य में उन हालातों का उल्लेख है जिनमें पिता को अपनी पुत्री के पुनर्विवाह का अधिकार दिया गया है और वे क्रमशः वर के दोष तथा सम्बन्ध दोष को लिये हुए हैं। पाँचवें पद्य से किसी हालत विशेष का उल्लेख नहीं है, वह पुनर्विवाह पर एक साधारण वाक्य है और इसी से कुछ विद्वान् उस पर से विधवा के पुनर्विवाह का भी आशय निकालते हैं। परन्तु यह बात अधिकतर 'गालव' नामक हिन्दू ऋषि के उस मूल वाक्य पर अवलम्बित है जिसका इस पद्य में उल्लेख किया गया है। वह वाक्य यदि खाली विधवा विवाह का निषेधक है तब तो भट्टारकजी के इस वाक्य से विधवा विवाह को प्रायः पोषण जरूर मिलता है और उससे विधवा विवाह का आशय निकाला जा सकता है, क्योंकि वे गालव से भिन्न मत रखने वाले दूसरे आचार्यों के मत की ओर झुके हुए हैं। और यदि वह विधवा विवाह का निषेधक नहीं किन्तु जीवितभर्तृका एवं अपरित्यक्ता स्त्रियों के पुनर्विवाह का ही निषेधक है, तब भट्टारकजी के इस वाक्य से वैसा आशय नहीं निकाला जा सकता और न इस वाक्य का पूर्वार्द्ध विधवा विवाह के विरोध में ही पेश किया जा सकता है। तलाश करने पर भी अभी तक मुझे गालव ऋषि का कोई ग्रन्थ नहीं मिला और न दूसरा कोई ऐसा संग्रह ग्रन्थ ही उपलब्ध हुआ है जिसमें गालव के प्रकृत विषय से सम्बन्ध रखने वाले वाक्यों का भी संग्रह हो। यदि इस परीक्षालेख की समाप्ति तक भी वैसा कोई ग्रन्थ मिल गया–जिसके लिये खोज जारी है तो उसका एक परिशिष्ट में जरूर उल्लेख कर दिया जायेगा। फिर भी इस बात की संभावना बहुत ही कम जान पड़ती है कि गालव ऋषि ने ऐसी सद्योविवाहिता (तुरंत की ब्याही हुई) और सदोषभर्तृका अथवा सम्बन्धदूषिता स्त्रियों के पुनर्विवाह का तो निषेध किया हो, जिनका पद्य नं० १७४, १७५ में उल्लेख है, और विधवाओं के पुनर्विवाह का निषेध न किया हो। मैं समझता हूँ गालवजी ने दोनों ही प्रकार के पुनर्विवाहों का निषेध किया है और इसी से उनके मत का ऐसे सामान्य वचन द्वारा उल्लेख किया गया है। हिन्दुओं में, जिनके यहाँ 'नियोग' भी विधिविहित माना गया है, 'पराशर' जैसे कुछ ऋषि ऐसे भी हो गये हैं जिन्होंने विधवा और सधवा दोनों के लिये पुनर्विवाह की व्यवस्था की है।[१०२] गालव ऋषि उन से भिन्न दोनों प्रकार के पुनर्विवाहों के निषेधक

१०२. जैसा कि पाराशर स्मृति के जिसे 'कलौ पाराशराः स्मृताः' वाक्य के द्वारा कलियुग के लिये खास तौर से उपयोगी बतलाया गया है–निम्न वाक्य से प्रकट है–

नष्टे मृते प्रव्रजिते क्लीबे च पतिते पतौ। पंचस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते॥४-३०॥

इसमें लिखा है कि 'पति के खो जाने-देशान्तरादिक में जाकर लापता हो जाने- मर जाने, संन्यासी बन जाने, नपुंसक तथा पतित हो जाने रूप पाँच आपत्तियों के अवसर पर स्त्रियों के लिये दूसरा पति कर लेने की व्यवस्था है–

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

रहे होंगे। और इसलिये जब तक गालव ऋषि के किसी वाक्य से यह सिद्ध न कर दिया जाये कि वे विधवा विवाह के निषेधक नहीं थे तब तक भट्टारकजी के उक्त सामान्य व्यवस्था वाक्य नं० १७६

वे अपना दूसरा विवाह कर सकती हैं।

इसी बात को 'अमितगति' नाम के जैनाचार्य ने अपनी 'धर्मपरीक्षा' में निम्न वाक्य द्वारा उल्लेखित किया है–

पत्यौ प्रव्रजिते क्लीबे प्रनष्टे पतिते मृते। पंचस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते॥११-१२॥

'धर्म परीक्षा' के इस वाक्य पर से उन लोगों का कितना ही समाधान हो जायेगा जो भ्रमवश पाराशरस्मृति के उक्त वाक्य का गलत अर्थ करने के लिये कोरा व्याकरण छोंकते हैं, कहते हैं 'पति' शब्द का सप्तमी में 'पत्यौ' रूप होता है, 'पतौ'- नहीं। इसलिये यहाँ समासांत 'अपति' शब्द का सपतम्यन्त पद 'अपतौ' पड़ा हुआ है जिसके अकार का 'पतिते' के बाद लोप हो गया है, और वह उस पतिभिन्न पतिसदृश का बोधक है जिसके साथ महज सगाई (मँगनी) हुई हो किन्तु विवाह न हुआ हो। ऐसे लोगों को मालूम होना चाहिए कि श्लोक के उत्तरार्द्ध में जो 'पतिरन्यो' (दूसरा पति) पाठ पड़ा हुआ है वह पूर्वार्द्ध में 'पतौ' की ही स्थिति को चाहता है, 'अपतौ' की नहीं अर्थात् जिसके मरने वगैरह पर दूसरे पति की व्यवस्था की गई है वह 'पति' ही होना चाहिए 'अपति' नहीं। और 'पति' संज्ञा उसी को दी जाती है जो विधिपूर्वक पाणिग्रहण संस्कार से संस्कारित होकर सप्तपदी को प्राप्त हुआ हो- महज वाग्दान वगैरह की वजह से किसी को 'पतित्त्व' की प्राप्ति नहीं होती, जैसा कि 'उद्वाहतत्त्व' में दिये हुए 'यम' ऋषि के निम्न वाक्य से प्रकट है–

नोदकेन न वा वाचा कन्यायाः पतिरिष्यते। पाणिग्रहणसंस्कारात् पतित्त्वं सप्तमे पदे॥ (शब्दकल्पद्रुम)

इसके सिवाय, इतना और भी जान लेना चाहिए कि प्रथम तो आर्ष प्रयोग है, और आर्ष प्रयोग कभी कभी व्याकरण से भिन्न भी होते हैं। दूसरे, छन्द की दृष्टि से कवि लोग अनेक बार व्याकरण के नियमों का उल्लंघन कर जाते हैं, जिसके प्राचीन साहित्य में भी कितने ही उदाहरण मिलते हैं। बहुत संभव है 'पत्यौ' की जगह 'पतौ' पद का यह प्रयोग छन्द की दृष्टि से ही किया गया हो, अन्यथा पराशर जी इस शब्द के 'पत्यौ' रूप से भी अभिज्ञ थे और उन्होंने अपनी स्मृति में 'पत्यौ' पद का भी प्रयोग किया है, जिसका एक उदाहरण 'पत्यौ जीवति कुण्डस्तु मृते भर्तरि गोलकः' (४-२३) है। तीसरे 'पतौ' पद का प्रयोग उक्त स्मृति में अन्यत्र भी पाया जाता है, जिसका 'अपतौ' वहाँ बन ही नहीं सकता। और उस प्रयोगवाक्य से यह साफ जाहिर है कि जो स्त्री पति के मरने, खो जाने अथवा उसके त्याग देने पर पुनर्विवाह न करके जार से गर्भ धारण करती है उसे पराशरजी ने 'पतिता' और 'पापकारिणी' लिखा है– उनकी दृष्टि में 'जार' दूसरा पति (पतिरन्यः) नहीं हो सकता। वे दूसरा पति ग्रहण करने रूप पुनर्विवाह को विधिविहित और जार से रमण को निन्द्य तथा दण्डनीय ठहराते हैं। यथा–

जारेण जनयेद्गर्भं मृते त्यक्ते गते पतौ। तां त्यजेदपरे राष्ट्रे पतितां पापकारिणीम्॥१०-३१॥

और चौथे यह बात भी नहीं कि व्याकरण से इस 'पतौ' रूप की सर्वथा सिद्धि ही न होती हो, सिद्धि भी होती है, जैसा कि अष्टाध्यायी के 'पतिः समास एव' सूत्र पर की 'तत्त्वबोधिनी' टीका के निम्न अंश से प्रकट है, जिसमें उदाहरण भी दैवयोग से पराशर जी का उक्त श्लोक दिया है–

...अथ कथं ''सीतायाः पतये नमः'' इति 'नष्टे मृते प्रव्रजिते क्लीबे च पतिते पतौ। पंचस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते'' इति पराशरश्च।। अत्राहुः।। पतिरित्याख्यातः पतिः- 'तत्करोति तदा चष्टे' इति णिचि टिलोपे 'अच इः' इत्यौणादिक प्रत्यये 'णेरनिटि' इति णिलोपे च निष्पन्नोऽयं पति 'पतिः समास एव' इत्यत्र न गृह्यते लाक्षणिकत्वादिति।

अतः 'पतौ' का अर्थ 'पत्यौ' ही है। और इसलिये जो लोग उसके समीचीन अर्थ को बदलने का निःसार प्रयत्न करते हैं वह उनकी भूल है।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

पर से जो लोग विधवा विवाह का आशय निकालते हैं उस पर कोई खास आपत्ति नहीं की जा सकती।

इसके सिवाय जो भट्टारकजी पति के दोष मालूम हो जाने पर पूर्व विवाह को ही रद्द कर देते हैं, संभोग हो जाने पर भी स्त्री के लिये दूसरे विवाह की योजना करते हैं, तलाक की विधि बतलाकर परित्यक्ता स्त्रियों के लिये पुनर्विवाह का मार्ग खोलते अथवा उन्हें उसकी स्वतंत्रता देते हैं, कामयज्ञ रचाने के बड़े ही पक्षपाती जान पड़ते हैं, योनिपूजा तक का उपदेश देते हैं, ऋतुकाल में भोग करने को बहुत ही आवश्यक समझते हैं और ऋतुकाल में भोग न करने वाली स्त्रियों को तिर्यंच गति का पात्र ठहराते हैं, इतना अधिक जिनके सामने उस भोग का महत्त्व है–उनसे ऐसी आशा भी नहीं की जा सकती कि उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह का, उन नन्हीं-नन्हीं बालविधवाओं के पुनर्विवाह का भी जो महज फेरों की गुनहगार हों और यह भी न जानती हों कि विवाह किस चिड़िया का नाम है–सर्वथा निषेध किया हो। एक स्थान पर तो भट्टारकजी, कुछ नियम विधान करते हुए लिखते हैं–

यस्यास्त्वनामिका ह्रस्वा तां विदुः कलहप्रियाम्।
भूमिं न स्पृशते यस्याः खादते सा पतिद्वयम्॥११-२४॥

अर्थात्–जिस स्त्री की अनामिका अँगुली छोटी हो, वह कलहकारिणी होती है, और जिसकी वह अँगुली भूमि पर न टिकती हो वह अपने[१०३] दो पतियों को खाती है–उसके कम से कम दो विवाह जरूर होते हैं और वे दोनों ही विवाहित पति मर जाते हैं।

भट्टारकजी के इस नियम विधान से यह साफ जाहिर है कि जैन समाज में ऐसी भी कन्याएँ पैदा होती हैं जो अपने शारीरिक लक्षणों के कारण एक पति के मरने पर दूसरा विवाह करने के लिये मजबूर होती हैं, तभी वे दो पतियों को खाकर इस नियम को सार्थक कर सकती हैं–और एक पति के मरने पर स्त्री का जो दूसरा विवाह किया जाता है वही विधवा विवाह कहलाता है। इसलिये समाज में नहीं नहीं समाज की प्रत्येक जाति में-विधवा विवाह का होना अनिवार्य ठहरता है, क्योंकि शारीरिक लक्षणों पर किसी का वश नहीं और यह नियम समाज में पुनर्विवाह की व्यवस्था को माँगता है। अन्यथा भट्टारकजी का यह नियम ही चरितार्थ नहीं हो सकता, वह निरर्थक हो जाता है और दूसरे स्थान पर भट्टारकजी ने 'शूद्रा पुनर्विवाहमण्डने' आदि वाक्य के द्वारा यह स्पष्ट घोषणा की है कि ''शूद्रा के-शूद्र जाति की जैन स्त्री के-पुनर्विवाह के समय स्त्री को पति के दाहिनी ओर बिठलाना चाहिए'' जिससे यह भी ध्वनि निकलती है कि अशूद्रा अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जाति की जैन स्त्रियों के पुनर्विवाह के समय वैसा नहीं होना चाहिए। वे बायीं और बिठाई जानी चाहिए। अस्तु आपका वह पूरा वाक्य इस प्रकार है–

१०३.भट्टारकजी का यह 'दो पतियों को खाती है' वाक्य प्रयोग कितना अशिष्ट और असंयत भाषा को लिये हुए है उसे बतलाने की जरूरत नहीं। जब 'मुनीन्द्र' कहलाने वाले ही ऐसी मर्मविदारक निन्द्य भाषा का प्रयोग करते हैं तब किसी लड़की के विधवा होने पर उसकी सास यदि यह कहती है कि 'तूने मेरा लाल खा लिया' तो इसमें आश्चर्य ही क्या है यह सब विधवाओं के प्रति अशिष्ट व्यवहार है।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

''गर्भाधाने पुंसवने सीमन्तोन्नयने तथा।
वधू प्रवेशने शूद्रा पुनर्विवाहमण्डने॥
पूजने कुलदेव्याश्च कन्यादाने तथैव च।
कर्मस्वेतेषु वै भार्यां दक्षिणे तूपवेशयेत्॥ ८वाँ अध्याय ॥११६-११७॥

इस वाक्य के 'शूद्रा पुनर्विवाहमण्डने' पद को देखकर सोनीजी कुछ बहुत ही चकित तथा विचलित हुए मालूम होते हैं, उन्हें इसमें मूर्तिमान विधवाविवाह अपना मुँह बाए हुए नजर आया है और इसलिये उन्होंने उसके निषेध में अपनी सारी शक्ति खर्च कर डाली है। वे चाहते तो इतना कहकर छुट्टी पा सकते थे कि इसमें विधवा के पुनर्विवाह का उल्लेख नहीं किन्तु महज शूद्रा के पुनर्विवाह का उल्लेख है, जो सधवा हो सकती है। परन्तु किसी तरह का सधवापुनर्विवाह भी आपको इष्ट नहीं था, आप दोनों में कोई विशेष अन्तर नहीं देखते थे और शायद यह भी समझते हों कि सधवा विवाह के स्वीकार कर लेने पर विधवा विवाह के निषेध में फिर कुछ बल ही नहीं रह जाता और विधवा विवाह का निषेध करना आपको खास तौर से इष्ट था, इसलिये उक्त पद में प्रयुक्त हुए 'पुनर्विवाह' को 'विधवाविवाह' मान कर ही आपने प्रकारान्तर से उसके निषेध की चेष्टा की है। इस चेष्टा में आपको शूद्रों के सत्, असत् भेदादि रूप से कितनी ही इधर उधर की कल्पनाएँ करनी और निरर्थक बातें लिखनी पड़ीं–मूल ग्रन्थ से बाहर का आश्रय लेना पड़ा, परन्तु फिर भी आप यह सिद्ध नहीं कर सके कि भट्टारकजी ने विधवा विवाह का सर्वथा निषेध किया है। आपको अपनी कल्पना के अनुसार इतना तो स्वीकार करना ही पड़ा कि इस पद में असत् शूद्रा की विधवा विवाह विधि का उल्लेख है हालाँकि मूल में 'शूद्रा' शब्द के साथ 'असत्' विशेषण लगा हुआ नहीं है, वह शूद्रा मात्र का वाचक है। अस्तु आपने 'सोमदेवनीति' (नीतिवाक्यामृत) के जिस वाक्य के आधार पर अपनी कल्पना गढ़ी है वह इस प्रकार है–

सकृत्परिणयनव्यवहाराः सच्छूद्राः।

इस वाक्य पर संस्कृत की जो टीका मिलती है और उसमें समर्थन के तौर पर जो वाक्य उद्धृत किया गया है उससे तो इस वाक्य का आशय यह मालूम होता है कि ''जो भले शूद्र होते हैं वे एक बार विवाह करते हैं– विवाह के ऊपर या, पश्चात् दूसरा विवाह नहीं करते'' और इससे यह जान पड़ता है कि इस वाक्य द्वारा शूद्रों के बहुविवाह का नियंत्रण किया गया है। अथवा यों कहिये कि त्रैवर्णिक पुरुषों को बहुविवाह का जो स्वयंभू अधिकार प्राप्त है उससे बेचारे शूद्र पुरुषों को वंचित रखा गया है। यथा–

''**टीका–** ये सच्छूद्राः शोभन शूद्रा भवन्ति ते सकृत्परिणयना एकवारं कृतविवाहाः, द्वितीयं न कुर्वन्तीत्यर्थः। तथा च हारीतः– 'द्विभार्यो योऽत्र शूद्रः स्याद् वृषलः स हि विश्रुतः। महत्त्वं तस्य नो भावि शूद्रजातिसमुद्भवः॥''

इसके सिवाय, सोनीजी ने खुद पद्य नं० १७६ में, प्रयुक्त हुए 'पुनरुद्वाहं' का अर्थ स्त्री का

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

पुनर्विवाह न करके पुरुष का पुनर्विवाह सूचित किया है, जहाँ कि यह बनता ही नहीं। ऐसी हालत में मालूम नहीं फिर किस आधार पर आपने सोमदेवनीति के उक्त वाक्य का आशय स्त्री के एक बार विवाह से निकाला है? अथवा बिना किसी आधार के जहाँ जैसा मतलब निकालना हुआ वहाँ वैसा अर्थ कर देना ही आपको इष्ट रहा है? यदि सोमदेवजी की नीति का ही प्रमाण देखना था तो उसमें तो साफ लिखा है–

विकृतपत्यूढाऽपि पुनर्विवाहमर्हतीति स्मृतिकाराः।

अर्थात्–जिस विवाहिता स्त्री का पति विकारी हो- या जो सदोष पति के साथ विवाही गई हो–वह भी पुनर्विवाह करने की अधिकारिणी है, अपने उस विकृत पति को छोड़कर या तलाक देकर दूसरा विवाह कर सकती है–ऐसा स्मृतिकारों का–धर्मशास्त्र के रचयिताओं का–मत है (जिससे सोमदेवजी भी सहमत हैं–तभी उसका निषेध नहीं किया)।

यहाँ 'अपि' (भी) शब्द के प्रयोग से यह भी साफ ध्वनित हो रहा है कि यह वाक्य महज सधवा के पुनर्विवाह की ही नहीं किन्तु विधवा के पुनर्विवाह की भी विधि को लिये हुए है। स्मृतिकारों ने दोनों का ही विधान किया है।

इस सूत्र की मौजूदगी में 'सकृत्परिणयनव्यवहाराः सच्छूद्राः' सूत्र पर से यह नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि ''शूद्रों के सत् शूद्र होने का हेतु उनके यहाँ स्त्रियों के पुनर्विवाह का न होना है और इसलिये त्रैवर्णिकों के लिये पुनर्विवाह की विधि नहीं बनती, जो करते हैं वे सच्छूद्रों से भी गये बीते हैं। इतने पर भी सोनीजी वैसा नतीजा निकालने की चेष्टा करते हैं यह आश्चर्य है! फिर यहाँ तक लिखते हैं कि 'जैनागम में ही नहीं, बल्कि ब्राह्मण सम्प्रदाय के आगम में भी विधवाविवाह की विधि नहीं कही गई है।'' इससे सोनीजी का ब्राह्मणग्रन्थों से ही नहीं किंतु जैन ग्रन्थों से भी खासा अज्ञान पाया जाता है–उन्हें ब्राह्मण सम्प्रदाय के ग्रन्थों का ठीक पता नहीं, नाना मुनियों के नाना मत मालूम नहीं और न अपने घर की ही पूरी खबर है। उन्होंने विधवा विवाह के निषेध में मनु का जो 'न विवाहविधावुक्तं विधवावेदनं पुनः' उद्धृत किया है वह उनकी नासमझी का द्योतक है। पद्य के इस उत्तरार्द्ध में, जिसका पूर्वार्द्ध है 'नोद्वाहिकेषु मंत्रेषु नियोगः कीर्त्यते क्वचित्' 'विधवावेदनं' पद अपने पूर्वापरसम्बन्ध से 'नियोग' का वाचक है–संतानोत्पत्ति के लिये विधवा के अस्थायी ग्रहण कर सूचक है और इसलिये उक्त वाक्य का आशय सिर्फ इतना ही है कि ''विवाह विधि में नियोग नहीं होता, नियोग विधि में नियोग होता है'', दोनों की नीति और पद्धति भिन्न-भिन्न हैं। अन्यथा, मनुजी ने उसी अध्याय में परित्यक्ता (तलाक दी हुई) और विधवा दोनों के लिये पुनर्विवाह संस्कार की व्यवस्था की है, जैसा कि मनुस्मृति के निम्न वाक्यों से प्रकट है–

या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वेच्छया।
उत्पादयेत्पुनर्भूत्वा स पौनर्भव उच्यते॥१७५॥
सा चेदक्षतयोनिः स्याद्गतप्रत्यागतापि वा।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

पौनर्भवेन भर्त्रा सा पुनः संस्कारमर्हति॥१७६॥

'वशिष्ठस्मृति' में भी लिखा है कि जो स्त्री अपने नपुंसक, पतित या उन्मत्त भर्तार को छोड़कर अथवा पति के मर जाने पर दूसरे पति के साथ विवाह करती है वह 'पुनर्भू' कहलाती है। साथ ही, यह भी बतलाया है कि पाणिग्रहण संस्कार हो जाने के बाद पति के मर जाने पर यदि वह मंत्रसंस्कृता स्त्री अक्षतयोनि हो–पति के साथ उसका संभोग न हुआ हो तो उसका फिर से विवाह होना योग्य है। यथा–

''या क्लीवं पतितमुन्मत्तं वा भर्तारमुत्सृज्यान्यं
पतिं विन्दते मृते वा सा पुनर्भूर्भवति॥
''पाणिग्रहे मृते बाला केवलं मंत्रसंस्कृता।
सा चेदक्षतयोनिः स्यात्पुनः संस्कारमर्हति॥

–१७ वाँ अध्याय

इसी तरह पर 'नारद स्मृति' आदि के और कौटिल्य अर्थशास्त्र के भी कितने ही प्रमाण उद्धृत किये जा सकते हैं। 'पराशर स्मृति' का वाक्य पहले उद्धृत किया ही जा चुका है। सोनीजी को यदि अपने घर की ही खबर होती तो वे 'सोमदेव नीति' से नहीं तो आचार्य अमितगति की 'धर्म परीक्षा' पर से ब्राह्मण ग्रन्थों का हाल मालूम कर सकते थे और यह जान सकते थे कि उनके आगम में विधवा-विवाह का विधान है। धर्मपरीक्षा का वह 'पत्यौ प्रव्रजिते' वाक्य ब्राह्मणों की विधवाविवाह-विधि को प्रदर्शित करने के लिये ही लिखा गया है, जैसा कि उससे पूर्व के निम्न वाक्य से प्रकट है–

तैराक्तं विधवां क्वापि त्वं संगृह्य सुखी भव।
नोभयोर्विद्यते दोष इत्युक्तस्तापसागमे॥११-११॥

धर्मपरीक्षा के चौदहवें परिच्छेद में भी हिंदुओं के स्त्री पुनर्विवाह का उल्लेख है और उसे स्पष्ट रूप से 'व्यासादीनामिदं वचः' के साथ उल्लेखित किया गया है, जिसमें से विधवा विवाह का पोषक एक वाक्य इस प्रकार है–

एकदा परिणीताऽपि विपन्ने दैवयोगतः।
भर्तर्यक्षतयोनिः स्त्री पुनः संस्कारमर्हति॥३८॥

अतः सोनीजी का उक्त लिखना उनकी कोरी नासमझी तथा अज्ञता को प्रकट करता है। और इसी तरह उनका यह लिखना भी मिथ्या ठहरता है कि ''विवाह-विधि में सर्वत्र कन्या विवाह ही बतलाया गया है''। बल्कि यह भट्टारकजी के 'शूद्रापुनर्विवाहमण्डने' वाक्य के भी विरुद्ध पड़ता है, क्योंकि इस वाक्य से जिस शूद्रा के पुनर्विवाह का उल्लेख है उसे सोनीजी ने 'विधवा' स्वीकृत किया है, भले ही उनकी दृष्टि में वह असत् शूद्रा ही क्यों न हों, विधवा और विवाह का योग तो हुआ।

यहाँ पर मुझे विधवा विवाह के औचित्य या अनौचित्य पर विचार करना नहीं है और न उस

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

दृष्टि को लेकर मेरा यह विवेचन[१०४] है। मेरा उद्देश्य इसमें प्रायः इतना ही है कि भट्टारकजी के पुनर्विवाह विषयक कथन को अपने अनुकूल न पाकर अथवा कुछ लोकविरुद्ध समझकर उस पर पर्दा डालने और भ्रम फैलाने की जो जघन्य चेष्टा की गई है उसका नग्न दृश्य सबके सामने उपस्थित कर दिया जाये, जिससे वह पर्दा उठ जाये और भोले भाइयों को भी भट्टारकजी का कथन अपने असली रूप में दृष्टिगोचर होने लगे, फिर भले ही वह उनके अनुकूल हो या प्रतिकूल। और इसलिये मुझे इतना और भी बतला देना चाहिए कि सोनीजी ने जो यह प्रतिपादन किया है कि ''ग्रन्थकार ने विधवा के लिये तेरहवें अध्याय में दो मार्ग बतलाये हैं– एक जिनदीक्षाग्रहण करना और दूसरा वैधव्यदीक्षा लेना, तीसरा विधवा-विवाह नाम का मार्ग नहीं बतलाया'' और उस पर ये यह नतीजा निकाला है कि ''ग्रन्थकार का आशय विधवाविवाह के अनुकूल नहीं है, होता तो वे वहीं पर विधवाविवाह नाम का एक तीसरा मार्ग और बतला देते'', उसमें भी कुछ सार नहीं है, वह भी असलियत पर पर्दा डालने की ही एक चेष्टा है। तेरहवें अध्याय में जिस पद्य द्वारा जिनदीक्षा अथवा वैधव्यदीक्षा के विकल्प रूप से ग्रहण करने की व्यवस्था की गई है उसमें उत, स्वित् और वा अव्ययों के साथ 'श्रेयान्' पद पड़ा हुआ है[१०५] और वह इस बात को स्पष्ट बतला रहा है कि दोनों प्रकार की दीक्षा में से किसी एक का ग्रहण उसके लिये श्रेष्ठ है, अतिउत्तम है। यह नहीं कहा गया कि इनमें से किसी एक का ग्रहण उसके लिये लाजिमी है अथवा इस प्रकार के दीक्षा ग्रहण से भिन्न दूसरा या तीसरा कोई मध्यम मार्ग उसके लिये है ही नहीं। मध्यम मार्ग जरूर है और उसे भट्टारकजी ने आठवें तथा ग्यारहवें अध्याय में 'पुनर्विवाह' के रूप में सूचित किया है। और इसलिये उसे दुबारा यहाँ लिखने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर जो उत्कृष्ट मार्ग रह गया था उसी का समुच्चय किया गया है और इसलिये यदि कोई विधवा जिनदीक्षा धारण न कर सके और वैधव्यदीक्षा के योग्य देशव्रत का ग्रहण, कण्ठसूत्र और कर्णभूषण आदि सम्पूर्ण आभूषणों का त्याग, शरीर पर सिर्फ दो वस्त्रों का धारण, खाट पर शयन तथा अंजन और लेप का त्याग, शोक तथा रुदन और विकथाश्रवण की निवृत्ति, प्रातःस्नान, आचमन, प्राणायाम और तर्पणा की नित्य प्रवृत्ति, तीनों समय देवता का स्तोत्रपाठ, द्वादशानुप्रेक्षा का चिन्तन, ताम्बूलवर्जन और लोलुपतारहित एक बार भोजन, ऐसे उन सब नियमों का पालन करने के लिये समर्थ न होवे जिन्हें भट्टारकजी ने, 'सर्वमेतद्विधीयते' जैसे वाक्य के साथ, वैधव्यदीक्षा प्राप्त स्त्री के लिये आवश्यक बतलाया है, तो वह विधवा भट्टारकजी के उस पुनर्विवाह मार्ग का अवलम्बन लेकर यथाशक्ति श्रावकधर्म का पालन कर सकती है, ऐसा भट्टारकजी के इस उत्कृष्ट कथन का पूर्व कथन के साथ आशय और सम्बन्ध जान पड़ता है। 'पाराशरस्मृति' में भी विधवा के लिये पुनर्विवाह की उस व्यवस्था के बाद, उसके ब्रह्मचारिणी रहने आदि को सराहा है, लिखा है कि ''जो स्त्री पति के मर

१०४.औचित्यानौचित्य विचार की उस दृष्टि से एक जुदा ही वृहत् निबन्ध लिखा जाने की जरूरत है, जिसके लिये मेरे पास अभी समय नहीं है।

१०५. यथा– विधवायास्ततो नार्या जिनदीक्षासमाश्रयः। श्रेयानुतस्विद्वैधव्यदीक्षा वा गृह्यते तदा॥१९८॥

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

जाने पर ब्रह्मचर्यव्रत में स्थिर रहती है, वैधव्यदीक्षा को धारण करके दृढ़ता के साथ उसका पालन करती है, वह मरकर ब्रह्मचारियों की तरह स्वर्ग में जाती है। और जो पति के साथ ही सती हो जाती है वह मनुष्य के शरीर में जो साढ़े तीन करोड़ बाल हैं उतने वर्ष तक स्वर्ग में वास करती है।'' यथा–

मृते भर्तरि या नारी ब्रह्मचर्यव्रते स्थिता।
सा मृता लभते स्वर्गं यथा ते ब्रह्मचारिणः॥३१॥
तिस्त्रः कोट्योर्धकोटी च यानि लोमानि मानवे।
तावत्कालं वसेत्स्वर्गे भर्तारं याऽनुगच्छति॥३२॥

पाराशरस्मृति के इन वाक्यों को पूर्ववाक्यों के साथ पढ़ने वाला कोई भी सहृदय विद्वान् जैसे इन वाक्यों पर से यह नतीजा नहीं निकाल सकता कि पाराशर जी ने विधवा विवाह का निषेध किया है उसी तरह पर भट्टारकजी के उक्त वाक्य पर से भी कोई समझदार यह नतीजा नहीं निकाल सकता कि भट्टारकजी ने विधवा-विवाह का सर्वथा निषेध किया है। उस वाक्य का पूर्वकथन सम्बन्ध से इतना ही आशय जान पड़ता है कि जो विधवा जिनदीक्षा अथवा वैधव्यदीक्षा धारण कर सके तो वह बहुत अच्छा है, अभिनन्दनीय है, अन्यथा विधुरों की तरह साधारण गृहस्थ का मार्ग उसके लिये भी खुला हुआ है ही।

अब मैं उस आवरण को भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ जो पुनर्विवाह विषयक पद्य नं० १७४, १७५ और १७६ पर डाला गया है और जिसके नीचे उस सत्य को छिपाने की चेष्टा की गई है जिसका उल्लेख ऊपर उन पद्यों के साथ किया जा चुका है, भले ही लेखक कितने ही अंशों में भट्टारकजी के उस कथन से सहमत न हो अथवा अनेक दृष्टियों से उसे आपत्ति के योग्य समझता हो।

इस विषय में सबसे पहले में यह बतला देना चाहता हूँ कि इन पद्यों को, आगे पीछे के तीन और पद्यों सहित, 'अन्यमत' के श्लोक बतलाया गया है और उसकी एक पहचान इन पद्यों के शुरु में 'अथ विशेषः' शब्दों का होना बतलाई गई है, जैसा कि पण्डित पन्नालाल जी सोनी के एक दूसरे लेख के निम्न वाक्य से प्रकट है, जो 'सत्यवादी' के छठे भाग के अंक नंबर २-३ में प्रकाशित हुआ है–

''भट्टारक महाराज अपने ग्रन्थ में जैनमत का वर्णन करते हुए अन्य मतों का भी वर्णन करते गये हैं, जिसकी पहचान के लिये अथ विशेष, अन्यमतं, परमतं, स्मृतिवचनं और इति परमत स्मृतिवचनं इत्यादि शब्दों का उल्लेख किया है।''

यद्यपि मूल ग्रन्थ को पढ़ने से ऐसा मालूम नहीं होता उसके 'अन्यमतं' 'परमंत' जैसे शब्द दूसरे जैनाचार्यों के मत की ओर इशारा करते हुए जान पड़ते हैं और न अब इस परीक्षा को पढ़ जाने के बाद कोई यह कहने की हिम्मत कर सकता है कि इस ग्रन्थ में जिन वाक्यों के साथ 'अथ विशेषः' 'अन्यमतं' अथवा 'परमतं' जैसे शब्द लगे हुए हैं वे ही जैनमत से बाहर के श्लोक हैं, बाकी और सब जैनमत के ही श्लोकों का इसमें संग्रह है, क्योंकि ऐसे चिह्नों से रहित दूसरे पचासों श्लोकों को

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

अजैनमत के सिद्ध किया जा चुका है और सैकड़ों को और भी सिद्ध किया जा सकता है। फिर भी यदि यह मान लिया जाये कि ये श्लोक अजैनमत के ही हैं तो उससे नतीजा? दूसरे मत के श्लोकों का उद्धरण प्रायः दो दृष्टियों से किया जाता है, अपने मत को पुष्ट करने अथवा दूसरों के मत का खण्डन करने के लिये। यहाँ पर उक्त श्लोक दोनों में से एक भी दृष्टि को लिये हुए नहीं है–वे वैसे ही (स्वयं रचकर या अपनाकर) ग्रन्थ का अंग बनाये गये हैं। और इसलिये उनके अजैन होने पर भी भट्टारकजी की जिम्मेदारी तथा उनके प्रतिपाद्य विषय का मूल्य कुछ कम नहीं हो जाता। अतः उन पर अन्य मत का आवरण डालने की चेष्टा करना निरर्थक है। इसके सिवाय सोनीजी ने अपने उस लेख में कई जगह बड़े दर्प के साथ इन सब श्लोकों को 'मनुस्मृति' का बतलाया है और यह उनका सरासर झूठ है। सारी मनुस्मृति को टटोल जाने पर भी उसमें इनका कहीं पता नहीं चलता। जो लोग अपनी बात को ऊपर रखने और दूसरों की आँखों में धूल डालने की धुन में इतना मोटा और साक्षात् झूठ लिख जाने तक की धृष्टता करते हैं वे अपने विरुद्ध सत्य पर पर्दा डालने के लिये जो भी चेष्टा न करें सो थोड़ा है। ऐसे अटकलपच्चू और गैर जिम्मेदाराना तरीके से लिखने वालों के वचन का मूल्य भी क्या हो सकता है? इसे पाठक स्वयं समझ सकते हैं।

इन्हीं सोनीजी ने चतुर्थी कर्म-विषयक सारे पूर्व कथन पर पानी फेरकर १७४वें पद्य में प्रयुक्त हुए 'चतुर्थीमध्ये' पद का अर्थ अपने उस लेख में, 'चौथी पदी' किया है और उस पर यहाँ तक जोर दिया है कि इसका अर्थ ''चौथी पदी ही करना पड़ेगा'', ''चौथी पदी ही होना चाहिए'', ''मराठी टीकाकार ने भी भूल की है''।[१०६] परन्तु अपनी अनुवाद पुस्तक में जो अर्थ दिया है वह इससे भिन्न है। मालूम होता है बाद में आपको पंचांगविवाह के चौथे अंग (पाणिग्रहण) का कुछ ख्याल आया और वहाँ चतुर्थी के सत्यार्थ पर पर्दा डालने के लिये अधिक उपयोगी जँचा है! इसलिये आपने अपने उक्त वाक्यों और उनमें प्रयुक्त हुए 'ही' शब्द के महत्त्व को भुलाकर, उसे ही चतुर्थी का वाक्य बना डाला!! बाकी 'दत्ताम्, पद का वही गलत अर्थ 'वाग्दान में दी हुई' कायम रखा है, जैसा कि पूरे पद्य के आपके निम्न अनुवाद से प्रकट है–

''पाणिपीडन नाम की चौथी क्रिया में अथवा सप्तपदी से पहले वर में जातिच्युतरूप, हीनजातिरूप या दुराचरणरूप दोष मालूम हो जायें तो वाग्दान में दी हुई कन्या को उसका पिता किसी दूसरे श्रेष्ठ जाति आदि गुणयुक्त वर को देवे, ऐसा बुद्धिमानों का मत है।''

पूर्वकथन सम्बन्ध को सामने रखते हुए, जो ऊपर दिया गया है, इस अनुवाद पर से यह मालूम नहीं होता कि सोनीजी को 'चतुर्थीकर्म' का परिचय नहीं था और इसलिये 'चतुर्थीमध्ये' तथा 'दत्ताम्' पदों का अर्थ उनके द्वारा भूल से गलत प्रस्तुत किया गया है, बल्कि यह साफ जाना जाता है कि उन्होंने जानबूझकर, विवाहिता स्त्रियों के पुनर्विवाह पर पर्दा डालने के लिये, उक्त पदों के प्रकृत और प्रकरणसंगत अर्थ को बदलने की चेष्टा की है। अन्यथा, 'दत्ताम्' का 'वाग्दान में दी हुई' अर्थ तो किसी

१०६.मराठी टीकाकार पं० कल्लाप्पा भरमाप्पा निटवे ने ''चवथ्या दिवशीचें कृत्य होण्याच्या पूर्वीच'' अर्थ दिया है।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

तरह भी नहीं बन सकता था, क्योंकि चतुर्थी के सोनीजी द्वारा आविष्कृत अर्थानुसार भी जब विवाह कार्य पाणिग्रहण की अवस्था तक पहुँच जाता है तब कन्यादान तो 'प्रदान' नाम की दूसरी क्रिया में ही हो जाता है और उस वक्त वह कन्या 'कन्या' न रहकर 'वधू' तथा पाणिग्रहण के अवसर पर 'पत्नी' बन जाती है।[१०७] फिर भी सोनीजी को उसे ''वाग्दान में दी हुई कन्या'' लिखना और अन्यत्र यह प्रतिपादन करना कि ''विवाह कन्या का ही होता है'' छल नहीं तो और क्या है? आपका यह छल याज्ञवल्क्यस्मृति के एक टीका वाक्य के अनुवाद में भी जारी रहा है और उसमें भी अपने 'वाग्दान में दी हुई कन्या' जैसे अर्थों को अपनी तरफ से लाकर घुसेड़ा है। इसके सिवाय उक्त स्मृति के ''दत्वा कन्या हरन् दण्ड्यो व्ययं दधाच्च सोदयं'' को उसी (विवाह) प्रकरण का बतलाया है, जिसका कि 'दत्तामपि हरेत्पूर्वाच्छ्रेयांश्चेद्वर आव्रजेत्' वाक्य है, हालांकि वह वाक्य भिन्न अध्याय के भिन्न प्रकरण (दाय भाग) का है तथा वाग्दत्ताविषयक स्त्रीधन के प्रसंग को लिये हुए है और इसलिये उसे उद्धृत करना ही निरर्थक था। दूसरा वाक्य जो उद्धृत किया गया है उससे भी कोई समर्थन नहीं होता, न उसमें 'चतुर्थी मध्ये' पद पड़ा हुआ है और न 'दत्ताम्' का अर्थ टीका में ही 'वाग्दत्ता' किया गया है। बाकी टीका के अंत में जो 'एतच्च सप्तमपदात्प्राग्द्रष्टव्यम्' वाक्य दिया है वह मूल से बाहर की चीज है, मूल के किसी शब्द से सम्बन्ध नहीं रखती, उसे टीका की अपनी राय अथवा टीकाकार की खींचातानी कहना चाहिए। अन्यथा, याज्ञवल्क्यस्मृति में खुद उसके बाद ''अक्षता च क्षता चैव पुनर्भूः संस्कृता पुनः'' आदि वाक्य के द्वारा अन्यपूर्वा स्त्री के भेदों में 'पुनर्भू' स्त्री का उल्लेख किया है और उसे 'पुनः संस्कृता' लिखकर पुनर्विवाह की अधिकारिणी प्रतिपादन किया है। साथ ही, उसके क्षतयोनि (पूर्व पति के साथ संगम को प्राप्त हुई) और अक्षतयोनि (संस्कार मात्र को प्राप्त हुई) ऐसे दो भेद किये हैं। पुनर्भू का विशेष स्वरूप 'मनुस्मृति' और 'वशिष्ठ स्मृति' के उन वाक्यों से भी जाना जा सकता है जो ऊपर उद्धृत किये जा चुके हैं। ऐसी हालत में सोनीजी का अपने अर्थ को (ब्राह्मण) सम्प्रदाय के अविरुद्ध बतलाना और दूसरों के अर्थ को विरुद्ध ठहराना कुछ भी मूल्य नहीं रखता, वह प्रलापमात्र जान पड़ता है।[१०८]

१०७.जैसा कि 'आप्रदानात् भवेत्कन्या' नाम के उस वाक्य से प्रकट है जो इस प्रकरण के शुरू में उद्धृत किया जा चुका है। हाँ, सोनीजी ने अपने उस लेख में लिखा है कि ''तीनपदी तक कन्या संज्ञा रहती है पश्चात् चौथीपदी में उसकी कन्या संज्ञा दूर हो जाती है''। यह लिखना भी आपका शायद वैसा ही अटकलपच्चू और बिना सिर पैर का जान पड़ता है जैसा कि उन श्लोकों को मनुस्मृति के बतलाना।

१०८. ब्राह्मण सम्प्रदाय के वशिष्ठ ऋषि तो साफ लिखते हैं कि कन्या यदि किसी ऐसे पुरुष को दान कर दी गई है जो कुल शील से विहीन हो, नपुंसक हो, पतित हो, रोगी हो, विधर्मी हो या वेशधारी हो, अथवा सगोत्री के साथ विवाह दी गई हो तो उसका हरण करना चाहिए- और इस तरह पर उस पूर्व विवाह को रद्द करना चाहिए। यथा–''कुलशील विहीनस्य षण्डादि पतितस्य च। अपस्मारि विधर्मस्य रोगिणां वेशधारिणाम्॥ दत्तामपि हरेत्कन्यां सगोत्रोढां तथैव च॥'' (शब्दकल्पद्रुम)

इस वाक्य में प्रयुक्त 'सगोत्रोढां (समान गोत्री से विवाही हुई) पद 'दत्तां' पद पर अच्छा प्रकाश डालता है और उसे 'विवाहिता' सूचित करता है। सोमदेव ने भी अपने उस 'विकृतपत्यूढा' नामक वाक्य में स्मृतिकारों का जो मत उद्धृत किया है उसमें उस पुनर्विवाहयोग्य स्त्री को 'ऊढा' ही बतलाया है जिसका अर्थ होता है 'विवाहिता'।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

इसी तरह पर १७५वें पद्य में प्रयुक्त हुए 'दत्तां' पद का अर्थ भी 'वाग्दत्ता कन्या' गलत किया गया है, जो पूर्वोक्त हेतु से किसी तरह भी वहाँ नहीं बनता। इसके सिवाय, 'पतिसंगादधः' का अर्थ आपने ''पति के साथ संगम संभोग हो जाने के पश्चात्'' न करके, ''पाणिपीडन से पहले'' किया है, 'पतिसंग' को 'पाणिग्रहण' बतलाया है और 'अधः' का अर्थ 'पहले' किया है। साथ ही, 'प्रवरैक्यादिदोषाः' के अर्थ में 'दोषाः' का अर्थ छोड़ दिया है और आदि को 'ऐक्य' के बाद न रखकर उसके पहले रखा है, जिससे कितना ही अर्थ-दोष उत्पन्न हो गया है। इस तरह से सोनीजी ने इन पदों के उस समुचित अर्थ को बदलकर, जो शुरू में दिया गया है, एक क्षतयोनि स्त्री के पुनर्विवाह पर पर्दा डालने की चेष्टा की है। परन्तु इस चेष्टा से उस पर पर्दा नहीं पड़ सकता। 'पतिसंग' का अर्थ यहाँ 'पाणिपीडन' करना विडम्बना मात्र है और उसका कहीं से भी समर्थन नहीं हो सकता। 'संग' और 'संगम' दोनों एकार्थवाचक शब्द हैं और वे स्त्री पुरुष के मिथुनीभाव को सूचित करते हैं (संगमः, संगः स्त्रीपुंसोर्मिथुनी भावः) जिसे संभोग भी कहते हैं। शब्दकल्पद्रुम में इसी आशय को पुष्ट करने वाला प्रयोग का एक अच्छा उदाहरण दिया है जो इस प्रकार है–

अम्बिका च यदा स्नाता नारी ऋतुमती तदा।
संगं प्राप्य मुनेः पुत्रमसुतान्धं महाबलम्॥

'अधः' शब्द 'पूर्व' या 'पहले' अर्थ में कभी व्यवहृत नहीं होता परन्तु 'पश्चात्' अर्थ में वह व्यवहृत जरूर होता है, जैसा 'अधोभक्तं' पद से जाना जाता है जिसका अर्थ है ''भोजनान्तं पीयमानं जलादिकं'' भोजन के पश्चात् पीये जाने वाले जलादिक और इसलिये सोनीजी ने 'पतिसंगादधः' का जो अर्थ 'पाणिपीड़न से पहले' किया है वह किसी तरह भी नहीं बन सकता। पाणिपीड़न नामक संस्कार से पहले तो 'पति' संज्ञा की प्राप्ति भी नहीं होती, वह सप्तपदी के सातवें पद में जाकर होती है। जैसा कि पूर्व में उद्धृत 'नोदकेन' पद्य के 'पतित्त्वं सप्तमे पदे' वाक्य से प्रकट है। जब 'पति' ही नहीं तो फिर 'पतिसंग' कैसा? परन्तु यहाँ 'पतिसंगात्' पद साफ पड़ा हुआ है। इसलिये वह सप्तपदी के बाद की संभोगावस्था को ही सूचित करता है। उस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता।

अब रहा गालव के उल्लेख वाला १७६वाँ पद्य, इसके अनुवाद में सोनीजी ने और भी गजब ढाया है और सत्य का बिल्कुल ही निर्दयता के साथ गला मरोड़ डाला है!! आप जानते थे कि स्त्री के पुनर्विवाह का प्रसंग चल रहा है और पहले दोनों पद्यों में उसी का उल्लेख है। साथ ही, यह समझते थे कि इन पद्यों में प्रयुक्त हुए 'दत्तां' 'पुनर्दद्यात्' जैसे सामान्य पदों का अर्थ तो जैसे तैसे 'वाग्दान में दी हुई' आदि करके, उनके प्रकृत अर्थ पर कुछ पर्दा डाला जा सकता है और उसके नीचे पुनर्विवाह को किसी तरह छिपाया जा सकता है परन्तु इस पद्य में तो साफ तौर पर 'पुनरुद्वाहं' पद पड़ा हुआ है, जिसका अर्थ 'पुनर्विवाह' के सिवाय और कुछ होता ही नहीं है और वह कथन क्रम से स्त्रियों के पुनर्विवाह का ही वाचक है, इसलिये उस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। चुनाँचे आपने अपने उसी लेख में जो 'जातिप्रबोधक' में प्रकाशित बाबू सूरजभानजी के लेख की समीक्षारूप से लिखा गया था,

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

बाबू सूरजभान जी प्रतिपादित इस पद्य के अनुवाद पर और उसके इस निष्कर्ष पर कि यह श्लोक स्त्रियों के पुनर्विवाह विषय को लिये हुए है कोई आपत्ति नहीं की थी। प्रत्युत इसके लिख दिया था–

''आगे चलकर गालव महाशय के विषय में जो आपने लिखा है वह भी ठीक नहीं है क्योंकि वे महाशय जैन नहीं हैं। किसी दिगम्बर जैन ऋषि का प्रमाण देकर पुनर्विवाह सिद्ध करते तो अच्छा होता। ... यह कहा जा चुका है कि १७१ से १७६ तक के श्लोक दिगम्बर जैन ऋषि प्रणीत नहीं हैं, मनुस्मृति के हैं।''

इससे जाहिर है कि सोनीजी इस श्लोक पर से स्त्रियों के पुनर्विवाह की सिद्धि जरूर मानते थे परन्तु उन्होंने उसे अजैन श्लोक बतलाकर उसका तिरस्कार कर दिया था। अब इस अनुवाद के समय आपको अपने उस तिरस्कार की निःसारता मालूम पड़ी और यह जान पड़ा कि वह कुछ भी कार्यकारी नहीं है। इसलिये आपने और भी अधिक निष्ठुरता धारण करके, एक दूसरी नई तथा विलक्षण चाल चली और उसके द्वारा बिल्कुल ही अकल्पित अर्थ कर डाला! अर्थात् इस पद्य को स्त्रियों के पुनर्विवाह की जगह पुरुषों के पुनर्विवाह का बना डाला!! इस कपटकला, कूटलेखकता और अनर्थ का भी कहीं कुछ ठिकाना है!!! भला कोई सोनीजी से पूछे कि 'कलौ तु पुनरुद्वाहं वर्जयेत्' का अर्थ जो आपने ''कलियुग में एक धर्मपत्नी के होते हुए दूसरा विवाह न करे'' दिया है उसमें 'एक धर्मपत्नी के होते हुए' यह अर्थ मूल के कौन से शब्दों का है अथवा पूर्व पद्यों के किन शब्दों पर से निकाला गया है तो इसका आप क्या उत्तर देंगे? क्या 'हमारी इच्छा' अथवा यह कहना समुचित होगा कि पुरुषों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिये स्त्री के मर जाने पर भी वे कहीं इस मतानुसार पुनर्विवाह के अधिकार से वंचित न हो जायें इसलिये हमने अपनी और से ऐसा कर दिया है? कदापि नहीं। वास्तव में, आपका यह अर्थ किसी तरह भी नहीं बनता और न कहीं से उसका समर्थन ही होता है। आपने एक 'भावार्थ' लगाकर उसे कुछ गले उतारने की चेष्टा की है और उसमें ब्राह्मणधर्म के अनुसार धर्मपत्नी, भोगपत्नी, प्रथम विवाह धर्म्य विवाह, दूसरा विवाह काम्य विवाह, सवर्णा स्त्री के होते हुए असवर्णा स्त्री से धर्म कृत्य न कराये जावें, आदि कितनी ही बातें लिखीं और कितने ही निरर्थक तथा अपने विरुद्ध वाक्य भी उद्धृत किये परन्तु बहुत कुछ सर पटकने पर भी आप गालव ऋषि का तो क्या दूसरे भी किसी हिन्दू ऋषि का कोई ऐसा वाक्य उद्धृत नहीं कर सके जिससे पुरुषों के पुनर्विवाह-विषयक स्वंयभू अधिकार का विरोध पाया जाये। और इसलिये आपको यह कल्पना करते ही बना कि ''कोई ब्राह्मण ऋषि दो विवाहों को भी धर्म्य विवाह स्वीकार करते हैं और तृतीय विवाह का निषेध करते हैं। तब संभव है कि गालव ऋषि दूसरे विवाह का भी निषेध करते हों।'' इतने पर भी आप अंत में लिखते हैं– ''जो लोग इस श्लोक से स्त्रियों का पुनर्विवाह अर्थ निकालते हैं वह बिल्कुल अयुक्त है। क्योंकि यह अर्थ स्वयं ब्राह्मणसम्प्रदाय के विरुद्ध पड़ता है।'' यह धृष्टता की पराकाष्ठा नहीं तो और क्या है? वह अर्थ ब्राह्मणसम्प्रदाय के क्या विरुद्ध पड़ता है उसे आप दिखला नहीं सके और न दिखला सकते हैं। आपका इस विषय में ब्राह्मणसम्प्रदाय की दुहाई देना उसके साहित्य की कोरी

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

अनभिज्ञता को प्रकट करना अथवा भोले भाइयों को फसाने के लिये व्यर्थ का जाल रचना है। अस्तु।

इस सब विवेचन पर से सहृदय पाठक सहज ही में इस बात का अनुभव कर सकते हैं कि भट्टारकजी ने अपरित्यक्ता स्त्रियों के लिये भी जिनमें विधवाएँ भी शामिल जान पड़ती हैं, पुनर्विवाह की साफ व्यवस्था की है और सोनीजी जैसे पंडितों ने उसे अपनी चित्तवृत्ति के अनुकूल न पाकर अथवा कुछ लोकविरुद्ध समझकर जो उस पर पर्दा डालने की चेष्टा की है वह कितनी नीच, निःसार तथा जघन्य है और साथ ही विद्वत्ता को कलंकित करने वाली है।

जो लोग इस त्रिवर्णाचार पर अपनी 'अटल श्रद्धा' का ढिंढोरा पीटते हुए उसको प्रामाणिक ग्रन्थ बतलाते हैं[१०९] और फिर स्त्रियों के पुनर्विवाह का निषेध करते हैं उनकी स्थिति निःसंदेह बड़ी ही विचित्र और करुणाजनक है! वे खुद अपने को ठगते हैं और दूसरों को ठगते फिरते हैं!! उन्हें यदि सचमुच ही इस ग्रन्थ को प्रमाण मानना था तो स्त्रियों के पुनर्विवाह निषेध का साहस नहीं करना था, क्योंकि स्त्रियों के पुनर्विवाह का विधान तो इस ग्रन्थ में है ही, वह किसी का मिटाया मिट नहीं सकता।

तर्पण, श्राद्ध और पिण्डदान

(२८) हिन्दुओं के यहाँ, स्नान का अंग स्वरूप, तर्पण नाम का एक नित्य कर्म वर्णन किया है। पितरादिकों को पानी या तिलोदक (तिलों के साथ पानी) आदि देकर उनकी तृप्ति की जाती है, इसी का नाम तर्पण है। तर्पण के जल की देव और पितरगण इच्छा करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं और उससे तृप्त होते हैं, ऐसा उनका सिद्धान्त है। यदि कोई मनुष्य नास्तिक्य भाव से अर्थात्, यह समझकर कि 'देव पितरों को जलादिक नहीं पहुँच सकता, तर्पण नहीं करता है तो जल के इच्छुक पितर उसके देह का रुधिर पीते हैं, ऐसा उनके यहाँ योगि याज्ञवल्क्य का वचन है। यथा–

नास्तिक्यभावाद् यश्चापि न तर्पयति वै सुतः।
पिबन्ति देहरुधिरं पितरो वै जलार्थिनः॥

भट्टारकजी ने भी, इस त्रिवर्णाचार में, तर्पण को स्नान का एक अंग बतलाया है। इतना ही नहीं, बल्कि हिन्दुओं के यहाँ स्नान के जो पाँच अंग संकल्प, सूक्तपठन मार्जन, अघमर्षण[११०] और तर्पण

१०९. पं० धन्नालाल जी कासलीवाल ने भी १० वर्ष हुए 'सत्यवादी' में प्रकाशित अपने लेख द्वारा यह घोषणा की थी कि ''मेरा सोमसेनकृत त्रिवर्णाचार ग्रन्थ पर अटल श्रद्धान है और मैं उसे प्रमाणीक मानता हूँ''।

११०. 'अघमर्षण' पापनाशन को कहते हैं। हिन्दुओं के यहाँ स्नानांगकर्म पापनाशन क्रिया का एक विशेष अंग माना जाता है। वेद में 'ऋतु च सत्य' नाम का एक प्रसिद्ध सूक्त है, जिसे 'अघमर्षण सूक्त' कहते हैं और जिसका ऋषि भी 'अघमर्षण' है। इस सूक्त को पानी में निमग्न होकर तीन बार पढ़ने से सब पापों का नाश हो जाता है और यह उनके यहाँ अश्वमेघ यज्ञ की तरह सब पापों का नाश करने वाला माना गया है, जैसा कि 'शंखस्मृति' के निम्नवाक्यों से प्रकट है–

ततोऽम्भसि निमग्नस्तु त्रिः पठेदघमर्षणम्॥९-१२॥

यथाऽश्वमेधः ऋतुराट् सर्वथा पापनोदनः। तथाऽघमर्षणं सूक्तं सर्वपापप्रणाशनम्॥९-१३॥

वामन शिवराम आपटे ने भी अपने कोश में इस सूक्त की उक्त मान्यता का उल्लेख किया है, और लिखा है कि

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

माने जाते हैं उन सबको ही अपनाया है। यथा–

संकल्पं (ल्पः) सूत्र (क्त) पठनं मार्जनं चाघमर्षणम्।
देवादि (वर्षि) तर्पणं चैव पंचांगं स्नानमाचरेत् (स्नानं पंचांगमिष्यते)॥२-१०५॥

यह श्लोक भी किसी हिन्दू ग्रन्थ से लिया गया है। हिन्दुओं के 'स्मृतिरत्नाकर' में यह ब्रैकिटों में दिये हुए साधारण पाठभेद के साथ पाया जाता है और इसे 'अत्रि' ऋषि का वाक्य लिखा है। हिन्दुओं ने देव, ऋषि, पितर भेद से तीन प्रकार का तर्पण माना है (तर्पणं च शुचिः कुर्यात्प्रत्यहं स्नातको द्विजः। देवेभ्यश्च ऋषिभ्यश्च पितृभ्यश्च यथाक्रमम्॥ इति शातातपः)। भट्टारकजी ने भी तीसरे अध्याय के पद्य नं० ७, ८, ९ में इन तीनों भेदों का इसी क्रम से विधान किया है। साथ ही, हिन्दुओं की उस विधि को भी प्रायः अपनाया है जो प्रत्येक प्रकार के तर्पण को किस दिशा की ओर मुँह करके करने तथा अक्षतादिक किस-किस द्रव्य द्वारा उसे कैसे सम्पादन करने से सम्बन्ध रखती है। परन्तु अध्याय के अंत में जो तर्पणमंत्र आपने दिये हैं उनमें पहले ऋषियों का, फिर पितरों का और अंत में देवताओं का तर्पण लिखा है। देवताओं के तर्पण में अर्हन्तादिक देवों को स्थान नहीं दिया गया किन्तु उन्हें

'गुरुपत्नी, माता, तथा भगिनी आदि के साथ सम्भोग जैसे घोरतम पाप भी इस सूक्त को तीन बार पानी में पढ़ने से नाश को प्राप्त हो जाते हैं ऐसा कहा जाता है' यथा

The most heinous crimes such as illicit intercourse with preceptor's wife, one's own mother, sister, daughter-in-law etc. are said to be expiated by repeating this सूक्त thrice in water

भट्टारकजी ने इस अघमर्षण को स्नान का अंग बतलाकर हिन्दुओं के एक ऐसे सिद्धान्त को अपनाया है जिसका जैन सिद्धान्तों के साथ कोई मेल नहीं। जैन सिद्धान्तों की दृष्टि से पापों को इस तरह पर स्नान के द्वारा नहीं धोया जा सकता। स्नान से शरीर का सिर्फ बाह्यमल दूर होता है, शरीर तक की शुद्धि नहीं हो सकती, फिर पापों का दूर होना तो बहुत ही दूर की बात है–वह कोई खेल नहीं है। पाप जिन मिथ्यात्व, असंयमादि कारणों से उत्पन्न होते हैं उनके विपरीत कारणों को मिलाने से ही दूर किये जा सकते हैं, जलादिक से नहीं। जैसा कि श्री अमितगति आचार्य के निम्न वाक्यों से भी प्रकट है–

मलो विशोध्यते बाह्यो जलेनेति निगद्यताम्। पापं निहन्यते तेन कस्येदं हृदि वर्तते॥३६॥
मिथ्यात्वाऽसंयमाऽज्ञानैः कल्मषं प्राणिनार्जितम्। सम्यक्त्वसंयमज्ञानैर्हन्यते नान्यथा स्फुटम्॥३७॥
कषायैरर्जितं पापं सलिलेन निवार्यते। एतज्जडात्मनो ब्रूते नान्ये मीमांसका ध्रुवम्॥३८॥
यदि शोधयितुं शक्तं शरीरमपि नो जलम्। अंतःस्थितं मनो दुष्टं कथं तेन विशोध्यते॥३९॥ -धर्मपरीक्षा, १७वाँ परिच्छेद।

भट्टारकजी के इस विधान से यह मालूम होता है कि वे स्नान से पापों का धुलना मानते थे। और शायद यही वजह हो जो उन्होंने अपने ग्रन्थ में स्नान की इतनी भरमार की है कि उससे एक अच्छे भले आदमी का नाक में दम आ सकता है और वह उसी में उलझा रहकर अपने जीवन के समुचित ध्येय से वंचित रह सकता है और अपना कुछ भी उत्कर्ष साधन नहीं कर सकता। मेरी इच्छा थी कि मैं स्नान की उस भरमार का और उसकी निःसारता तथा जैन सिद्धान्तों के साथ उसके विरोध का एक स्वतन्त्र शीर्षक के नीचे पाठकों को दिग्दर्शन कराऊँ परन्तु लेख बहुत बढ़ गया है इसलिये मजबूरन अपनी उस इच्छा को दबाना ही पड़ा।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

ऋषियों की श्रेणी में रखा गया है। हालाँकि पद्य नं० ८ में 'गौतमादिमहर्षीणां (न्वै) तर्पयेद् ऋषितीर्थतः' ऐसा व्यवस्थावाक्य था और यह आपका लेखन कौशल अथवा रचनावैचित्र्य है!! परन्तु इन सब बातों को भी छोड़िये, सबसे बड़ी बात यह है कि भट्टारकजी ने तर्पण का सब आशय और अभिप्राय प्रायः वही रखा है जो हिंदुओं का सिद्धांत है। अर्थात्, यह प्रकट किया है कि पितरादिक को पानी या तिलोदकादि देकर उनकी तृप्ति करना चाहिए, तर्पण के जल की देव पितरगण इच्छा रखते हैं, उसको ग्रहण करते हैं और उससे तृप्त होते हैं। जैसा कि नीचे लिखे वाक्यों से प्रकट है–

असंस्काराश्च ये केचिज्जलाशाः पितरः सुराः।
तेषां सन्तोषतृप्त्यर्थं दीयते सलिलं मया॥११॥

अर्थात्–जो कोई पितर संस्कारविहीन मरे हों, जल की इच्छा रखते हों, और जो कोई देव जल की इच्छा रखते हों, उन सब के संतोष तथा तृप्ति के लिये मैं पानी देता हूँ, जल से तर्पण करता हूँ।

केचिदस्मत्कुले जाता[१११] अपुत्रा व्यन्तराः सुराः।
ते गृह्णन्तु मया दत्तं वस्त्रनिष्पीडनोदकम्॥१३॥

अर्थात्–हमारे कुल में जो कोई पुत्रहीन मनुष्य मरकर व्यन्तर जाति के देव हुए हों, उन्हें मैं धोती आदि वस्त्र से निचोड़ा हुआ पानी देता हूँ, उसे वे ग्रहण करें।

यह तर्पण के बाद धोती निचोड़ने का मंत्र[११२] है। इसके बाद शरीर के अंगों पर से हाथ या वस्त्र से पानी नहीं पोंछना चाहिए, नहीं तो शरीर कुत्ता चाटे की समान अपवित्र हो जायेगा और पुनः स्नान करने से शुद्धि होगी'[११३] ऐसा अद्‌भुत विधान करके उसके कारणों का बतलाते हुए लिखा है–

तिस्रः कोट्योऽर्धकोटी च यावद्रोमाणि मानुषे।
वसन्ति तावत्तीर्थानि तस्मान्न परिमार्जयेत्॥१७॥

१११.यहाँ छपी पुस्तकों में जो 'अपूर्व' पाठ दिया है वह गलत है, सही पाठ 'अपुत्रा' है और वही जिनसेन त्रिवर्णाचार में भी पाया जाता है, जहाँ वह इसी ग्रन्थ पर से उद्‌धृत है।

११२. यह मंत्र हिन्दुओं के निम्न मंत्र पर से, जिसे 'मंत्रश्च' 'इति मंत्रेण' शब्दों द्वारा खास तौर पर मंत्र रूप से उल्लेखित किया है, जरा सा फेर बदल करके बनाया गया मालूम होता है–ये के चास्मत्कुले जाता अपुत्रा गोत्रजा मृताः। ते गृह्णन्तु मया दत्तं वस्त्रनिष्पीडनोदकम्॥ –स्मृतिरत्नाकर।

११३. यथा– तस्मात्कायं न मृजीत ह्यम्बरेण करेण वा। श्वानलेह्येन साम्यं च पुनः स्नानेन शुध्यति॥१६॥

हिन्दुओं के यहाँ इस पद्य के आशय से मिलता जुलता एक वाक्य इस प्रकार है–

तस्मात्स्नातो नावमृज्यात्स्नानशाट्या न पाणिना। स्नानवस्त्रेण हस्तेन यो द्विजोऽङ्गं प्रमार्जति॥ वृथा भवति तस्नानं पुनः स्नानेन शुध्यति।

'स्मृतिरत्नाकर' में यह वाक्य ''शिरोवारि शरीराम्बु वस्त्रतोयं यथाक्रमम्। पिबन्ति देवा मुनयः पितरो ब्राह्मणस्य तु॥'' के अनन्तर दिया है और इससे 'तस्मात्' पद का सम्बन्ध बहुत स्पष्ट हो जाता है। इस दृष्टि से भट्टारकजी का उक्त १६वाँ पद्य 'पिबंति शिरसो' नामक १८वें पद्य के बाद होना चाहिए था।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

पिबन्ति शिरसो देवाः पिबन्ति पितरो मुखात्।
मध्याश्च यक्षगन्धर्वा अधस्तात्सर्वजन्तवः॥१८॥

अर्थात्–मनुष्य के शरीर में जो साढ़े तीन करोड़ रोम हैं, उतने ही उसमें तीर्थ हैं। दूसरे, शरीर पर जो स्नान जल रहता है उसे मस्तक पर से देव, मुख पर से पितर, शरीर के मध्यभाग पर से यक्ष गंधर्व और नीचे के भाग पर से अन्य सब जन्तु पीते हैं। इसलिये शरीर के अंगों को पोंछना नहीं चाहिए। (पोंछने से उन तीर्थों का शायद अपमान या उत्थापन हो जायेगा, और देवादिकों के जल ग्रहण कार्य में विघ्न उपस्थित होगा!!)।

जैनसिद्धान्त से जिन पाठकों का कुछ भी परिचय है वे ऊपर के इस कथन से भले प्रकार समझ सकते हैं कि भट्टारकजी का यह तर्पण–विषयक कथन कितना जैनधर्म के विरुद्ध है। जैनसिद्धांत के अनुसार न तो देवपितरगण पानी के लिये भटकते या मारे मारे फिरते हैं और न तर्पण के जल की इच्छा रखते या उसको पाकर तृप्त और संतुष्ट होते हैं। इसी प्रकार न वे किसी की धोती आदि का निचोड़ा हुआ पानी ग्रहण करते हैं और न किसी के शरीर पर से स्नान जल को पीते हैं। ये सब हिन्दू धर्म की क्रियाएँ और कल्पनाएँ हैं। हिन्दुओं के यहाँ साफ लिखा है कि ''जब कोई मनुष्य स्नान के लिये जाता है तब प्यास से विह्वल हुए देव और पितरगण, पानी की इच्छा से वायु का रूप धारण करके उसके पीछे जाते हैं। और यदि वह मनुष्य यों ही स्नान करके वस्त्र (धोती आदि) निचोड़ देता है तो वे देवपितर निराश होकर लौट आते हैं। इसलिये तर्पण के पश्चात् वस्त्र निचोड़ना चाहिए पहले नहीं''। जैसा कि उनके निम्नलिखित वचन से प्रकट है–

स्नानार्थमभिगच्छन्तं देवाः पितृगणैः सह।
वायुभूतास्तु गच्छन्ति तृषार्ताः सलिलार्थिनः॥
निराशास्ते निवर्तन्ते वस्त्रनिष्पीडने कृते।
अतस्तर्पणानन्तरमेव वस्त्रं निष्पीडयेत्॥ स्मृतिरत्नाकरे, वृद्धवसिष्ठः

परन्तु जैनियों का ऐसा सिद्धान्त नहीं है। जैनियों के यहाँ मरने के पश्चात् समस्त संसारी जीव अपने अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुसार देव, मनुष्य, नरक, और तिर्यंच, इन चार गतियों में से किसी न किसी गति में अवश्य चले जाते हैं। और अधिक से अधिक तीन समय तक निराहार रहकर तुरंत दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं। इन चारों गतियों से अलग पितरों की कोई निराली गति नहीं होती, जहाँ वे बिल्कुल ही परावलम्बी हुए असंख्यात या अनन्तकाल तक पड़े रहते हों। मनुष्यगति में जिस तरह पर वर्तमान मनुष्य जो अपने पूर्वजन्मों की अपेक्षा बहुतों के पितर हैं, किसी के तर्पण जल को पीते नहीं फिरते उसी तरह पर कोई भी पितर किसी भी गति में जाकर तर्पण के जल की इच्छा से विह्वल उसके पीछे पीछे मारा मारा नहीं फिरता। प्रत्येक गति में जीवों का आहार विहार उनकी उस गति, स्थिति तथा देशकाल के अनुसार होता है और उसका वह रूप नहीं है जो ऊपर बतलाया गया है। इस तरह पर भट्टारकजी का यह सब कथन जैनधर्म के विरुद्ध है, जीवों की गतिस्थित्यादि विषयक

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

अजानकारी तथा अश्रद्धा को लिये हुए है और कदापि जैनियों के द्वारा मान्य किये जाने के योग्य नहीं हो सकता।

यहाँ पर मैं इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि हिन्दुओं के कुछ प्रसिद्ध ग्रन्थों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि जैनधर्म में इस तर्पण को स्थान नहीं है जैसा कि उनके पद्मपुराण[११४] के निम्न वाक्यों से प्रकट है जो कि ३६वें अध्याय में एक दिगम्बर साधु द्वारा राजा 'वेन' को जैनधर्म का कुछ स्वरूप बतलाते हुए कहे गये हैं–

पितृणां तर्पणं नास्ति नातिथिर्वैश्वदेविकम्।
कृष्णस्य न तथा पूजा ह्यर्हन्तध्यानमुत्तमम्॥१९॥
एवं धर्मसमाचारो जैनमार्गे प्रदृश्यते॥
एतत्ते सर्वमाख्यातं जैनधर्मस्य लक्षणम्॥२०॥

और जैनियों के 'यशस्तिलक' ग्रन्थ से भी इस विषय का समर्थन होता है, जैसा कि उसके चौथे आश्वस के निम्न वाक्य से प्रकट है, जो कि राजा यशोधर की जैनधर्म-विषयक श्रद्धा को हटाने के लिये उनकी माता द्वारा, एक वैदिकधर्मावलम्बी की दृष्टि से जैनधर्म की त्रुटियों को बतलाते हुए कहा गया है–

न तर्पणं देवपितृद्विजानां स्नानस्य होमस्य न चास्ति वार्ता।
श्रुतेः स्मृतेर्बाह्यतरे च धीस्ते धर्मे कथं पुत्र! दिगम्बराणाम्॥

अर्थात्–जिस धर्म मे देवों, पितरों तथा द्विजों (ऋषियों) का तर्पण नहीं, (श्रुतिस्मृतिविहित) स्नान की उसी पंचाग स्नान की-और होम की वार्ता नहीं, और जो श्रुति, स्मृति से अत्यन्त बाह्य है उस दिगम्बर जैनधर्म पर हे पुत्र! तेरी बुद्धि कैसे ठहरती है?, तुझे कैसे उस पर श्रद्धा होती है?

इतने पर भी सोनीजी, अपने अनुवाद में भट्टारकजी के इस तर्पण-विषयक कथन को जैनधर्म का कथन बतलाने का दुःसाहस करते हैं, लिखते हैं– ''यह तर्पण आदि का विधान जैनधर्म से बाहर का नहीं है किन्तु जैनधर्म का ही है''!! आपने कुछ अनुवादों के साथ में लम्बे-लम्बे भावार्थ जोड़कर भट्टारकजी के कथन को जिस तिस प्रकार से जैनधर्म का कथन सिद्ध करने की बहुतेरी चेष्टा की, परन्तु आप उसमें कृतकार्य नहीं हो सके। और उस चेष्टा में आप कितनी ही ऊटपटाँग बातें लिख गये हैं जिनसे आपकी श्रद्धा, योग्यता और गुणज्ञता का खासा दृश्य सामने उपस्थित हो जाता है और उसे देखकर आपकी हालत पर बड़ा ही तरस आता है। आप लिखते हैं– ''व्यन्तरों का अनेक प्रकार का स्वभाव होता है। अतः किसी किसी का स्वभाव जल ग्रहण करने का है। किसी किसी का वस्त्र निचोड़ा हुआ जल लेने का है। ये सब उनकी स्वाभाविकी क्रियायें हैं!'' परन्तु कौन से जैन-शास्त्रों में व्यन्तरों के इस स्वभावविशेष का उल्लेख है या इन क्रियाओं को उनकी स्वाभाविकी क्रियाएँ लिखा है, इसे आप बतला नहीं सके। आप यहाँ तक तो लिख गये कि ''जैन शास्त्रों में साफ लिखा है कि

११४. देखो 'आनन्दाश्रम सिरीज पूना' की छपी हुई आवृत्ति।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

व्यन्तरों का ऐसा स्वभाव है और वे क्रीड़ा निमित्त ऐसा करते हैं, ऐसी क्रियायें कराकर वे शांत होते हैं'' परन्तु फिर भी किसी माननीय जैन शास्त्र का एक भी वाक्य प्रमाण में उद्धृत करते हुए आपसे बन नहीं पड़ा तब आपका यह सब कथन थोथा वाग्जाल ही रह जाता है। मालूम होता है अनेक प्रकार के स्वभाव पर से आप सब प्रकार से स्वभाव का नतीजा निकालते हैं, और यह आपका विलक्षण तर्क है!! व्यन्तरों का सब प्रकार का स्वभाव मानकर और उनकी सब इच्छाओं को पूरा करना अपना कर्त्तव्य समझकर तो सोनीजी बहुत ही आपत्ति में पड़ जायेंगे और उन्हें व्यन्तरों के पीछे नाचते नाचते दम लेने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। खेद है सोनीजी ने यह नहीं सोचा कि प्रथम तो व्यन्तर देव क्रीड़ा के निमित्त जिन-जिन चीजों की इच्छाएँ करें उनको पूरा करना श्रावकों का कोई कर्तव्य नहीं है, श्रावकाचार में ऐसी कोई विधि नहीं है, व्यन्तरदेव यदि मांसभक्षण की क्रीड़ा करने लगे तो कोई भी श्रावक पशुओं को मारकर उन्हें बलि नहीं चढ़ाएगा और न स्त्री सेवन की क्रीड़ा करने पर अपनी स्त्री या पुत्री ही उन्हें संभोग के लिये देगा। दूसरे, यदि किसी तरह पर उनकी इच्छा को पूरा भी किया जाये तो वह तभी तो किया जा सकता है जब वैसी कोई इच्छा व्यक्त हो- कोई व्यन्तर क्रीड़ा करता हुआ किसी तरह पर प्रकट करे कि मुझे इस वक्त धोती निचोड़े का पानी चाहिए तो वह उसे दिया जा सकता है, परन्तु जब वैसी इच्छा या क्रीड़ा व्यक्त ही न हो अथवा उसका अस्तित्व ही न हो तब भी उसकी पूर्ति की चेष्टा करना-बिना इच्छा भी किसी को जल पीने के लिये मजबूर करना अथवा पीने वाले के मौजूद न होते हुए भी पिलाने का ढोंग करना- क्या अर्थ रखता है? वह निरा पागलपन नहीं तो और क्या है? क्या व्यन्तरदेवों को ऐसा असहाय या महाव्रती समझ लिया है जो वे बिना दूसरों के दिये स्वयं जल भी कहीं से ग्रहण न कर सकें? वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। भट्टारकजी का आशय यदि इस तर्पण से व्यन्तरों के क्रीड़ा उद्देश्य की सिद्धिमात्र होता तो वे वैसी क्रीड़ा के समय ही अथवा उस प्रकार की सूचना मिलने पर ही तर्पण का विधान करते, क्योंकि कोई क्रीड़ा या इच्छा सार्वकालिक और स्थायी नहीं होती। परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि प्रतिदिन और प्रत्येक स्नान के साथ में तर्पण का विधान किया है और उनकी व्यवस्थानुसार एक दिन में बीसियों बार स्नान की नौबत आ सकती है। अतः भट्टारकजी का यह तर्पणविधान व्यन्तरों के क्रीड़ा उद्देश्य को लेकर नहीं है किन्तु सीधा और साफ तोर पर हिन्दुओं के सिद्धान्त का अनुसरण मात्र है और इसलिए यह सोनीजी की अपनी ही कल्पना और अपनी ही ईजाद है जो वे इस तर्पण को व्यन्तरों की क्रीड़ा के साथ बाँधते हैं और उसे किसी तरह पर खींच खाँचकर जैनधर्म की कोटि में लाने का निष्फल प्रयत्न करते हैं। ११वें श्लोक के भावार्थ में तो सोनीजी यह भी लिख गये हैं कि ''व्यन्तरों को जल किसी उद्देश्य से नहीं दिया जाता है'' हेतु? ''क्योंकि यह बात श्लोक ही साफ कह रहा है कि कोई बिना संस्कार किये हुए मर गये हों, मरकर व्यंतर[११५] हुए हों और मेरे हाथ से जल लेने की वांछा रखते हों तो उनको मैं सहज (यह

११५. 'व्यन्तर' का यह नाम निर्देश मूल श्लोक में नहीं है।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

जल) देता हूँ। इसमें कहीं भी किसी विषय का उद्देश्य नहीं है।'' परन्तु श्लोक में तो जलदान का उद्देश्य साफ लिखा है 'तेषां संतोषतृप्त्यर्थं' उनके संतोष और तृप्ति के लिये और आपने भी अनुवाद के समय इसका अर्थ ''इनके संतोष के लिये'' दिया है। यह उद्देश्य नहीं तो और क्या है? इसके सिवाय पूर्ववर्ती श्लोक नं० १० में एक दूसरा उद्देश्य और भी दिया है और वह है ''उस पाप की विशुद्धि जो शारीरिक मल के द्वारा जल को मैला अथवा दूषित करने से उत्पन्न होता है''। यथा–

[११६]यन्मया दुष्कृतं पापं (दूषितं तोयं) शारीरमलसंभवनम्(वात्)
तत्पापस्य विशुद्ध्यर्थं देवानां तर्पयाम्यहम्॥१०॥

ऐसी हालत में सोनीजी का यह तर्पण के उद्देश्य से इनका करना, उसे आगे चलकर श्लोक के दूसरे अधूरे अर्थ के नीचे छिपाना और इस तरह स्वपरप्रयोजन के बिना ही[११७] तर्पण करने की बात कहना कितना हास्यास्पद जान पड़ता है, उसे पाठक स्वयं समझ सकते हैं। क्या यही गुरुमुख से शास्त्रों का सुनना, उनका मनन करना और भाषा की ठीक योग्यता का रखना कहलाता है, जिसके लिये आप अपना अहंकार प्रकट करते और दूसरों पर आक्षेप करते हैं? मालूम होता है सोनीजी उस समय कुछ बहुत ही विचलित और अस्थिरचित्त थे। उन्हें इस तर्पण को जैनधर्म का सिद्धान्त सिद्ध करने के लिये कोई ठीक युक्ति सूझ नहीं पड़ती थी, इसी से वे वैसे ही यद्वा तद्वा कुछ बहकी-बहकी बातें लिखकर ग्रन्थ के कई पेजों को रंग गये हैं। और शायद यही वजह है जो वे दूसरों पर मूर्खतापूर्ण अनुचित कटाक्ष करने का भी दुःसाहस कर बैठे हैं, जिसकी चर्चा करना यहाँ निरर्थक जान पड़ता है।

१८वें श्लोक के भावार्थ में, कितनी ही विचलित बातों के अतिरिक्त, सोनीजी लिखते हैं– ''यद्यपि देवों में मानसिक आहार है, पितृगण कितने ही मुक्ति स्थान को पहुँच गये हैं इसलिये इनका पानी पीना असंभव जान पड़ता है। इसी तरह यक्ष, गंधर्वों और सारे जीवों का भी शरीर के जल का पानी (पीना) असम्भव है, पर फिर भी ऐसा जो लिखा गया है उसमें कुछ न कुछ तात्पर्य अवश्य छुपा हुआ है (जो सोनीजी की समझ के बाहर है और जिसके जानने का उनके कथनानुसार इस समय कोई साधन भी नहीं है!)।''

''यद्यपि इस श्लोक का विषय असम्भव सा जान पड़ता है परन्तु फिर भी वह पाया जाता है। अतः इसका कुछ न कुछ तात्पर्य अवश्य है। व्यर्थ बातें भी कुछ न कुछ अपना तात्पर्य ज्ञापन कराकर सार्थक हो जाती हैं (परन्तु इस श्लोक की व्यर्थ बातें तो सोनीजी को अपना कुछ भी तात्पर्य न बतला सकीं!)।''

११६. यह हिन्दुओं का यक्ष्मतर्पण का श्लोक है और उनके यहाँ इसका चौथा चरण 'यक्ष्मैतत्ते तिलोदकम्' दिया है। (देखो 'आन्हिकसूत्रावलि')

११७. 'प्रयोजनमनुद्दिश्य न मंदोऽपि प्रवर्तते'–बिना प्रयोजन उद्देश्य के तो मूर्ख की भी प्रवृत्ति नहीं होती। फिर सोनीजी ने क्या समझकर यह बिना उद्देश्य की बात कही है!!

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

इन उद्‌गारों के समय सोनीजी के मस्तिष्क की हालत उस मनुष्य जैसी मालूम होती है जो घर से यह खबर आने पर रो रहा था कि 'तुम्हारी स्त्री विधवा हो गई है' और जब लोगों ने उसे समझाया कि तुम्हारे जीते तुम्हारी स्त्री विधवा कैसे हो सकती है तब उसने सिसकियाँ लेते हुए कहा था कि 'यह तो मैं भी जानता हूँ कि मेरे जीते मेरी स्त्री विधवा कैसे हो सकती है परन्तु घर से जो आदमी खबर लाया है यह बड़ा ही विश्वासपात्र है, उसकी बात को झूठ कैसे कहा जा सकता है? वह जरूर विधवा हो गई है,' और यह कहकर और भी ज्यादा फूट-फूटकर रोने लगा था, और तब लोगों ने उसकी बहुत ही हँसी उड़ाई थी। सोनीजी की दृष्टि में भट्टारकजी का यह ग्रन्थ घर के उस विश्वासपात्र आदमी की कोटि में स्थित है। इसी से साक्षात् असम्भव जान पड़ने वाली बातों को भी, इसमें लिखी होने के कारण, आप सत्य समझने और जैनधर्मसम्मत प्रतिपादन करने की मूर्खता कर बैठे हैं। यह है आपकी श्रद्धा और गुणज्ञता का एक नमूना!! अथवा गुरुमुख से शास्त्रों के अध्ययन और मनन की एक बानगी!!!

सोनीजी को इस बात की बड़ी ही चिन्ता ने घेरा मालूम होता है कि ''कहीं ऐसी असंभव बातों को भी यदि झूठ मान लिया गया तो शास्त्र की कोई मर्यादा ही न रहेगी, फिर हर कोई मनुष्य चाहे जिस शास्त्र की बात को, जो उसे अनिष्ट होगी, फौरन अलीक (झूठ) कह देगा, तब सर्वत्र अविश्वास फैल जायेगा और कोई भी क्रिया ठीक ठीक न बन सकेगी!' इस बिना सिर पैर की निःसार चिंता के कारण ही आपने शास्त्र की-नहीं-नहीं शास्त्र नाम की मर्यादा का उल्लंघन न करने का जो परामर्श दिया है उसका यही आशय जान पड़ता है कि शास्त्र में लिखी उल्टी सीधी, भली बुरी, विरुद्ध अविरुद्ध और संभव असंभव सभी बातों को बिना चूँ चरा किये और कान हिलाए मान लेना चाहिए। नहीं तो शास्त्र की मर्यादा बिगड़ जायेगी!! वाह! क्या ही अच्छा सत्परामर्श है!! अंधश्रद्धा का उपदेश इससे भिन्न और क्या होगा वह कुछ समझ में नहीं आता!!! मालूम होता है सोनीजी को सत्य शास्त्र के स्वरूप का ही ज्ञान नहीं। सच्चे शास्त्र तो आप्त पुरुषों के कहे होते हैं- उनमें कही उल्टी, बुरी, विरुद्ध और असंभव बातें भी हुआ करती हैं? वे तो वादी प्रतिवादी के द्वारा अनुल्लंघ्य, युक्ति तथा आगम से विरोधरहित, यथावत् वस्तुस्वरूप के उपदेशक, सर्व के हितकारी और कुमार्ग का मथन करने वाले होते हैं।[११८] ऐसे शास्त्रों के विषय में उक्त प्रकार की चिंता करने के लिये कोई स्थान ही नहीं होता, वे तो खुले मैदान परीक्षा के लिये छोड़ दिये जाते हैं, उनके विषय में भी उक्त प्रकार की चिंता व्यक्त करना अपनी श्रद्धा की कचाई और मानसिक दुर्बलता को प्रकट करना है। इसके सिवाय सोनीजी को शायद यह भी मालूम नहीं कि ''कितने ही भ्रष्टचारित्र पंडितों और वठरसाधुओं (मूर्ख तथा धूर्त मुनियों) ने जिनेन्द्रदेव के निर्मल शास्त्र को मलिन कर दिया है-कितनी ही असत् बातों को, इधर उधर से अपनी रचनादिकों के द्वारा, शासन में शामिल करके उसके स्वरूप को विकृत कर दिया

११८.जैसा कि स्वामी समन्तभद्र के निम्न वाक्य से प्रकट है-

आप्तोपज्ञमनुल्लंघ्यमदृष्टेष्टविरोधकम्। तत्त्वोपदेशकृत्सार्वं शास्त्रं कापथघट्टनम्॥ (रत्नकरण्डक श्रावकाचार)

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

है'' (इससे परीक्षा की और भी खास जरूरत खड़ी हो गई है[११९]), जैसा कि अनगारधर्मामृत की टीका में पं० आशाधरजी के द्वारा उद्धृत किसी विद्वान् के निम्न वाक्य से प्रकट है–

पण्डितैर्भ्रष्टचारित्रैर्वठरैश्च तपोधनैः।
शासनं जिनचन्द्रस्य निर्मलं मलिनीकृतम्॥

सोमसेन भी उन्हीं वठर अथवा धूर्त साधुओं से एक थे, और यह बात ऊपर की आलोचना पर से बहुत कुछ स्पष्ट है। उनकी इस महा आपत्तिजनक रचना (त्रिवर्णाचार) को सत्यशास्त्र का नाम देना वास्तव में सत्य शास्त्रों का अपमान करना है। अतः सोनीजी की चिंता, इस विषय में, बिल्कुल ही निर्मूल जान पड़ती है और उनकी अस्थिरचित्तता तथा ढुलमुल-यकीनी को और अधिकता के साथ साबित करती है।

यहाँ पर मैं इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि सोनीजी की यह अस्थिरचित्तता बहुत दिनों तक उनका पिण्ड पकड़े रही है, सम्भवतः ग्रन्थ के छप जाने तक भी आपका चित्त डाँवाडोल रहा है और तब कहीं जाकर आपको इन पद्यों पर कुछ संदेह होने लगा है। इसी से शुद्धि पत्र द्वारा १३वें और १७वें श्लोक के अनुवाद के पीछे एक नया भावार्थ जोड़ने की सूचना देते हुए, आपने उन भावार्थों में ११ से १३ और १७ से १९ नम्बर तक के छह श्लोकों पर 'क्षेपक' होने का संदेह प्रकट किया है, निश्चय उसका भी नहीं और वह संदेह भी निर्मूल जान पड़ता है। इन पद्यों को क्षेपक मानने पर १०वें नम्बर का पद्य निरर्थक हो जाता है। जिसमें उद्देश्य विशेष से देवों के तर्पण की प्रतिज्ञा की गई है और उस प्रतिज्ञा के अनुसार ही अगले श्लोकों में तर्पण का विधान किया गया है। १३वां श्लोक खुद वस्त्र निचोड़ने का मंत्र है और हिन्दुओं के यहाँ भी उसे मंत्र लिखा है जैसा कि पहले जाहिर किया जा चुका है। सोनीजी ने उसे मंत्र ही नहीं समझा और वस्त्र निचोड़ने का मंत्र न होने के आधार पर इन श्लोकों के क्षेपक होने की कल्पना कर डाली!! अतः ये श्लोक क्षेपक नहीं, ग्रन्थ में वैसे ही पीछे से शामिल हो गये अथवा शामिल कर लिये गये नहीं, किंतु भट्टारकजी की रचना के अंगविशेष हैं। जिनसेन-त्रिवर्णाचार में सोमसेन-त्रिवर्णाचार की जो नकल की गई है उसमें भी वे उद्धृत पाये जाते हैं।

यहाँ तक के इस सब कथन से यह स्पष्ट है कि भट्टारकजी ने हिंदुओं के तर्पणसिद्धांत को अपनाया है और वह जैनधर्म के विरुद्ध है। सोनीजी ने उसे जैनधर्म-सम्मत प्रतिपादन करने और इस तरह सत्य पर पर्दा डालने की जो अनुचित चेष्टा की है उसमें वे जरा भी सफल नहीं हो सके और अंत में उन्हें कुछ पद्यों पर थोथा संदेह करते ही बना। साथ में आपकी श्रद्धा और गुणज्ञता आदि का जो प्रदर्शन हुआ सो जुदा रहा।

११९.इसी बात को लक्ष्य करके किसी कवि ने यह वाक्य कहा है– जिनमत महल मनोज्ञ अति कलियुग छादित पंथ। समझ बूझ के परखियो, चर्चा निर्णय ग्रन्थ॥ और बड़े बड़े आचार्यो ने तो पहले से ही परीक्षाप्रधानी होने का उपदेश दिया है–अंधश्रद्धालु बनने का नहीं है।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

अब रही श्राद्ध और पिण्डदान की बात। ये विषय भी जैनधर्म से बाहर की चीज हैं और हिंदुधर्म से खास सम्बन्ध रखते हैं। भट्टारकजी ने इन्हें भी अपनाया है और अनेक स्थानों पर इनके करने की प्रेरणा तथा व्यवस्था की है।[१२०] पितरों का उद्देश्य करके दिया हुआ अन्नादिक पितरों के पास पहुँच

१२०. जिसके कुछ नमूने इस प्रकार हैं–

तीर्थतटे प्रकर्तव्यं प्राणायामं तथाचमम्। संध्या श्राद्धं च पिण्डस्य दानं गेहेऽथवा शुचौ॥३-७७॥

इसमें श्राद्ध तथा पिण्डदान को तीर्थतट पर या घर में किसी पवित्र स्थान पर करने की व्यवस्था की है।

नान्दीश्राद्धं च पूजां च...। सर्वं कुर्याच्च तस्याग्रे...॥९-१९॥

इसमें 'नान्दीश्राद्ध' के करने की प्रेरणा की गई है, जो हिन्दुओं के श्राद्ध का एक विशेष है।

एकमेव पितुश्चाद्यं कुर्याद्वेशे दशाहनि। ततो वै मातृके श्राद्धं कुर्यादाद्यादि षोडश॥१३-७८॥

इसमें अवस्थाविशेष को लेकर माता और पिता के श्राद्धों का विधान किया गया है।

तद्देहप्रतिबिम्बार्थं मण्डपे तद्विनापि वा। स्थापयेदेकमश्मानं तीरे पिण्डादिदत्तये॥१६९॥

पिण्डं तिलोदकं चापि कर्ता दद्याच्छिलाग्रतः। सर्वेपि बंधवो दद्युः स्नातास्तत्र तिलोदकं॥१७०॥

एवं दशाहपर्यन्तमेतत्कर्म विधीयते। पिण्डं तिलोदकं चापि कर्ता दद्यात्तदान्वहं॥१७६॥

पिण्डप्रदानतः पूर्वमन्ते च स्नानमिष्यते। पिण्डः कपित्थमात्रश्च स च शाल्यन्धसा कृतः॥१७७॥

तत्पाकश्च बहिः कार्यस्तत्पात्रं च शिलापि च। कर्तुः संव्यानकं चापि बहिः स्थाप्यानि गोपिते॥१७८॥ -१३वाँ अध्याय।

इन पद्यों में मृतक संस्कार के अनन्तर वाले पिण्डदान का विधान है और उसके विषय में लिखा है कि ''पिण्डादिक देने के लिये जलाशय के किनारे पर उस मृतक की देह के प्रतिनिधिरूप से एक पत्थर की स्थापना करनी चाहिए, संस्कारकर्ता को उस पत्थर के आगे पिण्ड और तिलोदक देना चाहिए और स्नान किये हुए बंन्धुओं को भी वहाँ पर तिलोदक चढ़ाना चाहिए। संस्कारकर्ता को बराबर दस दिन तक इसी तरह पर पिण्ड और तिलोदक देते रहना चाहिए, पिण्डदान से पहले और पीछे भी स्नान करना चाहिए और वह पिण्ड पके चावलों का कपित्थ (कैथ या बेल) के आकार जितना होना चाहिए। चावल भी घर से बाहर पकाये जायें और पकाने का पात्र, वह पत्थर, तथा पिण्डदान के समय पहनने के वस्त्र ये सब चीजें बाहर ही किसी गुप्त स्थान में रखनी चाहिए।''

श्रद्धयान्नप्रदानं तु सद्भ्यः श्राद्धमितीष्यते। मासे मासे भवेच्छ्राद्धं तद्विने वत्सरावधि॥१९३॥

अत ऊर्ध्वं भवेदब्दश्राद्धं तु प्रतिवत्सरं। आद्वादशाब्दमेवैतत्क्रियते प्रेतगोचरम्॥१९४॥

इन पद्यों में प्रेत के उद्देश्य से किये गये श्राद्ध का स्वरूप और उसके भेदों का उल्लेख किया गया है। लिखा है कि श्रद्धा से, श्रद्धा विशेष से, किये गये अन्नदान को श्राद्ध कहते हैं और उसके दो भेद हैं–१. मासिक और २. वार्षिक। जो मृतक तिथि के दिन हर महीने साल भर तक किया जाये वह मासिक श्राद्ध है और जो उसके बाद प्रतिवर्ष बारह वर्ष तक किया जाये उसे वार्षिक श्राद्ध जानना चाहिए। यहाँ श्राद्ध का जो व्युत्पत्यात्मक स्वरूप दिया है वह प्रायः वही है जो हिन्दुओं के यहाँ पाया जाता है। और जिसे उनके 'श्राद्ध तत्त्व' में 'वैदिकप्रयोगाधीनयौगिक' लिखा है, जैसा कि अगले फुट नोट से प्रकट है। और इसमें जिस श्रद्धा का उल्लेख है वह भी वही 'पित्रुद्देश्यक श्रद्धा' अथवा 'प्रेतोद्देश्यक श्रद्धा' है जिसे हिन्दुओं के पद्मपुराण में भी जैनियों की ओर से 'निरर्थिका' बतलाया है और जो जैनदृष्टि से बहुत कुछ आपत्ति के योग्य है। श्रद्धा के इस सामान्य प्रयोग की वजह से कुछ लोगों को जो भ्रम होता था वह अब दूर हो सकेगा।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

जाता है और उनकी तृप्ति आदि सम्पादन करता है, ऐसी श्रद्धा से शास्त्रोक्तविधि के साथ जो अन्नादिक दिया जाता है उसका नाम श्राद्ध[१२१] है। हिन्दुओं के यहाँ तर्पण और श्राद्ध ये दोनों विषय करीब करीब एक ही सिद्धांत पर अवस्थित हैं। दोनों को 'पितृयज्ञ' कहते हैं। भेद सिर्फ इतना है कि तर्पण में अंजलि से जल छोड़ा जाता है, किसी ब्राह्मणादिक को पिलाया नहीं जाता। देव पितरगण उसे सीधा ग्रहण कर लेते हैं और तृप्त हो जाते हैं। परन्तु श्राद्ध में प्रायः ब्राह्मणों को भोजन खिलाया जाता है अथवा सूखा अन्नादिक दिया जाता है। और जिस प्रकार लैटर बॉक्स में डाली हुई चिट्ठी दूर देशांतरों में पहुँच जाती है उसी प्रकार मानों ब्राह्मणों के पेट में से वह भोजन देव पितरों के पास पहुँचकर उनकी तृप्ति कर देता है। इसके सिवाय कुछ क्रियाकाण्ड का भी भेद है। पिण्डदान भी श्राद्ध का ही एक रूप विशेष है, उसका भी उद्देश्य पितरों को तृप्त करना है और वह भी 'पितृयज्ञ' कहलाता है। इसमें पिण्ड को पृथ्वी आदिक पर डाला जाता है, किसी ब्राह्मणदिक के पेट में नहीं और उसे प्रकट रूप से कौए आदिक खा जाते हैं। इस तरह पर श्राद्ध और पिण्डदान ये दोनों कर्म प्रक्रियादि के भेद से, पितृतर्पण के ही भेद विशेष हैं, इन्हें प्रकारांतर से 'पितृतर्पण' कहा भी जाता है और इसलिये इनके विषय में अब मुझे अधिक कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना और बतला देना चाहता हूँ कि हिंदू ग्रन्थों में 'श्राद्ध' नाम से भी इस विषय का स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि वह जैनधर्म सम्मत नहीं है जैसा कि उनके 'पद्मपुराण' के निम्न वाक्यों से प्रकट है, जो कि ३६वें अध्याय में उसी दिगम्बर साधु द्वारा, श्राद्ध के निषेध में, राजा 'वेन' के प्रति कहे गये हैं–

श्राद्धं कुर्वन्ति मोहेन क्षयाहे पितृतर्पणम्।
क्वाऽऽस्ते मृतः समश्नाति कीदृशोऽसौ नरोत्तम॥२९॥
किं ज्ञानं कीदृशं कार्यं केन दृष्टं वदस्व नः।
मिष्टमन्नं प्रभुक्त्वा तु तृप्तिं यान्ति च ब्राह्मणाः॥३०॥
कस्य श्राद्धं प्रदीयेत सा तु श्रद्धा निरर्थिका।
अन्यदेवं प्रवक्ष्यामि वेदानां कर्मदाहणम्॥३१॥

इन वाक्यों में श्राद्ध को साफ तौर पर 'पितृतर्पण' लिखा है, और उससे श्राद्ध का उद्देश्य भी कितना ही स्पष्ट हो जाता है। साथ ही यह बतलाया है कि जिस (पितृतृप्ति उद्देश्य की) श्रद्धा से उसका विधान किया जाता है यह श्रद्धा ही निरर्थक है–उसमें कुछ सार ही नहीं–इस श्राद्ध से पितरों की कोई तृप्ति नहीं होती किन्तु ब्राह्मणों की तृप्ति होती है। इसी तरह पर उक्त पुराण के १३वें अध्याय में भी दिगम्बर जैनों की ओर से श्राद्ध के निषेध का उल्लेख मिलता है।

१२१. श्राद्धं– शास्त्रोक्तविधानेन पितृकर्म इत्यमरः। पित्रुद्देश्यकश्रद्धयाऽन्नादि दानम्।... ''श्रद्धया दीयते यस्मात् श्राद्धं तेन निगद्यते'' इति पुलस्त्यवचनात्। ''श्रद्धया अन्नादेर्दानं श्राद्धं इति वैदिकप्रयोगाधीनयौगिकम्'' इति श्राद्धतत्त्वम्। अपि च, सम्बोधनपदोपनीतान् पित्रादीन् चतुर्थ्यन्तपदेनोद्दिश्य हविस्त्यागः श्राद्धम्। -शब्दकल्पद्रुम।

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

ऐसी हालत में जैन ग्रन्थों से श्राद्धादि के निषेध-विषयक अवतरणों के देने की–जो बहुत कुछ दिये जा सकते हैं–यहाँ कोई जरूरत मालूम नहीं होती। जैन सिद्धांतों से वास्तव में इन विषयों का कोई मेल ही नहीं है। और अब तो बहुत से हिन्दू भाइयों की भी श्रद्धा श्राद्ध पर से उठती जाती है और वे उसमें कुछ तत्त्व नहीं देखते। हाल में स्वर्गीय मगनलाल गाँधीजी के विवेकी वीर पुत्र केशवभाई ने अपने पिता की मृत्यु के १०वें दिन जो मार्मिक उद्‌गार महात्मा गाँधीजी पर प्रकट किये हैं और जिन्हें महात्माजी ने बहुत पसंद किया तथा कुटुम्बीजनों ने भी अपनाया वे इस विषय में बड़ा ही महत्त्व रखते हैं और उनसे कितनी ही उपयोगी शिक्षा मिलती है। वे उद्‌गार इस प्रकार हैं–

''श्राद्ध करने में मुझे श्रद्धा नहीं है। और असत्य तथा मिथ्या का आचरण कर मैं अपने पिता का तर्पण कैसे करूँ? इसकी अपेक्षा तो जो वस्तु पिताजी को प्रिय थी वही करूंगा। गीता का पारायण तीन दिन करूँगा और तीनों दिन १२ घण्टे रोज चरखा चलाऊँगा'' –हि. नव.

परन्तु हमारे सोनीजी, जैन पंडित होकर भी, अभी तक लकीर के फकीर बने हुए हैं, 'बाबा वाक्यं प्रमाणं' की नीति का अनुसरण करना ही अपना कर्तव्य समझते हैं और लोगों को 'अंधश्रद्धालु' बनने तथा बने रहने का उपदेश देते हैं, यह बड़ा ही आश्चर्य है!! उन्हें कम से कम केशव भाई के इस उदाहरण से ही कुछ शिक्षा लेनी चाहिए।

मेरा विचार था कि मैं और भी कुछ विरुद्ध कथनों को दिखलाऊँ, विरुद्ध कथनों के कितने ही शीर्षक नोट किये हुए पड़े हैं, खासकर 'त्रिवर्णाचार के पूज्य देवता' शीर्षक के नीचे मैं कुदेवों की पूजा को दिखलाकर उसकी विस्तृत आलोचना करना चाहता था परन्तु उसके लिये लम्बा लिखने की जरूरत थी और लेख बहुत बढ़ गया है इसलिये उस विचार को भी छोड़ना ही पड़ा। मैं समझता हूँ विरुद्ध कथनों का यह सब दिग्दर्शन काफी से भी ज्यादा हो गया है और इसलिये इतने पर ही संतोष किया जाता है।

इन सब विरुद्ध कथनों के मौजूद होते हुए और अजैन विषयों तथा वाक्यों के इतने भारी संग्रह की उपस्थिति में अथवा ग्रन्थ की स्थिति के इस दिग्दर्शन के सामने सोनीजी के निम्न वाक्यों का कुछ भी मूल्य नहीं रहता, जो उन्होंने ग्रन्थ के अनुवाद की भूमिका में दिये हैं–

(१) ''हमें तो ग्रन्थ परिशीलन से यही मालूम हुआ कि ग्रन्थकर्ता की जैन धर्म पर असीम भक्ति थी, अजैन विषयों से वे परहेज करते थे। लोग खामुखाँ अपनी स्वार्थसिद्धि के लिये उन पर अवर्णवाद लगाते हैं।''

(२) ''ग्रन्थ की मूल भित्ति आदिपुराण पर से खड़ी हुई है।''... ''इस ग्रन्थ के विषय ऋषिप्रणीत आगम में कहीं संक्षेप से और कहीं विस्तार से पाये जाते हैं। अतएव हमें तो इस ग्रन्थ में न अप्रमाणिता ही प्रतीत होती है और न आगमविरुद्धता ही।''

मालूम होता है ये वाक्य महज लिखने के लिये लिखे गये हैं, अथवा ग्रन्थ का रंग जमाना ही इनका उद्देश्य जान पड़ता है। अन्यथा, ग्रन्थ के परिशीलन, तुलनात्मक अध्ययन और विषय की गहरी

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

जाँच के साथ इनका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। सोनीजी के हृदय में यदि किसी समय विवेक जागृत हुआ तो उन्हें अपने इन वाक्यों और इसी प्रकार के दूसरे वाक्यों के लिये भी, जिनमें से कितने ही ऊपर यथास्थान उद्धृत किये जा चुके हैं, जरूर खेद होगा और आश्चर्य अथवा असंभव नहीं जो वे अपनी भूल को स्वीकार करें। यदि ऐसा हो सका और शैतान ने कान में फूँक न मारी तो यह उनके लिये निःसंदेह बड़े ही गौरव का विषय होगा। अस्तु।

उपसंहार

त्रिवर्णाचार की इस सम्पूर्ण परीक्षा और अनुवादादि विषयक आलोचना पर से सहृदय पाठकों तथा विवेकशील विचारकों पर ग्रन्थ की असलियत खुले बिना नहीं रहेगी और वे सहज ही में यह नतीजा निकाल सकेंगे कि यह ग्रन्थ जिसे भट्टारकजी 'जिनेन्द्रागम' तक लिखते हैं वास्तव में कोई जैन ग्रन्थ नहीं किन्तु जैन ग्रन्थों का कलंक है। इसमें रत्नकरण्डकश्रावकाचारादि जैसे कुछ आर्ष ग्रन्थों के वाक्यों का जो संग्रह किया गया है वह ग्रन्थकर्ता की एक प्रकार की चालाकी है, धोखा है, मुलम्मा है, अथवा विरुद्धकथन रूपी जाली सिक्कों को चलाने आदि का एक साधन है। भट्टारकजी ने उनके सहारे से अथवा उनकी ओट में उन मुसलमानों की तरह अपना उल्लू सीधा करना चाहा है जिन्होंने भारत पर आक्रमण करते समय गौओं के एक समूह को अपनी सेना के आगे कर दिया था। और जिस प्रकार गोहत्या के भय से हिन्दुओं ने उन पर आक्रमण नहीं किया उसी प्रकार शायद आर्षवाक्यों की अवहेलना का कुछ ख्याल करके उन जैन विद्वानों ने जिनके परिचय में यह ग्रन्थ अब तक आता रहा है इसका जैसा चाहिए वैसा विरोध नहीं किया। परन्तु आर्ष वाक्यों के अनुकूल कहे गये दूसरे प्रतिष्ठित विद्वानों के वाक्य अपने अपने स्थान पर माननीय तथा पूजनीय हैं, भट्टारकजी ने उन्हें यहाँ जैनधर्म, जैनसिद्धांत, जैननीति तथा जैन-शिष्टाचार आदि से विरोध रखने वाले और जैनादर्श से गिरे हुए कथनों के साथ में गूँथकर अथवा मिलाकर उनका दुरुपयोग किया है और इस तरह पर समूचे ग्रन्थ को विषमिश्रित भोजन के समान बना दिया है, जो त्याग किये जाने के योग्य है। विषमिश्रित भोजन का विरोध जिस प्रकार भोजन का विरोध नहीं कहलाता उसी तरह पर इस त्रिवर्णाचार के विरोध को भी आर्ष वाक्यों अथवा जैन शास्त्रों का विरोध या उनकी कोई अवहेलना नहीं कहा जा सकता। जो लोग भ्रमवश अभी तक इस ग्रन्थ को किसी और ही रूप में देख रहे थे, जैन शास्त्र के नाम की मुहर लगी होने से इसे साक्षात् जिनवाणी अथवा जिनवाणी के तुल्य समझ रहे थे और इसलिये इसकी प्रकट विरोधी बातों के लिये भी अपनी समझ में न आने वाले अविरोध की कल्पनाएँ करके शांत होते थे, उन्हें अपने उस अज्ञान पर अब जरूर खेद होगा, वे भविष्य में बहुत कुछ सतर्क तथा सावधान हो जायेंगे और यों ही इन त्रिवर्णाचार जैसे भट्टारकीय ग्रन्थों के आगे सिर नहीं झुकायेंगे। वास्तव में, यह सब ऐसे ग्रन्थों का ही प्रताप है जो जैन समाज अपने आदर्श से गिरकर बिल्कुल ही अनुदार, अंधश्रद्धालु तथा संकीर्णहृदय बन गया है, उसमें अनेक प्रकार के मिथ्यात्वादि कुसंस्कारों ने अपना घर बना लिया है और वह बुरी तरह से कुरीतियों के जाल में फँसा हुआ है। साथ ही, उसके व्यक्तियों

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY

में आमतौर पर ढूँढ़ने पर भी जैनत्व का कोई खास लक्षण दिखलाई नहीं पड़ता। इन सब त्रुटियों को दूर करके अपना उद्धार करने के लिये समाज को ऐसे विकृत तथा दूषित साहित्य से अपने व्यक्तियों को सुरक्षित रखना होगा। और ऐसे जाली, ढोंगी तथा कपटी ग्रन्थों का सबल विरोध करके उनके प्रचार को रोकना होगा। साथ ही विचार स्वातंत्र्य को उत्तेजन देना होगा, जिससे सत्य-असत्य, योग्य-अयोग्य और हेयादेय की खुली जाँच हो सके और उसके द्वारा समाज के व्यक्तियों की साम्प्रदायिक मोहमुग्धता तथा अंधी श्रद्धा दूर होकर उन्हें यथार्थ वस्तुस्थिति के परिज्ञान द्वारा अपने विकास का ठीक मार्ग सूझ पड़े और उस पर चलने का यथेष्ट साहस भी बन सके। इन्हीं सदुद्देश्यों को लेकर इस परीक्षा के लिये इतना परश्रिम किया गया है। आशा है इस परीक्षा से बहुतों का अज्ञान दूर होगा, भट्टारकीय साहित्य के कितने ही विषयों पर अच्छा प्रकाश पड़ेगा और उससे जैन अजैन सभी भाई लाभ उठाएँगे।

अंत में सत्य के उपासक सभी जैन विद्वानों से मेरा सादर निवेदन है कि वे लेखक के इस सम्पूर्ण कथन तथा विवेचन की यथेष्ट जाँच करें और साथ ही भट्टारकजी के इस ग्रन्थ पर अब अपने खुले विचार प्रकट करने की कृपा करें। यदि परीक्षा से उन्हें भी यह ग्रन्थ ऐसा ही निकृष्ट तथा हीन जँचे तो समाजहित की दृष्टि से उनका यह जरूर कर्त्तव्य होना चाहिए कि वे इसके विरुद्ध अपनी आवाज उठाएँ और समाज में इसके विरोध को उत्तेजित करें, जिससे धूर्तों की की हुई जैन शासन की यह मलिनता दूर हो सके। इत्यलम्।

सरसावा, जिला-सहारनपुर
ज्येष्ठ कृ. १३, सं० १९८५

जुगलकिशोर मुख्तार

FOR PRIVATE & PERSONAL USE ONLY